CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

6.3

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार : १९५१-५२ ई०

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार

१९५१-५२ ई०

सत्यमेव जयते

प्रकाशक : जन सम्पर्क-निर्देशक, बिहार,
मुद्रक : राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग,
पटना

[मूल्य—एक रुपया]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार के नये राज्यपाल

श्री रङ्गनाथ रामचन्द्र दिवाकर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार के अवसरप्राप्त राज्यपाल

डाक्टर माधव श्रीहरि अणे

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वतन्त्रता-दिवस के उपलक्ष में मुख्य मन्त्री का सन्देश

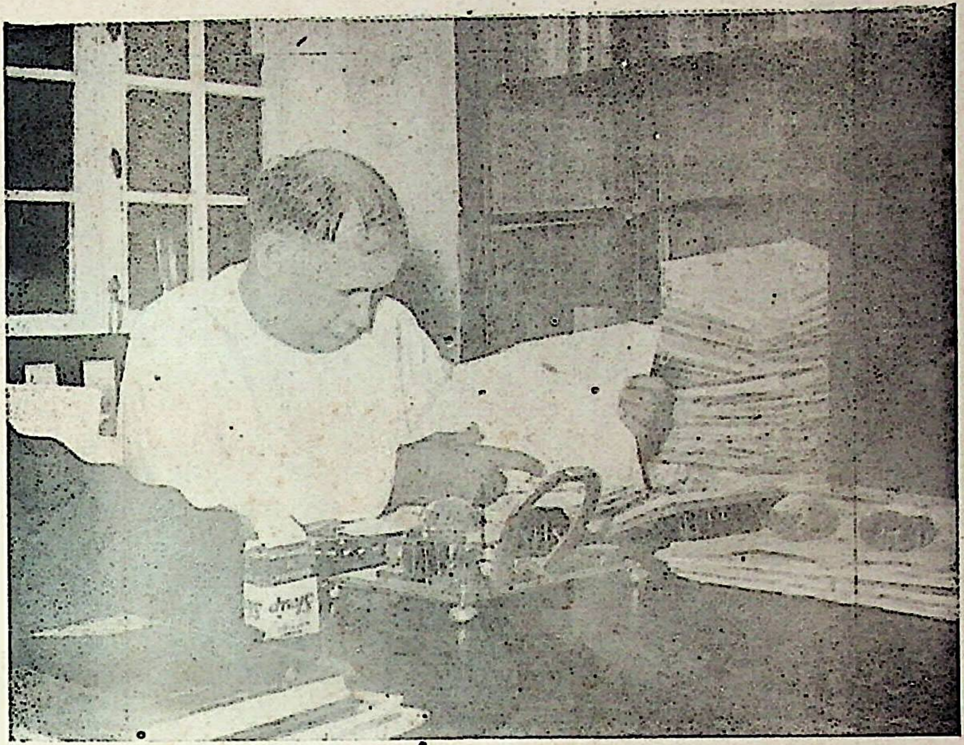

आज ही के दिन, पांच वर्ष पूर्व, हम आजाद हुए और हमने अपने राष्ट्रीय इतिहास का एक नया पन्ना उलटा। हमारे समाज में नयी शक्तियों का उदय हुआ, जिनसे नयी भावनायें उद्भूत हुईं। फलतः व्यक्तियों के विशेष स्वत्वों एवं सुविधाओं के सिद्धांत का निराकरण हो गया और आज हम, मानवता के आधार पर, समाज में, हर मनुष्य के समान अधिकार के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने "सर्वोदय" के उत्कृष्ट और पवित्र आदर्श को सुप्रतिष्ठित कर, हमारे जनयुग के स्वप्न में नवोन्मेष का संचार किया।

१५ अगस्त, १९४७ ई० को विदेशी शासन का अन्त हो जाने से हमारे एक उत्तरदायित्व का पालन हुआ; किन्तु, साथ ही, हमारे दूसरे उत्तरदायित्व का उद्भव भी हुआ। कहना न होगा कि यह नवीन उत्तरदायित्व पहले की अपेक्षा कहीं अधिक महान् और गुरुतर है। हमें अपने इस नये उत्तरदायित्व को समझकर, अपने कर्तव्य-पालन में तत्पर रहना चाहिये।

जहां स्वतंत्रता के बाद सरकार और सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है, वहीं जनता से भी लगन और उत्साह के साथ कार्य करने की अपेक्षा है। जनता के सक्रिय सहयोग से ही सरकार अपने महान् लक्ष्य की सिद्धि कर सकती है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार के मुख्य मंत्री

डाक्टर श्रीकृष्ण सिंह

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आमुख

भारतीय स्वतन्त्रता-दिवस के उपलक्ष में, प्रतिवर्ष, १५ अगस्त के दिन, हमारे जन-सम्पर्क-विभाग द्वारा इस प्रकार के वार्षिक प्रकाशन का आयोजन किया जाता है। विगत वर्षों की तरह, इस वर्ष भी, इस आनन्दमय अवसर पर, हम इस प्रकाशन को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह न तो प्रशासन-संबंधी विवरण है और न किसी भावी योजना की रूपरेखा। इस राज्य की जनता के उन्नयन और कल्याण के लिये, हमारी सरकार ने अबतक जो कुछ किया है, उसकी सफाई देने अथवा उसका गुण-कीर्त्तन करने का प्रयास भी इसमें नहीं किया गया है। इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि बिहार तथा उसकी राज्य-सरकार के विविध प्रकार के कार्यों के सम्बन्ध में, कुछ वास्तविक विवरण और आंकड़े एकत्र कर दिए जायें। मुझे इस बात में लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि, पाठकों के लिये, ये विवरण रोचक और उपयोगी सिद्ध होंगे।

१९५१-५२ ई० का वर्ष, जिसका सिंहावलोकन इस प्रकाशन में किया गया है, अनेक दृष्टियों से, सामान्यतः इस देश के और विशेषतः इस राज्य के इतिहास के लिये, अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष भारत के चिरकालीन इतिहास में, पहलेपहल, वयस्क-मताधिकार के सिद्धान्त के आधार पर, साधारण निर्वाचन हुए हैं। निस्सन्देह, उक्त निर्वाचन का आयोजन जनतन्त्र का सबसे बड़ा प्रयोग था। उसके प्रसंग में, देश के अन्य राज्यों की तरह, बिहार को भी अग्नि-परीक्षा देनी पड़ी और निश्चय ही यहां की जनता तथा सरकार, दोनों को इसका श्रेय है कि उक्त अग्नि-परीक्षा में इस राज्य को गौरवपूर्ण सफलता मिली। सम्पूर्ण निर्वाचन-कार्य यहां सफलता के साथ सम्पन्न हुआ; कहीं भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। इसका कारण यह नहीं था कि लोगों ने निर्वाचनों में दिलचस्पी नहीं दिखायी अथवा राज्य-सरकार ने दमन-नीति का उपयोग किया; बल्कि सच्ची बात तो इसके विपरीत थी। इस राज्य के विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों में, प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवारों के बीच उतने ही घनघोर संघर्ष हुए जितने किसी भी अन्य राज्य में, संभवतः, हुए होंगे और उनके कारण लोगों की दौड़धूप तथा दिलचस्पी भी उतनी ही अधिक रही जितनी कहीं भी हुई होगी। फिर भी, सर्वसाधारण का आचरण अवसर के अनुरूप हुआ और जिन लोगों को उक्त निर्वाचनों की सफलता में सन्देह था, उनकी आशंकाएँ मिथ्या प्रमाणित हुईं। इस प्रकाशन के साधारण-निर्वाचन-संबंधी प्रकरण में, जो रोचक एवं ज्ञानवर्द्धक विवरण दिए हुए हैं, वे इतिहास और राजनीति के विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे।

स राज्य के अनेक भागों में प्रायः अकाल-सदृश स्थिति उत्पन्न करनेवाले खाद्य-संकट पर विजय पाने के लिये, बिहार ने जो साहसपूर्ण प्रयत्न किये हैं, वे भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इस प्रकाशन में, राज्य-सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों के जो वार्षिक विवरण दिये गये हैं, वे वास्तविकतामूलक हैं। संभव है, ये विवरण कुछ लोगों को नीरस प्रतीत हों; फिरभी, इनमें जो सामग्रियां दी गयी हैं, वे सार्वजनिक जीवन के अनुशीलन में संलग्न सभी व्यक्तियों के लिये, निस्सन्देह, उपयोगी हैं। प्राचीन प्रणाली की राज्य-व्यवस्था से सर्वथा भिन्न, हमारी वर्तमान जनतान्त्रिक सरकार को बड़ी-बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को भी हल करना है। इसके निमित्त जो विविध प्रकार के कार्यक्रम बनाये गये हैं, उनकी सन्तोषजनक प्रगति के लिये, जनता का पूर्ण सहयोग अनिवार्य है। इसकी सिद्धि के लिये, यह आवश्यक है कि जनता को इस बात का सच्चा ज्ञान और अनुभव हो कि सरकार जनहित के लिये क्या कर रही है। इस दृष्टि से भी राजकीय कार्यों के प्रस्तुत विवरण लाभदायक हो सकते हैं।

पटना,
स्वतन्त्रता-दिवस, १९५२ ई०

महेश प्रसाद सिंह,
सूचना-मन्त्री, बिहार

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार के अर्थ, कृषि और श्रम-मंत्री

डाक्टर अनुग्रह नारायण सिंह

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में साधारण निर्वाचन

कदमकुआं (पटना) के मतदान-केन्द्र में एक महिला, मतदान करने के पूर्व अपनी उँगली में पक्की स्याही से छाप लगवा रही हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विषयानुक्रमणिका

क्रम	विषय	पृष्ठ
१.	बिहार में खाद्य-संकट और उसका निवारण	१–१०
२.	बिहार की जन-संख्या की समस्या	११–१६
३.	बिहार-राज्य में साधारण निर्वाचन	१७–३२
४.	१९५१-५२ ई० में बिहार-राज्य की आर्थिक स्थिति ..	३३–३८
५.	बिहार में गृह-शिल्पों की प्रगति	३९–४६
६.	बिहार की सांस्कृतिक परम्परा	४७–५२
७.	बिहार-भूमि-सुधार कानून पर एक दृष्टि	५३–६०
८.	बिहार की पुरातात्विक उपलब्धियाँ	६१–७०
९.	जनता और जनसम्पर्क	७१–७६
१०.	बिहार में गंगा-पुल-निर्माण का आयोजन	७७–८२
११.	बिहार-राज्य में रेलवे का विस्तार	८३–८८
१२.	बिहार-राज्य में सड़कों का विकास	८९–९६
१३.	बिहार में सामूहिक विकास-योजना की रूपरेखा ..	९७–१०४
१४.	बिहार में लोकप्रिय शासन की प्रगति	१०५–१८२
	(क) विधान-कार्य	१०५–११२
	(ख) पूर्त्ति और मल्य-नियन्त्रण	११३–११८
	(ग) स्वायत्त-शासन और जन-स्वास्थ्य	११९–१२६
	(घ) राजस्व और राजकर	१२७–१३०
	(ङ) सामाजिक उन्नयन और जन-कल्याण.. ..	१३१–१५०
	(च) उत्पादन और विकास..	१५१–१६६
	(छ) सामान्य प्रशासन	१६७–१७४
	(ज) राजभाषा हिन्दी का व्यवहार	१७५–१८२

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

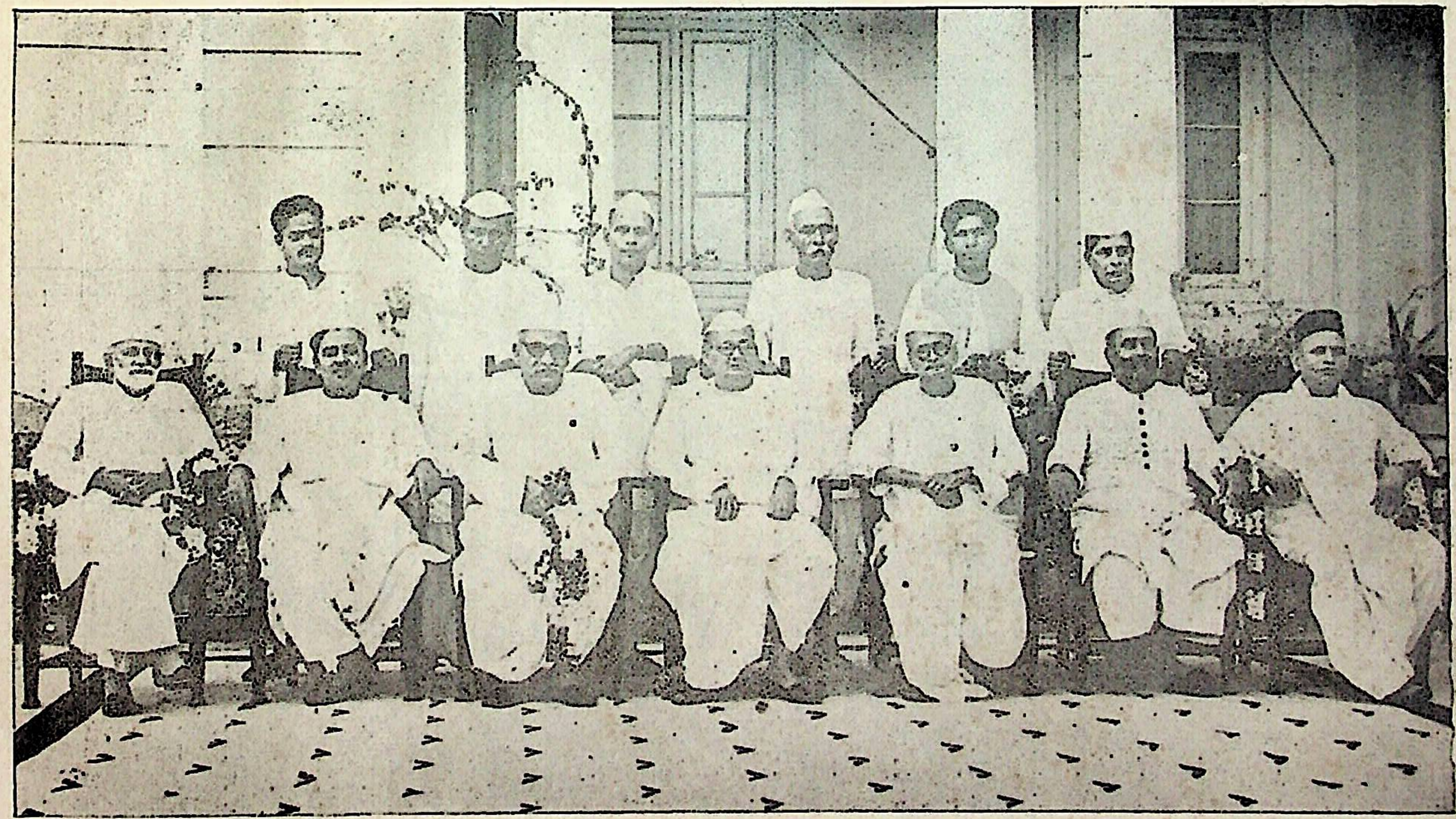

बैठे हुए (दाहिने से बायें) (१) आचार्य बदरीनाथ वर्मा, शिक्षा-मन्त्री; (२) शाह ओजैर मुनीमी, पुनर्वास और जेल-मंत्री; (३) डाक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, अर्थ-श्रम-कृषि-मंत्री; (४) डाक्टर श्रीकृष्ण सिंह, मुख्य मंत्री; (५) श्री रामचरित्र सिंह, बिजली और सिंचाई-मंत्री; (६) श्री कृष्ण वल्लभ सहाय, राजस्व-मंत्री; (७) श्री सैयद मुहम्मद शफी, जनकार्य-मंत्री।

खड़े हुए (बायें से दाहिने) (१) श्री हरिनाथ मिश्र, पूर्ति-मंत्री; (२) श्री देवशरण सिंह, जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा-मंत्री; (३) श्री महेश प्रसाद सिंह, उद्योग, यातायात और सूचना-मंत्री; (४) श्री दीपनारायण सिंह, सहकारिता और पशुचिकित्सा-मंत्री; (५) श्री भोला शास्त्री, स्वायत्त-शासन और कल्याण-मंत्री; (६) श्री शिवनन्दन प्रसाद मण्डल, विधायिका-मंत्री।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

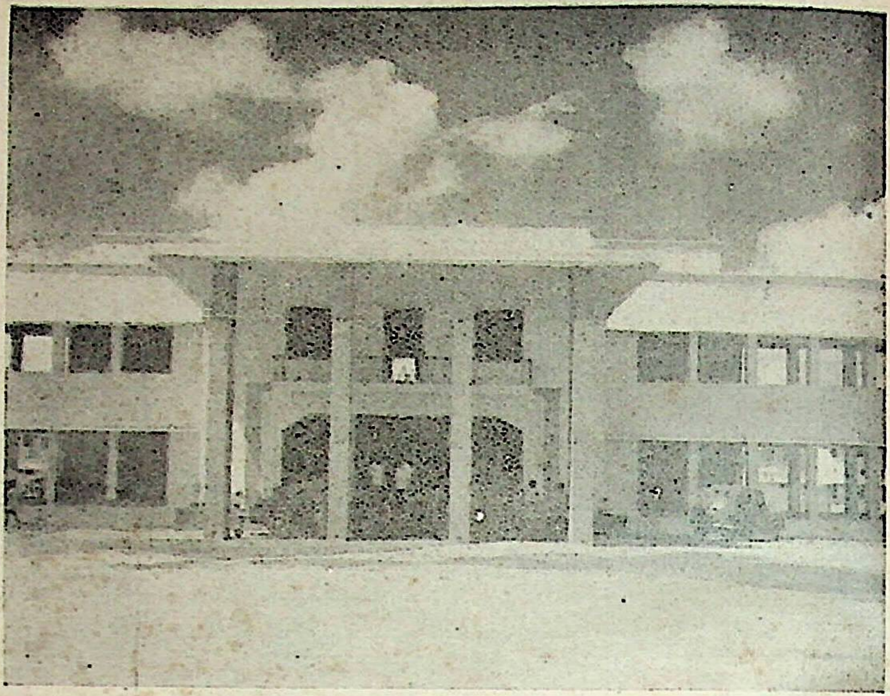

पटना हाई कोर्ट के पास स्थित नये लेजिस्लेटर्स क्लब-भवन का एक दृश्य

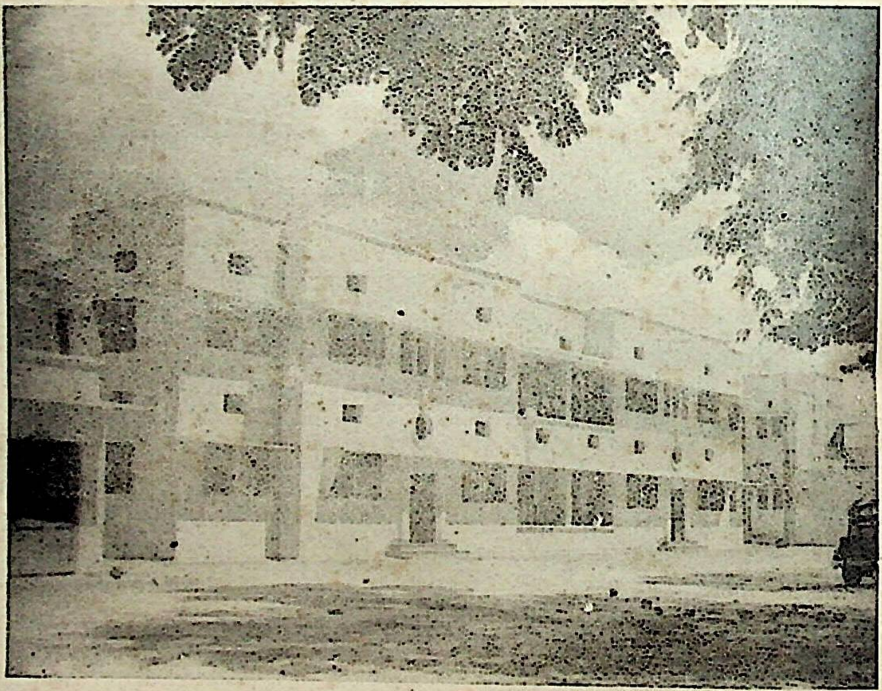

पटना हाई कोर्ट के पास स्थित एम० एल० ए० क्वार्टर्स का एक दृश्य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में खाद्यसंकट और उसका निवारण

श्री हरिनाथ मिश्र, एम० ए०, मन्त्री, पूर्त्तिविभाग, बिहार

बिहार-राज्य की खाद्य समस्या पर विचार करने के पूर्व, इसकी जनसंख्या, उत्पादन और आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है। विगत दशाब्दी के सबंध में इस विषय के जो आंकड़े हैं, वे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	अनुमित जनसंख्या	कुल उत्पादन	कुल आयात
		टन	टन
१९४३-४४ ई०	३,७५,०३,७८४	४६,७९,०००	३८,२२०
१९४४-४५ ई०	३,७८,९१,६६०	४३,७३,०००	६०,२१७
१९४५-४६ ई०	३,८२,७९,५३६	५२,२२,०००	१,९२,०००
१९४६-४७ ई०	३,८६,६७,४१२	५४,९८,०००	३,०१,५४८
१९४७-४८ ई०	३,९०,५५,२८८	५६,११,०००	१,२४,७६८
१९४८-४९ ई०	३,९४,४३,१६४	४९,७३,०००	१,२१,०००
१९४९-५० ई०	३,९८,३१,०४०	४९,८१,०००	१,०८,८३८
१९५०-५१ ई०	४,०२,१८,९१६	३३,७७,०००	४,४९,८३३
१९५१-५२ ई०	४,०६,०६,७९२	३४,९०,०००	५,५८,१४३

वर्ष	उत्पादन और आयात का योग	आवश्यकता	अन्तर
	टन	टन	टन
१९४३-४४ ई०	४७,१७,२२०	६१,११,१०८	१३,९३,८८८
१९४४-४५ ई०	४४,३३,२१७	६१,७४,३११	१७,४१,०९४
१९४५-४६ ई०	५४,१४,०००	६२,३७,५१४	८,२३,५१४
१९४६-४७ ई०	५७,९९,५४८	६३,००,७१७	५,०१,१६९
१९४७-४८ ई०	५७,३५,७६८	६३,६३,९२०	६,२८,१८२
१९४८-४९ ई०	५०,९४,०००	६४,२७,१२३	१३,३३,१२३
१९४९-५० ई०	५०,८९,८३८	६४,९०,३२६	१४,००,४८८
१९५०-५१ ई०	३८,२६,८३३	६५,५३,५२९	२७,२६,६९६
१९५१-५२ ई०	४०,४९,१४३	६६,१६,७३२	२५,६७,५७९

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पृष्ठ १ की तालिका में जो वर्ष दिये गये हैं, वे अनाजों की फसल के वर्ष हैं। ख रीफ फसल के लिये नवम्बर से अक्तूबर तक और रब्बी फसल के लिये अप्रैल से मई तक के वर्ष माने जाते हैं। तालिका के दूसरे और तीसरे खानों में खाद्यान्न के उत्पादन तथा आयात के जो आंकड़े दिये गये हैं, वे धान या चावल, गेहूँ, चना, मकई, और जौ के संबंध में ही ह। आयात के जो आंकड़े हैं, े आयात की आधारभूत योजना के आधार पर दिये गये हैं। पांचवें खाने में खाद्यान्नों की आवश्यकता के जो आंकड़े हैं, वे प्रति व्यक्ति एक पौंड प्रतिदिन के हिसाब से दिये गये हैं। उनमें बीजों की आवश्यकता का भी समावेश है। १९५१-५२ ई० के लिये जो उत्पादन के आंकड़े दिये गये हैं वे रब्बी फसल संबंधी द्वितीय भविष्यवाणी पर अवलम्वित हैं।

अभाव-क्षेत्र

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट विदित होता है कि साधारण स्थिति में भी बिहार, खाद्यान्न की ृष्टि से, एक अभावपूर्ण क्षेत्र है। स राज्य में कुल ४४,३३० हजार एकड़ भूमि ह; किंतु कृषि-कार्य के लिये उपयोगी भूमि केवल १७,६५३ हजार एकड़, अर्थात् कुल भूमि का ४० प्रतिशत अंश है। कृषि-कार्य के लिये उपयोगी जितनी भूमि ह, उसमें से केवल ४,८७९ हजार एकड़ भूमि की ही सिंचाई होती है। कृषि के योग्य कुल भूमि का शेष ७३ प्रतिशत अंश सामयिक वर्षा पर ही सिंचाई के लिये निर्भर है। यदि प्रकृति की उदारतापूर्ण देन नहीं मिलती, तो उपर्युक्त क्षेत्र पूर्णतः अनुर्वर हो जाता है। जितनी भूमि में खेती होती है, उसका अधिकांश खाद्यान्नों के उत्पादन में ही लगा रहता है। शेषांश में, जूट, ऊख, तम्वाकू, और मिरचाई जैसी नकद फसलें उत्पन्न होती हैं। इसके सबसे अधिक अंशजूट और ऊख की खेती में लगते हैं, जिनके क्षेत्रफल, क्रमशः, ३,४९,४४० एकड़ और २,३२,९५० एकड़ हैं। ये आंकड़े १९४९-५० ई० में समाप्त होने वाले पांच वर्ष की अवि के विवरणों के आधार पर दिये गये हैं। १,३१,१९,६६६ एकड़ भूमि में धान की खेती होती है। यह क्षे फल कुल कृषि-कार्य योग्य भूमि का ६६ प्रतिशत अंश है। १९४५ ई० में खाद्य स्थिति संबंधी पैमाइश, नमूने के प में, हुई थी; उसके परिणामों से विदित होता है कि विहार के ग्रामीण क्षेत्रों के २९ प्रतिशत परिवार बिलकुल भूमिरहित ह; ४९ प्रतिशत परिवारों के पास परिवार पीछे पांच एकड़ से भी कम खेत ह और वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लायक खाद्यान्न नहीं उत्पन्न करते; १६·६ प्रतिशत परिवारों के पास, परिवार पीछे, ५ से १५ एकड़ तक खेत ह; और केवल ५.६ प्रतिशत परिवारों के पास, परिवार पीछे, १५ एकड़ से अधिक खेत हैं। इसका निष्कर्ष स्पष्ट है। विहार के निवासियों में प्रायः ७५ प्रतिशत ऐसे ह, जो साधारणतः अपनी खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, अधिकांशतः, अपनी भूमि की उपज के अतिरिक्त अन्य साधनों पर ही निर्भर हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उत्तर बिहार संसार के सबसे अधिक सघन आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। उसकी जनसंख्या १,८१,३८,०१७ है और उसका क्षेत्रफल मुश्किल से २१,१४१ वर्ग-मील है। यदि अतिवृष्टि या अनावृष्टि के फलस्वरूप, अथवा सभी भागों में उचित परिमाण में वर्षा न होने से, आंशिक रूप से भी फसलें मारी जाती हैं, तो उस क्षेत्र में अत्यन्त दुस्सह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। केवल कोशी नदी की भंयकर बाढ़ों के प्रकोप से, प्रतिवर्ष २,००० से ३,००० तक वर्गमील भूमि ध्वस्त हो जाती है। पहले वही क्षेत्र इस राज्य का सबसे अधिक उर्वर भाग था। गंगा नदी उस क्षे को राज्य के अन्य भागों से अलग कर देती है और बहुतसी छोटी-छोटी नदियां उसे कई टुकड़ों में बांट देती हैं। वर्षा ऋतु में इन नदियों में प्रायः भीषण बाढ़ आ जाती है। फलतः, उस क्षेत्र के अत्यन्त सघन आबादी वाले गांवों में खाद्यान्न पहुंचाने की समस्या बहुत ही जटिल हो जाती है।

संकट की उत्पत्ति

१९५१-५२ ई० में, बिहार राज्य में जो खाद्य-संकट उत्पन्न था, उसके बहुत से कारण हैं। उन कारणों का आरंभ १९४३ ई० में हुआ, जबकि केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्नों के अन्तर प्रांतीय यातायात पर लगाये हुए प्रतिबंध को तीन महीने के लिये उठा दिया था। तीन महीने की उपर्युक्त अवधि, १८ मई, १९४३ ई० से जुलाई, १९४३ ई० तक की थी। १९४३ ई० का वर्ष खाद्यस्थिति की दृष्टि से संकट का वर्ष था। उस वर्ष, बिहार से खाद्यान्नों का जो निर्यात हुआ, उसके आंकड़े निम्नलिखित हैं—

(१) चावल — १५,४९,९८० मन
(२) धान — १,८१,०८२ मन
(३) गेहूँ — १,१६,८६४ मन
(४) गेहूँ का आंटा—६९,९०५ मन
(५) चना — १,७५, ६१८ मन

कुल जोड़ २०,९३,४४९ मन

इस निर्यात के फलस्वरूप इस राज्य की खाद्य-स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा। खाद्यान्न की दृष्टि से यह राज्य पहले ही से अभाव-क्षेत्र था। उपर्युक्त लगभग २१ लाख मन (७७ हजार टन) खाद्यान्न का जो निर्यात हुआ, उसके कारण अन्य स्थानों में बहुत थोड़ा लाभ हुआ, पर यहां की स्थिति बहुत बिगड़ गयी। इसके परिणाम स्वरूप, इस राज्य की, खाद्य-स्थिति पर स्थायी रूप से चोट पहुंची। यहां के कृषकों तथा व्यापारियों के पास जो भी खाद्यान्न जमा थे, सब बाहर चले गये। हमारी इस हीनता के साथ-साथ, १९४१-४२ ई० से १९४८-४९ ई० तक की अवधि में, बिहार में खाद्यान्नों के आयात में भी बहुत कमी रही। उस अवधि में, उसके पूर्व

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के तीन वर्षों की तुलना में, खाद्यान्नों के आयात में ६० प्रतिशत से कुछ अधिक की कमी हुई। यहां पर यह बता देना उचित होगा, कि १९३८-३९ ई० से १९४०-४१ ई० की तक की अवधिं में बिहार में ३.७४ लाख टन खाद्यान्न का आयात औसत रूप से प्रतिशत हुआ था। १९४८ ई० में, स्थिति कुछ सुधर जाने के कारण, सरकार ने, क्रमशः, विनियंत्रण करने की नीति अपनायी। किंतु, कुछ ही मास के वाद, खाद्यान्नों का मूल्य स्तर वढ़ने लगा। फलतः, उस नीति का परित्याग करना पड़ा और पुनः नियंत्रण लागू किये गये।

दुरवस्था का विकास।

१९५० ई० के आरभ से ही, स राज्य की खाद्य-स्थिति बहुत बिगड़ने लगी। केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया था कि वर्ष भर में सिर्फ ४० हजार टन खाद्यान्न विहार को दिया जायगा। सके कारण, वर्ष के आरंभ से ही, अभावग्रस्त क्षेत्रों में, अपर्याप्त परिमाण में अनाज दिया जाने लगा। अप्रैल, १९५० ई० तक खाद्यान्न की स्थिति सुस्पष्ट हो गयी और मई तथा जून के महीनों में दुरवस्था और वढ़ती ही गयी। उसके वाद, जुलाई और अगस्त के महीनों में, संकट अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। पूर्णिया, सहरसा, और उत्तर भागलपुर में, मकई की फसल मारी गयी। वाढ़ के कारण, मकई की पहले और पीछे वोयी गयी फसलें और अगहनी धान की फसल विल्कुल नष्ट हो गयी। उसके वाद, सितम्बर और अक्तूबर, १९५० ई० का भंयकर और अभूतपूर्व सुखार आया। उस अवधि में, वर्षा न होने के कारण, जाड़े की खड़ी फसल भी अधिकांशतः नष्ट हो गयी और रब्वी फसल की संभावना नैराश्यपूर्ण हो गयी। इन सब कारणों के फलस्वरूप उस वर्ष लगभग २० लाख टन अनाज की क्षति हुई, जो इस राज्य के कुल उत्पादन का ४० प्रतिशत अंश होता है। पिछली दशाब्दी में, इस राज्य की जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण भी हमारा खाद्याभाव, वहुत वढ़ गया। खाद्यान्नों का मूल्य-स्तर तेजी के साथ, ऊंचा हो गया। नेपाल से धान और चावल का आयात कुछ-काल पूर्व से ही, विल्कुल वन्द हो जाने के कारण हमारी दुरवस्था और भी वढ़ गयी। साधारणतः प्रतिवर्ष उत्तर विहार में नेपाल से ७५ हजार टन चावल आता था। १९४८ ई० के वाद, नेपाल सरकार ने अपने राज्य से वाहर धान और चावल भेजने पर रोक लगा दी। पश्चिम वंगाल के चाय वाले इलाकों में, चावल की खरीद संबंधी प्रतियोगिता वढ़ जाने के कारण नेपाल के बाज़ारों में चावल की कमी हो गयी। इस प्रकार, नेपाल से उत्तर बिहार में, चावल आने का जो स्रोत था, वह प्रायः सूख सा गया। परिणाम यह हुआ कि उत्तर विहार का खाद्याभाव वहुत बढ़ गया और वहां अर्द्ध दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी। दक्षिण विहार के कुछ भागों में भी खाद्यान्नों का वहुत अभाव हो गया।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अभावग्रस्त क्षेत्र

इस प्रकार, जो खाद्य-सकट उत्पन्न हुआ, उससे पूण उत्तर बिहार के साथ-साथ दक्षिण बिहार के पटना, गया, शाहाबाद, मुंगेर, भागलपुर, पलामू और हजारीबाग के जिलों के कुछ अंश भी स्त हो गये। इस संकट का प्रभाव अधिकाधिक परिमाण में लगभग दो करोड़ लोगों पर पड़ा। अर्थात् इस राज्य के ५० प्रतिशत निवासो अभावग्रस्त हो गया।

संकट का निवारण

अक्तूबर, १९५० ई० में, राज्य-सरकार ने, खाद्यान्न छिपाकर रखने वालों के विरुद्ध राज्य के सभी भागों में एक ही साथ आन्दोलन आरंभ किया। कुल मिलाकर, प्रायः ६०० घरों की तलाशी ली गयी और ६६,१८० मन खाद्यान्न बरामद हुए। १३० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, २०० व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये और १३ व्यक्तियों को नजरबन्द करने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजे गये। इतने बड़े पैमाने पर जो तलाशियां हुईं, उनसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ; क्योंकि, कहीं भी बहुत अधिक परिमाण में खाद्यान्न छिपाकर नहीं रखे गये थे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि प्रतिवर्ष जो अनाज जमा किये जाते थे, वे भी बहुत घट गये थे ओर अन्नाभाव तथा खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि का कारण यही नहीं थी कि किसानों तथा व्यापारिओं द्वारा, खाद्यान्न छिपाकर रखे गये थे, बल्कि उनके बहुत से दूसरे-दूसरे कारण थे, जो वर्षों से विद्यमान थे।

इस संकट के निवारण का, एकमात्र उपाय यही था कि बहुत बड़े परिमाण में बाहर से खाद्यान्नों का आयात हो। १९५१ ई० में, भारत सरकार की सहायता से १० लाख टन खाद्यान्न बाहर से मंगाने की व्यवस्था की गयी। राज्य के सभी खाद्याभावग्रस्त क्षेत्रों में, शीघ्रातिशीघ्र, अधिक से अधिक खाद्यान्न भेजने के लिए विशेष आयोजन किये गये। जो खाद्यान्न हमें बाहर से मिले, उनका बहुत बड़ा अंश विदेशों से आया था। भारत सरकार के अनुरोध से, भारतीय संघ के अन्य राज्यों ने भी इस विषय में हमारी सहायता की। संकट के समय में बन्दरगाहों से तथा अन्य राज्यों के अनेक रेलवे स्टेशनों से, साथ-साथ, खाद्यान्न बिहार के लिये भेजे जाते थे। उत्तर बिहार में इस संकट का प्रकोप अधिक था। उसके विभिन्न भागों में खाद्यान्न पहुंचाने में बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि रेलवे द्वारा गंगा नदी के उस पार खाद्यान्न ले जाने की शक्ति सीमित थी। प्रतिदिन बड़ी लाइन के डब्बों के हिसाब से ८० डब्बे से अधिक खाद्यान्न इस पार से उस पार नहीं भेजा जा सकता था। इस प्रकार अधिक से अधिक ३६,००० टन खाद्यान्न प्रतिमास वहां पहुंच सकते थे। इसके विपरीत, वहां की अनुमित आवश्यकता ६०,००० टन प्रतिमास से कम की नहीं थी। इस कठिनाई को दूर करने के अभिप्राय से बनारस के पास, मंड़वाडीह में, एक विशेष

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

केन्द्र खोला गया, जिसके द्वारा ४० डब्बे अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिदिन उत्तर बिहार में भेजे जा सकते थे। कई स्थानों पर गंगा के इस पार से उस पार अनाज ले जाने की स्थानीय व्यवस्था की गयी। इसके लिये साधारण नावों और छोटे-छोटे स्टीमरों का उपयोग होता था। इस प्रकार जो खाद्यान्न उत्तर बिहार के लगभग २०० रेलवे स्टेशनों पर पहुंचते थे, वे वहां से २,००० से अधिक गुदामों में पहुंचाये जाते थे, ताकि राज्य के भीतरी भागों में उनका वितरण हो सके। इस तरह खाद्यान्नों को ढोने का जो बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया, उसके लिये अराजकीय लोगों तथा पुलिस और सैन्य-विभागों से उनकी मोटर-ट्रक गाड़ियां ली गयीं और गांवों में बैलगाड़ियों तथा नावों का भी उपयोग आवश्यकतानुसार किया गया। सैन्य-विभाग ने भी इस विषय में राज्य सरकार की सहायता की। उन्होंने उत्तर बिहार में सड़कों और पुलों की मरम्मत कर दी और बहुत सी ऐसी जगहों पर खाद्यान्न पहुंचा दिया, जो दुर्गम थीं। प्रायः सभी ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा बिक्री की दूकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था सरकारी संघटन द्वारा किया गया। अगस्त, १९५१ ई० में, ग्रामीण क्षेत्रों की गल्ले की सरकारी दूकानों की संख्या बढ़कर ९,९०० हो गयी और शहरी क्षेत्रों में ऐसी दूकानों की संख्या १,३०० से कुछ अधिक थी। अक्तूबर ,१९५० ई०, में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को मिलाकर राज्य भर में कुल १,१६६ गल्ले की सरकारी दूकानें थीं। उसके बाद, राज्य-सरकार ने खाद्यान्नों के वितरण के लिये ऐसी अच्छी व्यवस्था की कि एक वर्ष से कम की अवधि में ही उक्त दूकानों की संख्या में, ९०० प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। अक्तूबर, १९५० ई० के अन्त तक २९,२५,००० लोगों को राशन-कार्ड के द्वारा खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गयी थी। जून, १९५१ ई० के अन्त तक, यह संख्या बढ़कर १,६५,०९,८०० हो गयी और जुलाई, १९५१ ई० के अन्त तक १,९१,०३,३०० हो गयी। अगस्त, १९५१ ई० के तीसरे सप्ताह में, वह संख्या २ करोड़ से भी अधिक हो गयी, अर्थात् राज्य के ५० प्रतिशत से अधिक निवासियों को राशन-कार्ड द्वारा खाद्यान्न नियमित रूप से दिया जाने लगा।

सबसे अधिक बिक्री की अवधि में, खाद्यान्नों की सरकारी दूकानों से ५ करोड़ रुपये के खाद्यान्न, प्रतिमास बिकते थे। खाद्यान्नों को जमा कर रखने की समस्या बहुत जटिल सिद्ध हुई। इतने बड़े परिमाण में खाद्यान्न जमा करने की समस्या कभी भी नहीं उत्पन्न हुई थी। राज्यभर में, खाद्यान्न के जितने सरकारी गुदाम थे, उनमें कुल मिलाकर ३० हजार टन से अधिक खाद्यान्न एक साथ जमा नहीं रह सकता था। खाद्यान्नों का परिमाण बढ़ने पर, असरकारी गुदाम किराये पर लिये जाते थे। पर कभी भी ५० हजार टन से अधिक खाद्यान्न जमा नहीं रहता था। सितम्बर, १९५० ई० में, राज्य-सरकार के पास केवल १२,७४० टन खाद्यान्न जमा थे। जनवरी, १९५१ ई० में यह परिमाण बढ़कर २३,४३४ टन हो गया; मार्च में ५६,०६१ टन; जून में १,३४,४२८ टन; सितम्बर में १,३४,७०० टन और

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नवम्बर, १९५१ ई० में राज्य सरकार के पास अधिकतम परिमाण में, २,१०,००० टन खाद्यान्न जमा थे। खाद्यान्न जमा कर रखने के लिये असरकारी गुदामों, स्कूलों के भवनों, धर्मशालाओं तथा अन्य सुलभ भवनों का उपयोग किया गया। बहुत जगह, असरकारी व्यक्तियों को खाद्यान्न जमा करने के लिये नियुक्त किया गया। १९५१ ई० के अन्त तक, सरकार ने मोकामा और पटना में दो उच्च-कोटि के अन्नागार बना लिये थे, जिनमें लगभग २०,००० टन खाद्यान्न रखे जा सकते थे।

खाद्यान्नों का वितरण

इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों में जो खाद्यान्न जमा किये गये थे, उनके समुचित वितरण में, असरकारी संस्थाओं ने भी सरकार के साथ सहयोग किया। बहुत से अवैतनिक कार्यकर्त्ताओं ने अभावपूर्ण व्यक्तियों की सूची बनाने में सहायता दी। उन सूचियों में, ऐसे व्यक्तियों के नाम तो लिये ही गये, जिन्हें खाद्यान्न की आवश्यकता थी; साथ ही, जिन्हें नौकरी तथा अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता थी, उनके भी नाम लिखे गये।

सहायता-कार्य

खाद्य-संकट के अनेक कारणों में से एक यह भी था कि जनता की क्रय-शक्ति का बहुत ह्रास हो गया था। इसलिये ऐसे लोगों की सहायता के निमित्त अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों के भूमिरहित किसान-मजदूरों को नौकरियां दिलाने का भी आयोजन किया गया। अनाथ तथा असमर्थ लोगों को दान के रूप में भी सहायता दी गयी। १९५१-५२ ई० में कुल मिलाकर, ६ करोड़ १० लाख रुपये विभिन्न प्रकार की सहायता के मद में खर्च किये गये। इस व्यय का विवरण नीचे दिया जाता है:—

मद	रुपये
१। दान	४५,१३,७८१ (फरवरी १९५२ तक)
२। सहायता संबन्धी कार्यकर्त्ताओं के वेतन, आदि	३,७२,४२४
३। हल्का शारीरिक कार्य	३२,१७,२७७
४। कड़ा शारीरिक कार्य	९०,५८,५३४
५। चिकित्सा और जनस्वास्थ्य ..	७,०२,५९६
६। कृषकों को ऋण	३,९३,४४,८७४
७। भूमि-सुधार ऋण	३५,८०,५१४
८। प्राकृतिक विपत्ति संबन्धी ऋण ..	६,७८,०४०
कुल जोड़	६,१४,७८,०४०

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इन सभी कार्यों के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अपने जनकार्य, सिंचाई तथा विकास-विभागों के द्वारा, अभावग्रस्त क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक कार्य कराने का आयोजन किया, ताकि बेकार लोगों को जीवकोपार्जन का साधन मिल जाय और खाद्य के उत्पादन में वृद्धि हो। विविध प्रकार की सिंचाई-योजनाएं कार्यान्वित की जाने लगीं और खादों तथा उन्नत-कोटि के बीजों का वितरण भी अधिकाधिक परिमाण में होने लगा। १९५१ ई० के सितम्बर के अन्त तक १२ करोड़ ६० लाख रुपये खर्च कर, सिंचाई की ७ हजार लघु योजनायें कार्यान्वित की गयीं। सहायता के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, कुछ और काम भी किये गये। जैसे—पोखरों की सफाई, सुरक्षात्मक बांधों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का निर्माण और सुधार। जो लोग कड़ा शारीरिक काम नहीं कर सकते थे, उनके लिये खादी तैयार करने और सुतली कातने के काम दिये गये। हर महीने लगभग ९०० मन रुई की कताई होती थी।

लोगों के आहार में, पौष्टिक तत्व का जो अभाव था, उसकी पूर्त्ति करने के लिये १० हजार टन इराकी खजूर बांटे गये। इसका ८० प्रतिशत अंश ग्रामीण क्षेत्रों में २ आने सेर की दर से और शहरों में ४ आने सेर की दर से बेचा गया और स्कूलों, शिशु-कल्याण-केन्द्रों तथा बच्चों की अन्य ऐसी संस्थाओं में खजूर का वितरण निःशुल्क हुआ। भावी माताओं तथा छोटे-छोटे बच्चों को पोसनेवाली स्त्रियों को भी निःशुल्क खजूर दिया गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ की शिक्षा और संस्कृति शाखा तथा रेड क्रास संघटन की ओर से दूध की जो बुकनी प्राप्त हुई थी उसका भी वितरण पीड़ित क्षेत्रों में हुआ। २१ जून से, ३१ दिसम्बर, १९५१ ई० के बीच की अवधि में ८ लाख पौंड दूध की बुकनी बांटी गयी। कम पौष्टिक तत्व पानेवाली जनता के बीच संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिये विशेष व्यवस्था की गयी। ८८ लाख लोगों को हैजानिरोधक सूइयां दी गयीं। पीड़ित क्षेत्रों में दवाइयों के ७,५०० डिब्बे बांटे गये। संक्रामक रोगों के निवारण के लिये ६० डाक्टर तथा अन्य १८८ अस्थायी डाक्टर पीड़ित क्षेत्रों में कार्य करते रहे।

दवा देकर कुओं को शुद्ध करने का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। २१ जून और ३१ अक्तूबर १९५१ ई० के बीच की अवधि में ४,५५५ नलकूप गाड़े गये। इनके द्वारा लोगों को पीने का जल मिलने लगा। इन सब उपायों का परिणाम यह हुआ कि संक्रामक रोग हुए ही नहीं।

सहायता-संबंधी उपहार-वितरण

देश तथा विदेश की अनेक दानशील संस्थाओं ने, खाद्यसंकट के समय नकद तथा अनाजों के रूप में यथेष्ट सहायता की। जो नकद सहायता मिली, वह कुल मिलाकर ५,९२,५४६ रु० ७ आने ५ पाई की थी। इसमें से १५,७६६ रु०

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

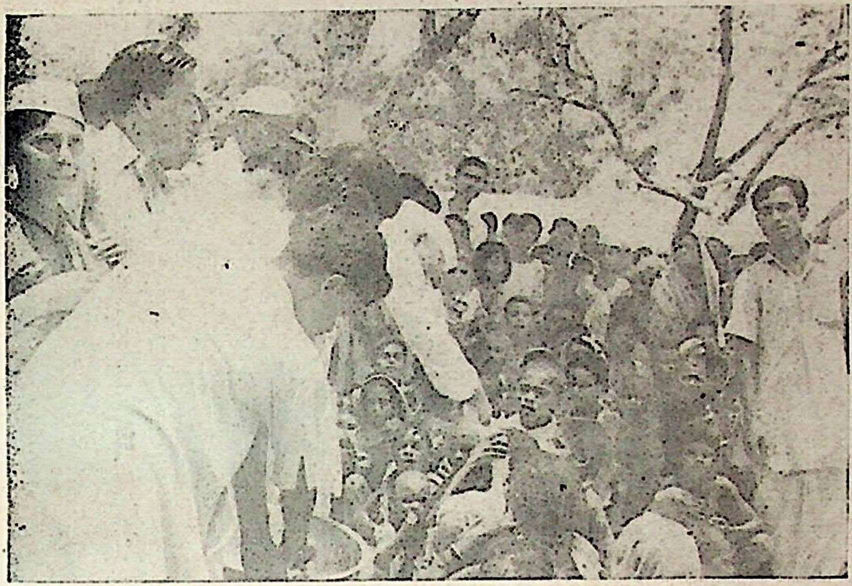

भारतीय संघ के प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयनगर (दरभंगा) के अभाव-ग्रस्त क्षेत्र में, बच्चों को दूध बांट रहे हैं

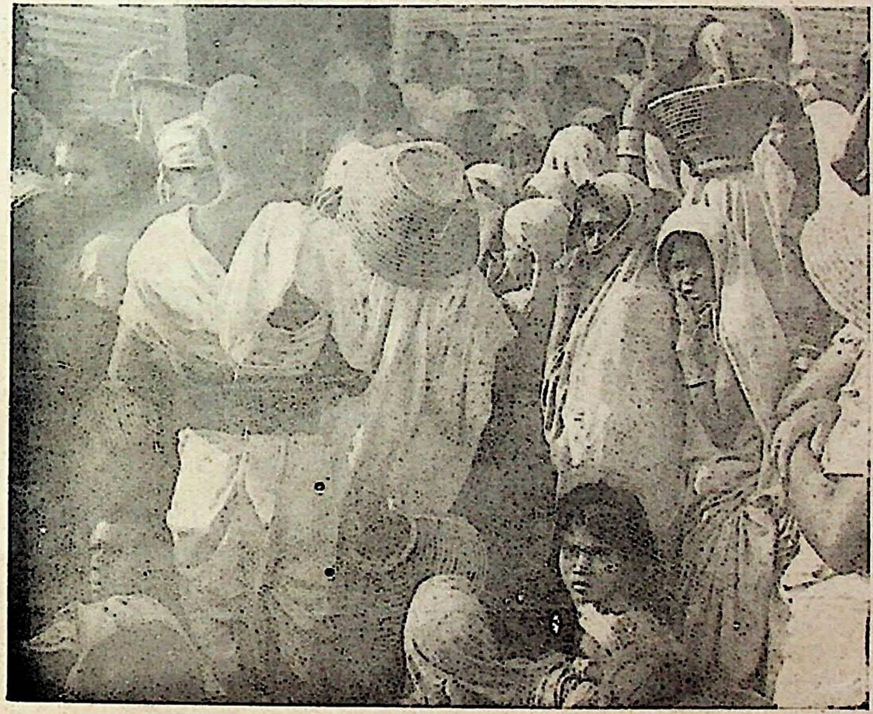

उत्तर बिहार में सरकारी गल्ले की दूकान का एक दृश्य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उत्तर विहार के अभावग्रस्त क्षेत्रों में, बहुत-से अनाथ लोगों को सहायतार्थ कुछ काम दिये गये हैं। ऐसे काम करते हुए कुछ अनाथ व्यक्ति इस चित्र में दीख पड़ते हैं।

सरकारी गल्ले की दूकान में बिक्री का एक दृश्य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

१३ आने की सहायता, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त हुई और प्रधान मंत्री के सहायता-कोष से ५,१८,००० रुपये के सहायता मिली जिसमें काश्मीर सरकार से प्राप्त ३३,००० रुपये की सहायता भी सम्मिलित थी। बिहार सरकार ने ३,००० रुपयें का ऐच्छिक अनुदान दिया और ५५,७८९ रु० १० आने ५ पाई की आर्थिक सहायता अन्य दाताओं ने दी। । सहायता के रूप में ३,४८५ टन खाद्यान्नों का उपहार भी हमें मिला। इसमें से २,५०२ टन खाद्यान्न विदेशों से प्राप्त हुआ था और शेष इस राज्य तथा भारतीय संघ के अन्य राज्यों के दाताओं से मिला था। जो खाद्यान्न उपहारस्वरूप हमें मिले थे, उनका वितरण दाताओं की इच्छा के अनुसार पीड़ित क्षेत्रों में निःशुल्क किया गया। खाद्यान्नों के रूप में, जो बड़े-बड़े दान मिले थे, उनका विवरण निम्नलिखित है—

दाता	टन
१। सभापति, इन्दौर नगर कांग्रेस कमिटी	२५
२। अकाल सहायता-समिति, बंबई	४०
३। सभापति, छत्तीसगढ़ वाणिज्यसंघ, रायगढ़ ..	२०
४। भारत के रक्षक संघ दल	२२१
५। फिरोजपुर नगर (पंजाब) की जनता	४०
६। बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) की जनता ..	८०
७। मेरठ जिले के निवासी	४१
८। इन्दौर नगर की जनता	५७
९। उज्जैन की जनता (उज्जैन के जिलाधीश द्वारा) ..	२०
१०। बुलदाना की जनता (बुलदाना के जिलाधीश द्वारा) ..	२०
११। दिल्ली के नागरिक	८१
१२। भारतीय रेडक्रास समिति	२०
१३। संयुक्त राष्ट्र अम्तर्गत अमेरिका बोस्टन की जनता	६५॥
१४। अमेरिका अन्तर्गत शैम्पेन की जनता	५०
१५। अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय ..	४५
१६। अस्ट्रेलिया का प्रेसबाईटेरियन चर्च, मेल्वोर्न ..	२००
१७। अमेरिका का रामकृष्ण मिशन	८१
१८। बर्मा के व्यापारी	१८७
१९। अमेरिका का भारतीय पूर्त्ति मिशन	५३६
२०। फीजी का भारतीय वाणिज्य संघ (रामकृष्ण मिशन द्वारा)	६२
२१। इसाई परिषद्	२७१
२२। लूथरल वर्ल्ड रिलीफ समिति, न्यूयार्क, अमेरिका ..	१३१
२३। संयुक्त राष्ट्र संघ की शिक्षा और संस्कृति शाखा ..	४६२

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इनके अतिरिक्त ८५,५०० पौंड तथा ५ हजार कीलोग्राम दूध की बुकनीं नेशनल कैथोलिक वेलफेयर कान्फ्रेन्स तथा स्वेडिश रेड क्रॉस से हमें मिली। उसका वितरण, अगस्त और सितम्बर, १९५१ ई० में किया गया। अमेरिका के रेडक्रॉस से १०० टन दूध की बुकनी, ९८,००० पौंड सेमोलिना और ९,९४५ टन टेपियोका की प्राप्ति भी हमें सहायता स्वरूप हुई। इनके अतिरिक्त साढ़े १३ लाख पौंड दूध, संयुक्त राष्ट्रसंघ की शिक्षा संस्कृति शाखा से प्राप्त हुआ। इसके अलावा, कुछ अन्य संस्थाओं से भी खाद्य पदार्थ मिले। इन सब का वितरण उचित रीति से कर दिया गया। रेड क्रॉस समिति द्वारा तैयार किये गये ७५ कम्वल, रामकृष्ण मिशन द्वारा पूर्णिया जिले के विरौली क्षेत्र में वांटे गये।

आर्थिक पक्ष

१९५१-५२ ई० में, खाद्य संकट के निवारण के लिये, राज्य-सरकार को सहायता संबन्धी जो कार्य करने पड़े, उन कार्यों के आर्थिक पक्ष के संबन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना अभी संभव नहीं है। किन्तु, इस लेख में पहले जो व्यय बताये गये हैं, उनके अतिरिक्त, केवल खाद्यान्न वितरण के लिये, राज्य-सरकार को लगभग ५ करोड़ रुपये की क्षति उठानी पड़ी।

उपसंहार

१९५१ ई० के खाद्य संकट के निवारण के लिये, राज्य सरकार ने जो उपाय किये, वे सफल हुए। फिर भी, यह स्पष्ट था कि उक्त संकट के फलस्वरूप जनता की क्रयशक्ति अत्यन्त क्षीण हो गयी। यद्यपि यहाँ के पीड़ित लोगों की सहायता के लिये अधिक-से-अधिक व्यवस्था की गयी थी, तथापि जनता को अपने संचित धन कोष से भी, खाद्यान्न की खरीद के लिये, बहुत खर्च करना पड़ा। इसके अलावा, फसल की हानि तो हुई ही, इससे जनता की आर्थिक स्थिति बहुत चिन्तनीय हो गयी। निस्संदेह, सर्वसाधारण, विशेष कर अल्प आयवाले जनसमूह की आर्थिक दशा को सुधारने में बहुत समय लगेगा।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार की जनसंख्या की समस्या

श्री रणछोड़ प्रसाद, एम० ए०, आई० ए० एस०, जनगणना-अधीक्षक, बिहार

१९५१ ई० की जनगणना के अन्तिम परिणामों के अनुसार, बिहार की जनसंख्या ४ करोड़ २ लाख है। विगत ७० वर्षों में, जो विभिन्न जनगणनाएं हुई हैं, उनके अनुसार, बिहार की जनसंख्या के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए जाते हैं:—

वर्ष	कुलजनसंख्या	औसत वृद्धि का मान
१८८१ ई०	२६७ लाख	..
१८९१ ई०	२८३ ,,	५.७
१९०१ ई०	२८४ ,,	०.२
१९११ ई०	२९५ ,,	३.८
१९२१ ई०	२९२ ,,	(–) १.०९
१९३१ ई०	३२६ ,,	१०.९
१९४१ ई०	३६५ ,,	११.५
१९५१ ई०	४०२ ,,	९.६

१९२१ ई० के बाद अधिकाधिक वृद्धि

१८८१ ई० में पहले-पहल इस देश में पूरी तरह जनगणणा हुई थी। उस समय से १९२१ ई० तक, अर्थात् ४० वर्षों की अवधि में, बिहार की जनसंख्या में २५ लाख की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का एक कारण यह भी था कि गणना की प्रणाली में भी क्रमशः सुधार होता गया। अनुमान है कि उस अवधि में जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि २० लाख से भी कम की ही हुई। १९२१ ई० के बाद, अब तक बिहार की जनसंख्या में ११० लाख की वृद्धि हुई है। १८८१ ई० से १९२० ई० तक कि अवधि में, हमारी जनसंख्या में प्रति वर्ष १ प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई थी। किंतु १९२१ ई० से अब तक, प्रतिवर्ष, १.६ प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों में उन १५ लाख व्यक्तियों की संख्या सम्मिलित नहीं ह, जो यहां से अन्यत्र चले गये हैं। इस लेख के आरम्भ में तुलनात्मक आंकड़ों की जो तालिका दी हुई है, उससे यह भी विदित होता है कि १९२१ ई० के पूर्व एक दशाब्दी में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जनसंख्या को वृद्धि होतो थो तो दूसरी दशाब्दी में वृद्धि नहीं होतो थो अथवा कुछ कमी हो हो जाती थो। पर १९२१ ई० के बाद, क्रमशः ओर निरन्तर, अधिकाधिक वृद्धि ही होतो गयी है। जहां तक हमें विदित है, हमारे इतिहास में, पहले कभी भी, हमारी जनसंख्या में इतनी तीव्र गति से वृद्धि नहीं हुई थी। १८वीं और १९वीं शताब्दियों में, यूरोप की जनसंख्या में इससे भी अधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। पर इन दोनों वृद्धियों में बहुत अन्तर है। १९२१ ई० के बहुत पूर्व ही, हमारी जनसंख्या इतनी अधिक हो गयी थी कि उसकी सघनता की तुलना, दो सौ वर्षों में तेजी के साथ हुई वृद्धि के बाद, यूरोप को जनसंख्या की सघनता से सहजही की जा सकती थी। वस्तुतः, १८८१ ई० में ही हमारी जनसंख्या इतनो अधिक हो गयी थी कि उसमें साधारण गति से वृद्धि होने पर भो उसको संख्या को विशालता अत्यधिक जान पड़ती थी। यूरोप में, जनसंख्या को उपर्युक्त वृद्धि ठीक उसी समय हुई जवकि वहां औद्योगिक क्रांति हो रही थी और अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा अफ्रिका के महादेशों में बहुत वड़े-वड़े अछूते भूमि-खंडों का पता लगा था। परन्तु, विहार में जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है, उसके पहले या वाद कोई औद्योगिक अथवा कृषि संवंधी विस्तार, वहुत वड़े परिमाण में, नहीं हुआ है। अव किसी नये निर्जन देश के अन्वेषण की भी संभावना नहीं ह और न यही संभव है कि यहां के निवासी संसार के कम आवादी वाले भागों में जाकर वस जायें।

जनसंख्या की सघनता

जनसंख्या की दष्टि से विहार प्रायः फ्रांस के बराबर है, किंतु यहां की जनसख्या को सघनता फ्रांस की जनसंख्या की सघनता की तुलना में तिगुनी है। यह जनसंख्या राज्य भर में समानरूप से वितरित नहीं है। तिरहुत विभाग में प्रति वर्गमील पीछे १,०३० व्यक्ति हैं। कोशी क्षेत्र में ६०० हैं, दक्षिण विहार के समतल क्षेत्रों में ७०३ हैं और छोटानागपुर के पहाड़ी भागों में ३२७ हैं। जनसंख्या की सघनता सारन जिले में विहार भर में सबसे अधिक है; वहां प्रति वर्गमील में १,१८२ व्यक्ति रहते हैं। सारन जिले के सिवान सवडिविजन में, प्रति वर्गमील में १४०० से भी अधिक व्यक्ति रहते हैं। पलामू जिले में जनसंख्या की सघनता, राज्य भर में सवसे कम है। वहां प्रति वर्गमोल में केवल २०१ व्यक्ति रहते हैं।

इससे हमें यह न समझना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या की सघनता वहुत कम है, वहां हमारी जनसंख्या में ओर भी वृद्धि हो सकती है। हमारे राज्य के जिन जिलों में जनसंख्या को सघनता वहुत कम ह, उनमें से अधिकांश ऐसे ही हैं, जहां अधिक लोगों का निर्वाह संभव नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में, यद्यपि सुलभ-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

भूमि का क्षेत्रफल अधिक है, तथापि उसके उर्वर अंश बहुत कम हैं और अधिक सघन आबादी वाले क्षेत्रों की भूमि की तुलना में वहाँ की भूमि सामान्यतः बहुत कम उर्वर है। इस तथ्य का प्रमाण निम्नलिखित आंकड़ों से मिलता है:—

प्राकृतिक विभाग	पूर्णक्षेत्रफल (भौगोलिक क्षेत्र जिनकी पैमाइश नहीं हुई है)	१९५१ ई० की कुल जनसंख्या	ऐसी भूमि का क्षेत्रफल जिसमें बीज बोये गये	ऐसी भूमि का क्षेत्रफल जिसमें एक वार से अधिक बीज बोये गये
	एकड़		एकड़	एकड़
सम्पूर्ण बिहार-राज्य	४,५०,११,०७२	४,०२,२५,९४७	२,२१,८६,४७३	६३,६७,८००
उत्तर बिहार (समतल विभाग)	१,३५,४१,५४७	१,८१,७३,०३३	८९,२१,७५२	३०,९०,५५५
दक्षिण बिहार (समतल विभाग)	१,०२,४७,१२५	१,११,८६,५६३	६३,४४,५६३	८३,७२,४८०
छोटानागपुर (पहाड़ी विभाग)	२,१२,२२,४००	१,०८,६६,३५१	६९,२०,२१४	९,०४,७६५

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार-राज्य के विभिन्न भागों में जो लोग रहते हैं उनके जीविकोपार्जन के साधन निम्नलिखित प्रकार के हैं:—

(क) कृषि संबंधी कार्य	८६ प्रतिशत
(१) निजी खेतवाले कृषक	५५.२ प्रतिशत
(२) निजी खेतरहित कृषक	८.२ प्रतिशत
(३) कृषक मजदूर	२२ प्रतिशत
(४) कृषि संबंधी खेराजपाने वाले	०.६ प्रतिशत
(ख) कृषि के अतिरिक्त कार्य	१४ प्रतिशत
(५) कृषि के अतिरिक्त उत्पादन	३.९ प्रतिशत
(६) वाणिज्य	३.४ प्रतिशत
(७) यातायात	०.७ प्रतिशत
(८) अन्य सेवाएं तथा विविध	५.९ प्रतिशत

आर्थिक प्रगति का अभाव

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस राज्य की जनसंख्या में, विगत ३० वर्षों (१९२१-५० ई०) में, ११० लाख की वृद्धि हुई है और यहां के निवासियों में से ८६ प्रतिशत, अपनी जीविका के लिये, कृषि पर ही निर्भर हैं। कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों पर निर्भर रहने वाले लोगों के अनुपात में, १९३१ ई० की अपेक्षा, कुछ कमी हुई है। इस राज्य में, कुल मिलाकर लगभग १० लाख एकड़ भूमि में खेती होती है और ७ लाख एकड़ भूमि में, वर्ष में दो फसलें उपजायी जाती हैं। सिंचाई वाले क्षेत्रों में १० लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। यह सस्पष्ट है कि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उस गति से कृषि का विकास और विस्तार नहीं हुआ है। कृषि में, बड़े परिमाण में विस्तार करने के लिए अवकाश

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ही नहीं है। निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है कि विगत ३० वर्षों में, प्रति व्यक्ति, खेतों के क्षेत्रफल में काफी कमी हुई है :—

क्षेत्र	१९२१ ई०	१९५१ ई०
बिहार-राज्य	७३	५५
उत्तर-बिहार	६५	४९
दक्षिण बिहार	८०	५७
छोटानागपुर	८३	६५

विगत ३० वर्षों का सिंहावलोकन करने पर, हमें विदित होता है कि हमारे राज्य के औद्योगिक तथा कृषि संबंधी क्षेत्रों में, उक्त अवधि में, आर्थिक प्रगति का नितान्त अभाव रहा है।

पर-निर्भरता में वृद्धि

प्रायः जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि होने पर १५ वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। जहां केवल मृत्यु की कमी के कारण ही जनसंख्या में वृद्धि होती है, वहां ५५ वर्ष से अधिक उम्रवाले व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। ऐसे लोग अधिक आय नहीं करते। १९५१ ई० की जन गणना के विवरण में लोगों की उम्र एवं आर्थिक आय की छान-बीन करने पर, इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। बिहार की कुल जनसंख्या में से कमसे कम ६४ प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो कुछ नहीं कमाते और दूसरों पर निर्भर हैं। इस संख्या में बहुत सी स्त्रियों की भी संख्या है, जो घर के साधारण कामकाज करती हैं।

जनसंख्या-नीति की अपेक्षा

भोर-समिति की रिपोर्ट में और जनसंख्या संबंधी रायल कमीशन की रिपोर्ट में तेजी से जनसंख्या में वृद्धि के खतरे की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया था। जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण हमारी आर्थिक प्रगति का ह्रास होता है

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

और सामाजिक तथा शिक्षा-संबंधी सेवा-कार्य के विस्तार में भी अड़चनें उपस्थित हो जाती हैं। अतएव, भारत-सरकार द्वारा संघटित योजना-आयोग (प्लैनिंग-कमीशन) ने ठीक ही निर्णय किया है कि किसी भी स्थान की सामाजिक और आर्थिक उन्नति की योजना बनाने के पूर्व, हमें वहां की जनसंख्या-नीति निर्धारित कर लेनी चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि हमारी सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या है। यदि निकट भविष्य में, हमारी जनसंख्या की वृद्धि की वर्त्तमान गति में बहुत कमी नहीं होगी, तो अपनी प्रस्तावित विकास-योजनाओं के कार्यान्वित होने पर भी, हमारे जीवनस्तर की और भी अधिक अवनति का होना कठिन हो जायगा।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार-राज्य में साधारण निर्वाचन

—:o:—

स्वाधीन भारत में, वयस्क-मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर, जो सर्वप्रथम साधारण निर्वाचन हुआ है, उसे प्रायः लोग विश्व का वृहत्तम जनतांत्रिक प्रयोग कहा करते हैं। कुछ लोगों ने इसे 'जनतंत्र के मूल स्रोत' के रूप में भी चित्रित किया है। वस्तुतः, हमारे संविधान के रचयिताओं ने, स्वतंत्रता की सिद्धि के बाद, इतना शीघ्र हमारे राष्ट्रीय इतिहास के इस अभूतपूर्व निर्वाचन की व्यवस्था कर एक बड़ा कदम उठाया था। सम्पूर्ण निर्वाचन-क्षेत्र की विशालता, जनसंख्या की अधिकता, अधिकांश लोगों की निरक्षरता तथा इतने विशाल परिमाण में साधारण निर्वाचन के प्रवन्ध-संवन्धी अनुभव के अभाव ने, इस कार्य को सचमुच बड़ा बना दिया था। अतएव, हमारे आलोचकों तथा अविश्वासी व्यक्तियों को स्वभावतः यह आशंका थी कि यह प्रयोग विफल हो जायगा और इसके परिणाम भयंकर होंगे।

गौरवपूर्ण सफलता

किन्तु, उपर्युक्त प्रयोग में, हमें जो सफलता प्राप्त हुई है, वह निस्संदेह गौरवपूर्ण है। इसके फलस्वरूप, यह प्रत्यक्ष हो गया कि भारतीय संविधान के विधायकों ने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। इससे, यह भी स्पष्ट हो गया कि स्वतंत्र-भारत के नागरिक राजनीतिक चेतना से विहीन नहीं हैं, जैसा कि साधारणतः लोग उन्हें समझते हैं, और लोगों को पहचानने, वस्तुस्थिति को परखने तथा अपने हित को समझने की यथेष्ट शक्ति उन्हें है।

अन्य राज्यों की तरह विहार में भी, यहाँ की जनता तथा सरकार दोनों के लिये, विगत साधारण निर्वाचन अग्नि-परीक्षा स्वरूप थे। यह बात सर्वमान्य है कि उक्त अग्नि-परीक्षा में, जनता और सरकार, दोनों सफल हुई हैं। जिस सफल और शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने एक साथ मिल कर विगत साधारण निर्वाचन का संचालन किया, उसका श्रेय उन्हें अवश्य मिलना चाहिये। इस राज्य के किसी भी भाग में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और कानून तथा व्यवस्था को भलीभांति कायम रखने में, जनता ने अधिकारियों के साथ पूर्णतः सहयोग किया।

राज्य-सरकार ने, सभी राजकीय अधिकारियों को बार-बार यह निर्देश किया कि वे लोग निर्वाचन के संबन्ध में, पूर्ण निष्पक्षता के साथ काम करें और शांति स्थापित करने के लिये सदैव तत्पर रहें। अब, निर्वाचनों की समाप्ति के बाद,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हमें यह स्वीकार करना है कि हमारे मैजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधिकारियों ने, जिन पर निर्वाचन के प्रबन्ध तथा संचालन का गुरुतम भार एवं उत्तरदायित्व था, अधिक-से-अधिक निष्पक्षता और सुयोग्यता के साथ अपने कर्त्तव्यों का सफल पालन किया।

भारतीय लोकसभा के कुल ४६७ स्थानों में से ५५ बिहार को मिले थे। इन ५५ स्थानों में से ६ अनुसूचित वन-जातियों के लिये और 'अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित थे। बिहार राज्य-विधान-सभा में कुल ३३० स्थान थे, जिनमें से ४४ अनुसूचित जातियों के लिये और ३५ अनुसूचित वन-जातियों के लिये सुरक्षित थे। लोकसभा तथा विधान-सभा के उपर्युक्त स्थानों की पूर्त्ति के लिये, बिहार-राज्य को क्रमशः ४४ तथा २७६ निर्वाचन-क्षेत्रों में विभक्त किया गया। भारतीय राज्य-परिषद् के कुल २०४ स्थानों में से २१ स्थान बिहार को मिले। बिहार विधान परिषद् में कुल ७२ स्थान थे। भारतीय राज्य परिषद् का निर्वाचन राज्य विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली से होता है। राज्य विधान-परिषद् के एक-तिहाई सदस्य राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुने जाते हैं। उसके एक तिहाई सदस्यों के निर्वाचन के लिए, राज्य भर की सभी स्वायत्त-शासन-संस्थाओं के सदस्य मतदाता होते हैं; १/१२ सदस्य स्नातक (ग्रैजुएट) निर्वाचन मंडल से चुने जाते हैं; दूसरे १/१२ सदस्य शिक्षकों के निर्वाचक मंडल से चुने जाते हैं और शेष १/६ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।

मतदाता-सूची।

१९५१ ई० के आरम्भ में ही, भारतीय लोकसभा और राज्य विधान-सभा की मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशित कर दिये गये और उनके संशोधन तथा परिवर्धन के लिये संशोधक अधिकारी नियुक्त किये गये। जिन लोगों ने, उन सूचियों के संबन्ध में आपत्तियां उठाईं और परिवर्धन की मांग की, उनकी सुनवाई हुई। अप्रैल, १९५१ ई० में, पूरक सूचियों तथा संशोधन पत्रों की तैयारी शुरू हुई और सूचियों का मुद्रण सितम्बर, १९५१ ई० तक हो गया। ये सूचियां बहुत बड़ी हो गयीं। क्योंकि, ४० लाख महिला मतदाताओं ने अपने नाम नहीं बताये थे। प्रारंभिक सूची में, अमुक व्यक्ति की पत्नी या अमुक व्यक्ति की पुत्री या अमुक व्यक्ति की विधवा के रूप में उनके नाम दर्ज कर लिये गये। उन्होंने अपने नाम नहीं बताये, इसलिए अन्ततः, उन्हें मतदाता सूची से अलग कर देना पड़ा। सभी सूचियों का अंतिम प्रकाशन सितम्बर-अक्तूबर, १९५१ ई० में हो गया।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार-राज्य की पूरी जनसंख्या ४ करोड़ २ लाख २८ हजार ७ सौ ५७ है। इनमें से, १ करोड़ ८० लाख ८० हजार १ सौ ८१ व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज किये गये। उनमें ६६ लाख ३३ हजार ७ सौ ५४ महिलायें थीं।

निर्वाचन-सम्बन्धी तिथियां

भारतीय लोकसभा और राज्य विधान-सभा के निर्वाचनों के संबन्ध में जो कार्य करने थे, उनके लिये निम्नलिखित तिथियां निर्धारित की गयीं :—

(क) निर्वाचक मंडलों को, सदस्यों का निर्वाचन करने के लिये, आमंत्रण देने वाली विज्ञप्तियों का प्रकाशन—१५ नवम्बर, १९५१ ई०;

(ख) निर्वाचन के उम्मीदवारों से मनोनयन-पत्र मांगने वाली विज्ञप्ति का प्रकाशन—१५ नवम्बर, १९५१ ई०;

(ग) मनोनयन-पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि—२४ नवम्बर, १९५१ ई०;

(घ) मनोनयन पत्रों की जांच की तिथियां—२६ नवम्बर, १९५१ ई० से २९ नवम्बर, १९५१ ई०;

(ङ) उम्मीदवारी की वापसी की अंतिम तिथि—२९ नवम्बर, १९५१ ई० से १ दिसम्बर, १९५१ ई०;

(च) मतदान का आरम्भ—४ जनवरी, १९५२ ई०;

(छ) मतगणना और फल की घोषणा—१५ फरवरी, १९५२ ई०।

निर्वाचन-क्षेत्र और मतदान-केन्द्र

बिहारर-ाज्य को, राज्य विधान सभा के २७६ निर्वाचन क्षेत्रों तथा भारतीय लोकसभा के ४४ निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया गया। बिहार का क्षेत्रफल ७०,३६८ वर्गमील है और इसकी जनसंख्या ४,०२,२८,७५७ है। इसलिए, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार बड़े-बड़े भूमिखंडों में था और उसके मतदाताओं की संख्या भी बहुत अधिक थी। औसतन लोक-सभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्रफल १,६०० वर्गमील था और उसके मदतदाताओं की संख्या ९ लाख १४ हजार २ सौ ९० थीं। इसी प्रकार, राज्य विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का क्षेत्रफल २५५ वर्गमील था और उसकी मतदाताओं की संख्या १ लाख ४५ हजार ७ सौ ५६ थीं। इसलिए, यह आवश्यक था कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, छोटे-छोटे आकार के क्षेत्रों में उपविभक्त कर दिया जाय। यह कार्य बहुत बीहड़ था। इस संबन्ध में, विशेष कठिनाई इस कारण उत्पन्न हो गयी थी कि निर्वाचन आयोग ने, यह निर्देश किया था कि मतदान-केन्द्र, इस प्रकार

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नियत किये जायं कि किसी भी मतदाता को मतदान के लिये अपने घर से ३ मील से अधिक न चलना पड़े ।

इस संबन्ध में, एक और महत्त्वपूर्ण बात पर ध्यान रखना था । वह बात यह थी कि एक मतदान केन्द्र में, एक दिन में, एक हजार से अधिक मतदाताओं को मतदान न करना पड़े और यथासंभव, मतदान केन्द्र निजी मकान स्थापित किये जायं । इन बातों पर विचार कर, मतदान केन्द्रों तथा मतदान क्षेत्रों के निर्धारन के संबन्ध में, एक योजना बनायी गयी । कई बार, उस योजना में परिवर्तन करना पड़ा । अन्ततः ९ नवम्बर, १९५१ ई० में मतदान केन्द्रों और मतदान क्षेत्रों की सूचियां मुद्रित हुई । यह संतोष का विषय है कि इस संबन्ध में, जो परिश्रम किया गया, उसका परिणाम यथेष्ट हुआ और साधारण निर्वाचनों की सफलता का तथा उस समय कानून और व्यवस्था कायम रखने का अधिकांश श्रेय उपर्युक्त मतदान व्यवस्था को ही मिलना चाहिये । मतदान केन्द्रों तथा मतदान क्षेत्रों की जो सूचियां बनीं, उनकी स्वीकृति निर्वाचन आयोग ने प्रदान की । स्वीकृति के बाद, दिसम्बर, १९५१ ई० में, उन सूचियों का प्रकाशन हुआ ।

राज्य भर में, कुल मिलाकर १९,४८९ मतदान केन्द्र कायम किये गये जो प्रायः १० हजार विभिन्न स्थानों में स्थित थे । कुछ अपवादों को छोड़ कर, ये मतदान केन्द्र सार्वजनिक भवनों में ही अवस्थित थे । जहां कोई सार्वजनिक भवन सुलभ नहीं था, वहाँ अस्थायी मतदान केन्द्र बनाये गये । इन अस्थायी मतदान केन्द्रों के निर्माण की योजना बहुत ही आदर्श रूप से बनायी गयी और उसकी कार्यान्विति भी बड़ी सफलता के साथ हुई । इसके फलस्वरूप, खर्च में बहुत बचत हुई और निजी घरों में मतदान केन्द्र रखने से जो आलोचना हुई थी, उससे भी मुक्ति मिली । कुल मिला कर, इस तरह के १,९०० अस्थायी मतदान केन्द्र बनाये गये थे, जिनमें से प्रत्येक पर १४० से १६० रु० तक व्यय हुए थे ।

निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन संबन्धी कानन के अनुसार, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये, एक निर्वाचन अधिकारी का होना आवश्यक था । इसके लिये यह व्यवस्था की गयी थी कि जिस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जायगी, वहाँ की राज्य-सरकार के परामर्श से, किसी सरकारी अधिकारी को, निर्वाचन आयोग निर्वाचन अधिकारी के रूप में, नियुक्त अथवा मनोनीत करेगा । तदनुसार, निर्वाचन आयोग ने, लोकसभा तथा राज्य विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये, निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति विहार राज्य-सरकार के सुझाव पर विचार कर की । उक्त

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नियुक्तियों की घोषणा, बिहार गजट के द्वारा सितम्बर, १९५१ ई० में कर दी गयी। जितने निर्वाचन क्षेत्र थे, उतने ही निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये गये। उनमें विहार के प्रधान निर्वाचन अधिकारी, राज्य के चारों विभागों के कमिश्नर, सभी जिलाधीश और केवल लातेहार (पलामू) को छोड़ कर सभी सबडिवीजनों के सबडिवीजनल अधिकारी सम्मिलित थे।

निर्वाचनों का व्यय

निर्वाचन अधिकारियों को ही अपने-अपने क्षेत्र में निर्वाचन के प्रबन्ध और संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया था। उन्हें इस कार्य के लिये, आवश्यक धन तथा निर्वाचन सामग्रियां देने की व्यवस्था केन्द्र द्वारा हुई थी। नीचे दिये हुए आंकड़ों से उपर्युक्त धन और सामग्रियों का परिचय मिलता है:—

	रु०	आ०	पा०
१। मतदाता-सूचियों का मुद्रण-व्यय	३८९,९५५	०	०
२। कर्मचारियों के वेतन	२,२८,५३१	०	०
३। कर्मचारियों के भत्ते	२,३३,५३६	०	०
४। मतदान-सामग्रियों की खरीद तथा मतदान-पेटिकाओं के यातायात का व्यय।	१६,२३,२३१	०	०
५। विविध व्यय	५,४५,४०७	०	०
६। अस्थायी मतदान केन्द्रों के निर्माण का व्यय	२,७१,९८०	०	०
७। मतदान-केन्द्रों के घेरे के निर्माण का व्यय ..	५,२३,२१२	०	०
८। ग्रामीण पुलिस के भत्ते और पुरस्कार का व्यय	८०,८९२	०	०
९। अतिरिक्त पुलिस का व्यय	१३,८९५	०	०
१०। गृहरक्षकों को एकत्र करने और यथास्थान भेजने का व्यय।	४,८४,८००	०	०
११। मतदान-पेटिकाओं का मूल्य	१३,१०,२४२	१२	०
१२। गोडरेज की लोहेवाली अलमारियों का मूल्य ..	१२,४४१	४	०
१३। चुनाव-चिह्नों तथा निर्वाचन क्षेत्रों के मानचित्रों का मुद्रण का व्यय।	१,२६,१३७	१४	९
१४। कागज, पेन्सिल, स्याही, आदि लेखन सामग्रियों का मूल्य।	३५,१०६	४	६
१५। डाक-व्यय	६५,६४६	८	६

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

निर्वाचन-सामग्रियां

बिहार-राज्य में, निर्वाचनों के लिये निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया गया :—

१।	मतदान-पेटिकाओं की कुल संख्या	२,६०,३९०
२।	मतपत्रों की कुल संख्या	८,१०,००,०००
३।	कागजी मुहरों की कुल संख्या	३,००,५००
४।	पक्के रंग की स्याही की शीशियों की कुल संख्या ..	३,४००
५।	मतदान-चिन्हों की कुल संख्या	२५,४२,४६०
६।	अस्थायी मतदान-केन्द्रों की कुल संख्या	१,९००
७।	गोडरेज की लोहे वाली आलमारियों की कुल संख्या ..	५६
८।	सादा कागज़ (डबल फुल्सकैप आकार का) ..	२७,२२२ रीम

राजनीतिक दल

१६ विभिन्न राजनीतिक दलों ने, राज्य विधान सभा के लिये, अपने उम्मीदवार खड़े किये थे। स्वतन्त्र उम्मीदवारों की संख्या ६३५ थी। भारतीय लोक-सभा के लिये, १३ विभिन्न राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार खड़े किये थे और स्वतन्त्र उम्मीदवारों की संख्या ५० थी।

मतदान के आंकड़े

भारतीय लोक सभा के एक सदस्य वाले निर्वाचित क्षेत्रों में, कुल मिला कर ४५,२८,८६९ मत पड़े थे और दो सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों में, कुल मिलाकर ५४,६२,६४१ मत पड़े थे। इसी प्रकार, राज्य विधान सभा के एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मिला कर ५४,५३,३५३ मत पड़े थे और दो सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में कुल मिला कर ४३,००,८७४ मत पड़े थे। इन आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि इस राज्य की जनता ने, निर्वाचनों में काफी दिलचस्पी के साथ भाग लिया।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आगे हम कुछ तालिकायें दे रहे हैं, जिनसे विभिन्न राजनीतिक दलों के, उम्मीदवारों की संख्या, हर राजनीतिक दल के विजयी उम्मीदवारों की संख्या, हर राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त मतों के प्रतिशत मान आदि की जानकारी सुलभ होगी।

तालिका सं० १

बिहार विधानसभा

क्रम सं०	राजनीतिक दल	साधारण उम्मीदवार	अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार	अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार	साधारण विजयी उम्मीदवार	अनुसूचित जातियों के विजयी उम्मीदवार	अनुसूचित जन-जातियों के विजयी उम्मीदवार
१।	कांग्रेस	२५०	४१	२९	१९७	३६	७
२।	समाजवादी	२२२	३५	७	२०	३	..
३।	किसान मजदूर प्रजापार्टी	९३	४	..	१	..	..
४।	अग्रगामी दल (मार्क्सवादी)	३१	४	..	१	..	..
५।	भारतीय जनसंघ	४३	२	१	..	..	..
६।	हिन्दू महासभा	५	..	..	..	..	..
७।	रामराज्य परिषद्	२७	१	..	१	..	..

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

तालिका सं० १

बिहार विधान सभा

क्रम सं०	राजनीतिक दल	साधारण उम्मीदवार	अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार	अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार	साधारण विजयी उम्मीदवार	अनुसूचित जातियों के विजयी उम्मीदवार	अनुसूचित जन-ज़ातियों के विजयी उम्मीदवार
८।	जनता	२६	७	७	९	१	१
९।	झारखण्ड	१९	३	३०	३	२	२५
१०।	साम्यवादी	२०	२	३	..	..	..
११।	संयुक्त किसान सभा	१९	..	..	..	..	..
१२।	लोक सेवक संघ	७	२	३	४	१	२
१३।	फ़ईकर	१	..	..	..	..	..
१४।	क्रान्तिकारी समाजवादी	६	..	..	..	..	..
१५।	गणतन्त्र परिषद्	१	..	..	१	..	..
१६।	स्वतन्त्र	५७२	३१	३२	१२	१	..
					२५१	४४	३५

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

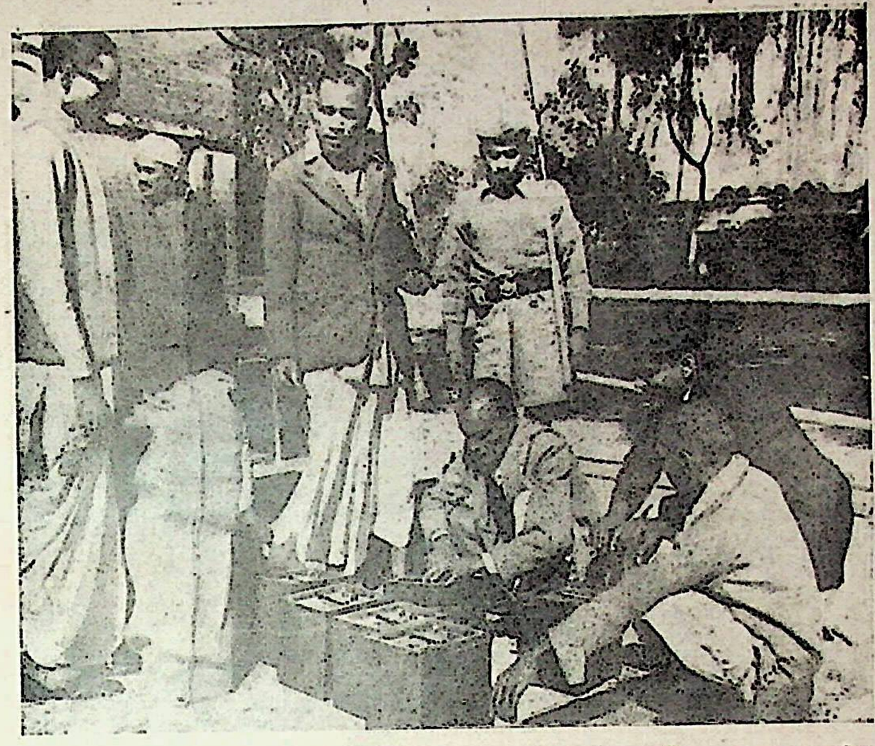

१९५२ ई० के साधारण निर्वाचन का एक दृश्य : मतदान-केन्द्र में, मतदान आरम्भ होने के पूर्व मतपत्र-पेटिकाओं का निरीक्षण हो रहा है

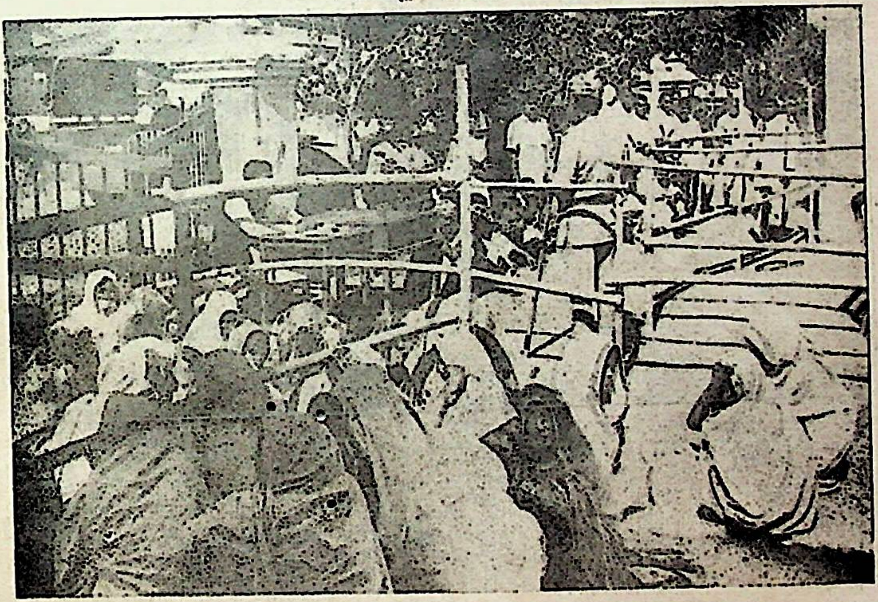

१९५२ ई० के साधारण निर्वाचन का एक दूसरा दृश्य : मतदान के लिये उत्सुक महिलाएँ, मतदान-केन्द्र में प्रतीक्षा कर रही हैं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में साधारण निर्वाचन।

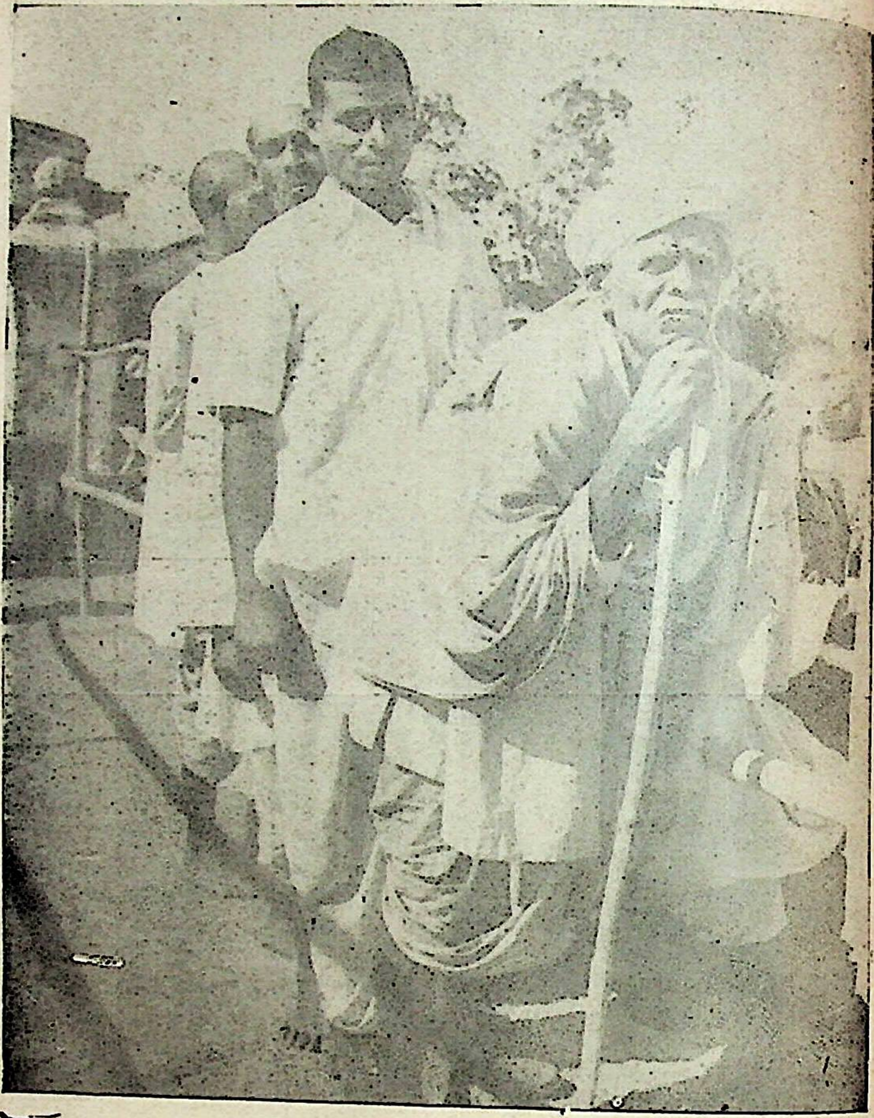

बख्तियारपुर (पटना) के पास के एक मतदान-केन्द्र में ९० वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति मतदान करने जा रहा है

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

तालिका सं० २

भारतीय लोक सभा

क्रम सं०	राजनीतिक दल	साधारण उम्मीदवार	अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार	अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार	साधारण विजयी उम्मीदवार	अनुसूचित जातियों के विजयी उम्मीदवार	अनुसूचित जन-जातियों के विजयी उम्मीदवार
१	कांग्रेस	४२	८	५	३७	६	२
२	समाजवादी	४०	६	१	२	१	..
३	किसान मजदूर प्रजापार्टी	१४	१	..	..	..	..
४	अग्रगामी दल (मार्क्सवादी)	६	..	..	..	..	..
५	रामराज्य परिषद्	१	१	..	..	..	..
६	संयुक्त किसानसभा	२	..	..	..	..	..
७	भारतीय जनसंघ	२	..	..	..	..	..
८	जनता	४	..	२	१	..	..
९	झारखण्ड	१	..	६	..	..	३
१०	लोक-सेवकसंघ	२	१	१	१	..	१
११	साम्यवादी	२	..	..	..	..	..
१२	हिन्दू महासभा	१	..	..	..	..	..
१३	गणतन्त्र परिषद्	१	..	..	..	..	..
१४	स्वतन्त्र	४६	१	३	१	..	..
					४२	७	६

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

तालिका संख्या ३

बिहार विधान सभा

क्रम सं०	राजनीतिक दल	एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में पड़े हुए मतों की संख्या	कुल पड़े हुए मतों का प्रतिशत	दो सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में पड़े हुए मतों की संख्या	कुल पड़े हुए मतों का प्रतिशत
१।	कांग्रेस	२१,४४,१३७	३९.३१	१८,०६,७९७	४२.०
२।	समाजवादी	८,७०,०९०	१५.९५	८,६१,५५४	२०.०
३।	किसान-मजदूर प्रजापार्टी	१,६४,४८८	३.०१	९९,१९८	२.३
४।	अग्रगामी दल (मार्क्सवादी)	६७,५६६	१.२३	३९,८२०	०.९
५।	रामराज्य परिषद्	४०,७५१	०.७४	२१,७९५	०.५
६।	संयुक्त किसानसभा	३१,९२१	०.५८	४६,७७४	१.०
७।	भारतीय जन-संघ	६६,३७७	१.२१	४५,१००	१.०
८।	जनता	१,४७,५८७	२.७१	१,५६,६८८	३.६
९।	झारखण्ड	५,४६,०१८	१०.१२	२,२०,३१८	५.१

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

१०। लोक सेवक-संघ	१५,६४७	२.८५	१,३३,२७६	३.१
११। साम्यवादी	४७,१३७	०.८६	६१,५९४	१.४
१२। हिन्दू महासभा	३,६३९	०.०६	९,२३१	०.२
१३। गणतन्त्र परिषद्	१४,२३७	०.२६	..	..
१४। अनुसूचित जाति संघ	..	..	४,९७१	०.१
१५। रुईकर (अग्रगामी दल)	५१३	०.०१	..	..
१६। क्रान्तिकारी समाजवादी..	८,७७३	०.१६	..	..
१७। स्वतन्त्र	१२,८४,४९२	२०.९४	७,९३,७५३	१८.८
मतों की कुल संख्या	५४,५३,३५३		४३,००,८७४	

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

तालिका संख्या ४

भारतीय लोक-सभा

बिहार: १९५१-५२ ई०

क्रम सं०	राजनीतिक दल	एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में पड़े हुए मतों की संख्या	कुल पड़े हुए मतों का प्रतिशत	दो सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में पड़े हुए मतों की संख्या	कुल पड़े हुए मतों का प्रतिशत
१।	कांग्रेस	२०,८६,०८३	४६.०६३	२४,८६,९७५	४५.५२७
२।	समाजवादी	१०,७२,८२०	२३.६८	१०,५३,५०५	१९.२८५
३।	किसान मजदूर प्रजापार्टी	१,६६,८९८	३.६८६	१,७२,४४३	३.१५७
४।	अग्रगामी दल (मार्क्सवादी)	७३,९०२	१.६३३	५९,४१८	१.०८८
५।	रामराज्य परिषद्	२०,६५५	०.४५७	५९,५०८	१.०९०
६।	संयुक्त किसान सभा	२२,९०३	०.५००	३७,३५१	०.६०८
७।	भारतीय जनसंघ	१०,९८०	०.०४३	२८,९५९	०.५३१
८।	जनता	१,५७,१४५	३.४७०	७८,९४९	१.४४६

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

९। झारखण्ड..	..	..	..	२,७५,८८४	६.०९२	४,७३,८१८	८.६७४
१०। लोक-सेवक-संघ	..	..	..	..	..	३,०९,९४०	५.६७३
११। साम्यवादी	..	..	..	३९,२७२	०.८६८	..	..
१२। हिन्दू महासभा	..	..	..	१९,२२५	०.४२५	..	..
१३। गणतन्त्र परिषद्	..	..	..	७,२२३	०.१६०	..	..
१४। स्वतन्त्र ..	..	..	..	५,७६,०७९	१२.७२	७,०१,७७७	१२.८४७
मतों की कुल संख्या		..	..	४५,२८,८६९		५४,६२,६४१	

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मतदान- पेटिकाएं और चुनाव-चिन्ह

विगत साधारण निर्वाचनों के अवसर पर, जिन मतदान-पेटिकाओं का उपयोग किया गया, वे विशेष रूप से इस कार्य के लिये मेसर्स गोडरेज और ब्यायस मैनुफैक्चरिंग, कम्पनी, बम्बई, द्वारा बनायी गयी थीं। उन पेटिकाओं में ऐसी व्यवस्था थी कि वे आप-से-आप बन्द हो जायं; उन्हें बन्द करने के लिये ताला और कुञ्जी की जरूरत नहीं थी। उक्त पेटिकायें दो रंगों की थीं—हरा और कत्थकी (चाकलेट)। हरे रंग की पेटिकाएँ लोक-सभा के निर्वाचनों के लिये इस्तेमाल की गयी थीं और कत्थकी रंग वाली पेटिकाएँ राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के लिये। एक उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार की पेटिकाओं में भेद करने के लिये विभिन्न प्रकार के चुनाव-चिन्हों का उपयोग किया गया था। हर उम्मीदवार को एक विशेष चिन्ह दे दिया गया था और उनकी पेटिकाओं के अन्दर और बाहर वही चिन्ह सटा हुआ था। चिन्हों के साथ ही उम्मीदवार का नाम भी लिखा रहता था। चिन्हों का वितरण, यथासाध्य, राजनीतिक दलों के आधार पर किया गया था। स्वतन्त्र उम्मीदवारों को अलग-अलग विभिन्न प्रकार के चिन्ह मिले थे। जिन चुनाव-चिन्हों का उपयोग विगत निर्वाचनों के अवसर पर किया गया था, उनकी सूची निम्नलिखित है :—

१। जोड़ा बैल जुआठ के साथ	..	कांग्रेस
२। वृक्ष ..	..	समाजवादी
३। खड़ा सिंह ..	..	अग्रगामीदल (मार्क्सवादी)
४। आदमी का हाथ	..	अग्रगामी दल (रुईकर वर्ग)
५। घोड़ा और सवार	..	हिन्दू महासभा
६। झोपड़ी ..	..	किसान मजदूर प्रजापार्टी
७। उगते हुए सूर्य..	..	रामराज्य परिषद्
८। अनाज के बाल और हँसिया	..	साम्यवादी
९। कुदाल और फावड़ा	..	क्रान्तिकारी (समाजवादी)
१०। दीप ..	..	भारतीय जनसंघ
११। रेलवे इञ्जिन..	..	लोक सेवक संघ
१२। गाड़ी ..	..	संयुक्त किसान सभा
१३। मुर्गा ..	..	झारखण्ड पार्टी
१४। साइकिल ..	..	जनता पार्टी

स्वतन्त्र उम्मीदवारों के लिये निम्नलिखित चुनाव-चिन्हों का उपयोग किया गया था :—

(१) तराजू; (२) नाव; (३) फूल; (४) घड़ा; (५) सीढ़ी; (६) ऊँट; (७) दो पत्तियों के साथ डाली; (८) घड़ी; (९) छाता; (१०) नगाड़ा; (११) ताला और कुञ्जी; (१२) हुक्का; (१३) दावात और कलम; (१४) कैंची; और (१५) लकड़ी की कुर्सी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

चुनाव-चिन्हों के प्रयोग की प्रणाली को जनता के सभी वर्गों ने पसन्द किया और भिन्न-भिन्न उम्मीदवारों के लिये अलग-अलग रंग की पेटिका (उनके नाम और विवरण सहित) इस्तेमाल करने की अपेक्षा इसमें खर्च भी कम ही पड़ा।

विगत साधारण निर्वाचन के अवसर पर, एक और नवीनता प्रचलित की गयी थी। यह प्रत्येक मतदाता की उँगली पर पक्के रंग की स्याही से निशान लगाने की प्रथा थी। वह निशान प्रायः सात-आठ दिन तक नहीं छूटता था और उसके कारण कोई मतदाता दुबारा मतदान नहीं कर सकता था। यद्यपि कुछ दुष्ट लोगों ने उस निशान को मिटाने का उपाय निकाल लिया था, फिर भी उसके कारण एक मतदाता को दुबारा मतदान करने से रोकने में बड़ी सफलता मिली।

विधान परिषद्

भारतीय लोक-सभा और राज्य विधान-सभा के विगत साधारण निर्वाचनों के बाद, शीघ्र ही राज्य विधान-परिषद् और भारतीय राज्य-परिषद् के निर्वाचन भी हुए। उनकी मतदाता-सूचियां जनवरी, १९५२ ई० तक तैयार कर ली गयीं। राज्य-विधान परिषद् का निर्वाचन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रणालियों से होना था। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिये स्नातक (ग्रेजुएट), शिक्षक तथा स्वायत्त-संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं की सूचियां, नियमानुसार तैयार की गयी थीं और अप्रत्यक्ष निर्वाचन, विधान-सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के द्वारा होना था। उपर्युक्त प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिये, २८ जनवरी, १९५२ ई० और १४ अप्रैल, १९५२ ई० के बीच, सभी आवश्यक कार्य विधिवत् किये गये। २० अप्रैल, १९५२ ई० को निर्वाचन-फल की घोषणा हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न कार्य, ४ मार्च, १९५२ ई० और ५ अप्रैल, १९५२ ई० के बीच, नियमानुसार किये गये। उपर्युक्त प्रत्यक्ष निर्वाचनों के लिये विभिन्न विभागों के कमिश्नर, निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये थे और अप्रत्यक्ष निर्वाचनों के लिये, निर्वाचन अधिकारी बिहार के प्रधान निर्वाचन अधिकारी स्वयं थे। प्रत्यक्ष निर्वाचनों का मतदान, डाक द्वारा हुआ और अप्रत्यक्ष निर्वाचनों का मतदान मतदाताओं ने, स्वयं मतदान केन्द्र में उपस्थित होकर किया।

बिहार-विधान-परिषद् के जो निर्वाचन विभिन्न प्रकार से हुए, उनके परिणाम निम्नलिखित हैं :—

निर्वाचन-क्षेत्र	दल का नाम	स्थानों की कुल संख्या	कितने स्थानों में विजय हुई
स्नातक (ग्रेजुएट) निर्वाचन-क्षेत्र	कांग्रेस	५	५
स्नातक (ग्रेजुएट) निर्वाचन-क्षेत्र	स्वतन्त्र	१५	१
शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र ..	स्वतन्त्र	२७	४
शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र ..	बिहार माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ	२	२
शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र ..	टिस्को शिक्षक संघ (जमशेदपुर)	१	..

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

निर्वाचन-क्षेत्र	दल का नाम	स्थानों की कुल संख्या	कितने स्थानों में विजय हुई
स्वायत्त-संस्था निर्वाचन-क्षेत्र	कांग्रेस	२४	२०
	स्वतन्त्र	१८	३
	जनता पार्टी	२	१
अप्रत्यक्ष निर्वाचन (बिहार-विधान सभा के सदस्यों द्वारा)	कांग्रेस ..	१९	१८
	झारखंड ..	६	२
	समाजवादी ..	२	२
	स्वतन्त्र ..	३	१
	अज्ञात ..	३	१
	कुल संख्या ..	१२७	६०

भारतीय राज्य-परिषद्

भारतीय राज्य-परिषद् का निर्वाचन पूर्णत: अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही हुआ, अर्थात् बिहार विधान-सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने ही उसमें मतदान किये। उक्त निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के लिये ३ मार्च, १९५२ ई० और १ अप्रैल, १९५२ ई० के बीच विभिन्न तिथियां नियत की गयीं। कुल उम्मीदवारों की संख्या २४ थी। इनमें से १६ कांग्रेस दल के थे, १ समाजवादी दल के, ३ झारखंड पार्टी के और २ जनता पार्टी के। शेष सभी उम्मीदवार स्वतन्त्र थे। कांग्रेस ने १६ स्थानों में विजय पायी; समाजवादी दल ने १ में, झारखण्ड पार्टी ने २ में, जनता पार्टी ने १ में और स्वतन्त्र उम्मीदवार ने १ में। इस निर्वाचन के निर्वाचन अधिकारी बिहार के प्रधान निर्वाचन अधिकारी ही थे।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन

राज्य विधान-परिषद् और भारतीय राज्य-परिषद् के निर्वाचनों के बाद, शीघ्र ही भारतीय संघ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये तैयारी की जाने लगी। उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्विरोध हुआ। डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उक्त पद पर सर्वसम्मति से आसीन किये गये। राष्ट्रपति पद के लिये पांच उम्मीदवार थे :—(१) डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद; (२) डीक्टर के० टी० शाह; (३) श्री थाटे; (४) श्री हरिराम; और (५) श्री कृष्ण कुमार चटर्जी। सम्पूर्ण देश में विधिवत् २ मई, १९५२ ई० को मतदान हुआ। बिहार में, इस निर्वाचन के लिये, बिहार विधान-सभा के भवन में मतदान केन्द्र स्थापित हुआ था और बिहार विधान-सभा के सचिव ने, सहायक निर्वाचन अधिकारी का कार्य किया। ६ मई, १९५२ ई० को नयी दिल्ली में मत-गणना हुई और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अत्यधिक बहुमत से, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए!

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

१९५१-५२ ई० में बिहार-राज्य की आर्थिक स्थिति

श्री हरनन्दन प्रसाद, एम० ए०, उप-सचिव, अर्थ-विभाग, बिहार

१९५१-५२ ई० में, बिहार-राज्य की आर्थिक व्यवस्था की, दो प्रमुख विशेष-ताओं के कारण, व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि हो गयी थी। पहली विशेषता यह थी कि राज्य में खाद्याभाव की समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया था। वस्तुतः, खाद्याभाव की समस्या तो एक वर्ष पूर्व से ही उत्पन्न हो गयी थी, किन्तु, फसलों के पुनः नष्ट हो जाने के कारण, उपर्युक्त वर्ष में स्थिति और भी गंभीर हो गयी। सरकार को वहुत वड़े पैमाने पर खाद्य वितरण की व्यवस्था करनी पड़ी और खाद्याभाव के संकट-काल में, सरकारी दूकानों के द्वारा प्रतिमास लगभग ५ करोड़ रुपये के खाद्यान्न की बिक्री होती थी। बिक्री की दर, स्वभावतः, सस्ती रखी गयी थी। जवकि, अधिकतम बिक्री हो रही थी, उस समय एक लाख टन खाद्यान्न प्रति मास विकता था। इस संवंध में यह ध्यान देने योग्य वात है कि एक वर्ष पूर्व १९५० ई० में, वर्ष भर में लगभग एक लाख मन खाद्यान्न की बिक्री सरकारी दूकानों के द्वारा हुई थी। सरकार द्वारा किये जाने वाले खाद्यान्न के व्यापार में, वहुत वड़ी पूंजी लगानी पड़ती थी। इसके अलावा, फसलों के नष्ट होने के फलस्वरूप, जो ग्रामीण जनता भोजन और जीविका से वंचित हो गयी थी और सुखार के कारण, जिसके लिये कृषि-कार्य भी सुलभ न था, उसकी सहायता के लिये भी यथेष्ट प्रवंध व्यापक रूप से किया गया था। १९५१-५२ ई० में, विभिन्न जिलों में, सहायताकार्य की मद में, ६ करोड़ ६० लाख रुपये सरकारी कोष से खर्च किये गये। इस रकम में से ५३ लाख रुपये पीड़ित लोगों को दान स्वरूप दिये गये और १ करोड़ ५८ लाख रुपये, हल्के तथा कड़े शारीरिक कार्यों की मजदूरी के रूप में दिये गये। शेष ४ करोड़ ३३ लाख रुपये, सहायतार्थ दिये जानेवाले विभिन्न प्रकार क ऋणों की मद में खर्च हुए। इतने रुपये ऋण के रूप में कभी भी नहीं दिये गये थे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पंचवर्षीय योजना

इसी वर्ष में, प्रथम पंचवर्षीय योजना भी स्वीकृत हुई। उक्त योजना में, सभी युद्धोत्तर कालीन योजनाओं का समावेश कर दिया गया। राज्य-सरकार ने युद्धोत्तर कालीन योजनाओं की कार्यान्विति आरंभ कर दी थी। १९५१-५२ ई० के आरंभिक समय तक हमारा प्रशासन यंत्र समुन्नत बना दिया गया था और सामग्रियों तथा अन्य उपकरणों की उपलब्धि के मार्ग की अड़चनें हटा दी गयीं थीं। उक्त योजनाओं की कार्यान्विति के संबंध में प्रगति शुरू हो गयी थी। अतएव, हमारी पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति संभाव्य हो गयी। साथ ही, खाद्याभाव के काल में, लोगों को जीविका प्रदान करने के अभिप्राय से, इस योजना की प्रगति और बढ़ायी गयी। १९५१-५२ ई० का वर्ष, उक्त योजना की कार्यान्विति का प्रथम वर्ष था। पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हमें उक्त वर्ष में, उस योजना पर १२.३९ रुपये खर्च करने थे। किन्तु, १९५१-५२ ई० के संशोधित आय-व्ययक में, वस्तुतः १४.८२ रुपये की व्यवस्था की गयी।

अधिक अन्न उपजाइए आन्दोलन

'अधिक अन्न उपजाइए' आन्दोलन की प्रगति भी पूर्ववत् होती रही। इस आन्दोलन का आवश्यक अंश ३१ मार्च, १९५२ ई० तक समाप्त हो गया था। उक्त तिथि तक अर्थात् १९४९-५० ई० से १९५१-५२ ई० तक लगभग १० करोड़ रुपये अधिक अन्न उपजाने की योजनाओं पर खर्च हो चुके; केवल १९५१-५२ ई० में ९४.४८ रुपये खर्च हुए थे। उक्त योजनाओं का लक्ष्य यह था कि उनकी कार्यान्विति के बाद ४.४९ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न किया जाय। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस से अधिक अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन हुआ।

राजनीतिक पीड़ितों की सहायता

इस प्रसंग में दो अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है। इस वर्ष में, राजनीतिक पीड़ितों को व्यापक एवं अंतिम रूप में सहायता देने की व्यवस्था की गयी। १९५१-५२ ई० में १५,५२९ पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिये सिफारिश की गयी। उनके लिये ५८ लाख रुपये दान देने का विचार था। इस संबंध में, आवश्यक जांच-पड़ताल करने के कई विशेष अधिकारी नियुक्त किये गये और समुचित जांच के बाद २४ लाख रुपये का वितरण हुआ। जिन लोगों को अब तक सहायता नहीं मिली है, उन्हें शीघ्र दी जायगी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

दो विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाएं

१९५१-५२ ई० के अंत में, पटना विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय नामक दो नये विश्वविद्यालयों की स्थापना विधिवत् हुईं। राज्य-सरकार ने इनके लिये ५३ लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया। इन दो विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, दरभंगा और नालन्दा में, प्राच्यविद्या के दो अनुशीलन प्रतिष्ठान स्थापित हुए हैं।

राजस्व और व्यय

पूर्वोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त, हमारे आय-व्ययक में, मूल्यस्तर के ऊँचे हो जाने का परिणाम स्पष्ट परिलक्षित होता है। सभी सामग्रियों तथा उपकरणों के मूल्य बढ़ गये और मजदूरी की दर में भी काफी वृद्धि हुई। कम वेतन पाने वाले राजकीय कर्मचारियों तथा स्वायत्त-शासन संस्थाओं के कर्मचारियों को यथेष्ट जीवननिर्वाह संबंधी भत्ता, सरकार द्वारा दिया जाता रहा। इसका आर्थिक परिणाम नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट विदित होता है:—

१९५१-५२ई० का राजस्व

मद			रकम रु०
१। राजस्व की प्रधान मदें	..	..	२१,०६,२६,०००
२। भारत-सरकार का अनुदान	..	..	५०,००,०००
३। असाधारण आय	..	..	१,४९,६९,०००
४। विविध	..	..	३,५१,४९,०००
राजस्व की—कुल जोड़—			२६,५७,४४,०००

१९५१-५२ ई० का व्यय

मद			रकम रु०
१। सामाजिक सेवायें	..	..	९,०३,९९,०००
२। सुरक्षा संबंधी सेवायें	..	..	७,५४,७९,०००
३। अन्य विषय	..	..	१४,६२,९७,०००
४। राजस्व खाते में विशेष व्यय	..	..	४,९८,०००
राजस्व खाते का कुल व्यय	..	..	३१,२६,७३,०००
राजस्व खाते के बाहर का व्यय	..	..	१२,३०,०७,०००
कुल जोड़	..	..	४३,५६,८०,०००

नोट—ये आंकड़े, एकाउन्टेंट-जेनरल, बिहार, से १९५१-५२ ई० के खाते के अंतिम आंकड़े प्राप्त होने पर, बदल जा सकते हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि उक्त वर्ष में राजस्व के खाते से कुल ३१,२७,००,००० रुपये व्यय हुए; जो उसके पूर्व के वर्ष के व्यय से २२.६ प्रतिशत अधिक था। उक्त वर्ष का कुल व्यय ३५,३१,००,००० रुपये था। किन्तु वास्तविक व्यय की रकम अनुमित व्यय की रकम से १४ लाख रुपये अधिक हो गयी।

इतने अधिक व्यय की पूर्त्ति राज्य-सरकार के साधनों से पूर्णतः होने की संभावना कभी न थी। वस्तुतः, जिस समय १९५१-५२ ई० का आय-व्ययक बना उसी समय यह अनुमान किया गया था। इस वर्ष में युद्धोत्तर कालीन योजनाओं के लिये सुरक्षित कोष से प्रायः ११ करोड़ रुपये लेने पड़ सकते हैं। पर केवल ६ करोड़ रुपये ही उक्त कोष से लेने पड़े। इसका कारण अंशतः यह था कि राजस्व संबंधी आय, अनुमित रकम से अधिक हुई और अंशतः साधारण बचत में भी कमी हो जाने के कारण उक्त कोष से अधिक रुपये न लेने पड़े। आय-कर का अंश ६ करोड़ ५४ लाख रुपये थे; यह रकम भी अनुमित रकम से एक करोड़ रुपये अधिक थी। मद्य संबंधी आय में भी कुछ उन्नति हुई थी। विक्रय-कर की रकम में भी, अनुमित रकम की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, यद्यपि अब इस कर की प्रवृत्ति कम आय देने की है, क्योंकि इस पर वैधानिक प्रतिबंध लगा दिए गये हैं। १९५०-५१ ई० में विक्रय-कर की मद से ४ करोड़ ४१ लाख रुपये की आय हुई और १९५१-५२ ई० में आय की रकम केवल ३ करोड़ ५० लाख रुपये ही थी। इस राज्य की विशुद्ध राजस्व संबंधी आय के जो साधन हैं, उनकी प्रवृत्ति भी घटने की है। १९५०-५१ ई० में राजस्व संबंधी कुल आय २९ करोड़ रुपये थी और १९५१-५२ ई० में वह रकम घटकर २६ करोड़ ५७ लाख रुपये की ही हो गयी। इसलिये राजस्व खाते में ४ करोड़ रुपये का अभाव रहा। युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण संबंधी योजनाओं के लिये १९४३-४४ ई० में, एक कोष खोला गया। उस कोष से अब तक कोई भी व्यय नहीं हुआ था। उसमें से भी आलोच्य वर्ष में ६ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उक्त वर्ष के अन्त में, उस कोष में ८ करोड़ ५० लाख रुपये शेष थे। साधारण बचत की रकम भी ७ करोड़ १७ लाख रुपये से घट कर १ करोड़ ६३ लाख रुपये हो गयी अर्थात् उसमें साढ़े ५ करोड़ रुपये की कमी हुई।

आय की वृद्धि के प्रयत्न

१९४८-४९ ई० से, अब तक, इस राज्य के राजस्व संबंधी आय की वृद्धि के लिये बहुत से प्रयत्न किये गये हैं। किन्तु, अब ऐसा प्रतीत होता है कि आय के साधनों का और अधिक विस्तार संभाव्य नहीं है। १९५१-५२ ई० में आय को बढ़ाने के लिये कोई नयी कार्रवाई नहीं की गयी। अपने बढ़ते हुए व्यय

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

को संभालने के लिये, राज्य-सरकार को आय-कर के हिस्से के रूप में मिलने वाली रकम, जूट के निर्यात-कर के बदले में मिलने वाली राशि तथा भारत सरकार के अनुदान के सिवाय और कोई साधन सुलभ नहीं है। १९५१ ५२ ई० में पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये भी विहार-सरकार को भारत-सरकार के अनुदान पर ही निर्भर करना पड़ा। इस कार्य के लिये भारत-सरकार से विहार-सरकार को ३ करोड़ २ लाख रुपये अनुदान स्वरूप मिलने की आशा थी। केन्द्रीय सरकार ने हमें इस प्रकार की सहायता देने की आवश्यकता समझी। किन्तु, १९५१-५२ ई० में, वह हमें केवल १ करोड़ ३ लाख का अनुदान दे सकी। इसके अतिरिक्त ३६ लाख रुपये ऋणस्वरूप हमें केन्द्रीय सरकार से मिले। केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता की अनिश्चितता के कारण, हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत गड़वड़ी हो जाती है और राज्य-सरकार के आय-व्ययक पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। विहार को देश के सभी राज्यों से प्राप्त आय-कर की कुल राशि का साढ़े १२ प्रतिशत अंश मिलता है। यह रकम, विहार-राज्य से आय-कर के रूप में ली जाने वाली कुल रकम की आधी है। राज्य-सरकार ने, समय-समय पर अवसर पाकर, भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि आय-कर के हिस्से की रकम अपर्याप्त होने के कारण, उसमें वृद्धि होनी चाहिए। सुप्रसिद्ध देश-मुख निर्णय के अवसर पर भी, विहार-सरकार ने इसी तरह का अनुरोध किया था। भारत सरकार के अर्थ-आयोग (फाइनेन्स कमीशन) के समक्ष विहार-सरकार की ओर से जो स्मृतिपत्र प्रस्तुत किया गया था, उसमें इस विषय की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया गया था। उक्त आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में आय-कर के वितरण तथा आर्थिक अनुदान के संबंध में छान-बीन की जा रही है। राज्य सरकार ने, आय-कर की कुल राशि का ६० प्रतिशत अंश राज्यों को देने की मांग की है और यह भी कहा है कि विभिन्न राज्यों के बीच, आय-कर की उक्त राशि का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। अबतक, ये मांगे स्वीकृत नहीं हुई हैं।

पंचवर्षीय योजना का आर्थिक पक्ष

पंचवर्षीय योजना के लिये, विहार-सरकार को कुल ५५ करोड़ ७० लाख रुपये खर्च करने हैं। यह तभी संभव है, जवकि राज्य-सरकार को आय-कर का अधिक अंश मिले और भारत सरकार से मिलनेवाली आर्थिक सहायता की पर्याप्ति हो। इनमें, जितनी कमी होगी, उसी अनुपात से उक्त कार्यक्रम की भी क्षति होगी। १९५१-५२ ई० में, भारत सरकार की आर्थिक सहायता के भरोसे तथा राज्य की असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमने विकास संबंधी कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ आगे वढ़ाया था। उक्त वर्ष के आय-व्ययक में, पंचवर्षीय योजना के लिये १२ करोड़ ३९ लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी थी। किन्तु उस वर्ष के संशोधित आय-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

व्ययक में, वह राशि बढाकर १४ करोड़ ८२ लाख कर दी गयी। युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण संबंधी योजनाओं के लिये, जो अर्थ संचित था, उसमें भी हमें सुविधा ही हुई। किन्तु, दुर्भाग्यवश हमारी संचित राशि समाप्तप्राय हो गयी। हमारी साधारण बचत में भी बड़ी कमी हो गयी है और आय के साधन तथा व्यय के परिमाण में विभेद बढता ही जा रहा है। इस विभेद को कम करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं। मितव्ययिता का अवलम्बन कर, व्यय को घटाने की चेष्टा की गयी है। राज्य-सरकार ने इस कार्य के लिये एक मितव्ययिता-समिति की नियुक्ति की थी। उस समिति ने, आवश्यक जांच-पड़ताल और विचार-विमर्श के बाद, अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है। उसके वहुत से सुझाव १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक में ही कार्यान्वित कर दिये गये हैं। यहां पर यह बता देना उचित होगा कि १९५१-५२ ई० के संशोधित आय-व्ययक में, राजस्व खाते से कुल व्यय की जो राशि रखी गयी थी उसमें, इस वर्ष साढे ४ करोड़ रुपये की कमी कर दी गयी है।

राजकीय ऋण

राज्य सरकार, १९५१-५२ ई० के आरंभ में ७ करोड़ ५८ लाख रुपये के ऋण में पड़ गयी थी। उक्त वर्ष में, और भी ऋण लिये गये। इन ऋणों में, सबसे बड़ा ऋण दामोदर घाटी योजना के लिये लिया हुआ २ करोड़ ५३ लाख रुपये का ऋण है। विहार-सरकार ने, यह ऋण केन्द्रीय सरकार से लेकर, उक्त योजना के लिये रुपये दिये हैं। अब तक इस राज्य ने, दामोदर घाटी योजना के लिये, ६ करोड़ ७१ लाख रुपये दिये हैं। अन्य ऋणों में, उत्तर विहार नलकूप योजना के लिये लिया गया ५२ लाख रुपये का ऋण, औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के लिये लिया गया ३० लाख रुपये का ऋण और पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये लिया गया ९ लाख ऋण उल्लेखनीय हैं। वर्ष के अन्त में, राज्य-सरकार के कुल ऋण की रकम ११ करोड़ १८ लाख रुपये थी। इन ऋणों के विपरीत, राज्य-सरकार ने, स्वयं भी लोगों को ऋण दिये हैं। ये ऋण मुख्यतः भूमि-सुधार कानून तथा कृषक-ऋण कानून के अनुसार राज्य के किसानों को दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त उद्योग-धंधों के लिये तथा कुछ राजकीय कर्मचारियों को भी ऋण दिये गये हैं। १९५१-५२ ई० के आरंभ में, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की कुल राशि ४ करोड़ ६५ लाख रुपये थी। वर्ष के अन्त तक बढ़कर वह ९ करोड़ ८६ लाख रुपये हो गयी। इस प्रकार, वस्तुतः १९५१-५२ई० के अंत में, राज्य-सरकार पर केवल १ करोड़ ३२ लाख रुपये का ऋणभार था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार के सूचना, यातायात और उद्योग-मंत्री

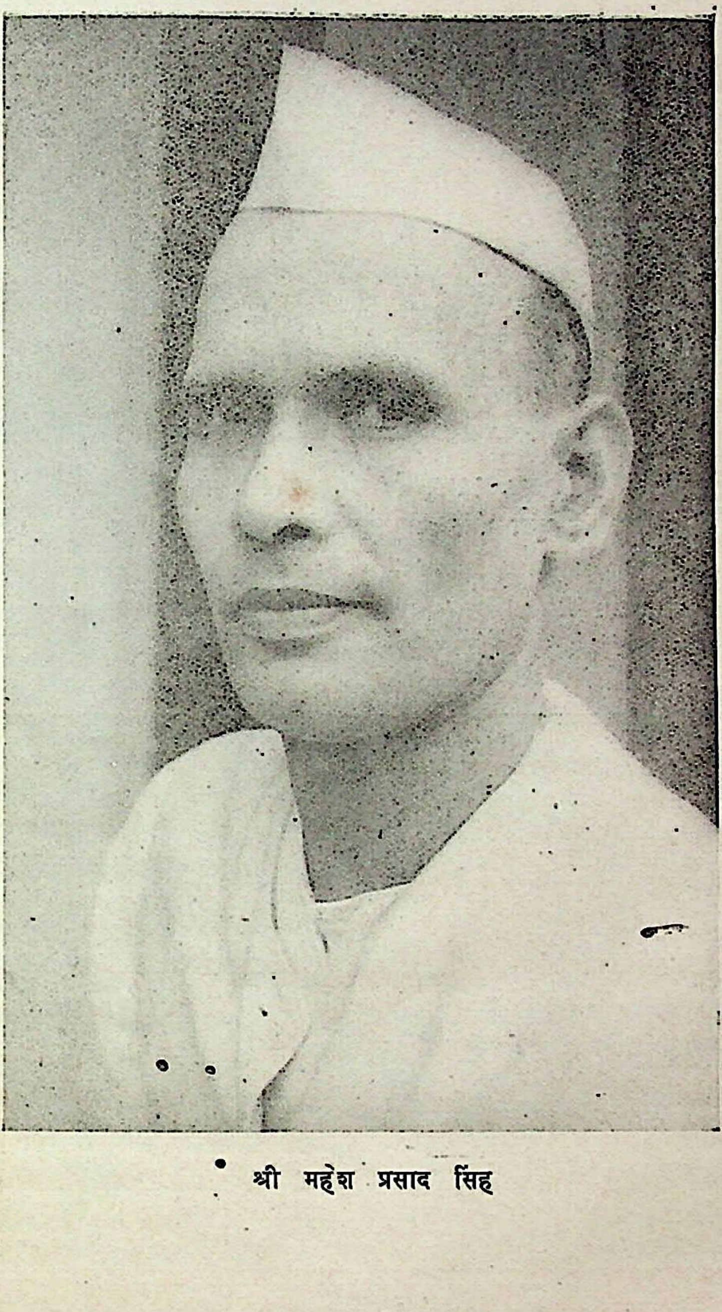

श्री महेश प्रसाद सिंह

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

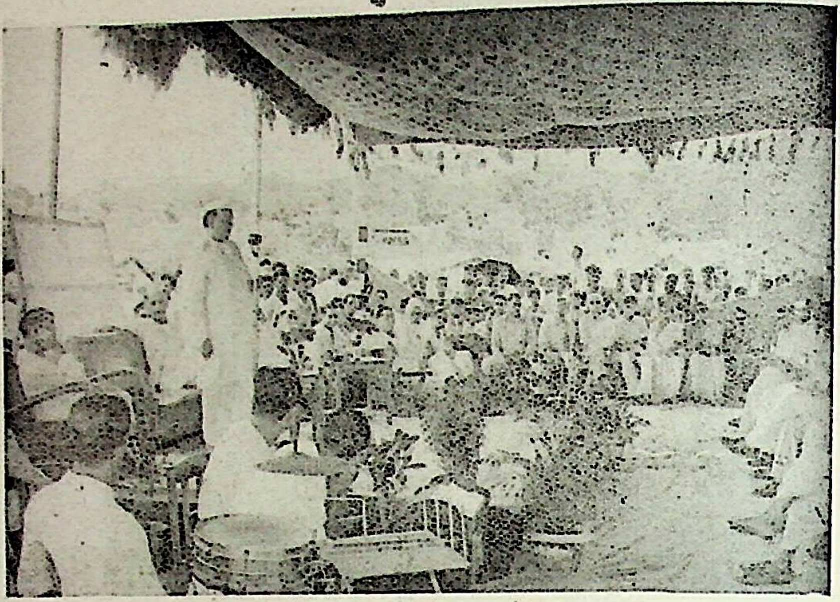

जमशेदपुर में, १४ अगस्त, १९५२ ई० को, राजकीय यातायात-व्यवस्था के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य मंत्री उद्घाटन-संबंधी अभिभाषण कर रहे हैं।

जमशेदपुर में, १४ अगस्त, १९५२ ई० को, राजकीय यातायात-व्यवस्था के उद्घाटन के अवसर पर यातायात-मंत्री अपना प्रारम्भिक भाषण कर रहे हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में गृह-शिल्पों की प्रगति

श्री सैयद मेहदी अली, निर्देशक, उद्योग-विभाग, बिहार

भारतीय जीवन की भौगोलिक एवं आर्थिक विशिष्टताओं की दृष्टि से गृह-शिल्पों का असाधारण महत्त्व असंदिग्ध है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था में गृह-शिल्पों का जो विशेष स्थान है, उसका विचार गृह-शिल्पों के उत्पादन के सस्ते मूल्य के आधार पर अथवा, दूसरे शब्दों में, लोगों की निजी आर्थिक सुविधा की दृष्टि से नहीं किया जा सकता। गृहशिल्प मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम कोटि के गृह-शिल्प वे हैं जिनके उत्पादन केवल उपयोगिता की दृष्टि से ही होते हैं और दूसरी कोटि के गृह-शिल्पों के उत्पादन हमारी सांस्कृतिक रुचि की तुष्टि के लिये होते हैं। पहली कोटि के गृहशिल्पों में, सभी प्रकार की दस्तकारियां तथा विशेषकर उपयोगितापूर्ण उद्योग-धंधे सम्मिलित हैं। दूसरी कोटि के गृहशिल्पों को हम कलासंबंधी उद्योग कह सकते हैं।

गृह-शिल्पों की समस्याएं

गृह-शिल्पों की प्रमुख समस्या, इस राज्य तथा देश के सभी भागों में यही है कि उनके उत्पादन को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कैसे बनाया जाय और उनकी बिक्री की समुचित व्यवस्था कैसे की जाय। सभी प्रकार के गृह-शिल्प, मुख्यतः दस्तकारी के उद्योगधंधे हैं। इसलिये, उनका उत्पादन-व्यय, यंत्रों के उत्पादन-व्यय की अपेक्षा, स्वभावतः बहुत अधिक है। प्राचीन काल में बिहार तथा देश के अन्य राज्यों में, यातायात की सुविधा अत्यन्त सीमित थी। इसलिये अन्य राज्यों की तरह बिहार भी प्रायः स्वावलम्बी था और अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय उत्पादनों से ही कर लेता था। यहां पर 'स्थानीय' शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है। उस समय दस्तकारी की प्रणाली ही, इस प्रकार के उद्योग-धंधों की एकमात्र प्रणाली थी और उत्पादनसंबंधी प्रतियोगिता भी कुछ ही उत्पादकों के बीच सीमित थी। उन सब को, उत्पादन के लिये, लगभग समान रूप से ही खर्च करना पड़ता था। इसलिये, आपस की प्रतियोगिता के कारण, कभी भी वस्तुओं का मूल्य इतना कम नहीं होता था कि उन्हें लाभ न हो।

उस समय सामग्रियों के उत्पादन की जो स्थिति थी, उसमें उनका मूल्य-निर्धारण स्थानीय उत्पादन-व्यय के आधार पर ही होता था। किंतु, बिक्री का मूल्य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अर्थात् जो मूल्य खरीदार लोग देना चाहते थे, वह न्यूनत मूल्य था, जिसे देकर वे इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर सकते थे। जब तक वस्तुओं की बिक्री उत्पादक के द्वारा होती रही, तबतक खरीदारों को उतना मूल्य देना पड़ता था, जितना उत्पादक मांगते थे। इस प्रकार, बाजार पूरी तरह उत्पादकों के हाथ में ही था, वे अपनी वस्तुओं का मनचाहा मूल्य लेते थे।

जैसे-जैसे उद्योग-धंधों का विकास और विस्तार होता गया और यातायात तथा शक्ति के साधन सुलभ होते गये, वस्तुओं की उपलब्धि की स्थिति बिलकुल बदल गयी। अब खरीदार लोग स्थानीय उत्पादन पर निर्भर नहीं हैं। यातायात की सुविधा के बल से बड़े-बड़े कारखानों द्वारा उत्पन्न सामग्रियां दूर-दूर के स्थानों तक पहुंचायी जा सकती हैं।

हाथ से बनी हुई वस्तुओं की तुलना में यन्त्र से बनी हुई सामग्रियां सस्ती होती हैं। उनमें केवल यही दोष होता है कि देखने में वे कम कलात्मक होती हैं। जब वस्तुओं का मूल्य केवल उपयोगिता के आधार पर लगाया जाता है तो प्रतियोगिता में मशीन से बनी हुई वस्तुएं बराबर आगे रहती हैं। हाथ से बनी हुई वस्तुओं को एक ही सुविधा होती है कि उनका उत्पादन स्थानीय रूप से होने के कारण उनपर यातायात तथा वितरण-संबंधी व्यय कम ही पड़ता है। वितरण की प्रणाली में सुधार होने पर, यह सुविधा भी क्रमशः घटकर प्रायः नहीं के बराबर हो जायगी।

कलात्मक उद्योगधंधों के लिये उत्पादन का व्यय बहुत कम करना असंभव है और उनकी मांगवाली कीमत में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। भारतीय कला-संबंधी कृतियों का कुछ कलात्मक मूल्य भी है, जो मशीन से बनी वस्तुओं में नहीं रहता। पर साधारण ग्राहक कलात्मक विशेषताओं के लिये अधिक मूल्य देना नहीं चाहता।

विदेशों में गृह-शिल्प

स्विट्जरलैंड में, वहां के औद्योगिक निवासियों में से एकतिहाई लोग गृह-शिल्पों में ही लगे रहते हैं। इन गृह-शिल्पों में घड़ी बनाने तथा 'रिबन' बनाने के कार्य प्रमुख हैं। गृह-शिल्पों के सभी कार्यकर्त्ता, किसी-न-किसी उत्पादक के साथ संबद्ध रहते हैं। उत्पादक लोग अपने कारखानों में, बहुत अधिक परिमाण में माल तैयार करते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न सामग्रियां बहुत बड़े पैमाने पर बाहर भेजी जाती हैं। सूत को भी तानकर इस्तेमाल करने के योग्य बनाया जाता है। इस प्रकार, गृहशिल्पों के कार्यकर्त्ता विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी कार्य करते हैं, जो बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। उसके बाद के सभी कार्य, मशीनों के द्वारा सम्पन्न होते हैं। कार्यकर्त्ताओं के बीच, उत्पादन-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

संबंधी विभिन्न कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है और उन्हें विशेषज्ञतापूर्ण सहायता यथेष्ट रीति से दी जाती है। उनके द्वारा उत्पन्न सामग्रियों की बिक्री का भी आधुनिक ढंग से प्रबंध किया जाता है। स्वीट्जरलैंड में, उत्पादन की जो प्रणाली है, वह हमारे कारखानों की प्रणाली से भिन्न है। एक कार्य , दूसरे कार्य के साथ सुसम्बद्ध रहता है। प्रत्येक प्रकार के कार्य की देखभाल , विशेषज्ञ व्याव-सायी लोग करते हैं। वहां की प्रणाली में , संबद्धता की जो विशेषता है, वह तो एक साधारण बात है। उसकी असली खूबी तो प्रबन्ध की विशेषता है। सबसे पहले, कार्यकर्त्ताओं को उत्पन्न की जाने वाली वस्तु का स्वरूप बता दिया जाता है। उसका निर्धारण एक विशेषज्ञ-विभाग द्वारा, अधिकतम लाभ की दृष्टि से किया जाता है। उसके बाद, उसको आवश्यक यंत्र तथा सामग्रियां देने की व्यवस्था की जाती है। यंत्रों और सामग्रियों का चुनाव और दी जाने वाली सामग्रियों के परिमाण का निर्धारण, एक दूसरे विशेषज्ञ-विभाग द्वारा होता है। इस संबंध में, इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि यंत्रों और सामग्रियों पर, कम-से-कम रुपये खर्च हों और उनका परिमाण भी न्यूनतम हो। जब कार्यकर्त्ता लोग माल तैयार कर देते हैं, तो विशेषज्ञ उनकी जांच करते हैं। वे यह बताते हैं कि माल ठीक तैयार हुआ है अथवा नहीं। उसके बाद, वह माल विक्रय-विभाग में भेज दिया जाता है। उस विभाग को समूचे संसार के बाजार का पूरा ज्ञान रहता है और अधिकतम मूल्य पर वह उसे बेच सकता है। इस प्रकार, वहां के गृह-शिल्पों के कार्यकर्त्ताओं को बराबर लाभकारी काम मिलते रहते हैं और उन्हें अपने काम के अलावा और किसी बात की चिन्ता नहीं करनी पड़ती।

स्वीट्जरलैंड की पूर्वोक्त प्रणाली की सफलता का रहस्य यह है कि वहां का नियंत्रण विशेषज्ञतापूर्ण होता है और उत्पन्न की हुई सामग्रियों की निरंतर बिक्री का भी प्रबंध रहता है। यदि हम उसकी तुलना किसी कारखाने से करें तो पता चलेगा कि कारखाने का संचालक प्रायः एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सामग्रियों की कोई विशेषज्ञतापूर्ण जानकारी नहीं रहती। वह उन सामग्रियों की रूपरेखा के विषय में कुछ नहीं जानता, मजदूरों के काम में हेरफेर करने के विषय में कोई सुझाव नहीं दे सकता और कच्चे मालों की खरीद भी सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। यदि, उसे यह पता लग जाय कि कारखाने से सामग्रियों की चोरी हो रही है तो भी उसे यह समझ नहीं आता कि चोर को कैसे पकड़े। उसे, सामग्रियों के गुण के संबंध में, कोई जानकारी नहीं रहती और मालों की बिक्री के संबंध में तो वह पूरी तरह भगवान पर निर्भर करता है। प्रबंध का व्यय और बर्बाद होने वाली सामग्रियों का मूल्य घटा लेने पर, कार्यकर्त्ताओं को इतना भी नहीं मिलता, जितना वह स्वतंत्रत रूप से कार्य कर कमा ले सकता था। और बिक्री के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, उसे जो काम मिलता है, वह अपर्याप्त होता है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वीट्जरलैंड में गृह-शिल्पों की जो स्थिति है, उसे देखते हुए यह निस्संदेह पता चलता है कि यदि गृहशिल्पों का संघटन अच्छी तरह किया जाय, तो उससे कार्यकर्त्ताओं को लाभ हो सकता है। इसके लिये दो बातों की अपेक्षा है—(१) व्यावहारिक व्यवसाय-नियंत्रण, और (२) कार्यकर्त्ताओं में उचितवुद्धिशीलता।

बिहार के गृह-शिल्पों के कार्यकर्त्ता

गृहशिल्पों के विहारी कार्यकर्त्ताओं की सवंसे वड़ी विशेषता यह है कि उनमें व्यावसायिक वुद्धि का अभाव है। जब तक इस प्रकार काम होगा, संघटन अथवा व्यवस्था संवंधी कोई भी सहायता सफल नहीं हो सकती और गृह-शिल्पों की दशा में सुधार करना असंभव रहेगा। यदि औसत बिहारी कार्यकर्त्ताओं को सुयोग्य व्यवसायी बनाना है, तो सबसे पहले उनके मन में अपने जीवन-स्तर को उच्च वनाने की लालसा उत्पन्न करनी होगी। उन्हें यह भी समझाना होगा कि उक्त उद्देश्य की पूर्त्ति व्यावसायिक गुणों के विकास तथा नैतिक नियमों के पालन से ही संभव है।

गृह-शिल्पों की वर्त्तमान दशा

विहार में गृह-शिल्पों की वर्तमान दुरवस्था के तीन कारण हैं—

(१) प्रणाली का दोष; (२) संघटित प्रतियोगिता; और (३) कार्यकर्त्ताओं की त्रुटियां। कार्यकर्त्ताओं की वंश-परम्परा तथा उनके पारिवारिक व्यवसाय को वहुत अधिक महत्त्व देना उचित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि, कालक्रम से यह स्पष्ट विदित हो सकता है कि उपर्युक्त कोटि के कार्यकर्त्ताओं की अपेक्षा, अन्य कार्यकर्त्ता अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। यदि जीवकोपार्जन के साधन के रूप में, गृह-शिल्पों को जीवित रहना है, तो हमें खानदानी कारीगरों, कला के संरक्षकों तथा बीचवान व्यापारियों पर विशेष ध्यान न देकर, आधुनिक औद्योगिक आदर्शों के अनुसार, गृह-शिल्पों को सुसंघटित करना है। यदि उपर्युक्त अव्यावसायिक कोटि के लोग नवीन संघटन में न खप सकें तो उन्हें अलग कर देना ही अच्छा होगा। यदि हमारे वर्त्तमान औद्योगिक कार्यकर्त्ता तथा उनके साथी, समय की गति के साथ आगे नहीं वढ़ेंगे, तो उन्हें अलग होना ही पड़ेगा। मेरी धारणा है कि स्वतंत्र रूप से कारीगरी की शिक्षा पाये हुए, कार्यकर्त्ताओं तथा कुशल व्यवासायिक व्यापारियों को खानदानी कारीगरों की अपेक्षा अधिक प्रश्रय देकर ही हमलोग गृह-शिल्पों का उद्धार कर सकते हैं। उदाहरण के लिये, चमड़े के उद्योग-धंधे के हम केवल चमारों पर ही नहीं छोड़ सकते और न ताड़-गुड़ के उद्योग के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

लिये ही केवल पासियों पर ही निर्भर कर सकते हैं। भिन्न-भिन्न गृह-शिल्पों के सबन्ध में वैज्ञानिक शिक्षा देना, शारीरिक श्रम को बचाने का उपाय करन, कच्चा-माल प्राप्त करने के लिये आर्थिक सहायता देना तथा गृह-शिल्पों के उत्पादन की बिक्री की समुचित व्यवस्था करना, ये सब ऐसे कार्य हैं, जिनके लिये खानदानी कारीगर होना कोई जरूरी नहीं है; कोई भी व्यक्ति, गृह-शिल्प के रूप में इन कामों को कर अपनी जीविका का निर्वाह सुविधापूर्वक कर सकता है।

गृह-शिल्पों का विकास

गृह-शिल्पों का विकास, मुख्यतः कार्यकर्त्ताओं के वैयक्तिक प्रयत्नों पर ही निर्भर है। गृह-शिल्पों के कार्यकर्त्ताओं को चाहिये कि वे औद्योगिक सहकारिता-संघों के रूप में अपने को संघटित कर लें। इसके लाभ प्रत्यक्ष हैं। सरकार स्वयं गृह-शिल्पों का आयोजन नहीं करती। वह लोगों को ही सहायता देकर, इस कार्य के लिये प्रोत्साहित करती है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि राज्य-सरकार के मुख्य कार्यों में, राज्य भर में विभिन्न प्रकार के गृह-शिल्पों के आयोजन के कार्य भी सम्मिलित हैं। ऐसे लोगों को यह जानना चाहिये कि सरकार व्यावसायिक रूप से स्वयं गृह-शिल्पों का आयोजन नहीं करती। गृह-शिल्पों का आयोजन जनता ही करती है। साधारणतः, किसी गृह-शिल्प का कारखाना, किसी एक व्यक्ति द्वारा ही स्थापित होता है। किसी व्यक्ति अथवा उसके परिवार के लोगों के द्वारा, विविध प्रकार की उपयोगी सामग्रियां अड़ोस-पड़ोस के लोगों के उपयोग के लिये बनायी जाती हैं। ऐसे प्रयत्न ही गृह-शिल्पों का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार के ग्रामीण उद्योग-धंधों के विकास के लिये स्वतंत्र प्रयत्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। कुछ ऐसे विकसित गृह-शिल्प भी हैं, जो क्षेत्र-विशेष में ही केन्द्रित हैं। इन गृह-शिल्पों का विकास, मुख्यतः सामूहिक प्रयत्न के फलस्वरूप हुआ है। इनके द्वारा उत्पन्न सामग्रियों का उपयोग स्थानीय रूप से तो होता ही है; साथ ही, देश-विदेश में, उनका निर्यात भी होता है। तीसरी श्रेणी के गृह-शिल्प कलासम्बन्धी हैं। इनके उत्पादनों का उपयोग देश-विदेश के धनी वर्ग के लोग करते हैं। एक व्यक्ति अथवा किसी परिवार द्वारा संचालित गृह-शिल्प के लिये राजकीय सहायता आवश्यक नहीं है। कला-संबन्धी गृह-शिल्पों के अतिरिक्त अन्य उद्योग के लिये सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यदि, कार्यकर्त्तागण आपस में मिलकर औद्योगिक सहकारिता-समतियों के रूप में अपने को संघटित करालें, तो उनकी आर्थिक तथा बिक्री-संबंधी समस्याएं स्वतः हल हो जायंगी। कला-संबंधी शिल्प के लिये, सरकार की आर्थिक सहायता विशेष रूप से अपेक्षित

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

है। इन शिल्पों की वर्तमान स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। उनके अस्तित्व के मिट जाने का ही खतरा है। कला-संबंधी उद्योगों द्वारा उत्पन्न सामग्रियों के खरीदार राजा, नवाब, जमींदार आदि वर्गों के लोग स्वयं मिट रहे हैं। काश्मीर, हैदरावाद, मैसूर तथा उड़ीसा के कलात्मक उत्पादनों की बिक्री के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। अतएव, उक्त स्थानों के कला-शिल्पों का ह्रास हो रहा है। पटना सिटी में जो जड़ी की दस्तकारी होती थी वह भी अब लुप्तप्राय हो रही है। पटना में जड़ी का काम करने वाले ही कुशल कार्यकर्त्ता थे। लगन के दिनों में जड़ी आदि के कामों की मांग काफी रहती है। किन्तु, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, ऐसी कलात्मक वस्तुओं का उपयोग भी क्रमशः घटता जाता है। पूर्णिया जिला में विदर का काम, गया जिला के पत्थलकट्टी ग्राम में पत्थर का काम भी अब लुप्त होता जा रहा है। यहां तक की पटना तथा विहार के अन्य स्थानों के रंगरेज भी रंगाई और छपाई के कामों में पूंजी लगाना नहीं चाहते। इन कलात्मक वस्तुओं के उद्योग के संवन्ध में, ध्यान देने की बात यह है कि उनका मूल्य अधिक होने के कारण लोग उन्हें खरीदना नहीं चाहते। इसके अलावा, उसके तर्ज भी अब पुराने पड़ गये हैं। आधुनिक युग के अनुसार, उनमें परिवर्तन लाने के लिये, यथेष्ट चेष्टा नहीं की गयी है। इस संवन्ध में एक और महत्त्वपूर्ण वात है। नयी पीढ़ी के लोग, अपने पूर्व पुरुषों के व्यवसाय में लगना नहीं चाहते; क्योंकि, अन्य व्यवसायों में उन्हें अधिक लाभ की संभावना दीख पड़ती हैं। अतएव, कलात्मक शिल्पों के पुनरुज्जीवित करने के लिये सरकार द्वारा सहायता मिलना आवश्यक है। सरकार नयी-नयी कारीगरी और नये तर्ज के विकास, कच्चे मालों की उपलब्धि तथा उत्पन्न की हुई वस्तुओं की विदेशों में बिक्री की व्यवस्था के रूप में भी इन शिल्पों को सहायता दे सकती है।

सूती-वस्त्र-संबंधी गृह-शिल्प

'विहार कॉटेज इन्डस्ट्रीज' नामक गृह-शिल्प-संबंधी संस्था के द्वारा जो सूती कपड़े तैयार किये जा रहे हैं, वे भारत की अपेक्षा विदेशों में अधिक बिकते हैं। १९५१-५२ ई० में विदेशों में उनकी बिक्री सबसे अधिक हुई थी। इसमें आश्चर्य की कोई वात नहीं। हमलोगों ने, हाल में यह निश्चय किया है कि जड़ी आदि के काम किये हुए बटुओं (हैंडवैग) और रंग-विरंग की छपी हुई मुगलकालीन शैली की चादरों का उत्पादन किया जायगा। ये अमेरिका में अवि-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

लम्ब विक जायंगे। इससे जरदोजों और रंगरेजों को बड़ी सहायता मिलेगी और रंगाई-संबंधी उद्योग पुनरुज्जीवित हो जायगा।

बिहार में औद्योगिक विकास की संभावनाएं

बिहार-राज्य में प्राकृतिक साधनों का प्राचुर्य है। उनकी सहायता से हम शीघ्र ही इस राज्य का उद्योगीकरण कर सकते हैं। लोहा, कोयला, अबरख, तांबां, अल्मुनियम आदि खनिज पदार्थों के अतिरिक्त, सीमेंट, लाह, चीनी मिट्टी आदि पदार्थ भी यहाँ सुलभ हैं। बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के लिये इनकी आवश्यकता होती है। इनके अतिरिक्त, गृह-शिल्पों के लिये आवश्यक कच्चे माल भी बिहार में सहज सुलभ हैं। बिहार के जंगलों में रेशम के कोए, लाह, कत्थ, तरह-तरह की लकड़ियां, और देशी ओषधियों के पौधे भी प्रचुर परिमाण में मिलते हैं। ताड़ और खजूर के वक्ष भी वहुत हैं। उनका उद्योग ताड़-गुड़ और नीरा के व्यवसाय के लिये होता है। सूत कातने और कपड़े बुनने वाले कुशल कारीगर भी यहाँ बहुत हैं। इनकी सहायता से खादी के उद्योग-धंधों का विकास राज्यभर में स्वावलम्बन के आधार पर हो सकता है। इसके फलस्वरूप, भूखे लोगों को भोजन भी मिलेगा और साथ ही, अर्द्धनग्न लोगों के लिये वस्त्र की व्यवस्था भी हो जायगी। मैंने दरभंगा जिला के मधुवनी सबडिवीजन के सेमरिया ग्राम में रहनेवाली महिलाओं द्वारा काते हुए वारीक सूतों को देखा है। वे सूत बहुत ही महीन हैं। वे महिलाएं रूई को वारीकी के साथ धुनने में अत्यन्त प्रवीण हैं। यदि किसी कागज पर कुछ लिख कर, उसके ऊपर, उन महिलाओं द्वारा धुनी हुई बारीक रूई की छः इंच मोटी तह भी रख दें तो उसके ऊपर से उस कागज की लिखावट को साफ-साफ पढ़ सकते हैं। मधुवनी के सूत कातने वाले इतने बारीक सूत कातते हैं कि संसार का कोई भी यंत्र उतना बरीक सूत नहीं तैयार कर सकते। १८६२ ई० में जो अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई थी उसमें जो मशीन से तैयार किया हुआ सब से बारीक सूत प्रदर्शित किया गया था, वह इतना कमजोर था कि प्रदर्शन के सिवा उसका और कोई उपयोग नहीं हो सकता था। उससे कपड़ा बुनना तो असंभव ही था। किन्तु, मधुवनी के क्षेत्र में, काते हुए बारीक सूतों के कपड़े आसानी से वनते हैं। इसका कारण यह है कि खादी के बारीक से बारीक सूत भी मजवूत होते हैं। निस्संदेह, बिहार राज्य में, खादी के उद्योग के विकास की संभावना अमित है। आवश्यकता इस बात की है कि कपास की खेती हर गांव और हर घर में हो, ताकि विदेशों से रूई मंगाने की समस्या

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हल हो जाय और खादी के कपड़े का मूल्य इतना कम हो जाय कि वह मिल के कपड़े की तुलना में सस्ता पड़े।

इस छोटे से लेख में बिहार-राज्य के सभी गृह-शिल्पों का पूरा विवरण देना संभव नहीं है। इतना बता देना पर्याप्त होगा कि हमारी राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था इस राज्य में गृह-शिल्पों के विकास पर ही निर्भर है। हमें इन गृह-शिल्पों का विकास बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के साथ-साथ ही करना है। साथ ही, इस बात पर भी ध्यान रखना है कि ये गृह-शिल्प बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के लिये सहायक सिद्ध हों, उनके साथ प्रतिद्वन्द्विता में न पड़ें।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार की सांस्कृतिक परम्परा

डाक्टर कालिकिङ्कर दत्त, अध्यक्ष, इतिहास-विभाग, पटना विश्वविद्यालय

बिहार की सांस्कृतिक परम्परा बहुत गौरवपूर्ण रही है और, इसलिए, प्रेरक भी। हम पाते हैं कि बिहार-भूमि से न केवल प्राचीन भारत के कल्याण-राज्यों ने विशाल साम्राज्यों के रूप में अपना विकास किया था और इस क्षेत्र की वैशाली को केन्द्र बना कर चारों ओर गणतन्त्र राज्यों की स्थापना हुई थी; प्रत्युत, यह (बिहार-भूमि) प्रत्येक युग में सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र रही है। अति प्राचीन काल से ही यहां मानव-प्रतिभा विकसित होती रही है और, इस प्रकार, भारतवर्ष के सांस्कृतिक गौरव की वृद्धि में बिहार की स्पृहणीय देन रही है। हिन्दू-दर्शन के कतिपय परोक्षवादी सिद्धांतों का बिहार ही जन्म-स्थल रहा है। उन सिद्धांतों का विवेचन हम विदेह जनक की राजसभा को सुशोभित करने वाले ज्ञान-प्रतिभासम्पन्न क्रांतद्रष्टाओं के दर्शन-ग्रंथों में पाते हैं। मानव-समाज को समानता, बंधुत्व, प्रेम, सेवा, सहिष्णुता और अहिंसा का सन्देश देनेवाले महावीर और गौतम बुद्ध के नेतृत्व में, ईसा के पूर्व छठीं शताब्दी में, जो आध्यात्मवादी भारतीय सुधार-आन्दोलन चल पड़े थे, उनका उद्‌गम-स्थल यह बिहार ही था। यहां से ज्ञान-दर्शन का वस्तुतः एक स्रोत-सा फूट पड़ा था जिसकी निर्मल धारा आज भी भारतीय चिन्तन-पद्धति को प्रभावित रखे हुए है। प्रसिद्ध वैयाकरणी पाणिनी और पतञ्जलि, जिनका स्थायी प्रभाव संस्कृत भाषा और साहित्य पर है; प्रसिद्ध विद्वान और राजनीतिज्ञ कौटिल्य, जिनका ग्रंथ, कौटिल्य-शास्त्र, विश्व के प्राचीन राजनीति-साहित्य में प्रमुख स्थान रखता है; और लब्धप्रतिष्ठ ज्योतिष-शास्त्री आर्यभट्ट, जिन्होंने ही प्रथम प्रथम आविष्कार किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और साथ ही, जिन्होंने ज्योतिष-शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की एक नयी पद्धति निरूपित की थी—इन सब विभूतियों का ऐतिहासिक नगर पाटलिपुत्र से बहुत घनिष्ठ संबंध था। पुनः, आदर्श सम्राट अशोक ने नैतिक आचरण के संबंध में अपने प्रसिद्ध आदेश यहीं से प्रचारित किये थे, जो बाद में, साम्राज्य के विभिन्न भागों में प्रस्तर-खंडों और स्तम्भों पर खोदे गये थे। उन आदेशों की विशेषता यह है कि विश्व-बंधुत्व, सहिष्णुता, सद्‌भाव और अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री के आदर्श सिद्धान्तों का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उनमें सन्निवेश है। जैसा कि स्वयं अशोक ने ही एक स्थल पर कहा है, उनके अहिंसावादी एवं मानवतावादी धर्म को केवल भारतवर्ष में ही नहीं, प्रत्युत प्रतिवेशी हेलेन, तमिल और सिंघाली राज्यों में भी अद्‌भुत सफलता प्राप्त हुई थी। इस प्रकार, भारतवर्ष ने पश्चिमी एशिया और कुछ अन्य प्रदेशों पर आध्यात्मिक विजय प्राप्त की थी।

बिहार: एशिया का शिक्षा-केन्द्र

यदि एथेन्स, हैलास का शिक्षा-केन्द्र था, तो प्राचीन काल में अनेक शताब्दियों तक, बिहार, एशिया का शिक्षा-केन्द्र था। इसी ज्ञान-भूमि में नालन्दा, विक्रमशिला (कहलगांव, भागलपुर), वज्रासन (गया), उदियान और उद्दण्डपुरी (विहार शरीफ) के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। मानव-ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन के लिए नालन्दा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय प्रसिद्ध केन्द्र थे और वहां केवल भारत और एशिया के ही नहीं, वल्कि विश्व के सुदूर कोनों से भी छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। नालन्दा विश्वविद्यालय केवल धार्मिक एवं दार्शनिक शिक्षा का ही केन्द्र नहीं था; वहां पर विभिन्न कलाओं और शिल्पों का व्यावहारिक शिक्षण भी दिया जाता था। इस संबंध में हमें तत्कालीन दो प्रसिद्ध विवरण प्राप्त होते ह। एक हैं चीनी विधान-विशारद हुएनसांग का विवरण जिन्होंने नालन्दा में पांच वर्ष रहकर अध्ययन किया था; और दूसरे विवरणदाता हैं इत्सिंग, जिनके वाद अनेक चीनी छात्र अध्ययनार्थ नालन्दा आये थे और जिन्होंने अपने सहपाठी अनेक विदेशी छात्रों के नाम का उल्लेख किया है। नालन्दा विश्वविद्यालय का शिक्षा-स्तर वहुत उच्च था। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आगत छात्रों की बहुत कड़ी परीक्षा ली जाती थी। जो सफल होते थे केवल वे ही भर्ती किये जाते थे, अर्थात् केवल वहुत उच्च कोटि के छात्र ही उस विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते थे। हुएनसांग ने लिखा है :—"उस संस्था (नालन्दा) में लगभग एक हजार छात्र थे और सभी योग्य एवं विद्वान् थे। देशवासी उन सवको आदर्श मानते थे। विदेशी छात्र यहां सन्देह-निवारण के लिए आया करते थे और यहां से जाने के वाद उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी।" इत्सिंग ने भी लिखा है :—"अनेक प्रसिद्ध एवं विद्वान व्यक्ति वहां एकत्र होकर सभी सम्भव एवं असम्भव मत-मतान्तरों पर विचार-विमर्श किया करते थे। ये लोग अपने विचारों की उत्कृष्टता के संबंध में आचार्यों का आश्वासन पाकर दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो जाते थे।" देवपाल देव के नालन्दा ताम्रपट पर लिखा हुआ है :— "नालंदा की विविध उत्कृष्टताओं से आकृष्ट होकर, उन्होंने (स्वर्णद्वीप के शासक महाराजा वालापुत्र देव ने) नालन्दा में एक विहार वनवाया था जहां अनेक गुणसम्पन्न भिक्षु निवास करते थे, और चूना-पलस्तर किये हुए विशाल भवनों की शृंखला से नालन्दा चमकती रहती थी।" नालन्दा विश्वविद्यालय में पठित छात्र का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विद्वद्समाज में बड़ा सम्मान होता था। हुएनसांग ने लिखा है: "जो लोग अपने को नालन्दा का छात्र कहते थे, वे जहां भी जाते थे आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। निवास-सुविधाप्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में यह (नालन्दा विश्वविद्यालय) अद्वितीय था। नालन्दा विश्वविद्यालय जो एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य करता, वह था, "छात्रों को परस्पर सुधारने की ओर प्रवृत्त करना, जीवन-कला की शिक्षा देना, और सुधी-समाज संघटित करने में सहायता देना।"

ज्ञान-प्रचार-मंडल

इन विश्वविद्यालयों की विशेषता इस बात की है कि यहां से विचार-धाराएँ निकलती थीं जो भारतवर्ष में और विदेशों में बड़ी उत्कृष्टता और सफलता के साथ मानव-मस्तिष्क को सींचती जाती थीं। नालन्दा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विभिन्न शास्त्रों के पारंगत विद्वानों और अनेक भाषाओं (संस्कृत, पाली, तिब्बती और चीनी) के पंडितों को ज्ञान-प्रचार के लिए सुदूर देशों में भेजा करते थे। ये विद्वान और पंडित भारतीय संस्कृति और सभ्यता के दूत बन कर जाते थे और सर्वत्र भारत का मुख उज्ज्वल करते थे। "भारत की सीमाओं के उस पार वृहत्तर भारत के निर्माणकर्त्ता ये विद्वान ही थे। बल और हिंसा के द्वारा स्थापित साम्राज्यों से भिन्न, भारतीय विचार-धारा का साम्राज्य, जो स्थान की सीमा स्वीकार नहीं करता, इन्हीं विद्वानों ने स्थापित किया था।" नालन्दा से जो विद्वान ज्ञान-प्रचारार्थ तिब्बत गये थे, उनमें से शान्तरक्षित (७४९ ई०), पद्मसम्भव—जो ७४७ ई० में तिब्बत गये थे —और उनके सहयोगी कमलशील स्थिरमति और बुद्धकीर्त्ति के नाम उल्लेखनीय हैं। अतिशा दीपंकर, विक्रमशिला से तिब्बत गये थे और आज भी तिब्बत में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। नालन्दा के जिन छात्रों ने चीन में प्रचार-कार्य किया था उनमें से मुख्य ये हैं:—कुमारजीव, और वामनबंधु की जीवनी के अनुवादकर्ता परमार्थ (ईसा की पांचवीं शताब्दी), सुभाकर सिंह (ईसा की आठवीं शताब्दी), और धर्मदेव, जिन्होंने चालीस वर्षों के बीच (९६० ई० से १००० ई० तक) ११८ बौद्ध-ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था।

कालान्तर में, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ज्ञान-विज्ञान के प्रसिद्ध केन्द्र लुप्त हो गया। इनके विनष्ट होने का मुख्य कारण भारत की राजनीतिक उथल-पुथल थी। परन्तु, वे शिक्षा-केन्द्र जो धरोहर छोड़ गये हैं वह हमारे लिए प्रेरणा की वस्तु है और भविष्य में भी रहेगी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मिथिला का गौरव-युग

गंगा नदी के उस पार पड़नेवाले बिहार के भूभाग में, अर्थात् मिथिला में भी धर्मशास्त्र, दर्शन साहित्य और व्याकरण के क्षेत्र में जो प्रतिभाएँ उद्भूत हुईं उनका व्यापक प्रभाव पड़ा। राजर्षि जनक की राजसभा में ब्रह्म-विद्या-मत का खूब विकास हुआ; और साथ ही, राजर्षि जनक ने उपनिषदों के सिद्धान्तों के प्रचार में भी पर्याप्त सहयोग प्रदान किया। धर्मशास्त्र के क्षेत्र में मिथिला की स्पृहणीय देन रही है। प्रसिद्ध प्राचीन स्मृतिकार याज्ञवल्क्य बिहार के ही थे। मध्ययुगीन मिथिला के स्मृतिकारों में से ज्ञानेश्वर मिश्र, श्रीदत्त उपाध्याय, ज्ञानेश्वर ठाकुर और उनके भ्रातृष्पुत्र (भतीजा) चन्द्रेश्वर ठाकुर, मिसरू मिश्र, वाचस्पति मिश्र, रुद्रधर उपाध्याय एवं अन्य व्यक्तियों के नाम गर्व के साथ लिये जा सकते हैं। दर्शन के क्षेत्र में भी मिथिला का स्थान प्रमुख रहा है। न्यायशास्त्र को व्यवस्थित रूप गौतम ने दिया था, और मिथिला के गंगेश उपाध्याय, वर्द्धमान उपाध्याय, वक्षधर मिश्र और महेश ठाकुर प्रभृति विद्वानों ने भारतीय न्यायशास्त्र की एक नयी पद्धति (नव्य न्याय) निरूपित की थी। मीमांसा के क्षेत्र में भी मिथिला के कुछ पडितों ने महत्वपूर्ण कार्य किये थे। यहां कुछ व्याकरण-ग्रंथ भी रचे गये थे। सुपद्म व्याकरण के रचयिता पद्मनाभ दत्त मिथिला के ही थे। काव्य और काव्यशास्त्र के क्षेत्र में, प्रसन्नराघव के प्रणेता जयदेव, अनर्घराघव के प्रणेता मुरारि, काव्य प्रदीप के प्रणेता गोविन्द ठाकुर, रसमंजरी के प्रणेता भानुदत्त, ससर्णव के प्रणेता जयदेव और गीतगोपीपति के प्रणेता कृष्णदत्त के नाम उल्लेखनीय हैं। जगद्धर ने गीता और देवी-महात्म्य जैसे धार्मिक ग्रंथों, मेघदूत और गीतगोविन्द जैसे गीतिकाव्यों, मालती-माधव और वेणी-संहार जैसे नाटकों, वासवदत्ता जैसे गद्य-साहित्य और सरस्वती कण्ठाभरण जैसे अलंकार-ग्रन्थ का भाष्य ही तैयार नहीं किया, प्रत्युत् कामविषयक रसिक-सर्वस्व और संगीतविषयक संगीत-सर्वस्व नामक ग्रंथों की रचना भी की। विद्यापति की अमर पदावली मानव-हृदय में लोकोत्तर आनन्द और रस का संचार करती है। इसमें संदेह नहीं कि विद्यापति का युग, अपनी मनोहारी विशेषता के कारण, भारतीय भाषाओं के इतिहास में अग्र-स्थान रखता है। गद्य के क्षेत्र में ज्योतिरीश्वर का वर्णरत्नाकर और विद्यापति की कीर्तिलता उच्च कोटि के साहित्य के सबल एवं सफल उदाहरण हैं।

उत्तर-मध्य-युग का समन्वयवाद

भारतीय इतिहास का उत्तर-मध्य युग यद्यपि राजनीतिक सघर्षों का ही युग रहा है, फिर भी वातावरण की प्रतिक्रिया के स्वरूप, उस समय उदार दृष्टिकोण रखने वाले कुछ सुधार-आन्दोलन चल पड़े थे। प्रादेशिक भारतीय भाषाओं के साहित्यों पर इन आन्दोलनों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा और साथ ही, संस्कृति के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विकास को भी प्रोत्साहन मिला। उपनिषदों के आदर्शवाद से बहुत अंशों में मिलता-जुलता उदार सूफीमत के प्रभाव से ऐसे साहित्य की रचना हुई जो प्रेम और सहिष्णुता के भाव से ओतप्रोत था। इस प्रसंग में एक बात उल्लेखनीय है। कुछ लोगों की यह धारणा है कि तुर्क, अफगान और मुगलों के शासन-काल में संस्कृत की उच्च-शिक्षा समाप्त हो गयी। परन्तु यह भ्रममात्र है। बिहार के जिलों के संबंध में १८०९ और १८१३ ई० के बीच की अवधि के मिल्टन बुचानन के निरीक्षण-विवरण तथा बिहार और बंगाल में देशी शिक्षा की स्थिति के संबंध में वीलियम ऐडम के विवरण के निष्पक्ष अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय संस्कृत-शिक्षा का व्यापक प्रचार था। हां, कुछ ह्रास अवश्य हो गया था, जैसा कि लार्ड मिण्टो ने नदिया और तिरहुत के संस्कृत विद्यालयों के संबंध में १८११ ई० के अपने विवरण में संकेत किया है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ 'सिवारउल-मुताखेरीन' के प्रणेता लब्धप्रतिष्ठ फारसी इतिहासवेत्ता गुलाम हसन ने लिखा है :—"उस समय अजीमाबाद (पटना) में अनेक ऐसे व्यक्ति थे जो ज्ञान-विज्ञान के प्रेमी थे और पठन-पाठन का कार्य करते थे। मुझे स्मरण है कि उस नगर में और उसके आस-पास नौ या दस लब्धप्रतिष्ठ प्रोफेसर (अध्यापक) थे और तीन या चार सौ छात्र थे। इससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि अन्य शहरों और सुदूरवर्त्ती जिलों में अध्यापकों और छात्रों की संख्या क्या होगी। बिहार के नगर के विद्वानों में से काजी मुजफ्फर का, जो मुजफ्फर अली खां के नाम से विशेष प्रसिद्ध हैं, अलीवर्दी से व्यक्तिगत परिचय था और अलीवर्दी ने उन्हें मुर्शीदाबाद का न्यायाधीश नियुक्त किया था।"

आधुनिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान

वर्त्तमान पटना नगर भी कम गौरवशाली नहीं है। इस नगर में चार सांस्कृतिक संस्थाएँ हैं: बिहार अनुसंधान मंदिर (बिहार रिसर्च सोसाइटी), पटना-संग्रहालय, खुदाबक्श (ओरिएण्टल पब्लिक) पुस्तकालय और राधिका सिन्हा प्रतिष्ठान (जिसमें सिन्हा पुस्तकालय भी है)। बिहार रिसर्च सोसाइटी का जन्म १९१५ ई० में बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के नाम से हुआ था जिसका बाद में, उड़ीसा के अलग हो जाने पर, बिहार रिसर्च सोसाइटी नाम पड़ा। यह सोसाइटी अपने जन्मकाल से लेकर अबतक अनवरत रूप से कार्य करती आ रही है और इसने अपने बहुमुखी कार्यों द्वारा भारतीय सभ्यता के विभिन्न पहलुओं की ज्ञान-वृद्धि में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया है। इस सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। इस सोसाइटी का एक अपना पुस्तकालय भी है जिसमें बहुमूल्य पुस्तकों, पत्रिकाओं और हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह है; इनमें महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत से लाये गये हस्तलिखित ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय हैं। खुदाबक्श पुस्तकालय में चुने हुए अरबी और फारसी ग्रंथों का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

संग्रह, सुन्दर हस्तलिपि के उत्कृष्ट नमूने और अप्राप्य चित्रित हस्तलिखित ग्रंथ हैं; साथ ही, पौर्वात्य कला के कुछ चुने हुए नमूने हैं। यह पुस्तकालय अरबी और फारसी में प्राच्य विद्या की विभिन्न शाखाओं का वस्तुतः अपूर्व भांडार है, जो मुस्लिम और भारतीय-मुस्लिम इतिहास एवं संस्कृति के अनुशीलन के लिए बहुत उपयोगी है। राधिका सिन्हा प्रतिष्ठान दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो इसलिए कि अपनी धर्मपत्नी, श्रीमती राधिका देवी की स्मृति के सम्मान में डा० सच्चिदानन्द सिन्हा द्वारा स्थापित यह प्रतिष्ठान दृढ़ एवं मधुर दाम्पत्य-प्रेम का मूर्तिमान प्रतीक है। और दूसरे, स्वर्गीय डा० सिन्हा के वैयक्तिक पुस्तक-संग्रहों से सुशोभित यह पुस्तकालय एक ऐसे विद्याव्यसनी के अदम्य एवं अतृप्त विद्याप्रेम का अमर प्रतीक बना रहेगा, जो उदार दृष्टिकोण और व्यापक सांस्कृतिक अभिरुचि से समन्वित प्रतिभाशाली व्यक्तियों एवं देश की प्रगति में सबल रूप से सहायक रचनात्मक शक्ति वाले राजनेताओं के समूह का अग्रणी प्रतिनिधि रहा है।

स्वतंत्र भारत में यह युग सांस्कृतिक जागृति का है। बिहार भी उस सांस्कृतिक नव-जागरण का अनुभव कर रहा है। नव-जागरण के ठोस परिणाम हमारे सामने हैं: का० प्र० जायसवाल अनुसंधान प्रतिष्ठान, जो बिहार अनुसंधान मंदिर के सहयोग से कार्य कर रहा है; नव नालन्दा महा विहार (नालन्दा का मगध-पाली इंस्टी-ट्यूट), जो इतिहास के छात्र के लिए वस्तुतः तीर्थस्थान है; और दरभंगास्थित मिथिला संस्कृत प्रतिष्ठान। बिहार में शिक्षण विश्वविद्यालय (टीचिंग यूनिवर्सिटी) की स्थापना बिहार के कतिपय प्रतिष्ठित नागरिकों एवं शिक्षा-विशारदों के दीर्घ-कालीन प्रयास का केवल प्रतिफलन ही नहीं है, बल्कि नव-जागरण की नयी प्रेरणा का भी यह एक परिणाम है। परन्तु, किसी संस्था या संघ के बाह्य रूप से अधिक महत्वपूर्ण उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों की आन्तरिक भावना है। प्रबुद्ध गणतंत्र की सफलता, उन्नति और विकास वस्तुतः उसके सदस्यों की बौद्धिक चेतना के सहारे ही संभव हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार के राजस्व-मंत्री

श्री कृष्णवल्लभ सहाय

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

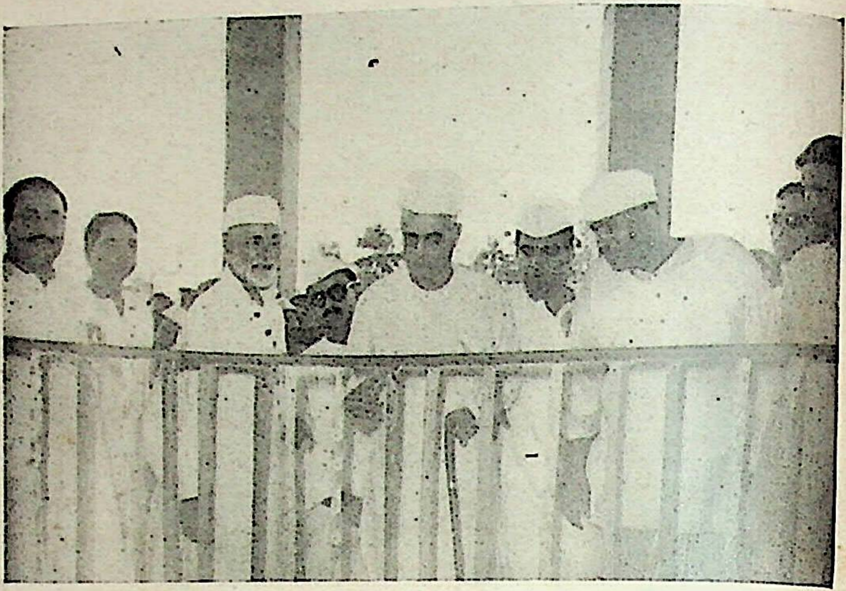

पटना में "लेजिस्लेटर्स क्लब" के उद्घाटन का एक दृश्य : भारतीय लोक-सभा के अध्यक्ष श्री मावलंकर उद्घाटन कर रहे हैं।

पटना में आयोजित विहार उद्योग-सम्मेलन का एक दृश्य; उसमें इस राज्य के उद्योगीकरण की समस्या के विषय में विचार-विमर्श हुए थे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार-भूमि-सुधार कानून पर एक दृष्टि

श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, अवर-सचिव, विधायिका-विभाग, बिहार

१९४५ ई० के कांग्रेस-निर्वाचन-घोषणापत्र में जमींदारी उन्मूलन को कांग्रेस के कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्थान दिया गया था। १९४६ ई० के अप्रैल महीने में, इस राज्य का शासन-भार ग्रहण करते ही कांग्रेस-मंत्रिमंडल ने भूमि-सुधार की समस्या की ओर ध्यान दिया। इस समस्या के समाधान को प्राथमिकता दी गयी। विधान सभा के एक सदस्य (कांग्रेस) श्री पुरुषोत्तम चौहान ने १६ जुलाई, १९४६ ई० को विधान सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया:—

"सरकार से यह सभा अनुरोध करती है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए अविलम्ब कार्य शुरू किया जाय।"

सभा के कांग्रेसी सदस्यों ने इस बात की विशद् व्याख्या की कि स्थायी प्रबन्ध जनता के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वार्थी अधिकारियों ने अपने स्वार्थ साधन के लिये यह व्यवस्था यहां की जनता पर लादी थी। वे अधिकारी तो वस्तुतः इंगलैंड में बैठे रहते थे और उन्हें अपने सैनिकों एवं कर्मचारियों को वेतन-भत्ता देने के लिए, नियमित रूप से रुपयों की आवश्यकता पड़ती थी। साथ ही, युद्ध के कारण उनका खजाना भी खाली हो गया था और उसे भरने के लिये निश्चित आय आवश्यक थी। यही कारण था कि उन्होंने इस स्थायी व्यवस्था की बेड़ी जनता के पैरों में डाल दी थी। यह प्रस्ताव अत्यधिक बहुमत से स्वीकृत हो गया। अतः, अब उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करना सरकार का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हो गया। स्थिति यह थी कि हमारे सामने ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जिसके अनुभव के प्रकाश में यह निर्णय किया जा सके कि किस प्रकार जमींदारियां सरकार के अधिकार में ली जा सकती हैं। साथ ही, धार्मिक एवं शैक्षणिक ट्रस्टों की स्थिति बिलकुल भिन्न थी। क्योंकि, उनकी सारी संपत्ति दान और धर्म के लिए अर्पित थी। मुआवजे की रकम तय करना भी बहुत कठिन प्रश्न

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

था, क्योंकि इसके लिये सामान्य न्याय और राज्य-सरकार की आर्थिकक्षमता, इन दोनों पर दृष्टि रखते हुए ही कोई रकम या दर निश्चित की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त रेहन रखी हुई जमींदारियों के कर्ज की रकम तय करना भी कम मुश्किल न था। इस प्रश्न को सुलझाने के लिये बहुत सावधानी की आवश्यकता थी। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि बड़ी सतर्कता और सावधानी से कुछ निर्णय करना था, ताकि किसी पक्ष के साथ अन्याय न हो।

जमींदारी-उन्मूलन कानून का इतिहास

१९४७ ई० में 'विहार स्टेट एक्विजीशन ऑव जमींदारीज विल, १९४७ ई०' तैयार हुआ। यह विल ११ अगस्त, १९४७ ई० को राज्य विधान-सभा में उपस्थित हुआ और प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया। २० अप्रैल, १९४८ ई० को सभा ने इस विल को स्वीकृत किया और ११ मई, १९४८ ई० को विधान परिषद् द्वारा भी स्वीकृत हो गया। विधान सभा और परिषद् द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद, यह विल १९३५ ई० के शासन-विधान के अनुसार, गवर्नर जेनरल की स्वीकृति के लिये भेज दिया गया। कुछ विवादग्रस्त विषयों पर केन्द्रीय सरकार और बिहार-सरकार में काफी लिखा-पढ़ी होने के बाद वह विल वापस कर दिया गया। साथ में एक संदेश भी था जिसके प्रकाश में उस विवादग्रस्त प्रश्न पर पुर्नविचार करना था। अस्तु, गवर्नर जेनरल के इच्छानुसार, बिल में आवश्यक संशोधन कर दिया गया। इसके वाद उस संशोधित बिल पर ६ जुलाई, १९४९ ई० को गवर्नर जेनरल की स्वीकृति मिल गयी और उसने कानून का रूप ले लिया।

वधानिकता पर आपत्ति

कुछ जमींदारों ने इस कानून की वैधानिकता पर आपत्ति की और वे इस मामले को न्यायलय तक ले गये। कानून की वैधानिकता का प्रश्न हाई कोर्ट के विचाराधीन था ही कि इसी बीच सरकार ने अनुभव किया कि बिहार जमींदारी-उन्मूलन कानून (१९४८) में भूमि-सुधार के लिये आवश्यक व्यवस्था नहीं है। फलतः, राज्य-सरकार ने इस कानून को रद्द करने का निश्चय किया। साथ ही, ३० दिसम्बर, १९४९ ई० को एक अधिक व्यापक बिल तैयार करने का भी निर्णय हुआ। बिल बना। विधान सभा और परिषद् द्वारा वह स्वीकृत भी हो गया। भारतीय शासन-विधान के अनुच्छेद ३१ (४) के अनुसार, १६ मई १९५० ई० को यह बिल भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख छोड़ा गया। भारतीय शासन-विधान के अनुच्छेद ३१ (४) क्यों सम्मिलित किया गया था, यह पाठकों से अविदित नहीं है। शासन विधायक यह जानते थे कि विभिन्न

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राज्यों में विचाराधीन जमींदारी–उन्मूलन–विल को विरोधियों के आक्रमण से बचाये रखने का उपर्युक्त प्रबन्ध न हुआ तो निकट भविष्य में जमींदारी प्रथा के समाप्त होने की आशा नहीं रहेगी; क्योंकि न्यस्त स्वार्थ वाले निश्चय ही इस प्रश्न को तीसरी सभा (न्यायालय) तक घसीट ले जायंगे।

राष्ट्रपति की स्वीकृति

अस्तु; ११ सितम्बर, १९५० ई० को, बिहार–भूमि–सुधार कानून पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गयी, और २५ सितम्बर, १९५० ई० के बिहार गजट के अतिरिक्त अंक में वह कानून के रूप में प्रकाशित भी कर दिया गया। साथ ही, उसी तारीख को, कानून की धारा (१) की उपधारा (३) के अनुसार यह अधिसूचना भी प्रकाशित कर दिया कि कानून अविलम्ब लागू हो जायगा। धारा ३ के अनुसार दो और अधिसूचनाएं प्रकाशित की गयीं—यह कि दरभंगा के महाराजा और रामगढ़ के राज की सारी जमींदारियां और पट्टे, कानून के नियमों के अनुसार, राज्य के अधिकार में चले गये।

इसके बाद, दरभंगा और रामगढ़ राज के मालिकों ने भूमि-सुधार कानून की वैधानिकता को चुनौती देते हुए, पटना हाईकोर्ट में दर्खास्त दे दी। उन्होंने न्यायालय से यह भी अनुरोध किया कि राज्य-सरकार को आदेश दिया जाय कि वह जमींदारियों पर अधिकार न करे। बिहार भूमि-सुधार कानून को लेकर, राज्य-सरकार और जमींदारों के बीच के विवादग्रस्त प्रश्नों को भलीभांति समझने के लिये उस कानून की पूरी रूप-रेखा से परिचित होना आवश्यक है।

भूमि-सुधार का आयोजन

इस कानून के शीर्षक से ही साफ पता चलता है कि बिहार में किसी प्रकार का भूमि-सुधार करने का प्रबन्ध किया गया है। वह सुधार किस प्रकार का होगा, ऐसी कोई बात कानून की भूमिका में नहीं दी हुई है। उसमें केवल यही बात है कि भूमि-संबंधी नीति के संबंध में राज्य-सरकार को समय-समय पर परामर्श देने के लिये एक 'भूमि कमीशन' बनाया जाय। कानून का मुख्य उद्देश्य यह था कि जमींदारों और पट्टेदारों के समस्त अधिकार सरकार के हाथ में चले जायंगे। धारा ३ में कहा गया कि सरकार, समय-समय पर अधिसूचना प्रकाशित कर घोषणा करती रहेगी कि अमुक-अमुक जमींदारियां सरकार के अधिकार में चली गयीं। धारा ४ में, अधिकार परिवर्तन की पूरी व्याख्या करते हुए यह बताया गया कि सारी व्यवस्था किस ढंग की होगी और उसका क्या परिणाम होगा। उस धारा में बताया गया है कि जमीन, जंगल, तालाब, हाट-बाजार, घाट, खान, खनिज पदार्थ और अन्य सभी अधिकार की चीजें सर-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कार के अधीन हो जायंगी। खंड (बी०) में यह विधान है कि अधिकार-परिवर्तन के पहले का जो भी लगान बकाया होगा वह सब सरकार को ही मिलेगा।

खंड (सी) में यह व्यवस्था है कि अधिकार-परिवर्तन के पहले जो भी सरकारी मालगुजारी जमींदारों के जिम्मे होगी उसे चुकाना पड़ेगा। धारा ५ के अनुसार, जमींदार और पट्टेदार अपने घर-बार को अपने अधिकार में रख सकते हैं; किन्तु इन चीजों के अधिकारी वे रैयत के ही रूप में होंगे और इसके लिये उन्हें लगान नहीं देनी पड़ेगी। धारा ६ के अनुसार, वे अपने खास अधिकार की जमीन अपने अधिकार में रख सकते हैं, और इसके लिये उन्हें, रैयत के रूप में, सरकार को लगान देनी पड़ेगी। धारा ७ के अनुसार, वे उन जमीनों को अपने अधिकार में रख सकते हैं, जिनपर गोला और कारखाना हो; और इसके लिये उन्हें, रैयत के रूप में, सरकार को लगान देनी पड़ेगी। धारा ९ में यह व्यवस्था है कि कानून के लागू होने के पहले जमींदारों के अधिकार में जो खानें चल रही थीं उन्हें वे पट्टा के रूप में रख सकते हैं, अर्थात् सरकार ने उन खानों को जमींदारों के नाम पट्टा लिख दिया है। धारा १० के अनुसार यह व्यवस्था है कि जो खानें और खनिज पदार्थ पट्टे पर थे, उन खानों और खनिज पदार्थों का पट्टा बरकरार रहेगा; अन्तर यही हो जायगा कि अब पट्टेदार सरकार हो जायगी। खानों से सटे जो जमीन होगी उसके बारे में यही व्यवस्था होगी। धाराओं १४, १५, १६, १७ और १८ में इस बात की व्यवस्था है कि जमींदारों और पट्टेदारों के कर्ज के बारे में जांच-पड़ताल की जाय और उस कर्ज को अदा करने की पद्धति निर्धारित की जाय। धारा ९ में मुआवजा अफसरों की नियुक्ति की व्यवस्था है। जहां किसी जमींदारी में जमींदारी का केवल हिस्सा हो और मालिक या पट्टेदार द्वारा कुछ ट्रस्ट बना दिये गये हैं, ऐसे मामलों में मुआवजा तय करने के संबन्ध में मुआवजा अफसरों को जो कुछ निर्देश दिये गये हैं वे धारा २० और २१ में हैं। धारा २२ में, जमींदारों और पट्टेदारों की सम्पत्ति निश्चित करने के संबन्ध में 'विगत कृषि-वर्ष' और 'कुल संपत्ति' की व्यख्या की गयी है।

शुद्ध आय

धारा २३ में, हिसाब लगा कर शुद्ध आय निकालने की पद्धति निर्धारित की गयी है। उस धारा में बताया गया है कि 'कुल संपत्ति' में निम्नलिखित मद की रकम काट कर शुद्ध आय निश्चित करनी चाहिये—

(क) लगान या मालगुजारी में दी जाने वाली रकम;

(ख) विगत कृषि-वर्ष के लिये कृषि-आय कर के रूप में दी जाने वाली रकम;

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(ग) आय-कर के रूप में दी जाने वाली रकम ;

(घ) चौकीदार-कर या नगरपालिका-कर के रूप में दी जाने वाली रकम ;

(ङ) जमींदारी या पट्टा के प्रबन्ध का व्यय, जिसकी दर, जो कुल संपत्ति की रकम के हिसाब से ५ से लेकर २० प्रतिशत तक हो। इसमें कम-से-कम रकम २,००० (दो हजार) रुपये तय है और अधिक-से-अधिक १५,००० (पन्द्रह हजार) रुपये ।

खंड (एफ) में इस बात की व्यवस्था है कि जमींदारों ने जो रकम रैयत के लाभ के लिये खर्च की है वह शुद्ध आय निश्चित करते समय "कुल संपत्ति" में से घटा ली जायगी । इस रकम की दर ४ प्रतिशत से लेकर १२।। प्रतिशत तक रहेगी । जहाँ "कुल संपत्ति" ६,००० (छः हजार) रुपये से अधिक न होगी, वहाँ ४ प्रतिशत की दर लागू होगी और जहां वह २५,००० (पच्चीस हजार) रुपये से अधिक की होगी वहां १२।। प्रतिशत ।

अंतिम खंड (जी) में कर या जुर्माने की रकम को "कुल संपत्ति" में से घटाने की व्यवस्था है।

मुआवजे की रकम

जमींदारों या पट्टेदारों को जमींदारी या पट्टा के बदले में जो मुआवजा दिया जायगा, उसकी रकम निश्चित करने का विवेचन कानून की धारा २४ में किया गया है । 'स्लाइडिंग स्केल' की पद्धति पर मुआवजे की रकम निश्चित करने की व्यवस्था है । कुल आय की रकम ५०० (पांच सौ) रुपये तक होने पर मुआवजे की रकम कुल आय की बीसगुनी होगी और कुल आय की रकम १,००,००० (एक लाख) रुपये से अधिक होने पर मुआवजे की रकम कुल आय की तिगुनी होगी । इस धारा में यह व्यवस्था भी है कि धारा ४ के खंड (बी) में उल्लिखित बकाया लगान का ५० प्रतिशत और खान तथा खनिज पदार्थों के संबन्ध में, धारा २५ के अनुसार तय की गयी मुआवजे की रकम भी धारा २४ के अनुसार तय की गयी मुआवजे की रकम में जोड़ दी जायंगी । साथ ही, इस धारा में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति का केवल एक हिस्सा होने पर या जमींदारी के अविभाज्य होने पर मुआवजे की रकम किस प्रकार तय की जायगी । खान और खनिज पदार्थों के संबन्ध में मुआवजे की रकम तय करने की व्यवस्था धारा २५ में है । यह रकम परस्पर समझौते द्वारा या किसी पंचायत द्वारा तय की जायगी । २६ से लेकर ३१ तक की धाराओं में, मुआवजे की सूची तैयार करने और अपील की सुनवाई आदि की व्यवस्था है । इस धारा की उपधारा (२) में इस बात की व्यवस्था है कि मुआवजा नकद

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

दिया जायगा या हुण्डी के रूप में या कुछ नकद और कुछ हुण्डी के रूप में। वे हुण्डियां बेची जा सकती हैं या नहीं भी बेची जा सकतीं और न हस्तान्तरित की जा सकतीं हैं। उन हुण्डियों की रकम उल्लिखित व्यक्ति को ४० किश्तों में दी जायगी और हुण्डी जारी होने की तारीख से उस पर २॥ प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से सूद दिया जायगा। जमींदारों (मालिकों) और पट्टेदारों के बीच मुआवजे के बारे में कोई झगड़ा उठ खड़ा होने पर उसका निर्णय राज्य-सरकार द्वारा नियुक्त पंचायत द्वारा किया जायगा। बिहार भूमि (लैंड) कमीशन नियुक्त करने की व्यवस्था धारा ३४ में है। अन्य धाराओं में जमींदारी उन्मूलन विषयक विविध बातें हैं। अंतिम धारा में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह उक्त कानून की व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

भूमि-सुधार कानून को सरसरी तौर पर देखने से पता चलता है कि इसमें कई बातों का समावेश है; जैसे, जमीन, जंगल, घाट, खान, और खनिज पदार्थों पर जमींदारों का स्वत्व; जमींदारों की संपत्ति पर सरकार का अधिकार होगा, और संपत्ति के मुआवजे की रकम तय करने के सिद्धांत। इस कानून की व्याख्या बिलकुल संक्षेप में यही हो सकती है कि संपत्ति पर का अधिकार जमींदार के हाथ से सरकार के हाथ में चला जायगा।

वैधानक आपत्तियों के आधार

दरभंगा के महाराजाधिराज और रामगढ़ के राजा बहादुर ने निम्नलिखित आधार पर उक्त कानून की वैधानिकता पर आक्षेप किया था—

(१) कि बिहार विधायिका को यह कानून स्वीकृत करने का अधिकार न था;

(२) कि यह कानून भारत के शासन-विधान के अनुच्छेद के खंड (१) के विरुद्ध पड़ता है।

(३) कि जमींदारियों पर सरकार का अधिकार करने का कोई सार्वजनिक उद्देश्य न होने के कारण यह अधिकार करना बिल्कुल नियम विरुद्ध है; और मुआवजे की व्यवस्था बिलकुल मायाजाल है।

(४) कि यह कानून भारत के शासन-विधान के खंड १९ (१) (एफ) के विरुद्ध पड़ता है।

(५) कि इसकी कुछ व्यवस्थाएं नियम विरुद्ध हैं;

(६) कि यह शासन-विधान के साथ धोखा करना है; और

(७) कि यह कानून अवैधानिक है, क्योंकि यह भारत के शासन-विधान के खंड १४ के विरुद्ध पड़ता है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

दरभंगा महाराज और रामगढ़ राजा के प्रार्थना पत्रों पर पटना हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच के सामने विचार हुआ। हाई कोर्ट का यह फैसला रहा कि बिहार भूमि-सुधार कानून अवैधानिक है क्योंकि भारत के शासन विधान के खंड १४ के अनुसार दिये गये मौलिक अधिकारों पर आक्षेप होते हैं। हाई कोर्ट ने केवल इसी आपत्ति को स्वीकार किया और प्रार्थना पत्र में, जो अन्य आपत्तियां की गयी थी उन्हें ठुकरा दिया।

हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में अपील की। अपील पर विचार चल ही रहा था कि जमींदारों की अड़ंगेबाजियों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से भारत-सरकार ने शासन-विधान में उपयुक्त संशोधन कर देने का निश्चय किया। फलतः, इस आशय का एक बिल उपस्थित किया है और शासन-विधान (प्रथम संशोधन) कानून १९५१ ई०, पूर्ण बहुमत से स्वीकृत हो गया। पुनः, जमींदारों ने सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख प्रार्थना पत्र दिया कि शासन विधान संशोधन कानून को खंडित किया जाय, क्योंकि वह वैधानिक है। जमींदारों की ये सब प्रार्थनाएं ५ अक्तूबर, १९५१ ई० को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी और यह निर्णय हुआ कि शासन-विधान (प्रथम संशोधन) कानून वैधानिक है। इस संशोधन कानून के बाद अब इस तर्क का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है कि बिहार कानून इसलिए अवैधानिक है कि यह भारत के शासन विधान के अनुच्छेद (१४) १९५२ ई० इन के विरुद्ध पड़ता है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार कानून को केवल इसी लिये अवैधानिक ठहराया था कि भारत के शासन-विधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन होता था। अब संशोधन कानून के बाद हाई कोर्ट का निर्णय भी कट जाता था।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

जमींदारों ने, सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख, बिहार भूमि-सुधार कानून को अवैधानिक करार देने के लिये जो प्रार्थना की थी वह निम्नलिखित आधार पर की गयी थी:—

(१) बिहार व्यवस्थापिका को यह कानून बनाने का अधिकार नहीं है;

(२) जमींदारियों पर अधिकार करने का कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है इसलिए कानून अवैधानिक है;

(३) कानून की कई धाराओं व्यवस्थापिका के अधिकार कार्यकारिणी को सौंप दिये गये हैं और यह अधिकार त्याग अवैधानिक है; और

(४) यह शासन-विधान को धोखा देना है और अस्पष्ट होने के कारण कानून के कुछ भाग कार्यान्वित नहीं किये जा सकते।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अस्तु, सर्वोच्च न्यायालय ने जमींदारों के आक्षेप का खंडन करते हुए बिहार भूमि-सुधार कानून कोवैधानिक करार दिया। इस प्रकार हम पाते हैं कि आज से डेढ़ सौ वर्ष पहले, भारत के तत्कालिन गवर्नर जेनरल, लार्ड कार्नवालिस के समय, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारतीय जनता के साथ जो अत्याचार किया था, जिसके प्राणघाती बोझ के नीचे जनता तब से अबतक पिसती आ रही थी, उसे कांग्रेस-सरकार ने आज दूर कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि यह घटना इतिहास का चिरस्मरणीय अंग बन कर रहेगी। इस जनकल्याणकारी व्यवस्था का सारा श्रेय बिहार-राज्य के दूरदर्शी एवं विद्वान् मुख्य-मंत्री डाक्टर श्री कृष्ण सिंह और धीर एवं अदम्य उत्साही राजस्व-मंत्री श्री कृष्णवल्लभ सहाय को है। जमींदारी-उन्मूलन की इस घटना से ये दोनों महानुभाव ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की कोटि में आ गये हैं, और उनके कृत्यों का सही मूल्यांकन करना तथा राष्ट्र निर्माताओं की कोटि में उन्हें विशिष्ट स्थान देना यह भावी इतिहास लेखकों का काम है। यहां केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये दोनों राजनेता, भारत की सच्ची विभूति, किसानों को शक्तिशाली और संतुष्ट बनाने के लिए कटिबद्ध हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

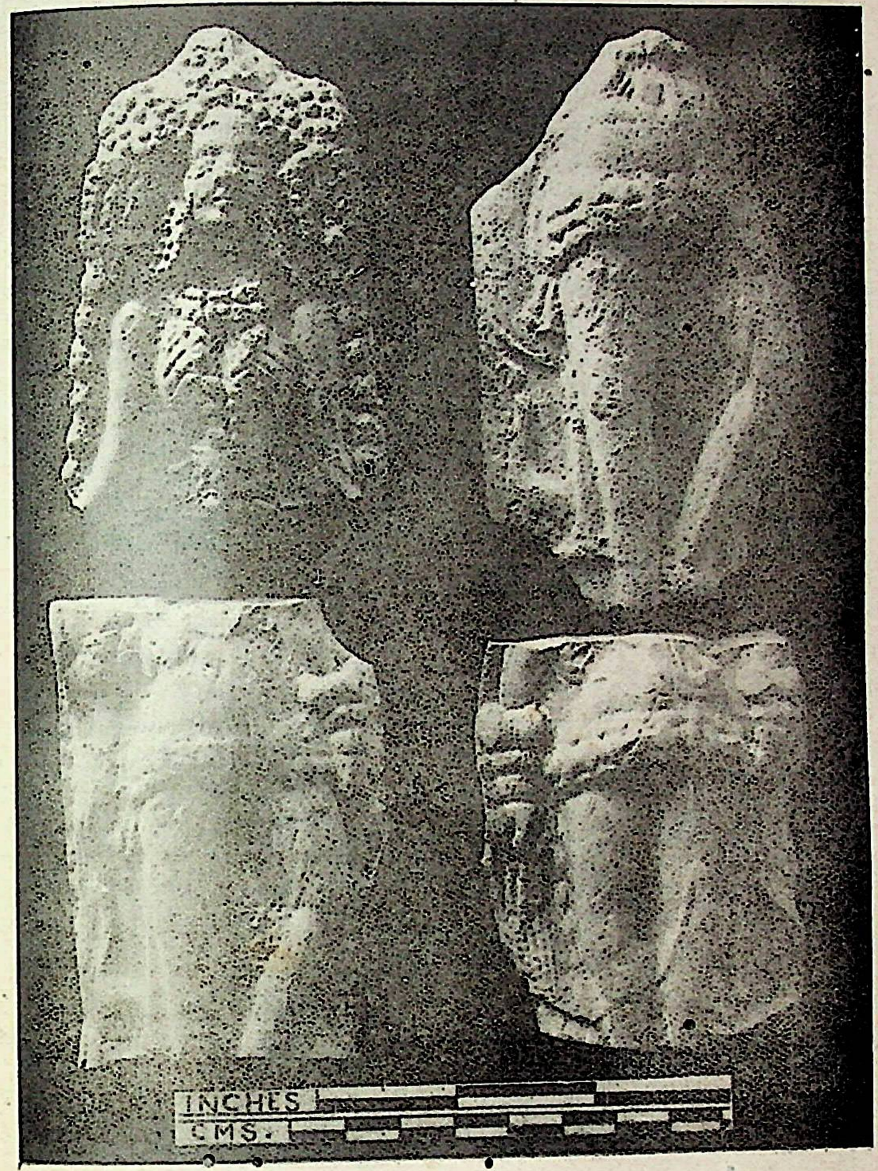

वैशाली में, १९५० ई० की खुदाई के फलस्वरूप, गढ़ के ध्वंसावशेष से निकली हुई कुछ मूर्तियां

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

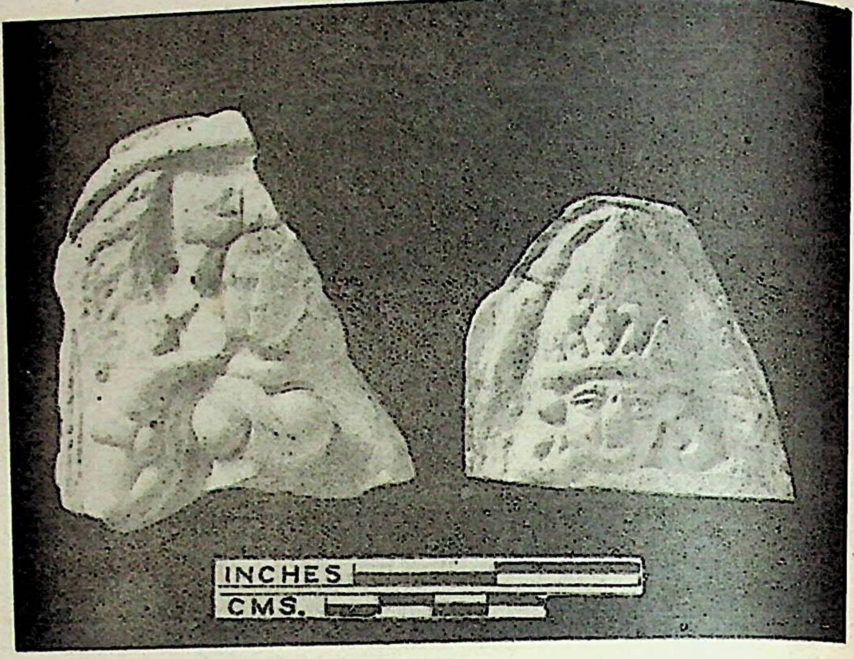

वैशाली में, १९५० ई० की खुदाई के फलस्वरूप, भूगर्भ से निकली हुई कुछ प्राचीन मूर्तियाँ

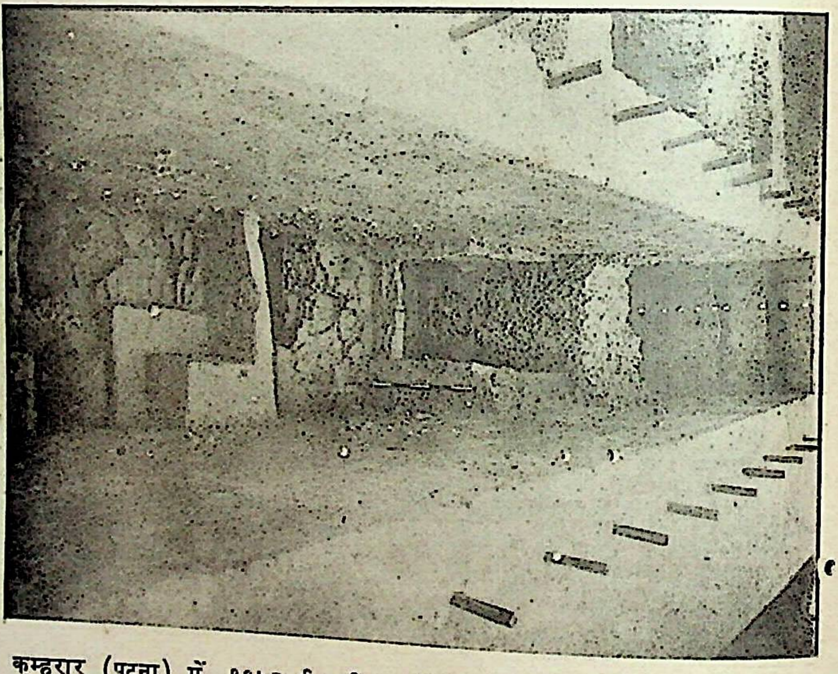

कुम्हरार (पटना) में, १९५२ ई० की खुदाई के फलस्वरूप, निकले हुए सुरक्षात्मक वांध का एक दृश्य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार की पुरातात्विक उपलब्धियां

श्री कृष्ण देव, अधीक्षक, पुरातत्व-विभाग, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना

पुरातत्व की दृष्टि से, बिहार की गणना भारतवर्ष के समृद्ध राज्यों में की जाती है। यह बिहार राज्य, शक्तिशाली गणतन्त्रों और भारतव्यापी साम्राज्यों का विकास-क्षेत्र होने के अतिरिक्त, प्रारम्भिक ऐतिहासिक युग से ही कला, विद्या और संस्कृति का प्रमुख केन्द्र रहा है। भारतवर्ष के राजगृह, वैशाली, चम्पा और पाटलिपुत्र-जैसे प्राचीनतम नगरों का अवशेष तो यह बिहार अपने कलेवर में सँजोये हुए है ही, साथ ही, यहाँ की भूमि को, बहुत अधिक संख्या में बौद्ध विहार और नालंदा एवं विक्रमशिला के प्राचीनतम विश्वविद्यालय को भी धारण करने का गौरव प्राप्त रहा है। मौर्य युग (ईसा-पूर्व लगभग चौथी और तीसरी शताब्दी) और पाल-युग (ईसा की लगभग आठवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक) में बिहार, कला के क्षेत्र में भारत का सर्वमान्य नेता था। उस समय यहां के कलाकार सैंकड़ों की संख्या में चित्र और ताम्र-मूर्त्तियाँ तथा हजारों की संख्या में प्रस्तर-मूर्त्तियाँ तैयार कर बिहार के बाहर विदेशों में भेजा करते थे, जहां उनकी बड़ी मांग थी। ऐसी स्थिति में, यदि यह राज्य विविध अवशेष-चिन्हों और कला-कृतियों एवं विशेषतः पाल-युग की प्रस्तर-मूर्त्तियों का उर्वर भाण्डार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आये दिन यहां स्थापत्य एवं कला का अवशेष-चिन्ह मिलता रहता है। हल से खेत जोतते समय अथवा कुआँ या तालाब खोदते समय अथवा मकान की नींव खोदते समय यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जब कोई प्राचीन सिक्का या मूर्त्ति या ईंट की बनी कोई वस्तु या किसी भवन का कोई अंश न मिलता हो। इस प्रकार प्राप्त वस्तुएं या तो जानबूझ कर दबा ली जाती हैं या उनकी कोई सूचना ही नहीं दी जाती, और फलतः, उनका परिचय संसार को नहीं मिल पाता। केवल कुछ ही वस्तुएँ ऐसी रहती हैं जिनकी सूचना अधिकारियों को दी जाती है। हाल की खुदाई में कुछ ऐसी ही वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। उनमें से प्रमुख वस्तुओं पर प्रकाश डालना ही प्रस्तुत लेख का अभीष्ट है। हाल में की गयी खुदाई के परिणाम का संक्षिप्त विवरण भी अंत में दिया हुआ है। इन खुदाइयों से हमारे ज्ञान के कई रिक्त स्थानों की पूर्त्ति हो जाती है। इन खुदाइयों में प्राप्त वस्तुओं का महत्त्व इनके तात्विक मूल्य के कारण उतना नहीं, जितना की उनके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक उपादान एवं भू-सतह-विज्ञान के सम्बन्ध में है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मौर्य-युगीन प्रस्तर-चक्र

पटना नगर के दक्षिण-पूर्वी भाग में, गुलजारबाग रेलवे स्टेशन से लगभग एक मील दक्षिण-पूर्व, मार्तंजीगंज में गत वर्ष (१९५१) के जून महीने में उत्कृष्ट कोटि की हस्तकला से अलंकृत पत्थर के २१ चक्र पाये गये थे। गाँव के पश्चिम में एक सूखा नाला पड़ता है। स्थानीय निवासी संयोग से उस नाले को कोड़ रहे थे कि उक्त चक्र मिले। पटना में जिस सतह पर मौर्ययुगीन ध्वंसावशेष पाये जाते हैं उससे लगभग १२ से लेकर १५ फुट नीचे तक ये चक्र पाये गये थे।

इन चक्रों का व्यास १-१/२इंच से लेकर २-१/२ इंच तक है। एक पूर्ण विकसित कमल-पुष्प को केन्द्र बना कर उसके चारों ओर कई वृत्ताकार घेरे में इन चक्रों पर कारीगरी की गयी है। इन २१ चक्रों में से ५ चक्रों में देवियों की नग्न मूर्त्तियाँ हैं जो या तो ताल-वृक्ष या पक्षी या किसी पशु के साथ चित्रित की गयी हैं। इन मूर्त्तियों में देवियों का सम्मुख भाग ही है। शेष १६ चक्रों में से ९ चक्रों पर पक्षियों और पशुओं की मूर्त्तियाँ हैं और उनके साथ कोई मानव-मूर्ति नहीं है; और जो शेष ७ चक्र बचते हैं वे कमल-पुष्प और विभिन्न रेखाओं से सजाये गये हैं।

हाल-हाल तक, इस प्रकार के प्रस्तर-चक्र दुर्लभ ही थे और तक्षशिला कौसाम्बी, राजघाट (बनारस), मथुरा, सहेथ महेथ (श्रावस्ती), संकिसा, बसाढ़ (वैशाली) और कदमकुआँ (पटना) जैसे प्राचीन स्थानों से अब तक कुल मिला कर बीस ही चक्र पाये जा सके हैं। अतएव, केवल एक छोटे से क्षेत्र (लगभग १० वर्ग फुट) से २१ चक्रों का प्राप्त होना असाधारण महत्व की और अभूतपूर्व घटना है, विशेष कर इसलिए कि मौर्ययुगीन ध्वंसावशेष के लिए प्रसिद्ध, पटना नगर के दक्षिणी भाग में ये पाये गये हैं। दो प्राचीन नमूनों के—एक कदमकुआँ (पटना) से और दूसरा कोसाम्बी से (जो अब भारत कलाभवन, बनारस में है) प्राप्त हैं—विषय में कहा जाता है कि उनपर मौर्य ब्राह्मी भाषा में लेख है। शेष एवं, साथ ही, प्रस्तुत विवेच्य नमूनों के सम्बन्ध में मौर्य तिथि (लगभग चौथी-तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) निश्चित करने का जितना कारण उत्कीर्ण विषयों का मुद्रण-साम्य है उतना ही उनका भाव एवं रूप-विधान भी है। उन चक्रों पर जिन प्रतीकों और उनके अलंकरण-चिन्हों (एक प्रकार के सुगन्धित पुष्प का पौधा, रस्सी और हंस इत्यादि जो मौर्ययुगीन प्रतीक माने जाते हैं) का प्रयोग हुआ है और पत्थर पर जिस ढंग की स्वच्छ और उच्च कोटि की कारीगरी की हुई है, वह मौर्य-युग की ही विशेषता है (१)।

---

(१) इन चक्रों को पटना संग्रहालय के अधीक्षक श्री एस० ए० शेरे ने खोज निकाला था और वे 'बिहार रिसर्च सोसाइटी' के त्रैमासिक पत्रिका के आगामी अंक में इन चक्रों के सम्बन्ध में एक विस्तृत लेख प्रकाशित कर रहे हैं। ये चक्र पटना संग्रहालय में प्रदर्शनार्थ रखे हुए हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ऐसा अनुमान होता है कि इन चक्रों का धार्मिक महत्त्व था। इस अनुमान का कारण यह है कि उन चक्रों में से अधिकांश पर जो खड़ी हुई नग्न स्त्री का सम्मुख भाग अंकित पाया जाता है, ठीक उसी तरह की प्रतिमा नन्दनगढ़ (जिला चम्पारन) के प्राचीन स्तूपों और पिपरावा (जिला बस्ती) के प्रसिद्ध स्तूप—जहां बुद्ध की अस्थि पायी गयी थी— से प्राप्त स्वर्ण-पत्र पर भी पायी गयी थी। बुद्ध की अस्थि जिस मंजूषा में पायी गयी थी उस पर मौर्य लिपि में लेख खुदा हुआ था। ऊपर जिस प्रतिमा की चर्चा है, सम्भव है, वह सम्पन्नता और उर्वरता की अधिष्ठात्री देवी का हो। बहुत पहले समस्त पूर्वी देशों में, विभिन्न नामों से इस देवी की पूजा प्रचलित थी। साथ ही, इस देवी के साथ कमल और ताल जैसे वनस्पति-विषयक प्रतीक; उलूक, हंस और मोर जैसे पक्षी; और मत्स्य, मगर, साँड़, सिंह, घोड़ा और हाथी जैसे जन्तुओं का भी सम्बन्ध है; और इनमें से अधिकांश की मूर्तियाँ उक्त चक्रों पर खचित पायी जाती हैं। अतएव, यह स्पष्ट है कि इन नवप्राप्त चक्रों का महत्त्व कला और पुरातत्व की दृष्टि से तो है ही, साथ ही, उनका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व भी कम नहीं है।

कुशनकालीन सिक्कों का ढेर

गत १९४९ ई० में बक्सर के किला के समीप ही गंगा नदी के किनारे कुछ मछवाहों को मिट्टी के एक घड़े में बहुत प्राचीन समय के ४०६ तांबे के सिक्के मिले थे।

ये सिक्के बहुत घिसे हुए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि जमीन के नीचे गाड़े जाने के पहले वे बहुत अधिक काल तक व्यवहार में आ चुके थे। अधिकांश सिक्के कुशन-युग के हैं; केवल १० सिक्के मुर्गा और साँड़ के चिन्हों वाले हैं जो सम्भवतः सत्यमित्र के समय के हैं। शेष में से २४ सिक्के विमा काडफिसेस के समय के, १६१ सिक्के कनिष्क के और १७३ सिक्के हुविष्क के समय के हैं; ३८ सिक्कों के सम्बन्ध में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है कि वे किस शासक-विशेष के समय के हैं; किन्तु हैं वे कुशन-कालीन ही, इसमें कोई सन्देह नहीं है। कुशन-युग के सब से अन्त वाले सिक्के, जैसे हुविष्क के समय के सिक्के भी गाड़े जाने के पहले लगभग ५० वर्षों तक तो अवश्य ही व्यवहृत हो चुके होंगे। बिहार में कुशनकालीन इतने अधिक ताम्र सिक्कों के एक साथ पाये जाने की यह पहली घटना है। १९१३-१४ में कुम्हड़ार की खुदाई में भी कुछ कुशन-कालीन सिक्के पाये गये थे। इन सब बातों से यह साफ झलकता है कि पूर्व में कम से कम पाटलिपुत्र तक कुशनों ने बिहार को जीत लिया था। इससे चीनी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

किम्वदन्ती की पुष्टि हो जाती है कि कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था।

उक्त सिक्कों के रखने और बनावट की विधि से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विमा काडफिसेस ही प्रथम कुशन राजा था जिसने बिहार को विजित किया था ; और उसकी इस विजय को कनिष्क ने दृढ़ किया और जिसकी रक्षा अन्तिम कुशन राजा, हविष्क ने भी की। हविष्क के समय ही बिहार पर कुशन शासन समाप्त हो गया था।

साथ ही, उक्त सिक्कों से यह भी मालूम पड़ता है कि हविष्क के बाद अयोध्या के मित्रों का विकास हुआ जो कुशनों के सम्भवतः जागीरदार थे (१)।

विग्रहपाल के समय के सिक्के

१९५१ ई० के प्रारम्भ में ही, नालन्दा में चाँदी के ८६ सिक्के मिले थे। ये सिक्के मिट्टी के एक बहुत बड़े भाण्ड के समीप पाये गये थे। नालन्दा संग्रहालय के सामने जो एक भाण्ड रखा हुआ है, उसी तरह का वह भाण्ड था। सरसरी तौर पर देखने से पता चलता है कि ये सिक्के विग्रहपाल के समय के हैं, जिनमें सम्मुख भाग पर राजा के सिर और पृष्ठ भाग पर अग्नि-वेदी के चित्र हैं। मुद्रा, लिपि एवं चित्र पर विचार करते हुए ये सिक्के तीन श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं और कहा जा सकता है कि इनका सम्बन्ध बंगाल और बिहार के पाल वंश के तीन विग्रहपालों से है, जिनका समय क्रमशः ८४० ई०, ९७८ ई०, और १०५५ ई० है। विग्रहपालों के समय के सिक्के ये पहले-पहल नालन्दा में पाये गये हैं ; अतएव इनका महत्त्व स्पष्ट है। साथ ही, आशा है, इन सिक्कों से उक्त तीन विग्रहपालों के वंशानुक्रम और शासनक्षेत्र पर कुछ प्रकाश पड़ेगा।

रोहतासगढ़ के भित्ति-चित्र

बिहार राज्य में शाहाबाद जिले के अन्तगत रोहतासगढ़ नामक एक ऐतिहासिक स्थान है जहां राजा मानसिंह का एक महल है, जो, १,५८० और १६०० ई० के बीच बना था। इस महल की दीवारों पर फूल-पत्ती और रेखाओं के चित्र अंकित होने की बात तो बहुत पहले से ज्ञात थी ; किन्तु इस महल में भित्ति-चित्र भी

(१) ताम्र-सिक्कों के इस ढेर के सम्बन्ध में 'जर्नल आफ दि न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इन्डिया' (खण्ड १२, भाग २, पृष्ठ १२१) में डा० ए० एस० आल्तेकर का विस्तृत लेख प्रकाशित हुआ है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

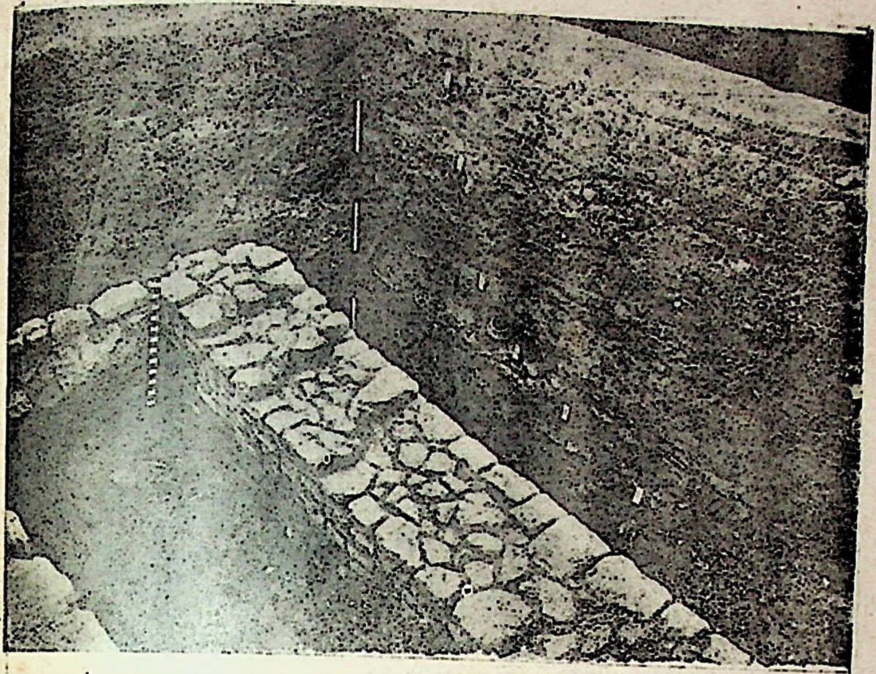

वैशाली में, १९५० ई० की खुदाई के फलस्वरूप निकले हुए ध्वंसावशेष का एक दृश्य

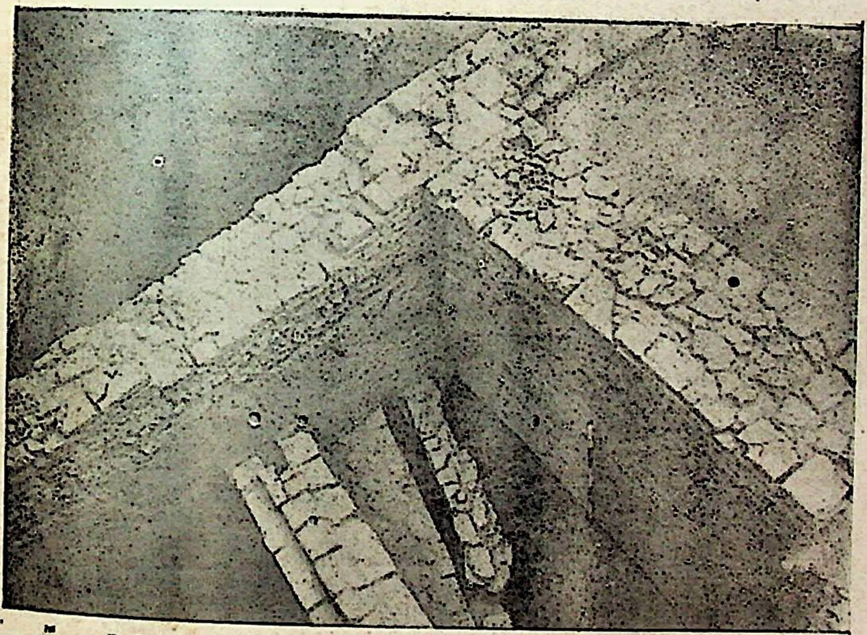

कुम्हरार (पटना) में, १९५२ ई० की खुदाई के फलस्वरूप निकले हुए बौद्धकालीन 'आरोग्य-विहार' के ध्वंसावशेष का एक दृश्य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

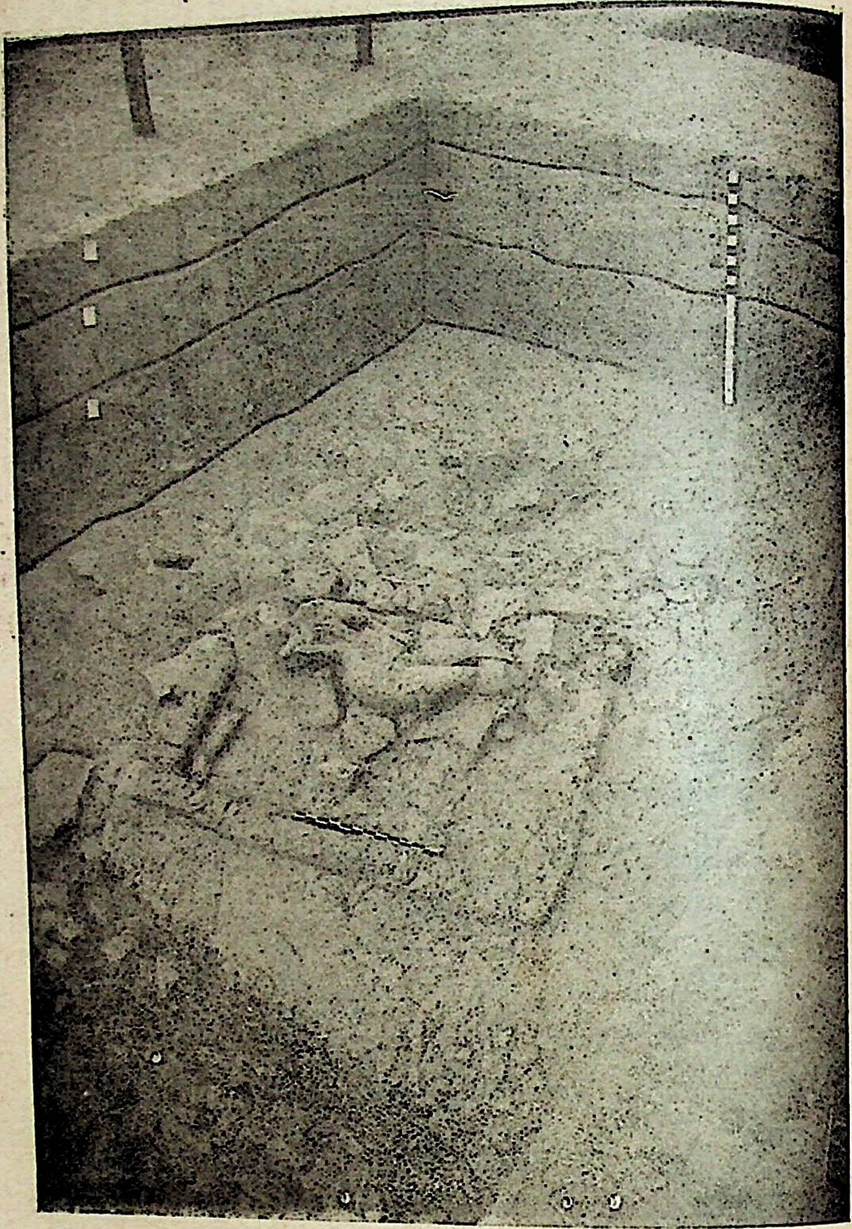

कुम्हरार (पटना) की खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त कुछ प्राचीन मूर्त्तियां

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हैं यह बात हाल-हाल तक अज्ञात ही थी। १९५१ ई० के जून महीने में, पुरातत्व-विभाग (केन्द्रीय क्षेत्र) के सहायक-अधीक्षक, श्री आर० सी० कार ने पहले-पहल पता लगाया कि शीशमहल के पहले तल्ले पर के चौकोन कमरों की ऊपरी छत पर युद्ध के दृश्य चित्रित किये हुए हैं जिनमें, पैदल, घोड़े पर सवार और हाथी पर सवार व्यक्ति युद्ध में संलग्न हैं। (यह शीशमहल, महल के जनानखाने के सामने वाले मैदान के बीच में पड़ता है।) उन चित्रों में कुछ दृश्य क्रमबद्ध हैं और कुछ खण्ड-खण्ड हैं। मालूम होता है कि पत्थर पर पलस्तर की एक पतली तह देकर उसी पर चित्र बनाये गये हैं। काई जम जाने से और चूना की परत जम जाने से वे दृष्य ढंक-से गये हैं। अब वे दृश्य साफ-साफ नहीं मालूम पड़ते। सम्भव है, उन दृश्यों का पौराणिक महत्त्व हो या यह भी हो सकता है कि राजा मान सिंह के जीवन से सम्बद्ध घटनाएँ चित्रित की गयी हों। जहां तक चित्रण-शैली का प्रश्न है, मालूम होता है कि वे चित्र प्राचीन राजपूत कलम के नमूने हैं; और रेखाओं के कोणों पर पश्चिमी भारत की परम्परा का प्रभाव भी स्पष्ट लक्षित होता है। इन चित्रों का महत्त्व इसलिए बढ़ जाता है कि १६वीं शताब्दी के भित्ति-चित्र अत्यन्त दुर्लभ हैं।

वैशाली में खुदाई

मुजफ्फरपुर जिले के अन्तर्गत वैशाली की गणना भारतवर्ष के प्राचीनतम नगरों में से है। पुरातत्ववेत्ताओं ने इस क्षेत्र को पुरातत्व की दृष्टि से बहुत समृद्ध माना है। यहां एक ढूह है जिसे गढ़ कहते हैं। १९०३ ई० और १९१३ ई० में पुरातत्व-विभाग ने इस क्षेत्र की जम कर खुदाई की थी।

१९५० ई० में स्वयं लेखक ने भी वैशाली में साधारण खुदाई का काम किया था जिसके लिए आर्थिक सहयोग वैशाली संघ ने दिया था। उन खुदाइयों से इस क्षेत्र के इतिहास और भू-गर्भ पर एक नया प्रकाश पड़ता है। गढ़ के प्राचीर के बाद वाली खाई में एक ऐसी दीवार का अंश पाया गया था जिसकी मोटाई ६० फुट से भी अधिक रही होगी। इसके अतिरिक्त वहां मिट्टी की दो विचित्र मूर्त्तियाँ पायी गयी थीं। इनमें से एक मूर्त्ति तो एक विशाल घोड़े की थी और दूसरी किसी देवता के सिर की थी जिसकी कला सुंग-शैली की थी। साथ ही

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पाँख वाली एक स्त्री की भी मिट्टी की मूर्त्ति मिली है। इन प्राप्त वस्तुओं से प्रतीत होता है कि गढ़ के प्राचीर का निर्माण-काल लगभग २०० ई० पूर्व है। गढ़ वाले क्षेत्र में प्राप्त वस्तुओं की जांच करने से पता चलता है कि नार्थ-ब्लैक-पालिश के मृत्तिका-पात्रों के अन्तिम चरण (लगभग २०० ई० पूर्व) से लेकर उत्तर-गुप्त-काल तक वहां लोगों का निवास रहा है। वहां ईंटों के मकान के भी कुछ अंश मिले हैं। प्रथम चरण (युग) की विशेषता यह थी कि वह नार्थ-ब्लैक-पालिश के मृत्तिका-पात्र का समय था, यद्यपि मिट्टी के लाल पात्रों का भी प्राधान्य था। पायी जाने वाली वस्तुओं में हाथी दांत के पिन और पकी हुई मिट्टी की मानव एवं पशु मूर्त्तियां हैं। इससे उच्चतर युग में प्रस्तर-चक्रों का प्राधान्य था जिन पर भगवती देवी की मूर्त्ति अंकित रहती थी—कहीं तो इस मूर्त्ति के साथ पीपल-वृक्ष है और कोई सपक्ष सिंह है।

गढ़ से लगभग डेढ़ मील पश्चिम, चक रामदास में परीक्षण के तौर पर एक गढ़ा खोदा गया है। उस गढ़े से प्राप्त वस्तुएँ, पुरातत्व की दृष्टि से अधिक रोचक सिद्ध हुई है। इस गढ़े में नार्थ ब्लैक पालिश मृत्तिका-पात्र-युग के बाद की चीजें नहीं मिली हैं, किन्तु इस युग के तो ढेर के ढेर सामान मिले हैं। चौदह फुट नीचे तक खुदाई हुई थी, किन्तु इसके बाद पानी होने के कारण और नहीं खोदा जा सका। नार्थ ब्लैक पालिश मृत्तिका-पात्र के समय जिस ढंग के बर्त्तन पाये जाते थे, उसी ढंग के विभिन्न प्रकार के बहुत अधिक वर्त्तन चक रामदास के पास वाले गढ़े में पाये गये हैं। साथ ही, माला के दाने, पालिश किये हुए पत्थर के बाँट (बटखरे), मिट्टी की नाग-मूर्त्तियाँ और हाथी दांत के पीन, इत्यादि भी मिले हैं। कौसाम्बी, राजगीर और हस्तिनापुर इत्यादि की खुदाइयों में प्राप्त वस्तुओं और चक रामदास में पायी गयी वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने से, आशा है, उत्तर भारत की प्राचीनतम ऐतिहासिक संस्कृतियों, विशेषकर मौर्य और पूर्व-मौर्य, पर नूतन रहस्यभेदी प्रकाश पड़ेगा।

वहां की खुदाइयों से वैशाली की प्राचीन मार्ग-प्रणाली पर भी प्रकाश पड़ा है। नीचे कुछ सड़कें मिली हैं जिन पर ईंट और मिट्टी भर कर पक्का कर दिया गया है। इन सड़कों पर, चार-चार फुट की दूरी देकर पहियों की लीकें भी दीख पड़ी हैं। ऐसी लीकों के दो या तीन जोड़े हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कुम्हड़ार में खुदाई

पुनः १९५१ ई० में, लगभग ३६ वर्षों के बाद, कुम्हड़ार में खुदाई का काम शुरू हुआ। पटना नगर की दक्षिणी सीमा पर सटे ही कुम्हड़ार पड़ता है। खुदाई का यह काम, जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्युट के तत्वावधान में, इस लेख के लेखक की ही देख-रेख में शुरू हुआ। इस कार्य के लिए आवश्यक खर्च विहार सरकार की ओर से दिया गया था। कई दृष्टियों से इस खुदाई का महत्त्व है। डा० स्पूनर की १९१२—१६ की खुदाई ने जो समस्याएँ खड़ी कर दी थीं उनका समाधान इस खुदाई ने कर दिया; और, साथ ही, ई० पू० पाँचवीं शताब्दी से लेकर ईसा की छठीं शताब्दी तक भारत की राजधानी पाटलिपुत्र के इतिहास पर एक नया प्रकाश पड़ता है।

डा० स्पूनर को, खुदाई में, अस्सी खम्भों वाले एक विशाल मौर्य भवन का अवशेष प्राप्त हुआ था। उन खम्भों पर मौर्यकालीन पालिश था। सारी बातों को देखते हुए स्पूनर ने अनुमान किया कि बाढ़ आने से ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के पहले ही उस भवन पर मिट्टी की ८ फुट मोटी परत जम गयी थी और उन खम्भों के निचले भाग पृथ्वी के गर्भ में सदा के लिए विलीन हो गये। गत वर्ष की खुदाई के समय, स्पूनर के उक्त अभिमत को अच्छी तरह कसौटी पर कसा गया; और इस बात के स्पष्ट प्रमाण पाये गये कि उस मौर्यकालीन खम्भे का आधार नीली मिट्टी की एक परत थी और वह आधार प्रकृत मिट्टी पर ज्यों का त्यों था। इस प्रकार, बाढ़, आने और खम्भों के भूगर्भ में विलीन हो जाने की बात कट जाती है। हाँ, वे खम्भे खण्ड-खण्ड हो गये हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि कुछ तो अग्निकाण्ड के कारण टूट गये और कुछ जान-बूझ कर तोड़े गये। साथ ही, इसमें भी कोई सन्देह नहीं रह जाता कि खम्भों के खण्ड लूटे गये, हटाये गये और तितर-बितर हो गये। विशाल प्रस्तर-खण्डों के बने पाटलिपुत्र के महलों को प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने देखा था जो ईसा की पाँचवीं शताब्दी में पाटलिपुत्र आया था। और, उन महलों के ध्वंसावशेष को एक अन्य चीनी यात्री युआन च्वाङ ने देखा था जो ईसा की सातवीं शताब्दी में इस नगर में आया था। मौर्य भवन के ध्वंसावशेष पर ईसा की लगभग ७वीं शताब्दी में बने ईंट के भवनों के जो अवशेष पाये गये हैं उनसे भी उक्त मत का समर्थन हो जाता है। बहुत संभव यही प्रतीत होता है कि उस विशाल मौर्य भवन को हूणों ने विनष्ट किया था, जिन्होंने ईसा की छठीं शताब्दी में आक्रमण कर गुप्त साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं और जिससे पाटलिपुत्र भी अछूता न बचा था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

गत वर्ष की खुदाई में, पटना में प्रथम-प्रथम एक बौद्ध मठ (विहार) के अवशेष भाग प्राप्त हुए हैं। विशाल मौर्य भवन से लगभग २२० गज दक्षिण स्थित वह मठ 'आरोग्य विहार' के नाम से प्रसिद्ध था। इस बात का संकेत एक वर्त्तन और साथ ही एक पकी हुई मिट्टी की मूर्त्ति पर अंकित गुप्त-अभिलेख से मिलता है। ईंट का बना यह मठ बहुत विशाल था और उसमें बड़े-बड़े भवन थे। गुप्त-काल में यह मठ अपने विकास पर था। यह भी सम्भव है कि फाहियान और युआन-च्वाङ इस मठ को देखने गये थे। इन दोनों चीनी यात्रियों ने प्राचीन पाटलिपुत्र के स्तूपों और मठों का बड़ा सजीव वर्णन किया है।

कुम्हड़ार की खुदाई में एक विचित्र प्रकार की चीज मिली है जिसका समय ईसा की लगभग पहली-दूसरी शताब्दी है। वहाँ एक ही कतार में, ईंट की बनी १० से अधिक नालियाँ पायी गयी हैं। अनुमान किया जाता है कि ये नालियाँ किसी विशाल बौद्ध मठ के स्नानागार का ही एक अंग रही हों, या, अधिक सम्भावना इसी बात की है कि, वस्त्र की रंगाई अथवा किसी अन्य प्रकार के औद्योगिक कारखाने से सम्बद्ध रही हों।

खुदाई के ही क्रम में, उक्त विशाल मौर्य भवन के दक्षिण-पश्चिम एक बहुत लम्बी-चौड़ी दीवाल निकली है। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह दीवाल राजप्रसाद या नगर का प्राचीर रही होगी। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि इस विशाल दीवाल ने पुनपुन नदी की बाढ़ से नगर की तीन बार रक्षा की थी——उन दिनों भी पुनपुन की बाढ़ अज्ञात न थी, यद्यपि इन दिनों आज की तरह न हो कर कदाचित ही बाढ़ आया करती थी।

इस समय मुख्य खुदाई, मौर्य भवन के सटे पश्चिम हुई थी। इसमें मौर्य-कालीन स्थापत्य की कोई उल्लेखनीय वस्तु नहीं मिली। वहां ईंट के मकानों की लगातार चार परतें पायी गयीं। ये मकान सुंगकाल से लेकर उत्तर-मौर्य-काल तक के थे। सबसे नीचे की परत में 'नार्थ-ब्लैक' कोटि के मृत्तिका-पात्रों के टुकड़े मिले थे जो यद्यपि मौर्य-काल की विशेषताएँ हैं, किन्तु ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व लगभग दूसरी शताब्दी तक उनका अस्तित्व था।

पृथ्वी के भीतर से प्राप्त अन्य वस्तुओं में मृतिका-पात्र, प्रस्तर-मूर्त्तियां, पकी हुई मिट्टी के वर्त्तन और मूर्त्तियां, सिक्के, अभिलेख और घरेलू या रोजमर्रे के व्यवहार की चीजें थीं। पत्थर की चीजों में विशेष स्थान एक खम्भे का था जिस पर सुंग-शैली में अंगूर की लता खोदी हुई थी और एक मगर के मुंह से अंगूर के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

गुच्छे लटक रहे थे। मिट्टी की मूर्त्तियों में एक नारी के ऊपरी धड़ की मूर्त्ति थी जो गुप्त-शैली की सर्वोत्कृष्ट प्रतीक कही जा सकती है। कुम्हड़ार में प्राप्त वस्तुओं से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि पाटलिपुत्र, गुप्त-कला का वस्तुतः एक प्रधान केन्द्र था।

इस वर्ष भी खुदाई का काम हुआ था। मौर्य-भवन के दक्षिण-पश्चिम जो विशाल प्राचीर गत वर्ष निकला था उस पर और भी प्रकाश पड़ा है। परीक्षण से पता चला है कि यह प्राचीर वस्तुतः दो युगों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तरकालीन प्राचीर पर बाढ़ की मिट्टी जमी हुई है जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वह प्राचीर बाढ़ से रक्षा के लिए बनाया गया था। इस उत्तरकालीन प्राचीर के नीचे एक अर्धवृत्ताकार चीज पायी गयी है जो मन्दिरों के ऊपर, गुम्बज के रूप में, बनी रहती है। सम्भव है, कालान्तर में यह भी पता लग जाय कि किसी ऐसे ही मन्दिर के ध्वंसावशेष पर वह प्राचीर खड़ा किया गया था।

कुम्हड़ार में, बौद्ध मठ के समीप ईंट के बने मकान के अंश निकले हैं और ज्ञात होता है कि ये चार युगों के प्रतिनिधि हैं। इनमें से आधुनिकतम का समय ईसा की लगभग सातवीं शताब्दी मालूम पड़ती है और प्राचीनतम का समय ईसा पूर्व लगभग प्रथम शताब्दी। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से पूर्व यहां मानव-निवास के लक्षण नहीं मिलते। सबसे ऊपरी सतह पर जो मकान का अंश निकला है उसमें छोटी-छोटी कोठरियां है तथा दीवाल पर पलस्तर किया हुआ है और गच पक्की है। दूसरी परत पर 'आरोग्य-विहार' नामक बौद्ध मठ का एक हिस्सा है। स्मरणीय है कि गत वर्ष की खुदाई 'में आरोग्य-विहार' के कुछ अंश निकले थे। इस मठ के ध्वंसावशेष के ऊपर खुदी हुई ईंटें और मिट्टी की मूर्त्तियां पायी गयी हैं। इन प्राप्त वस्तुओं से यह लक्षित होता है कि वहाँ ईंट की बनी समाधियां या पूजा-स्थल थे जिनका बाह्य भाग खुदी हुई ईंटों से और मिट्टी की मूर्त्तियों से सजा रहता था। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि वहां एक ऐसे ही समाधि-स्थल या पूजा-स्थल का अंश निकला है जिस तक दो सीढ़ियां गयी थीं—ये दोनों सीढ़ियां दो युगों की हैं और एक के ऊपर दूसरी बना दी गयी हैं। बाद की नीचे वाली दो परतें केवल लम्बी-लम्बी नालियां हैं और इनमें से उत्तरकालीन नाली की विशेषता उसकी पाटन-प्रणाली में है। नयी चीजों में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्त्तन, सिक्के, लघु अभिलेख, मिट्टी की मूर्त्तियां तथा प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाली पत्थर, धातु, मिट्टी, हाथीदांत, शीशा इत्यादि की विविध वस्तुएँ हैं। इन सब वस्तुओं की जांच की जा रही है और आशा की जाती है कि ईसा पूर्व लगभग दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा की सातवीं शताब्दी तक के प्राचीन पाटलिपुत्र के इतिहास एवं संस्कृति पर पूर्ण प्रकाश पड़ेगा।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उपसंहार

नियमित खुदाइयों के क्रम में जो नयी चीजें प्राप्त हुई हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस ऐतिहासिक भूमि के गर्भ में पुरातत्व सम्बन्धी अमूल्य निधियां छिपी हुई हैं। साथ ही, यह भी अत्यावश्यक प्रतीत होने लगा है कि प्रत्येक नव-प्राप्त वस्तु का वैज्ञानिक निरीक्षण एवं विश्लेषण होना चाहिये ; क्योंकि वैसी स्थिति में अन्य कई महत्त्वपूर्ण रहस्य प्रकाश में आ जायंगे। एक बात ध्यान देने योग्य हैं। गढ़ा खोदते समय संयोग से जो वस्तुएँ मिलती हैं उनकी भी सूचना तुरत, उस वस्तु को वहां से हटाने के पहले ही, राजकीय पुरातत्ववेत्ता को दे देनी चाहिये। ऐसा न होने पर, संभव है कोई महत्त्व की वस्तु सदा के लिए अन्धकार में खो जाय और ऐतिहासिक परम्परा की एक प्रमुख कड़ी से हम हाथ धो बैठें। बहुत समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा के हम उत्तराधिकारी हैं और यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक निधि को नष्ट होने से बचावें तथा उसकी सूचना, सुरक्षा एवं व्याख्या की उचित व्यवस्था करें।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जनता और जनसम्पर्क

श्री रास बिहारी लाल, एम० ए०, निर्देशक, जनसम्पर्क-विभाग, बिहार

—:o:—

जनतांत्रिक शासन-प्रणाली के आधार पर संघटित सरकार के लिये जनसम्पर्क का महत्व और उपयोग स्वभावतः बहुत अधिक है। जनतंत्र का अर्थ ही है 'जनता का शासन'। जनतांत्रिक सरकार की विशेषता यही है कि उसका संचालन 'जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, जनता के हित के लिये ही, होता है। सरकार की वास्तविक सत्ता जनता के हाथों में ही रहती है। इसलिये, कोई भी जनतांत्रिक संरकार यथेष्ट जनसम्पर्क के बिना सफल नहीं हो सकती।

स्वाधीन भारत में जनसम्पर्क

भारतवर्ष में सदियों से विदेशी शासन का प्रभुत्व था। उस समय सरकार का लक्ष्य जनता का हित-साधन न होकर अपना स्वार्थ-साधन था। किन्तु, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्षो तक संघर्ष करने के बाद, १५ अगस्त, १९४७ ई० को भारत स्वाधीन हो गया और २६ जनवरी, १९५० ई० से हमारे देश में, अपने नवीन संविधान के अनुसार सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न जनतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना हो गयी। उसके बाद, हमारी राष्ट्रीय सरकारों के कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों में बहुत परिवर्त्तन हुए, जिनके फलस्वरूप हमारे शासन के लिये, जनसम्पर्क का महत्व बहुत अधिक हो गया है। अब सरकार की प्रत्येक योजना जन-कल्याण के अभिप्राय से ही बनायी जाती है और उसकी कार्यान्विति भी जनहित की दृष्टि से ही होती है। सरकार अपने सभी कार्यों के लिये जनता के पूर्ण सहयोग और समर्थन पर निर्भर करती है। अतः, सरकार और जनता के बीच घनिष्ठ सम्पर्क अत्यन्त आवश्यक है।

प्रचार और जन-सम्पर्क में विभेद

बहुत से लोग सरकारी जनसम्पर्क विभाग के कार्य को प्रचार-कार्यमात्र समझते हैं। पर वस्तुस्थिति सवर्था भिन्न है। ब्रिटिश शासन काल में, सरकार को प्रचार की अपेक्षा थी, क्योंकि जनता की सहानुभूति उसे सुलभ न थी। हमारी राष्ट्रीय सरकारों की स्थिति भिन्न है। उन्हें अपने प्रचार की आवश्यकता नहीं है। उनका

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

तो निर्माण ही जनमत के आधार पर हुआ है। अतएव, वे जनता की सहानुभूति नहीं, सहयोग चाहती हैं। उन्हें विदेशी सरकार की तरह जनता को किसी तरह समझा-बुझा कर अपने अनुकूल बनाना नहीं है; वे जनता को सभी विषयों की सच्ची जानकारी करा कर इस योग्य बना देना चाहती है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग भलीभांति कर सके। वस्तुत:, जनसम्पर्क का आदर्श, मुख्यत: लोक-शिक्षा का प्रसार है। शिक्षा ही सभी प्रकार की उन्नतियों की आधारशिला है। शिक्षा के बल से मनुष्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में, मनचाही सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिये जनसम्पर्क-विभाग लोकशिक्षा के व्यापक प्रसार के द्वारा जनता के जीवन में, सुख-समृद्धि का यथेष्ट संचार करने का प्रयत्न करता है।

बिहार-राज्य का जनसम्पर्क-विभाग

अब मैं बिहार राज्य-सरकार के जनसम्पर्क-विभाग के उद्देश्य तथा कार्य-प्रगति के संबंध में कुछ कहूँगा। जैसा कि मैंने अभी कहा है, जनसम्पर्क-विभाग का मुख्य उद्देश्य सरकार और जनता के बीच घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करना है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये, बिहार-राज्य-सरकार का जनसम्पर्क-विभाग, बिहार की जनता के समक्ष, राज्य-सरकार की योजनाओं तथा उसके कार्यों के सम्बन्ध में, सभी जानने योग्य बातें, सच्चे रूप में रखता है। यह विभाग 'सत्यमेव जयते' के सिद्धान्त में विश्वास करता है और उसे कार्यान्वित करने के लिये, सदैव सचेष्ट रहता है। सरकारी योजनाओं तथा कार्यों के संबंध में जनता को पूरी जानकारी देने के साथ-साथ जनता के विचारों तथा सार्वजनिक कार्यों के संबंध में, सरकार को सूचित करना भी इस विभाग का कर्त्तव्य है। इस प्रकार, सरकार और जनता के बीच सूचनाओं का संवहन करने के अतिरिक्त हमारा जनसम्पर्क विभाग, जनहित की सिद्धि के लिये, अन्यान्य कार्यों का भी सम्पादन करता है। उनमें से, कुछ कार्यों की चर्चा उदाहरणस्वरूप मैं करना चाहता हूँ। जनता के दृष्टिकोण को व्यापक एवं उदार बनाने के लिये प्रयत्न करना इसका कार्य है। जनता के हृदय में, स्वावलम्बन का भाव भर कर, उनके जीवन-स्तर को उन्नत बनाने के लिये प्रयत्न करना भी इसका कर्त्तव्य है। यह सर्वसाधारण को नागरिकता के कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का ज्ञान कराता है और उनके पालन के लिये, प्रेरित करता है। लोगों के आर्थिक जीवन का सुधार करना समाज के पिछड़े हुए वर्गों को प्रगतिशील बनाना और सभी प्रकार की समाज विरोधी शक्तियों का दलन करना भी इस विभाग का कार्य है। हमारे सामाजिक जीवन में सहयोग एवं सद्भाव का सुविकास कर, हमारे जीवन को सुखमय बनाना भी इस विभाग का लक्ष्य है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

केन्द्र और शाखाएं

अपने विविध कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के पालन के लिये, यह विभाग सदैव प्रयत्नशील रहता है। इसके मुख्यतः दो विभाग हैं :—(१) केन्द्रीय विभाग और (२) क्षेत्रीय विभाग। केन्द्रीय विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी, केन्द्र-स्थान अर्थात् पटना में, इस विभाग के केन्द्रीय कार्यालय में कार्य करते हैं। इसका केन्द्रीय कार्यालय विहार सचिवालय के राजनीतिक विभाग से सम्बद्ध है।

केन्द्रीय विभाग में, सम्पूर्ण विभाग के प्रशासन के अतिरिक्त समाचार-पत्रों के अनुशासन तथा उनके द्वारा राजकीय प्रचार और विभिन्न प्रकार के प्रकाशन का कार्य होता है। राज्य भर के सभी समाचार-पत्रों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों के प्रमुख समाचार-पत्र, इस विभाग में नियमित रूप से प्राप्त होते हैं। उन सब का अनुशीलन इस विभाग में होता है और महत्वपूर्ण संवादों, लेखों तथा सम्पादकीय टिप्पणियों की कतरनें राज्य-सरकार के उच्चाधिकारियों के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं। १९५१-५२ ई० में इस विभाग द्वारा अँगरेजी, हिन्दी, उर्दू और बँगला समाचार-पत्रों की कुल २८,१०० कतरनें राज्य-सरकार के उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गयीं। साथ ही प्रतिदिन अंगरेजी, हिन्दी और उर्दू भाषाओं में सरकारी विज्ञप्तियों तथा सूचनायें भी इस विभाग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजी जाती हैं। यदि किसी समाचार-पत्र में, कोई भ्रामक अथवा निराधार संवाद या लेख प्रकाशित होता है तो उसका खंडन भी शीघ्रातिशीघ्र इस विभाग द्वारा किया जाता है। १९५१-५२ ई० में कुल ३,२४५ विज्ञप्तियां और सूचनाएँ प्रकाशित हुईं। समय-समय पर, इस विभाग के तत्वावधान में, समाचार-पत्र सम्पादकों एवं पत्र-प्रतिनिधियों के सम्मेलन भी किये जाते हैं। उन सम्मेलनों में राजकीय अधिकारीगण, पत्रकारों के साथ, शासन-कार्य के सम्बन्ध में, विचार विनिमय करते हैं।

पत्र-पत्रिकाएं

इस विभाग द्वारा जिन पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, उनमें हिन्दी मासिक 'विहार' का स्थान प्रमुख है। यह मासिक पत्र पूर्णतया साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रकाशन है। इसके अतिरिक्त, पाक्षिक हिन्दी 'बिहार-सन्देश' और अँगरेजी 'बिहार अफेयर्स' का प्रकाशन भी इस विभाग द्वारा होता है। इन पाक्षिक पत्रों में, विभिन्न राजकीय विभागों तथा संसद् और राज्य-विधान-सभा एवं परिषद् के संक्षिप्त विवरणों के अतिरिक्त बहुत से जनोपयोगी लेख और संवाद भी प्रकाशित होते हैं। इस विभाग द्वारा दो और पत्र प्रकाशित होते हैं। ये दोनों ही पत्र साप्ताहिक हैं। इनमें से एक का प्रकाशन रांची से होता है और दूसरे का देवघर से। रांची से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र का नाम 'आदिवासी' है। यह हिन्दी भाषा में प्रकाशित

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

होता है। पर इसका लक्ष्य आदिवासियों के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जीवन को उन्नत बनाना है। इसका वितरण निःशुल्क होता है। देवघर से प्रकाशित सांप्ताहिक पत्र का नाम "होड़-सम्वाद" है। यह पत्र संथाली भाषा में प्रकाशित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य संथालों का उन्नयन है। इस पत्र का भी वितरण निःशुल्क होता है। 'आदिवासी' और 'होड़-सम्वाद' में सांस्कृतिक तथा लोकोपयोगी लेखों के अतिरिक्त राज्य-सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों के संक्षिप्त विवरण भी, समय-समय पर प्रकाशित होते हैं। ये पत्र अपने-अपने क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं।

अन्यान्य प्रकाशन

पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त हमारे विभाग द्वारा, समय-समय पर विभिन्न प्रकार की पुस्तिकाओं, पर्चों और पोस्टरों का भी प्रकाशन होता है। इन प्रकाशनों के द्वारा जनता को विभिन्न विषयों की जानकारी दी जाती है और उसे सुखी एवं समृद्ध बनने के लिये उत्प्रेरित किया जाता है। ये प्रकाशन प्रायः रंग-विरंग के होते हैं। १९५१-५२ ई० में ऐसे प्रकाशनों की संख्या ६३ थी।

चित्रशाखा

हमारे विभाग के केन्द्रीय कार्यालय में, एक चित्रशाखा भी है। इस शाखा के द्वारा विभिन्न अवसरों पर, सुन्दर-सुन्दर चित्र और चल-चित्र तैयार किये जाते हैं। चित्रों का प्रकाशन समाचार-पत्रों के द्वारा तो होता ही है, साथ ही अपने विभाग द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकार के प्रकाशनों में भी, वे मुद्रित होते हैं। जो चल-चित्र हमारे विभाग द्वारा तैयार किये जाते हैं, उनका प्रदर्शन जनता के बीच हमारे विभाग की क्षेत्रीय-शाखा के द्वारा होता है। यहां पर यह बता देना समीचीन होगा कि १९४७ ई० में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अंतिम विहार-यात्रा के अवसर पर, हमारे विभाग ने एक बहुत ही मनोरम चल-चित्र (फिल्म) तैयार किया था। उसका प्रदर्शन देश तथा राज्य के विभिन्न भागों में हुआ है और उसकी एक प्रति नयी दिल्ली स्थित 'राष्ट्रीय-गांधी-संग्रहालय' में सुरक्षित है। इसी प्रकार, हमारे वर्त्तमान राष्ट्रपति की प्रथम विहार-यात्रा के अवसर पर, तथा १९४७ ई० के स्वतंत्रता-दिवस के अवसर पर भी हमारे विभाग ने सुन्दर और उपयोगी चल-चित्र बनाये थे। इन चलचित्रों के द्वारा लोक-शिक्षण में बड़ी सुविधा होती है। हमारी चित्र-शाखा ने, विगत साधारण निर्वाचन के अवसर पर, जो चित्र लिये थे, उनमें से एक दर्जन चित्र इतने उत्कृष्ट हुए थे कि वे लन्दन के भारत-भवन में प्रदर्शन के लिये चुने गये।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

देश-विदेश के संवादों का वितरण

राज्य-सरकार के मंत्रियों तथा अन्य उच्चाधिकारियों को देश-विदेश के महत्त्वपूर्ण संवादों की सूचना अविलम्ब देने के अभिप्राय से, हमारे विभाग में एक टेलीप्रिन्टर यंत्र भी लगाया गया है। इस यंत्र के सहारे जो संवाद हमें दिन-रात मिलते रहते हैं, उन्हें बुलेटिन के रूप में हम प्रकाशित करते हैं। इस बुलेटिन के प्रतिदिन, अनेक संस्करण प्रकाशित होते हैं।

क्षेत्रीय-शाखा

हमारे विभाग की क्षेत्रीय-शाखा के अन्तर्गत, प्रत्येक जिले में एक जिला प्रचार अधिकारी और प्रत्येक सबडिवीजन में एक सहायक प्रचार अधिकारी कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त, छोटानागपुर के विभिन्न जिलों में, कुछ अतिरिक्त जिला प्रचार अधिकारी और सहायक प्रचार अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं। इन क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं का मुख्य कार्य ग्रामीण जनता के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करना है। वे अपने-अपने क्षेत्र में, नियमित रूप से भ्रमण करते रहते हैं और भाषाओं, वार्त्ताओं, चल-चित्रों के प्रदर्शन आदि के जरिये जनता को विभिन्न विषयों की जानकारी समुचित रीति से देते हैं। प्रत्येक जिला अधिकारी को एक बड़ी मोटर गाड़ी मिली है, जिसमें चल-चित्र-प्रदर्शन के यंत्र, रेडियो-यंत्र, ध्वनिविस्तारक यंत्र तथा प्रचार-संबंधी अन्य उपकरण रहते हैं।

सूचना-केन्द्र

हमारे विभाग की क्षेत्रीय शाखा के अन्तर्गत राज्य के कोने-कोने में सैकड़ों सूचना केन्द्रों की स्थापना हुई है। इन सूचना केन्द्रों के द्वारा ग्रामीण जनता को सुशिक्षित बनाया जाता है। इन सूचना केन्द्रों में छोटे-छोटे पुस्तकालय भी रहते हैं। १९५१ ई० के अन्त में, राज्य भर में १,२८७ सूचना केन्द्र कार्य कर रहे थे। हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता शिक्षा-विभाग, कल्याण-विभाग, ग्राम-पंचायत-विभाग, सिंचाई-विभाग, जन-स्वास्थ्य-विभाग, आदि के सहयोग से अपना कार्य करते हैं। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप, जनता सरकार के राष्ट्र-निर्माण संबंधी विभागों के कार्यों में दिलचस्पी लेती है और उनकी जनोपयोगी योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करती है। समाज विरोधी शक्तियों का दमन करने में भी हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता हाथ बँटाते हैं। घूसखोरी, मुनाफाखोरी, माल छिपा कर रखने, बिना टिकट लिये रेल से यात्रा करने आदि के विरुद्ध हमारे कार्यकर्त्ता लोकमत का निर्माण करते हैं। साथ ही, सामाजिक शिक्षा, सहकारिता, ग्राम-पंचायत, गृह-रक्षक दल आदि की योजनाओं को सफल बनाने के लिये भी वे भरपूर प्रयत्न करते हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सभाएं और वार्त्ताएं

१९५१ ई० में हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं ने कुल मिला कर ३२,०७३ ग्रामों का भ्रमण किया। उन्होंने १७,२४७ सभायें और ५४,२४७ सामूहिक वार्त्तायें कीं। उनके द्वारा ५,६२५ चलचित्र-प्रदर्शन किये गये।

मेलों में प्रचारकार्य

राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर प्रति वर्ष लगने वाले बड़े-बड़े मेलों में भी हमारा विभाग प्रचार कार्य करता है। मेलों के अवसरों पर हमारे शिविर खोले जाते हैं और हम मेलों में एकत्र जनता को सफाई, सहयोग आदि की शिक्षा देते हैं। उनके मनोरंजन के लिये, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इस कार्य में राज्य-सरकार की शिक्षा विभाग की सामाजिक शिक्षा योजना के कार्यकर्त्ता हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के साथ सहयोग करते हैं।

सामूहिक उपयोग के लिये रेडियो

जनता द्वारा सामूहिक उपयोग के लिये रेडियो-यन्त्रों का वितरण इस विभाग द्वारा किया जाता है। बैटरी से चलने वाले ऐसे २०८ रेडियो-सेट अब तक वितरित हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त खाद्य-प्रचार-योजना के अन्तर्गत सूखी बैटरियों से चलने वाले १९९ रेडियो-सेट भी राज्य के विभिन्न भागों में बांटे गये हैं। बिहार-राज्य-सरकार के जनसम्पर्क-विभाग की जो रूप-रेखा प्रस्तुत की गयी है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विभाग जनता के हित के लिये कितना उपयोगी है। अब इसे पुनस्संघटित कर और भी उपयोगी बनाने का आयोजन हो रहा है।

अखिल भारतीय रेडियो के पटना-केन्द्र से प्रसारित वार्त्ता के आधार पर।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में गङ्गा-पुल-निर्माण का आयोजन

श्री श्रीधर वासुदेव सोहोनी, आई० सी० एस०,
सचिव, जनकार्य-विभाग, बिहार

बिहार राज्य के पटना-मोकामा-क्षेत्र में गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना, राष्ट्र-निर्माण एवं दीर्घकालीन उपयोग की दृष्टि से. अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके द्वारा, इस राज्य के गंगा नदी के उत्तर वाले विस्तृत भूमिखंड के आर्थिक विकास में. बहुत सहायता मिलने की संभावना है। वस्तुतः, इस जनोपयोगी योजना के कार्यान्वित होने से इस राज्य के आर्थिक जीवन के एक नये अध्याय का श्रीगणेश होगा।

बनारस से भारत की पूर्वी सरहद तक गंगा नदी की लम्बाई ४३० मील है। इतनी लम्बी दूरी में गंगा नदी के इस पार से उस पार जाने के लिये कोई स्थायी साधन नहीं है। फलतः उसके उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में रहने वाले लोग दो विभिन्न जनसमहों में विभक्त हो गये हैं।

भारत-सरकार का निश्चय

१९४८ ई० के फरवरी मास में. भारत-सरकार ने सभी बातों पर विचार कर यह निश्चय किया कि बिहार में, मोकामा के समीप, गंगा नदी पर एक ऐसा पुल बनाया जाय, जिस पर रेलगाड़ी की लाइन के साथ-साथ सड़क भी रहे। साथ ही, भारत-सरकार ने यह भी निर्णय किया कि पटना के पास भी गंगा नदी पर एक पुल बनाने के विषय में बिहार-सरकार प्रारम्भिक जांच-पड़ताल करे। यदि जांच-पड़ताल के बाद, बिहार-सरकार पटना के पास गंगा नदी पर एक सड़क-पुल बनाने का निश्चय करेगी तो भारत-सरकार उसके लिए 'एतदर्थ अनुदान' देने के प्रश्न पर विचार करेगी।

१९४८ ई० के दिसम्बर महीने में भारत-सरकार के अधिकारियों ने, पटना में, बिहार-सरकार के अधिकारियों के साथ इस विषय में जो विचार-विमर्श किया, उसके प्रसंग में भी भारत-सरकार के उपर्युक्त निश्चयों की पुष्टि की गयी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार-सरकार की ओर से, सदैव, इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि बिहार-राज्य में गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना, किसी भी दशा में, टाली नहीं जाय ।

१९४८ ई० के बाद का विकास

बिहार-सरकार के जनकार्य-विभाग ने पटना के पास गंगा-पुल बनाने के स्थान की छान-बीन का काम किया ।

भारत-सरकार मोकामा के समीप गंगा पुल बनाने के संबन्ध में किये गये अपने निश्चय को, आर्थिक कठिनाइयों के कारण, कार्यान्वित नहीं कर सकी । लगभग एक वर्ष तक प्रारम्भिक कार्य होता रहा, उसके बाद कोई प्रगति न हुई।

बिहार-सरकार ने पटना के पास गंगा पुल के स्थान के विषय में जांच-पड़ताल का काम जारी रखा । इस कार्य का कुछ अंश पूना के जलशक्तिसंबंधी अनुसन्धान-केन्द्र में किया गया। पटना सिटी और फतुहा के बीच एक स्थान पुल-निर्माण के लिए बहुत उपयुक्त पाया गया । इसके लिये कुल २१ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया ।

इसी बीच, पश्चिम बंगाल की राज्य-सरकार ने यह सुझाव दिया कि फरक्का के पास गंगा नदी में बनाये जाने वाले बांध का उपयोग, इस संबंध में, किया जा सकता है । वह स्थान राजमहल (विहार) से १७ मील पूरब की ओर है।

विश्वेश्वरय्या-समिति की नियुक्ति

इन सभी बातों पर विचार कर, भारत-सरकार ने इस विषय में श्री एम० विश्वेश्वरय्या की विशेषज्ञतापूर्ण सम्मति मांगी । श्री विश्वेश्वरय्या के सहायक के रूप में ईस्ट इंडिया रेलवे के प्रधान व्यवस्थापक श्री वी० वी० वर्मा, रेलवे वोर्ड के भूतपूर्व सदस्य श्री वी० पी० भंडारकर और वंबई-सरकार के विद्युत विभाग के भूतपूर्व कमिश्नर श्री पी० वी० अद्वानी भी नियुक्त किये गये । इस प्रकार, श्री विश्वेश्वरय्या के अध्यक्षता में विशेषज्ञों की जो समिति संघटित हुई, उसके मंत्री रेलवे-वोर्ड के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संयुक्त निर्देशक श्री डी० सी० बैजाल नियुक्त हुए ।

समिति का कार्य

भारत-सरकार ने यह निश्चय किया कि उपर्युक्त विश्वेश्वरय्या-समिति निम्न-लिखित चार स्थानों में गंगा नदी पर पुल बनाने के संबंध में छान-बीन करे:—

(क) पटना के समीप पूर्व और पश्चिम वाले दोनों स्थल ;

(ख) मोकामा ;

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(ग) सकरीगली घाट (भागलपुर) ; और

(घ) फरक्का या राजमहल (गंगा नदी के बांध की योजना के अन्तर्गत)।

साथ ही, उस समिति को यह निर्देश दिया गया कि वह निम्नलिखित बातों पर विचार कर गंगा नदी पर एक बड़ी लाइन की रेलगाड़ी के चलने योग्य पुल बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान के संबंध में सुझाव दे :—

(१) यातायात की गति और उसके संचालन की आवश्यकताएं तथा आर्थिक उपयोग ; (इस संबंध में भावी प्रगति और संभावित आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिये ।)

(२) पुल के निर्माण तथा नदी की धारा के नियंत्रणादि का तुलनात्मक आरम्भिक और आवर्त्तक व्यय;

(३) निर्माण-कार्य की वैज्ञानिक विशेषताएं ;

(४) राष्ट्र-निर्माण संबंधी अन्यान्य योजनाओं के साथ संबंध ;

(५) प्रशासनसंबंधी सुविधा और लोकमत।

विभाजक रेखा

यदि भारत के पूर्वी भागों की स्थिति की छान-बीन की जाय, तो यह स्पष्ट विदित होगा कि उपर्युक्त क्षेत्र को, जिसमें गंगा नदी पर अबतक कहीं भी पुल नहीं बना है, यातायात की दृष्टि से, हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। इन दो भागों के बीच एक विभाजक रेखा खींची जा सकती है। यह रेखा विराटनगर से आरम्भ होकर भागलपुर के सामने एक स्थान तक जायगी और उसके बाद गंगा, भागीरथी और हुगली के साथ-साथ चलकर कलकत्ता तक चली जायगी।

विभाजक रेखा के पश्चिम का क्षेत्र

उपर्युक्त विभाजक रेखा के पश्चिम के क्षेत्र के विभिन्न भागों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के विवरण निम्नलिखित हैं:—

क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जनसंख्या	जनसंख्या की सघनता का मान (प्र० वर्ग मील)
१। उत्तर बिहार (कोसी के पश्चिम)	१६,२६९	१,५६,६०,०००	९६२
२। दक्षिण बिहार ..	४९,०६३	२,२०,५०,०००	४४९
३। भागीरथी के पश्चिम वाला पश्चिम बंगाल का भाग।	१५,२५८	१,२०,००,०००	८००
४। उत्तर प्रदेश के छः पूर्वी जिले	१४,०१०	१,१२,००,०००	७९६
कुल	९४,६००	६,०९,१०,०००	
५। नेपाल के समीपवर्ती क्षेत्र..		७२,००,०००	

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विभाजक रेखा के पूर्व का क्षेत्र

उपर्युक्त विभाजक रेखा के पूर्व के क्षेत्र के विभिन्न भागों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के विवरण निम्नलिखित हैं :—

क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जनसंख्या	जनसंख्या की सघनता का मान (प्रतिवर्गमील)
१। आसाम	८५,०१२	९०,४०,०००	१०६
२। पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग	४,८७२	२०,३०,०००	४१७
३। पश्चिम बंगाल का केन्द्रीय भाग	२,७९३	१६,६०,०००	५९४
४। पश्चिम बंगाल का दक्षिणी भाग।	७,८५२	९१,२०,०००	१,१६१
५। बिहार का उत्तर-पूर्वी भाग	४,९९८	२५,२०,०००	५०४
कुल	१,०५,५२७	२,४३,७०,०००	
समीपवर्त्तीक्षेत्र			
(क) मणिपुर	८,६२०	५,८०,०००	..
(ख) त्रिपुरा	४,०४९	६,५०,०००	..
(ग) सिक्किम ..	२,७४५	१,४०,०००	..
कुल	१५,४१४	१३,७०,०००	८९

उत्तर-पूर्वी बिहार से आसाम को बहुत लाभ पहुँचता है। कटिहार के द्वारा जो आसाम रेलवे की लाइन जाती है, उससे यातायात की यथेष्ट सुविधा मिलती है। अतएव, यदि उत्तर बिहार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, तो उसका लाभदायक परिणाम आसाम संबंधी यातायात पर भी पड़ेगा ही। उपर्युक्त विभाजक रेखा के पूर्व और पश्चिम के क्षेत्रों की जनसंख्या तथा उनके यातायात में जो अन्तर है, वह बिल्कुल स्पष्ट है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

श्री विश्वेश्वरय्या के सुझाव

पूर्वोक्त गंगा-पुल-निर्माण की समस्या के विषय में सभी बातों पर व्यापक रूप से यथेष्ट विचार कर, श्री विश्वेश्वरय्या ने, जून, १९५२ ई० में, भारत-सरकार को यह सुझाव दिया कि पुल-निर्माण के लिये मोकामा का स्थान ही सबसे अधिक उपयुक्त है। उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि भारत-सरकार सम्प्रति एक ही पुल बनाना चाहती है, अतएव वह पुल मोकामा के पास ही बनाया जाय। उन्होंने अपने सुझाव के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए :—

(१) उपर्युक्त गंगापुल-निर्माण के लिये जितने भी स्थान हैं, उन सबमें, वैज्ञानिक दृष्टि से, मोकामा में पुल बनाना ही अधिकतम सुविधाजनक है।

(२) मोकामा में निर्मित पुल का आरंभिक व्यय सबसे कम होगा और उसकी सुरक्षा का व्यय भी न्यूनतम होगा।

(३) यातायात की दृष्टि से भी मोकामा का केन्द्र अत्यन्त उपयुक्त है; उसके दक्षिण के भागों में रेलवे का यथेष्ट विकास हो चुका है और उत्तर के भागों में भी रेलवे का विकास बहुत कम व्यय से हो सकता है।

(४) मोकामा में गंगापुल बनाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हो जायगा और इससे उत्तर प्रदेश के उन पूर्वी जिलों को भी लाभ पहुँचेगा, जिनकी आबादी बहुत घनी है। इसके द्वारा उद्योग-धंधों के विकास में भी बड़ी सुविधा होगी।

(५) बनारस (जहां मालवीय-पुल है) और भारत-पाकिस्तान की पूर्वी सरहद के बीच गंगा नदी की लम्बाई ४३० मील है। मोकामा इस दूरी के प्रायः मध्य में स्थित है।

(६) राष्ट्रीय राजपथों की दृष्टि से भी, पुल के लिये, मोकामा ही सबसे अधिक उपयुक्त केन्द्र है। राजपथ संख्या ३१ उसके समीप है। संभव है, राष्ट्रीय राजपथ संघटन से भी पुल के लिए कुछ आर्थिक सहयोग सुलभ हो।

(७) केन्द्रीय यातायात-समिति ने भी मोकामा को ही, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की दृष्टि से, पुल-निर्माण के लिये, सबसे अधिक उपयुक्त समझा था। तदनुसार, वहां रेल और सड़क के लिये संयुक्त पुल बनाने का निश्चय मंत्रिमंडल ने किया था और कुछ प्रारंभिक कार्य भी सम्पन्न हो चुका था।

(८) मोकामा में पुल बनाने में अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। संभवतः, दो-तीन वर्षों में ही वहां पुल बन जायगा।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अविलम्ब कार्य की आवश्यकता

श्री विश्वेश्वरय्या ने, भारत-सरकार को अपने सुझाव देते हुए, यह स्पष्ट रीति से कहा था कि मोकामा में पुल-निर्माण-कार्य को पुन: अविलम्ब आरंभ करना आवश्यक है। गंगा नदी पर, मोकामा में, जो रेल-सड़क-पुल बनाया जायगा, वह भारत-सरकार के रेलवे तथा यातायात मंत्रालयों का पुल होगा। बिहार-राज्य-सरकार ने भारत-सरकार को यह आश्वासन दिया है कि इस पुल के निर्माण के संबंध में वह हर तरह से सहायता और सहयोग प्रदान करेगी। बिहार-सरकार ने भारत-सरकार से यह अनुरोध किया है कि उक्त पुल-निर्माण-कार्य पुन: अविलम्ब आरंभ कर दिया जाय, ताकि १९५२ ई० में भी यथेष्ट कार्य सम्पन्न हो जाय।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार-राज्य में रेलवे का विस्तार

श्री श्रीधर बासुदेव सोहोनी, आई० सी० एस०,
सचिव, जनकार्य-विभागं, बिहार

बिहार-राज्य में रेलवे का जो विस्तार होने वाला है, उसे मुख्यत: निम्नलिखित दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है :—

(१) छोटानागपुर में कोयला संबंधी तथा अन्य प्रकार के यातायात के विकास के लिये किया जाने वाला रेलवे विस्तार; और

(२) उत्तर बिहार में यातायात की सुविधा के विकास के लिये किया जाने वाला रेलवे विस्तार।

इस विषय में, हाल में, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये गये हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतसरकार ने रेलवे का पुनर्वर्गीकरण कर दिया है।

उत्तर बिहार में, इसके फलस्वरूप, कटिहार में जो केन्द्र स्थापित हुआ है, उसी के द्वारा उस क्षेत्र के अन्यान्य भागों के रेलवे का भी नियंत्रण किया जायगा। अवध-तिरहुत रेलवे का नाम बदलकर उत्तर-पूर्वी रेलवे कर दिया गया है और उसका क्षेत्रीय केन्द्र शीघ्र ही मुजफ्फरपुर में स्थापित होगा। इस रेलवे के द्वारा, उत्तर विभाग के भिन्न-भिन्न स्थान में, सड़क निर्माण की सामग्रियां पहुंचायी जाती हैं। विगत कुछ वर्षों में इस रेलवे के कार्य में, विशेष प्रगति हुई है। १९५१-५२ ई० में, अभावग्रस्त क्षेत्रों में, खाद्यान्न पहुंचाने के संबंध में, इस रेलवे ने महत्वपूर्ण कार्य किया था।

नयी रेलवे लाइन

उत्तर बिहार में, एक नयी रेलवे लाइन की स्थापना, इस संबंध में, उल्लेखनीय है। भारत-सरकार के रेलवे मंत्रणालय ने, इस नयी लाइन के निर्माण के लिये, १९५२-५३ ई० के आय-व्यय में १० लाख रुपये की व्यवस्था की है। यह रेलवे

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

लाइन मधेपुरा से मुरलीगंज तक बनायी जायगी। इसकी लम्बाई १५.६२ मील होगी और इसका कुल व्यय ५० लाख रुपया होगा। इसके द्वारा एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति होगी।

परसरमा से सुरोल तक की रेलवे लाइन पुनः चालू कर दी गयी है। इसी प्रकार, राजमहल से तीनपहाड़ी तक की रेलवे लाइन भी पुनः चालू की गयी है। यह लाइन कोशी-पीड़ित क्षेत्र के समीप है। उत्तर बिहार में सड़क निर्माण की सामग्रियां सुलभ न होने के कारण, रेलवे की उपयोगिता बहुत अधिक है। अतएव, उत्तर बिहार के १ करोड़ ८० लाख निवासियों के लिये नयी रेलवे लाइनों के निर्माण की मांग जोरों से हो रही है। जो योजनाएं विचाराधीन हैं, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

सीतामढ़ी-सोनबरसा रेलवे योजना

इस प्रस्तावित रेलवे लाइन की लम्बाई, १७.३२ मील होगी। इस लाइन के बन जाने से सीतामढ़ी का संबंध सोनबरसा के साथ हो जायगा। सोनबरसा भारत-नेपाल सरहद पर स्थित है। वहां की जनसंख्या बहुत सघन है और वहां कृषि की उपज भी बहुत अधिक होती है। यदि यह लाइन बन जायगी तो नेपाल से चावल के यातायात में बड़ी सुविधा होगी।

मधेपुरा-सिंघेश्वरस्थान- राघोपुर-फारबिसगंज-बीरपुर लाइन

यह प्रस्तावित रेलवे लाइन ८४ मील लम्बी होगी। इसके द्वारा, उत्तर बिहार में यातायात का यथेष्ट विस्तार होगा। यह लाइन नेपाल की सरहद तक चली जायगी और नेपाल के साथ सहायक सिद्ध होगी। कोशी-पीड़ित क्षेत्र में सहायता और पुनर्वास के कार्य में भी इससे बड़ी मदद मिलेगी।

चकिया-अलबेलिया-सिधवलिया लाइन

यह नयी रेलवे लाइन २७ मील लम्बी होगी। यद्यपि इससे कोशी-पीड़ित क्षेत्र को कोयला नहीं पहुंचेगा, तथापि इसका उपयोग एक वैसे ही अभावग्रस्त क्षेत्र के लिये होगा। गंडक नदी के क्षेत्रों में, इस नयी रेलवे लाइन का महत्व बहुत अधिक होगा। बिहार-सरकार उत्तर बिहार की उपर्युक्त अन्य रेलवे विस्तार योजनाओं की तरह उसकी अविलम्ब कार्यान्विति के लिये भी भारत-सरकार से आग्रह कर रही है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सबसे अधिक महत्वपूर्ण योजना

बिहार में रेलवे विस्तार की जो भी योजनाएं विचाराधीन हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योजना गंगा नदी के ऊपर रेल-पुल बनाने की योजना है। इस पुल के अभाव में, गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों के बीच यातायात में, बड़ी कठिनाई है। उत्तर बिहार के पश्चिमी भागों में, इसके कोशी-पीड़ित क्षेत्रों की अपेक्षा रेलवे का विस्तार अधिक हुआ है। फिर भी, अभी सम्पूर्ण उत्तर बिहार में रेलवे विस्तार की बड़ी अपेक्षा है। भारतवर्ष में रेलवे की जो मुख्य-मुख्य लाइनें दक्षिण बिहार से होकर जाती हैं, उनके साथ, उत्तर बिहार की रेलवे लाइनों का सम्पर्क होना आवश्यक है। भारतसरकार ने १९४८ ई० में यह निश्चय किया था कि मोकामा के पास गंगा नदी पर एक रेल-पुल बनाया जाय। विगत जून के महीने में, श्री विश्वेश्वरैया ने भी भारत-सरकार की ओर से इस विषय में जांच-पड़ताल कर उसी निर्णय की पुष्टि की। इस निर्णय से उत्तर बिहार में रेलवे के विस्तार में बड़ी सुविधा होगी, जो पटना-मोकामा क्षेत्र के बाहर, कहीं भी, उक्त पुल के बनने पर हमें सुलभ न होती।

एकहरी लाइन और दोहरी लाइन

ईस्ट इंडिया रेलवे की जो मुख्य लाइन मोकामाघाट और पटना जंक्शन से होकर जाती है, वह मोगलसराय तक एक दोहरी लाइन है। फरक्का (तिलदंगा) और सकरीगली घाट, लुप लाइन पर अवस्थित है। वह लाइन एकहरी है। मुख्य लाइन के बंदेल नामक स्टेशन से तिलदगा की दूरी १५८ मील है और ओंडाल से सकरीगली घाट १४१ मील है। मुख्य लाइन से ६०-६० डब्बों वाली मालगाड़ियां आती-जाती हैं; जबकि लुप लाइन से ४० डब्बों वाली मालगाड़ियां मुश्किल से जा सकती हैं। यदि फरक्का के पास पुल बनता, तो लुप लाइन को एकहरी के बदले दोहरी लाइन बनाये बिना, उत्तर बिहार, आसाम और उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों के साथ, उत्तर बिहार के यातायात की संतोषजनक व्यवस्था नहीं हो सकती। मोकामा में पुल बनने के कारण यह कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी।

छोटी लाइन से माल ले जाने की कठिनाई

गंगा नदी के उत्तर, जो रेलवे की छोटी लाइन है, उससे माल ले जाने में और भी अधिक कठिनाई है। यदि फरक्का के पास गंगा पर पुल बनाया जाय, तो मालदा के साथ उसका संबंध स्थापित करने के लिये १६ मील लम्बी रेलवे लाइन बनानी होगी। मालदा कटिहार से ५३ मील की दूरी पर है। उक्त लाइन के [द्वारा उत्तर बंगाल और आसाम के साथ संबंध स्थापित हो

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सकता है। किन्तु, उत्तर बिहार के पूर्णिया जिले की आवश्यकता की भी पूर्त्ति उसके साथ नहीं हो सकती। उत्तर बिहार के अन्य जिलों तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को तो उस लाइन से तनिक भी लाभ नहीं पहुंच सकता।

विभिन्न दिशाओं में यातायात का विभाजन

उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच के यातायात को विभिन्न दिशाओं में विभाजित करने की दृष्टि से ही, पटना-मोकामा क्षेत्र में ही पुल का रहना उपयोगी होगा। इसके समर्थन में, निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं:—

(क) हाजीपुर से जो रेलवे लाइन पश्चिम की ओर जाती है, वह सारन जिला तथा उत्तर प्रदेश के बलिया और देवरिया नामक दो जिलों में माल पहुंचाती है। दूसरी ओर जो लाइन मुजफ्फरपुर जाती है वह मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चम्पारण जिलों में माल पहुंचाती है। मुजफ्फरपुर से चम्पारण होते हुए नेपाल जाने की भी सुविधा है। पूरब की ओर समस्तीपुर और दरभंगा होते हुए नेपाल की सरहद पर पहुंचना आसान है।

(ख) जहां तक मोकामा घाट का सवाल है, वहां जो माल पहुंचेगा, वह पूरब और पश्चिम दोनों ओर आसानी से जा सकता है। किन्तु, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चम्पारण, उत्तर मुंगेर और नेपाल के क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हमें बरौनी-समस्तीपुर–मुजफ्फरपुर लाइन का उपयोग करना होगा। यह दूरी ६४ मील है।

(ग) यदि सकरीगली घाट के पास पुल बनाया जाय, तो सम्पूर्ण यातायात की व्यवस्था मनिहारी घाट से कटिहार के द्वारा करनी पड़ेगी। पूर्णिया जिले के अतिरिक्त, उत्तर बिहार के समस्त पश्चिमी इलाकों के लिये, हमें मानसी, खगड़िया और बरौनी के द्वारा माल भेजना होगा।

(ङ) इस दृष्टि से फरक्का में पुल बनाने की योजना तो और भी असुविधाजनक है। वहां पुल बनाने से उत्तर बिहार के लिये माल भेजने की व्यवस्था कटिहार के द्वारा करनी होगी।

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पटना-मोकामाघाट क्षेत्र में ही, गंगा नदी के ऊपर पुल का बनना उत्तर और दक्षिण बिहार के पारस्परिक यातायात की सुविधा की दृष्टि से सबसे अधिक उपयोगी होगा।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आवश्यक सामग्रियों का यातायात

आवश्यक सामग्रियों के यातायात की दृष्टि से, रेलवे विस्तार की योजना पर विचार करना उपयोगी होगा। मुख्यतः, सीमेंट, पत्थर के टुकड़े, कोयला, लोहा और इस्पात तथा अलकतरा ही ऐसी सामग्रियां हैं जिनका यातायात बहुत अधिक होता है। इनमें से प्रत्येक के संबंध में, अलग-अलग विचार करना अच्छा होगा—

(१) सीमेंट—सीमेंट के मुख्य कारखाने जपला, डेहरी-ऑन-सोन और बंजारी में हैं। ये सभी पटना से दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित हैं। यदि गया-कीउल-मोकामा होकर कटिहार सीमेंट भेजा जाय, तो गया से कटिहार तक की दूरी २१८ मील होगी। यदि आसनसोल ओंडाल-फरक्का-मालदा होकर उसे कटिहार भेजा जायगा तो गया से कटिहार की दूरी ३५१ मील हो जायगी। दोनों स्थितियों में सीमेंट के उपर्युक्त कारखानों से गया तक की दूरी समान रहेगी। इससे यह स्पष्ट है कि आसाम और उत्तर बंगाल सीमेंट भेजने के लिये, मोकामा का मार्ग सुविधाजनक होगा, उत्तर बिहार के लिये, मोकामा का मार्ग अच्छा है ही।

(२) पत्थर के टुकड़े—ये उत्तर बिहार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, गया और मानभूमि से भेजे जाते हैं। अतएव, गया के संबंध में, पत्थर के टुकड़ों के यातायात के लिये भी, वही बात कही जा सकती है, जो सीमेंट के लिये कही गयी है। पटना और मोकामा के द्वारा उत्तर बिहार के लिए, पत्थर के टुकड़े भेजना वहुत अधिक सस्ता होगा। पाकुर के पत्थर के टुकड़े उत्तर बिहार के लिये कुछ मंहगे पड़ेंगे ; क्योंकि गया से बरौनी की दूरी १०४ मील है। फिर भी पाकुर से फरक्का और कटिहार होते हुए, उन्हें बरौनी पहुंचाने में २०३ मील की दूरी तय करनी होगी। गया से मानसी (जहां से सहरसा क्षेत्र में माल भेजा जाता है) की दूरी १४४ मील है। पाकुर से यह दूरी १६८ मील होगी।

(३) कोयला—जहां तक कोयले के यातायात का संबंध है, रानीगंज से बरौनी की दूरी १६० मील होती है। किन्तु, रानीगंज से फरक्का होकर कटिहार तक की दूरी १९५ मील है। इसलिये, रानीगंज से फरक्का और कटिहार होते हुए वरौनी तक की दूरी ३०९ मील होगी। अतएव, यह स्पष्ट है कि मोकामा का मार्ग सस्ता है। सहरसा के क्षेत्र में भी. कोयला पहुंचाने के लिये मोकामा का मार्ग सुविधाजनक है ; क्योंकि मोकामा के द्वारा रानीगंज से मानसी की दूरी २२७ मील है, जबकि फरक्का के द्वारा २९६ मील। यदि डालटेनगंज के समीपवर्ती कोयले की खानों से कोयला पहुंचाने की सुविधा की जाय, तो पटना-मोकामा का मार्ग और भी सुविधाजनक होगा।

(४) लोहा और इस्पात—लोहा और इस्पात के माल अभी वर्णपुर या टाटा नगर से भेजे जाते हैं। टाटा नगर से आसनसोल की दूरी १०० मील है। कोयले के संबंध में यह बताया जा चुका है कि फरक्का की अपेक्षा मोकामा का मार्ग सस्ता पड़ता है। वही बात लोहा और इस्पात पर भी लागू है। वर्णपुर तो आसनसोल की

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अपेक्षा और भी पश्चिम की ओर है। इसलिये, वहां से माल भेजने के लिये मोकामा का मार्ग और भी सुविधाजनक होगा।

(५) अलकतरा—अलकतरा धनबाद के समीप स्थित लोदना नामक स्थान से भेजा जाता है। इसे भेजने का मार्ग सीतारामपुर से होकर है, जो आसनसोल से ५ मील पश्चिम की ओर है और धनबाद से ३१ मील पर है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कोयले के संबंध में किए गये विश्लेषण के अनुसार, फरक्का की अपेक्षा मोकामा द्वारा अलकतरा भेजना ही सस्ता पड़ेगा।

इस प्रकार, यह निर्विवाद है कि यदि गंगा नदी के ऊपर एक ही जगह रेल-पुल बनाकर उत्तर-पूर्वी रेलवे और पूर्वी रेलवे के बीच संबंध स्थापित करना है, तो मोकामा का स्थान इसके लिये सर्वश्रेष्ठ है। श्री विश्वेश्वरैया ने भी इसी विचार का समर्थन किया है।

छोटानागपुर में रेलवे विस्तार

छोटानागपुर में रेलवे विस्तार के संबंध में कर्णपुर के कोयले की खानों के क्षेत्र में अरगदा रेलवे शाखा का विस्तार किया जा सकता है। इस सिलसिले में, अरगदा और पतराले के बीच रेलवे लाइन बनाकर, उसे दक्षिण-कर्णपुर क्षेत्र में, पतंगा तक ले जाने के संबंध में छानबीन की गयी थी। यदि यह योजना कार्यान्वित की जाय, तो इससे भी उपर्युक्त गंगा के पुल का महत्व बढ़ जायगा। छोटानागपुर में रेलवे की अन्य योजनायें भी विचाराधीन हैं।

रेलवे यात्रियों को सुविधाएं

रेलवे मंत्रणालय ने भागलपुर मन्दार-हिल लाइट रेलवे लाइन को पुन: चालू करने की स्वीकृति दी है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिये अधिकाधिक सुविधा-जनक व्यवस्था करने की नीति से प्रेरित होकर, राज्यसरकार ने कई स्थानों पर विभिन्न सुधार किये हैं। इसमें संदेह नहीं कि रेलवे विकास और सुधार के लिये यह नीति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भविष्य में इस नीति को अधिक विकास देने के उद्देश्य से, सरकार ने एक सुनियोजित कार्यक्रम भी तैयार किया है। राज्य के विभिन्न नगरों में सवारियों को, रेलवे लाइन पार करने में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है; क्योंकि ट्रेनों के आते-जाते रहने से उन्हें बहुधा बहुत अधिक देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह असुविधा दूर करने के उद्देश्य से राज्य-सरकार ने ऐसे स्थानों पर रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाने का आयोजन किया है। और, अभी हाल ही, पटना जंकशन रेलवे स्टेशन के सटे पूरब एक ऐसा ही पुल तैयार भी हुआ है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार-राज्य में सड़कों का विकास

श्री श्रीधर वासुदेव सोहोनी, आई० सी० एस०,
सचिव, जनकार्य-विभाग, बिहार

भारत में, सड़कों के विकास के संबंध में, अभी बहुत कार्य करना है। इस देश में, हर एक लाख आवादी पर ७६ मील सड़क है ; जब कि युनाइटेड किंगडम में ३९३ मील, फ्रांस में ९३४ मील और संयुक्त-राज्य अमेरिका में २,४९९ मील हैं। उक्त विदेशों में, सभी सड़कें पक्की हैं, जब कि बिहार राज्य में कुल ३१,४९६ मील लम्बी सड़कों का केवल १६ प्रतिशत अंश पक्का है।

बिहार में, युद्धोत्तर-कालीन सड़क-विकास की जो योजना बनाई गयी, उसके अन्तर्गत १,८११ मील लम्बी सड़कों के सुधार का भार सरकार ने ग्रहण कर लिया है। इसके लिये ९ करोड़ ३० लाख रुपये व्यय करने का अनुमान किया गया है। इसमें से २८४ मील के सुधार का व्ययभार केन्द्रीय सरकार ने ग्रहण किया है। राष्ट्रीय राजपथ-निर्माण की योजना के अनुसार, इस राज्य में ९४४ मील लम्बी सड़कों का खर्च भारत सरकार दे रही है। इसके विवरण-सम्बन्धी कुछ आंकड़े नीचे दिये जाते हैं:—

गंगा के उत्तर का क्षेत्र

जिला		युद्धोत्तर-कालीन योजना की सड़कों की लम्बाई	केन्द्रीय सड़क निर्माण योजना की सड़कों की लम्बाई	राष्ट्रीय राज-पथ निर्माण योजना की सड़कों की लम्बाई	कुल जोड़
		मील	मील	मील	मील
१। सारन	..	१४२.८६	३०.००	..	१७२.८६
२। चम्पारण	..	७७.००	९.००	५९.००	१४३.००
३। मुजफ्फरपुर	..	९७.८०	१९.७५	३८.००	१५६.५५
४। दरभंगा	..	७३.३१	६.५०	३०.६०	११०.४१
५। उत्तर मुंगेर	..	२८.००	..	४३.००	७१.००
६। सहरसा	..	१०१.२०	..	..	१०१.२०
७। पूर्णिया	..	१२७.६०	..	११५.००	२४२.६०
कुल जोड़	..	६४७.७७	६५.२५	२८५.६०	१,००७.६२

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

गंगा के दक्षिण का क्षेत्र

जिला		युद्धोत्तर-कालीन योजना की सड़कों की लम्बाई	केन्द्रीय सड़क निर्माण योजना की सड़कों की लम्बाई	राष्ट्रीय राज-पथ निर्माण योजना की सड़कों की लम्बाई	कुल जोड़
		मील	मील	मील	मील
१। पटना	..	७३.५०	२०.००	८६.४९	२४३.९९
२। शाहाबाद	..	२७.७५	११०.००	१५२.००	२८९.७५
३। गया	..	१३८.६०	..	९९.६०	२३८.२०
४। दक्षिण मुंगेर	..	१९५.००	..	..	१९५.००
५। दक्षिण भागलपुर		८३.००	..	..	८३.५०
६। संताल परगना	..	२५४.००	५३.००	..	३०७.००
कुल जोड़	..	७७१.८५	१८३.००	३३८.०९	१,३५७.४४

छोटानागपुर-क्षेत्र

१। हजारीबाग	..	११४.५०	३६.००	१८७.००	३९७.५०
२। रांची	..	४४.५०	..	७३.००	२८७.९०
३। मानभूमि	..	९७.५५	..	४७.००	२४३.५५
५। सिंहभूमि	..	१४.४०	..	६४.००	१५९.००
५। पलामू	..	१२०.४०	..	..	१२०.४०
कुल जोड़	..	३९१.३५	३६.००	३७१.००	१,२०८.३५
तीनों क्षेत्रों की कुल जोड़		१८१०.९७	२८४.२५	९९४.६९	३५७३.४१

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

यहां पर उल्लेखनीय है कि युद्धोत्तरकालीन योजना तथा भारत सरकार की सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत जिन सड़कों के आंकड़े दिये गये हैं, वे पहले जिला बोर्डों के अधीन थीं। अब सरकार ने उन्हें ले लिया है। इन सड़कों का अधिकार ग्रहण करने के पूर्व राज्य सरकार के जन-कार्य विभाग के अधीन चम्पारण जिले में ८ मील, मुजफ्फरपुर में १ मील, पटना में ६४ मील, दक्षिण भागलपुर में ०.५ मील, हजारीबाग में ६० मील, रांची में १७०.४ मील, मानभूमि में ९९ मील और सिंहभूमि में ८०.६ मील सड़कें थीं। इस प्रकार, राज्य भर में कुल ४८३.५ मील सड़कें जनकार्य विभाग के अधीन थीं। अब यह लम्बाई बढ़ कर ३,५७३.४१ मील हो गयी है।

गंगा नदी के उत्तर की समस्या

उत्तर बिहार में, १ हजार मील से कुछ अधिक लम्बी सड़कें राज्य सरकार की देख-रेख में हैं। उत्तर बिहार की सड़कें, वस्तुतः हमारे लिये चुनौती स्वरूप हैं। बिहार सरकार का जन-कार्य विभाग, उत्तर बिहार की सड़कों के सुधार के लिये प्रयत्नशील है। प्रतिदिन कम से कम १ मील सड़क का सुधार होता है। यह सुधार-कार्य १९४९ ई० में आरम्भ हुआ। इस संबंध में, विभिन्न कोषों से जो व्यय हो रहा है, उनके आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष	युद्धोत्तर-कालीन कोष से व्यय	केन्द्रीय सड़क निर्माण कोष से व्यय	राष्ट्रीय राज-पथ निर्माण कोष से व्यय	कुल जोड़
	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
१९४५-४६ ई० से १९४८-४९ ई० तक	३८.६६	१३.७५	५१.२०	१०३.६१
१९४९-५० ई० ..	४३.६०	७.३०	१८.४०	६९.३०
१९५०-५१ ई० ..	१०६.००	२.९४	१६.९४	१२५.८८
१९५१-५२ ई० (अनुमित)	२०५.०७	२१.५२	१७.००	२४३.५९
१९५२-५३ ई० (आय-व्ययक से)	२६५.६९	१२.६५	२४.३१	३०२.६५
कुल जोड़ ..	६५९.०२	५८.१६	१२७.८५	८४५.०३

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भौगोलिक दृष्टि से उत्तर बिहार डेल्टा का क्षेत्र हैं। हिमालय पहाड़ से निकलने वाली नदियां इसके डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिये पत्थर के टुकड़े पाना कठिन है और गंगा के दक्षिण के क्षेत्र से, सड़क बनाने के लिये पत्थर के टुकड़े उत्तर बिहार में लाना भी दुस्सह है। इसके अतिरिक्त, जिला बोर्डों की ओर से, सड़क सुधार के लिये, पहले की अपेक्षा, अब कम खर्च किया जा रहा है। १९३५-३७ ई० में, जिला बोर्डों का ५१.८ प्रतिशत खर्च सड़क सुधार के लिये होता था। १९४३-४४ ई० में वह घट कर केवल २८ प्रतिशत रह गया था। उत्तर बिहार में, चीनी के उद्योग के विकास के कारण, बैलगाड़ियों का उपयोग अधिकाधिक परिमाण में होने लगा है। इसके फलस्वरूप सड़कों पर, विशेषकर गंडक-क्षेत्र में सड़कों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अन्यान्य प्रकार की गाड़ियों का भी उपयोग अधिकाधिक परिमाण में होने लगा है। १९४१ ई० से १९४८ ई० तक मोटर ट्रकों की संख्या २० गुनी हो गयी और बसों की चौगुनी। प्रति वर्ष बाढ़ों के प्रकोप से भी सड़कों की बड़ी क्षति होती है। यह बात कोशी क्षेत्र पर विशेषरूप से लागू है। ऐसी परिस्थितियों में, उत्तर बिहार की सड़कों के सुधार की समस्या, स्वभावतः बहुत जटिल है। उत्तर बिहार का क्षेत्रफल प्राय: २१ हजार वर्गमील है और उसकी जनसंख्या १ करोड़ ८० लाख है। वहां कुल १६,४१३ मील सड़कें हैं। इनमें से, लगभग १,०२५ मील सड़क को राज्य-सरकार ने अपने अधिकार में लिया है। ये सब राज्य की मुख्य-मुख्य सड़कें हैं।

समस्या का समाधान

उत्तर बिहार की सड़कों की जटिल समस्या के समाधान के लिये, सबसे पहले सड़क सुधार की एक उपर्युक्त योजना बनाने की आवश्यकता समझी गयी। इसके लिये ४ नये विभाग बनाये गये। वे निम्नलिखित हैं:— (१) छपरा, (२) उत्तरी मुजफ्फरपुर, (३) सहरसा, (४) पूर्णिया। छपरा और पूर्णिया के विभाग स्थायी हैं। इन विभागों की स्थापना के अतिरिक्त, सरकार ने दक्षिण बिहार से सड़क बनाने की बहुत सी सामग्रियां उत्तर बिहार में पहुंचायी है। यद्यपि यातायात के संबंध में खाद्यान्नों को ही अधिक प्रश्रय दिया गया, तथापि सड़क निर्माण संबंधी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सामग्रियों के यातायात पर भी यथेष्ट ध्यान दिया गया है। जुलाई, १९५१ ई० से जून, १९५२ ई० तक की अवधि में, सड़क निर्माण संबंधी जितनी सामग्रियां दक्षिण विहार से उत्तर विहार में गयी हैं, उतनी कई वर्षों में भी नहीं गयी थीं। उक्त सामग्रियों के विवरण नीचे दिये जाते हैं :—

सामग्रियां	बड़ी लाइन की रेलगाड़ी के डब्बे
१। पत्थर के टुकड़े	२,४५१
२। कोयला	१,८३८
३। सीमेंट	५६४
४। अलकतरा	२८२
५। लोहा और इस्पात	१२६
६। टीन के चदरे	९४

दक्षिण विहार के क्षेत्र में, जिसमें दक्षिण भागलपुर, मुंगेर और संथाल परगना के जिले भी शामिल हैं, राज्य सरकार ने अब तक १,३५७ मील सड़कों के सुधार का भार ग्रहण कर लिया है।

इस क्षेत्र में, बहुत सी रेलवे लाइने है। इसलिये, रेलवे लाइनों के साथ, सड़कों के समुचित संबंध की योजना बनायी गयी है।

इस संबंध में, यह बता देना उचित होगा कि दक्षिण विहार के उपर्युक्त क्षेत्र में सड़क-निर्माण और सड़क-सुधार के साथ-साथ पुल निर्माण का आयोजन भी हो रहा है। ये पुल सोन, कीउल आदि नदियों पर बनाये जायंगे। जब इन पुलों का निर्माण हो जायगा, तो हम यह कह सकेंगे कि दक्षिण विहार की सड़कों की व्यवस्था, इस आकार वाले देश के अन्यान्य भागों की अपेक्षा बहुत अच्छी हो जायगी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

छोटानागपुर में सड़क-विकास

बृटिश सरकार ने, अपने निजी उद्देश्यों की सिद्धि के लिये, छोटानागपुर में सड़कों की बहुत उत्तम व्यवस्था की थी। मीलों तक जंगलों के बीच सर्पों की तरह रेंगती हुई, छोटानागपुर की सड़कें, मोटर के यात्रियों के लिये अत्यन्त मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती हैं। राज्य-सरकार की युद्धोत्तरकालीन सड़क विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, छोटानागपुर क्षेत्र में ३९१ मील लम्बी सड़कें राज्य सरकार द्वारा सुधार के लिये ले ली गयी हैं। इनके अतिरिक्त जन-कार्य विभाग की पुरानी ७८१ मील सड़कें तो हैं ही, जिनमें से ३७१ मील राष्ट्रिय राजपथ के रूप में घोषित कर दी गयी हैं।

पुल-निर्माण

राज्य भर में, पुल-निर्माण के संबंध में, यथेष्ट प्रगति हुई है। १९५२ ई० के पूर्व, ग्रैंड-ट्रंक-सड़क पर बराकर तथा पुनपुन नदियों के ऊपर पुल बनाये गये हैं। नदी के ऊपर संजय पुल बना और मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाने वाली सड़क पर भी एक पुल बना है। १९५२ ई० में जतमुलपुर घाट और मगरदेही के पुल बने हैं। ये दोनों समस्तीपुर से दरभंगा जाने वाली सड़क पर हैं। पटना से रांची जाने वाली सड़क पर बखरा और किचिनियां के पुल बने हैं। भागलपुर के पास खलखलिया नाला बना है। बेरो-गुमला सड़क पर नागफेनी का पुल बना है। पटना नगर में, पटना जंकशन रेलवे स्टेशन के पूरब रेलवे लाइन के ऊपर पुल बना कर सड़क बनी है। बूढ़ी-गंडक नदी के ऊपर, मुजफ्फरपुर में अखाड़ा घाट का पुल बन रहा है। कीउल नदी पर जमुई के पास एक पुल बन रहा है। सारन जिला में, सिवान से आन्दर जाने वाली सड़क पर भी, एक पुल बन रहा है। चोरा और बेलहरनी नदियों पर भी १० छोटे-छोटे पुल बन रहे हैं। ये पुल खड़गपुर-तारापुर-बेलहर सड़क पर हैं। डेहरी के पास सोन नदी पर भी एक पुल बनाने की पैमाइश हो रही है और उत्तर बिहार में महानन्दा नदी पर भी कुछ पुल बन रहे हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रगति-संबंधी आंकड़े

इस लेख में अब तक जो कुछ बताया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि इस राज्य में, सड़क और पुलों के निर्माण के संबंध में, संतोषजनक प्रगति हुई है। निम्नलिखित आंकड़ों से इस प्रगति का अनुमान भलीभांति किया जा सकता है :—

कार्य	गंगा के उत्तर	गंगा के दक्षिण	छोटानागपुर	कुल जोड़
	मील	मील	मील	मील
१। मिट्टी के काम	४३०	५४५	१८५	१,१६०
२। रोड़े-पत्थर बिछा कर पिटाई का काम	३२०	४०७	१४३	८७०
३। अलकतरा का काम	१९५	३१०	१९०	६९५

'ग्रिड और स्टार'-योजना

१९४५ ई० में, कृषि संबंधी क्षेत्रों तथा जनसंख्या के आधार पर, नागपुर में ग्रिड और स्टार योजना का उद्भव हुआ। इस योजना के अनुसार, इस राज्य की सड़कों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। प्रथम वर्ग में १०,६५९ मील राष्ट्रिय राजपथ, प्रान्तीय राजपथ और जिले की प्रमुख सड़कें हैं और द्वितीय वर्ग में २५,९८२ मील जिलों की छोटी सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें हैं। इस योजना के आधार के अतिरिक्त बिहार की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि जिले की प्रमुख सड़क, उस क्षेत्र के हरएक महत्त्वपूर्ण केन्द्र अथवा बाजार को रेलवे स्टेशन तथा नदी के घाट से मिलावे और प्रत्येक सबडिवीजन के केन्द्र-नगर को उस जिले के केन्द्र-नगर के साथ प्रान्तीय राजपथ द्वारा सम्बद्ध किया जाय ; यदि ऐसा न हो सके, तो कम-से-कम जिले की प्रमुख सड़क उन्हें सम्बद्ध करें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक थाना-केन्द्र, सबडिवीजन-केन्द्र के साथ, जिले की प्रमुख सड़क द्वारा सम्बद्ध हो।

अब तक जो कार्य हो चुका है, उसके आधार पर हम सड़कों के लिये एक ग्रिड का विकास कर सकते हैं। जो कार्य अभी बाकी है, उसे स्टार की अभिधा दी जा सकती है। इस प्रकार, इस योजना को 'ग्रिड और स्टार' योजना कह सकते हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भावी प्रगति

कुछ काल से, हमारे राज्य के सड़क-निर्माण अधिकारी, ग्रामीण सड़कों के विकास के संबंध में सोच-विचार करते रहे हैं। भारत सरकार ने सहकारिता के आधार पर ग्रामीण-सड़कों के विकास की एक योजना बनायी है। इसके अतिरिक्त सामूहिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत जो ग्रामीण सड़कें पड़ेंगी, उनका भी विकास स्वतः हो जायगा। उक्त योजनाओं के अनुसार हर ग्राम में, दो मील लम्बी सड़क तथा सभी क्षेत्रों को मिला कर २,६०० मील लम्बी सड़कों के सुधार का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों के सुधार के संबंध में विचार करते समय विभिन्न स्थानों की मिट्टी की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है। राज्य-सरकार इन सब समस्याओं के साथ-साथ, एक राजपथ निर्माण विभाग की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार कर रही है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में सामूहिक विकास-योजना की रूपरेखा

श्री श्रीधर वासुदेव सोहोनी, आई० सी० एस०, सचिव,
जनकार्य, सिंचाई और बिजली-विभाग, बिहार

"इक्षुच्छायनिषादिन्यः शालिगोप्यो जगुर्यशः"

— कालिदासः (रघुवंशम्)

"वीरभोग्या वसुन्धरा" के सुविख्यात सिद्धान्तानुसार, प्राचीन भारत में, सदियों तक जनसाधारण की यही धारणा थी कि जो शक्तिशाली हैं, वे ही भूमंडल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। अतएव, जो भी व्यक्ति, किसी देश अथवा भूखंड पर अपना स्वत्व स्थापित करना चाहते थे, वे निरंतर शक्ति-संचय में संलग्न रहते थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय संसार में जो भी सम्पत्ति थी, उसी का पुनर्वितरण शक्ति के सहयोग से होता था; सम्पत्ति के विकास की भावना विकसित नहीं हुई थी।

'स्वाधीनता' की एक प्रसिद्ध व्याख्या में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी कार्य को स्वतः आरंभ करने की क्षमता और उस क्षमता के विकास में ही स्वाधीनता का सार निहित है। यदि किसी देश के निवासियों को, स्वेच्छानुसार, अपनी रुचि के अनुकूल, कार्यों को चुनने और उनके सम्पादन के लिये प्रयत्न करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, तो उस देश के प्रकृत साधनों के सुविकास एवं जनता के कल्याण की सिद्धि नितान्त असंभव होगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी राष्ट्र की स्वाधीनता के बाद, उसकी समृद्धि क्रमशः होती है। १९४७ ई० में हमारा देश, सदियों के बाद, स्वतंत्र हुआ। उस समय से अब तक यहां की जनता के जीवन को उन्नत बनाने के लिये बहुत से महत्त्वपूर्ण कार्य किये गये हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सामूहिक विकास-योजना की विशेषता

उपर्युक्त कार्यों में, सामूहिक विकास-योजना का स्थान प्रमुख है। इस योजना की विशेषता यह है कि देश के प्रशासन की जो प्रणाली अब तक व्यवहृत की गयी थी, उससे यह योजना मौलिक रूप में भिन्न है। प्राचीन और मध्यकालीन युगों में, भारतवर्ष के अनेक शासकों ने, जनता के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के अभिप्राय से, उदारतापूर्वक सहायता दी थी। महाकवि कालिदास के सुप्रसिद्ध महाकाव्य की पूर्वोद्धित पंक्ति में, ग्रामीण जीवन की संतोषमूलक समृद्धि का जो चित्र हमें दृष्टिगत होता है, उससे स्पष्ट विदित होता है कि राज्याश्रय के परिणाम-स्वरूप, उस समय, जनता के सामान्य जीवन में, सुख-शान्ति का यथेष्ट संचार हो गया था। उसके बाद, काल क्रम से, देश में विदेशी शासन के स्थापित हो जाने पर, उक्त नीति में स्वभावतः परिवर्त्तन हो गया। शासनाधिकारियों ने जनता की धार्मिक धारणाओं अथवा प्रथाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप करने की नीति अपनायी। साथ ही, उन्होंने देश में वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये भी समुचित व्यवस्था की। १९वीं शताब्दी में, देश में भयंकर अकाल पड़ने के फलस्वरूप, सरकार ने विवश होकर बहुत से जन-कार्यों का आयोजन किया, जिससे कि पुनः खाद्याभाव न हो। १९वीं शताब्दी के बीतने के बाद, देश के प्रकृत साधनों के विकास के संबंध में, जो भी विचार-विमर्श हुए हैं, उनमें व्यापक उद्योगीकरण की नीति के लाभालाभ के विश्लेषण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इधर कुछ वर्षों से, बहु-विषयक नदी-घाटी योजनाओं की कार्यान्विति की ओर हमारा ध्यान गया है। यह एक शुभ लक्षण है!

एक महत्त्वपूर्ण घटना

सामूहिक विकास-योजना की कार्यान्विति हमारे राष्ट्रीय विकास के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। इस योजना के द्वारा, जनता स्वयं, संघटित होकर, आत्मविकास का आयोजन करती है। इस योजना का आधार यह है कि जनता स्वतः अपनी उन्नति के लिये उत्सुक है; और इसकी सिद्धि के लिये केवल स्थानीय साधनों का ही उपयोग किया जाता है। आवश्यकतानुसार, वैज्ञानिक प्रणाली का भी उपयोग इस योजना के लिये होता है; किन्तु इसका मुख्य आधार स्वावलम्बन है। इसका अर्थ यह है कि इस योजना के द्वारा हमारी राष्ट्रीय समृद्धि की आधार-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

शिला सुदृढ़ कर दी जाती है और जो भी आर्थिक अथवा वैज्ञानिक साधन सुलभ रहते हैं, उनका उपयोग सीमित रूप से न कर, व्यापक रूप से, सम्पूर्ण क्षेत्र के उन्नयन के लिये करते हैं।

प्राचीन भारत का आदर्श

प्राचीन भारत में हमारा उपर्युक्त आदर्श प्रचलित था। कौटिल्य ने, अपने "अर्थशास्त्र" में, इस सत्य की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया कि उन्नति अथवा समृद्धि जनता के पास पहुँचायी नहीं जाती; उन्हें स्वयं ऊपर उठ कर उसकी सिद्धि करनी पड़ती है। इसके विपरीत कुछ भी सोचना उचित नहीं। इसी आदर्श के अनुसार, सामूहिक विकास-योजना की कार्यान्विति के लिये जो संगठन किया गया है, उसका आधार यही है कि जनता स्वयं उक्त योजना की कार्यान्विति करेगी। इस योजना की कार्य-प्रणाली उस कार्य-पद्धति के सर्वथा प्रतिकूल है; जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कार्य का सम्पादन न कर अपने अधीनस्थ कर्मचारी से ही उसकी अपेक्षा करता है। सामूहिक विकास-योजना के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को; अपना-अपना कर्त्तव्य स्वयं करते हुए, सामान्य उद्देश्य की सिद्धि के लिये सचेष्ट रहना है।

क्षेत्रों का चुनाव

बिहार-राज्य में, सामूहिक विकास-योजना अभी प्रयोगात्मक रूप में, कार्यान्वित की जा रही है। इस कारण, इस प्रयोग के लिये राज्य के विभिन्न भागों में, ५ क्षेत्रविशेष चुन लिये गये हैं। उन्हीं क्षेत्रों में, आरंभ में यह प्रयोग किया जायगा। गंगा नदी की घाटी में पड़ने वाला बिहार का अंश स्वभावतः कृषि-प्रधान है। उसकी आबादी अत्यन्त सघन है। भूमि समतल है और १ हजार फुट की गहराई तक मिट्टी चिकनी है। वहां वर्षा भी खूब होती है। बिहार-राज्य में, सामूहिक विकास-योजना के प्रयोग के लिये, जो ५ क्षेत्र चुने गये हैं, उनमें से ३ उपर्युक्त घाटी में ही पड़ते हैं। इस भूमि-खंड का ऐतिहासिक महत्त्व भी विशिष्ट है। इन तीन क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:—

(१) पूसा-समस्तीपुर-बेगूसराय क्षेत्र—यह गंगा नदी के उत्तर की ओर स्थित है। इस क्षेत्र में, ऊख संबंधी अनुसंधान-कार्य का एक केन्द्र पहले से पूसा में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्थापित है। वहीं सहकारिता की शिक्षा के लिये एक शिक्षण-केन्द्र भी है। बछौर में पशु-नस्ल-सुधार-केन्द्र भी है। सहकारिता-ग्रान्दोलन के द्वारा पूसा के ग्रास-पास के क्षेत्र में, बहुत उन्नति हुई है। नलकूप-योजना के विकास के लिये भी यह क्षेत्र बहुत उपयुक्त है। यह क्षेत्र उत्तर विहार के मर्मस्थल के समीप है। यदि इस क्षेत्र में, कोई उन्नति होगी तो उसका प्रभाव, स्वभावतः, चारों ग्रोर के क्षेत्रों पर पड़ेगा ही। जनसंख्या की जितनी सघनता इस क्षेत्र में है, उतनी संसार के कृषि प्रधान क्षेत्रों में कहीं भी नहीं है। वर्षा ऋतु में नदियां उमड़ कर गावों में बाढ़ उत्पन्न कर देती हैं। ग्रनाजों की फसल के साथ-साथ तम्बाकू, ऊख ग्रौर मिरचाई की फसलों के कारण, इस क्षेत्र के गाँवों की शोभा वर्ष भर बनी रहती है। कहीं भी पत्थर का मिलना कठिन है। इसीलिये, मिट्टी के जो मकान बनते हैं, वे तुरत ध्वस्त हो जाते हैं। इस क्षेत्र में सामूहिक विकास-योजना के ग्रादर्श वाले जीवन को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, उसके समुचित विकास के लिये वहां पर्याप्त ग्रवसर भी मिलेगा।

(२) डेहरी-भभुग्रा-मोहनिया क्षेत्र—दक्षिण विहार में, सामूहिक विकास-योजना के प्रयोग के लिये, इस क्षेत्र का चुनाव, इसी कारण से किया गया कि वहां पर, तात्कालिक विकास के लिये पर्याप्त ग्रवसर है। इस क्षेत्र में, १८० नलकूप पहले से ही तैयार कर दिये गये हैं ग्रौर पृथ्वी के भीतर जो जलराशि है, उसके संबंध में भी जाँच-पड़ताल हुई है। इसके ग्रतिरिक्त, उक्त क्षेत्र में, कैमूर के पठार से निकल कर बहुत सी छोटी-छोटी नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। इनका उपयोग सिंचाई के लिये हो सकता है। कृषिसंबंधी विकास के लिये, सिंचाई की व्यवस्था ग्रावश्यक है। यदि इस क्षेत्र में, उपर्युक्त सिंचाई के साधनों का भरपूर उपयोग किया जाय, तो यह खाद्याभाव वाले क्षेत्र के वदले इस राज्य के ग्रन्नागार के रूप में परिणत हो जायगा।

(३) बरबीघा-विहारशरीफ-एकंगरसराय क्षेत्र—यह क्षेत्र पटना जिला के दक्षिणी भाग में ग्रवस्थित है। इसमें सिंचाई के साधनों के विकास की संभावना यथेष्ट है। फसलों को बदल-वदल कर ग्रधिक उत्पादन करने की प्रणाली के लिये भी यह क्षेत्र उपयुक्त है। इसी क्षेत्र में राजगृह, नालन्दा ग्रौर पावापुरी जैसे विश्व-विख्यात तीर्थ-स्थान हैं। इस क्षेत्र में, बहुत से नलकूपों के बन जाने के फल-स्वरूप, मिरचाई ग्रौर ग्रालू की फसलों के लिये सिंचाई की यथेष्ट सुविधा सुलभ

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

है। यहां सड़क यातायात की सुविधा भी है। साथ ही-बहुत सी छोटी-छोटी नदियाँ होने के कारण सिंचाई संबंधी विकास की संभावना यथेष्ट है।

(४) ओरमांझी-रांची-मांडर—सामूहिक विकास योजना के प्रयोग का यह चौथा क्षेत्र छोटानागपुर में है। इस क्षेत्र में वर्षा भरपूर होती है।

(५) रानेश्वर क्षेत्र—सामूहिक विकास योजना के प्रयोग का यह पांचवां क्षेत्र संताल परगना जिले में है। इस क्षेत्र के कुछ निवासी मयूराक्षी बांध बांधने के बाद निर्वासित हो जायंगे।

योजना का लक्ष्य

सामूहिक विकास-योजना के पूर्वोक्त क्षेत्रों में, जो कार्य किये जायंगे उनके लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

(क) कृषि संबंधी विकास—

(१) नयी और परती जमीन को कृष्य बनाना ;
(२) नहर, नलकूप, कुआं आदि के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था ;
(३) वैज्ञानिक खादों के उत्पादन की व्यवस्था ;
(४) उत्तम बीजों की व्यवस्था ;
(५) उन्नत कृषि, नाली और भूमि-उपयोग की व्यवस्था ;
(६) पशु-चिकित्सा की व्यवस्था ;
(७) कृषि संबंधी वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार की व्यवस्था ;
(८) भाषण, रेडियो वार्त्ता, चित्रपट, स्लाइड आदि के द्वारा कृषि संबंधी प्रचार की व्यवस्था ;
(९) उन्नत कोटि के कृषि संबंधी औजारों की व्यवस्था ;
(१०) कृषि के उत्पादन की बिक्री तथा कृषकों को उधार देने की व्यवस्था ;
(११) पशु-पालन के लिये पशु-नस्ल सुधार की व्यवस्था ;
(१२) मत्स्य-पालन का विकास ;
(१३) फलों और तरकारियों के उत्पादन का विकास ;
(१४) भूमि की पैमाइश तथा उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था ;

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(१५) प्राकृतिक और कम्पोस्ट खाद के व्यवहार को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था ; तथा

(१६) जंगलों की सुरक्षा और उनके विकास की व्यवस्था।

(ख) यातायात संबंधी विकास—

(१) सड़कों की व्यवस्था।

(ग) शिक्षा संबंधी विकास—

(१) बुनियादी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था ;

(२) विद्यालयों की स्थापना की व्यवस्था ; तथा

(३) वयस्क शिक्षा तथा पुस्तकालयों के प्रसार की व्यवस्था ।

(घ) स्वास्थ्य संबंधी विकास—

(१) सफाई (नालियों तथा कूड़ा-कर्कट की सफाई सहित) और जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा व्यवस्था ;

(२) पीने के लिये शुद्ध जल की व्यवस्था ;

(३) रोगियों के लिये चिकित्सा की व्यवस्था ; तथा

(४) गर्भवती स्त्रियों के लिये समुचित देख-भाल की व्यवस्था ।

(ङ) सामाजिक-कल्याण-संबंधी-विकास—

(१) सामूहिक मनोरंजन का आयोजन ;

(२) शिक्षा और मनोविनोद के लिये चित्रपट आदि की व्यवस्था ;

(३) खेल-कूद की व्यवस्था ; तथा

(४) सहकारिता और स्वावलंबन के आन्दोलनों का विकास।

(च) पूरक काम-काज संबंधी विकास—

(१) गृह-शिल्पों के विकास के द्वारा कृषकों के लिये पूरक काम-काज की व्यवस्था ; तथा

(२) मध्यम और लघु-कोटि के उद्योग-धंधों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(छ) निवास संबंधी विकास—

(१) गांवों में उन्नत कोटि के घरों के निर्माण के संबंध में शिक्षण और प्रदर्शन की व्यवस्था ; तथा

(२) स्वावलम्बन के आधार पर उन्नत कोटि के ग्रामीण-गृह बनाने के लिये प्रोत्साहन की व्यवस्था।

योजना का आर्थिक पक्ष

अभी इस योजना के अन्तर्गत पूर्वोक्त ५ क्षेत्रों में जो प्रयोग किये जायंगे वे तीन वर्ष की अवधि में पूरे होंगे और प्रत्येक क्षेत्र में, उनके लिये ६५ लाख रुपये व्यय करने का अनुमान किया गया है। इस राशि का आधा से अधिक अंश जन-कार्यों के लिये व्यय किया जायगा। यह मान लिया गया है कि जो सुविधाएँ अपेक्षित हैं, उनका एक-तिहाई अंश तो पहले से है ही, उसके बाद की एक-तिहाई के लिये कार्य-क्रम बनाया गया है। अंतिम एक-तिहाई अंश की पूर्ति ग्रामीण जनता स्वावलम्बन के बल से कर लेगी। व्यावहारिक रूप में, इस योजना के अन्तर्गत, जो भी कार्य होंगे, उनमें सरकार और जनता को आधा-आधी के आधार पर सहयोग करना होगा। यह सिद्धान्त सार्वजनिक क्षेत्रों के लिये लागू होगा। निजी क्षेत्रों में, सरकार केवल अल्पकालीन ऋण देकर सहायता देगी। किसी भी दिशा में, वैसे क्षेत्रों में, सरकार सहायता के लिये अनुदान नहीं देगी। उदाहरणार्थ, किसानों के व्यक्तिगत लाभ के लिये सिंचाई, वैज्ञानिक खाद आदि की जो व्यवस्था की जायगी उसका मूल्य उन्हें देना होगा। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर, उन्हें उपर्युक्त सामग्रियां कुछ काल के लिये उधार दी जा सकती हैं। किन्तु, मूल्य तो पूरी तरह उन्हें देना ही होगा। सामूहिक विकास योजना के संचालक उन्हें वैज्ञानिक परामर्श देंगे और उनके लिये आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था भी कर देंगे, पर उसका आर्थिक भार किसानों को ही पूर्णतः वहन करना होगा। यही इस योजना की विशेषता है। अबतक, सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को जो सहायता दी जाती थी, उसका आर्थिक भार भी सरकार पूरी तरह या अंशतः वहन करती थी। किन्तु, इस योजना में, ऐसी बात नहीं है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

योजना की सफलता

सामूहिक विकास योजना के कार्य-क्रम का तात्कालिक उद्देश्य यही है कि कृषि-संबंधी उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि हो जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि कार्यकर्त्तागण के हृदय में, अतिरिक्त उत्पादन की निश्चित भावना से कार्य करने का उत्साह हो। इस तरह का उत्साह तभी उत्पन्न हो सकता है, जबकि सुसंघटित स्वावलम्बन के आदर्श को अपनाकर वे जीवन की सुख-सुविधा की सामग्रियां अधिकाधिक परिमाण में पा सकें। हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी होगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी उपर्युक्त जीवन संबंधी सुख-सुविधाओं की मांग कर सकें और उनके लिये पर्याप्त मूल्य भी दे सकें। इस समय इसका सर्वथा अभाव है। इस प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने के लिये ग्रामीण कार्य-कर्त्ताओं तथा उच्चाधिकारियों को बड़ी सावधानी के साथ अपने कर्त्तव्य का पालन करना होगा। उनसे भी अधिक सतर्कता और सावधानी की अपेक्षा स्वयं ग्रामीणों को होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना वे अपने लक्ष्य की सिद्धि में कदापि सफल नहीं हो सकते। जनता का सहयोग भी इस योजना की सफलता के लिये अनिवार्य है। यह सहयोग, आर्थिक सहायता या स्वेच्छापूर्ण कार्य अथवा इन दोनों के रूप में दिया जा सकता है। किन्तु, किसी भी दशा में, जनता के सहयोग के बिना ग्रामीण विकास का कोई भी कार्य-क्रम सफल नहीं हो सकता।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में लोकप्रिय शासन की प्रगति

विधान-कार्य

जनतान्त्रिक आधार पर संघटित किसी भी देश अथवा राज्य की शासन-व्यवस्था के लिये, विधान-कार्य का महत्त्व अत्यधिक है। विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य के रूप में जनता के जो प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, वे ही जनतन्त्र के वास्तविक संरक्षक हैं। शासन संबंधी जिस नीति का निर्धारण वे करते हैं, उसी के अनुसार मन्त्रियों तथा राज के अधिकारियों के द्वारा शासन-संचालन होता है।

प्रथम अधिवेशन

आलोच्य वर्ष में, बिहार विधान सभा का प्रथम अधिवेशन १५ जनवरी, १९५१ ई० को आरम्भ हुआ और उसकी समाप्ति १७ मई, १९५१ ई० को हुई। ९७ दिनों तक चलने वाले उक्त अधिवेशन का मुख्य कार्य राज्य-सरकार के वार्षिक आय-व्ययक को स्वीकृत करना था। उस अधिवेशन में, २९ दिनों तक केवल आर्थिक कार्य किये गये। बिहार के राज्यपाल महोदय ने, उस अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए, बिहार विधान सभा तथा बिहार विधान परिषद् की सम्मिलित बैठक में अभिभाषण किया। उसके बाद, विगत वर्ष के द्वितीय और तृतीय पूरक आय-व्ययक तथा १९५१-५२ ई० के वार्षिक आय-व्ययक यथेष्ट विचार-विमर्श के बाद स्वीकृत हुए। इसके अतिरिक्त, बिहार विधान सभा ने १९४६-४७ ई० के कुछ अतिरिक्त अनुदान की भी स्वीकृति प्रदान की और सार्वजनिक आय-व्ययक-समिति द्वारा प्रस्तुत १९४७-४८ ई० के विवरण को भी स्वीकृत किया।

प्रश्नोत्तर और कार्यस्थगन प्रस्ताव

उपर्युक्त प्रथम अधिवेशन में लगभग १०० अल्प-सूचना प्रश्न किये गये। उनके अतिरिक्त १,२०० तारांकित तथा १५० साधारण प्रश्न भी किये गये, जिनके लिखित उत्तर दिए गये। ये प्रश्न विविध प्रकार के साधारण और महत्त्वपूर्ण विषयों के संबंध में किये गये। उक्त अधिवेशन में १४ कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ दी गयी थीं, किन्तु उनमें से एक की प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत न हुआ। उनमें से कुछ अनियमित घोषित किये गये और कुछ तो प्रस्तुत ही नहीं हुए।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अराजकीय संकल्प

कुल मिला कर ८५ अ-राजकीय संकल्पों की सूचनाएँ दी गयी थीं। पर उनमें से केवल ४ वस्तुतः प्रस्तुत हुए। जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुए, उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण श्री सैयद मजहर इमाम का वह संकल्प था, जिसके द्वारा यह माँग की गयी थी कि राज्य-सरकार भारत-सरकार से अनुरोध करे कि एक राष्ट्रीय विपत्ति को रोकने के अभिप्राय से केन्द्रीय-सरकार बिहार को २० लाख टन खाद्यान्न सहायता स्वरूप देने की व्यवस्था करे।

एक राजकीय संकल्प भी प्रस्तुत हुआ था। वह कृषि संबंधी भूमि पर कर लगाने के संबंध में कानून बनाने के विषय में था। कुछ विचार-विमर्श के बाद उसे स्थगित कर दिया गया। कुछ सदस्यों ने कहा कि उस संकल्प में दिए हुए सुझाव पर जनमत-संग्रह किया जाय।

खाद्य और वस्त्र की स्थिति

उपर्युक्त अधिवेशन के अन्त में, दो दिनों तक सदस्यों को खाद्य एवं वस्त्र के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने का अवसर दिया गया। उसी अवसर का उपयोग पूर्ति-मन्त्री ने, इस विषय में, एक विस्तृत वक्तव्य देने के लिये किया। उस वक्तव्य में खाद्य और वस्त्र संबंधी स्थिति का पूरा चित्रण किया गया था।

कानून-निर्माण

जहां तक कानून बनाने का प्रश्न है, २६ राजकीय विधेयक और अराजकीय दल के सदस्यों के दो विधेयक स्वीकृत हुए। इनके अतिरिक्त, दो राजकीय विधेयक तथा दो अराजकीय सदस्यों के विधेयक प्रवर-समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। इनके अतिरिक्त, चार और अराजकीय दल के सदस्यों के विधेयक थे। उनमें से एक अस्वीकृत हुआ, एक जनमत संग्रह के लिये प्रकाशित किया गया और शेष दो के विषय में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

शरत् अधिवेशन

बिहार विधान सभा का शरत् अधिवेशन २० अगस्त, १९५१ ई० को आरम्भ हुआ और ३ अक्तूबर, १९५१ ई० तक चलता रहा। इस अवधि में २७ बैठकें हुईं, जिनमें कुल ६६१ तारांकित और साधारण अल्प-सूचना प्रश्न पूछे गये। उनमें से ५९२ प्रश्न स्वीकृत हुए। स्वीकृत प्रश्नों में से ५२५ के उत्तर दिये गये और २५ प्रश्न विधान सभा नियमावली के अनुसार

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

रद्द हो गये। ४२ प्रश्न, उस अधिवेशन के अन्त तक विचाराधीन रहे। जो ३१७ तारांकित अल्प-सूचना प्रश्नों के उत्तर दिये गये, उनके विषय में कुल मिला-कर ६७० पूरक प्रश्न किये गये।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव और संकल्प

उक्त अधिवेशन में, ७ स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी गयी थी, पर उनमें से किसी को भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृत नहीं किया। १५ अराजकीय संकल्प विचारार्थ दिये गये थे, किन्तु उनमें से केवल ५ पर ही विचार-विमर्श हुआ। उनमें से एक के द्वारा यह मांग की गयी थी कि राज्य में बुनियादी-शिक्षा-योजना की कार्यान्विति के संबंध में, जांच-पड़ताल करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाय। शिक्षा-मंत्री के स्पष्टीकरण के बाद, उक्त संकल्प आवश्यक संशोधन के उपरान्त स्वीकृत हुए। तदनुसार, प्रस्तावित समिति को पुरानी प्राथ-मिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया। सहायता और पुनर्वास विभाग के मन्त्री ने एक राजकीय संकल्प के द्वार शरणार्थियों के हितों में विभेद की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव का संबंध भारतीय संविधान की धारा संख्या २५२(१) से था। एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा, राज्य-सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह भारतीय-सरकार से, इस बात के लिये आग्रह करे कि आगामी साधारण निर्वाचन की मतदान सूचियों में जिन महिलाओं के नाम, "अमुक व्यक्ति की मां अथवा अमुक व्यक्ति की पत्नी के रूप में लिखे गये हैं" उन्हें भी आवश्यक संशोधन के द्वारा मत देने का अधि-कार दिया जाय। एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा, भारत के प्रधान के प्रति बिहार की जनता की ओर से इस बात के लिये कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया कि उन्होंने कोशी-योजना के संबंध में, अविलम्ब कार्यारंभ करने का निश्चय किया हैं।

अंतिम अधिवेशन

१९४६ ई० में, १९३५ ई० के पुराने भारतीय संविधान के अनुसार, संघटित बिहार विधान सभा का अंतिम अधिवेशन, ३ मार्च, १९५२ ई० से ३१ मार्च, १९५२ ई० तक हुआ। उक्त अधिवेशन में, कुल मिला कर ३०२ प्रश्न किये गये, जिनमें से १८६ के उत्तर दिये गये और ७१ अवधि बीत जाने के कारण रद्द हो गये। उस अधिवेशन में कुल मिला कर ५ संकल्प विचारार्थ प्राप्त हुए थे। उनमें से दो निर्धारित समय बीतने के बाद आये थे और एक अस्वीकृत कर दिया गया था। शेष दो संकल्प भी प्रस्तावकों द्वारा सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विधान-निर्माण

विधान सभा का मुख्य कार्य, विधान-निर्माण है। बिहार : १९४६—५१ ई० में, हमने बिहार विधान सभा का जो पंचवर्षीय विवरण प्रस्तुत किया था, उसमें इसका विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। जिन विधेयकों का उल्लेख उस विवरण में हुआ है, उनके अतिरिक्त १९५१-५२ ई० में, विधान सभा ने जिन विधेयकों पर विचार-विमर्श किया वे निम्नलिखित हैं :—

(१) बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन होमस्टेड टेनेन्सी (संशोधन) बिल, १९५१ई०— इस विधेयक का अभिप्राय यह था कि जिन रैयतों के पास अपने घर की भूमि के अतिरिक्त १० कट्ठा भी भूमि नहीं है, उनको भी कानूनी सुरक्षा मिले। यह विधेयक, विधान सभा द्वारा, ३० अगस्त, १९५१ ई० को स्वीकृत हो गया और विधान परिषद् ने २० सितम्बर, १९५१ ई० को, कुछ साधारण संशोधनों के बाद, इसके विषय में सहमति प्रदान की।

(२) दी बिहार टेनेन्सी (संशोधन) बिल, १९५१ ई०—इस विधेयक का उद्देश्य, उन रैयतों को लाभ पहुंचाना था, जो हथिया की वर्षा के अभाव के कारण क्षतिग्रस्त हुए थे। कुछ विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक स्थगित कर दिया गया।

(३) दी संथाल परगना टेनेन्सी (संशोधन) बिल, १९५१ ई०—यह विधेयक संथाल परगना के रैयतों को अपने खेतों के वृक्षों तथा बांसों पर अधिकार देने के लिये प्रस्तुत किया गया था। २९ मार्च, १९५१ ई० को यह स्वीकृत हुआ।

(४) दी कोशी एरिया बिल, १९५० ई०—इस विधेयक का उद्देश्य, कोशी पीड़ित क्षेत्रों के रैयतों को, उनकी भूमि के विषय में, कुछ विशेष सुविधा प्रदान करना था। यह विधेयक २९ अप्रैल, १९५१ ई० को स्वीकृत हुआ।

(५) बिहार के चीनी के कारखानों के नियंत्रण के लिये १९३७ ई० में जो कानून बना था, उसमें कुछ आवश्यक संशोधन करने के लिए एक विधेयक १८ जनवरी, १९५१ ई० को प्रस्तुत हुआ। इसका अभिप्राय ऊख के किसानों को लाभ पहुंचाना था। प्रवर समिति द्वारा विचार-विमर्श के बाद, यह विधेयक स्थगित कर दिया गया।

(६) दी बिहार मनीलेंडर बिल नामक एक विधेयक उस विषय के १९३९ ई० वाले कानून के संशोधन के लिये प्रस्तुत हुआ और प्रवर समिति में भेजा गया। प्रवर समिति की रिपोर्ट के साथ, २२ अगस्त, १९५१ ई० को विधान सभा ने उस पर विचार किया और उसे स्वीकृत भी किया। उसके बाद, वह विधेयक बिहार विधान परिषद् के समक्ष प्रस्तुत हुआ। किन्तु कुछ वैधानिक अड़चनों के कारण, उसके विषय में आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(७) दी बिहार पब्लिक डिमान्ड रिकवरी (संशोधन) बिल, १९५१ ई०—यह विधेयक बकाया लगान की वसूली के अभिप्राय से प्रस्तुत किया गया और २५ सितम्बर, १९५१ ई० को स्वीकृत हुआ। उसके बाद विधान परिषद् ने उसमें कुछ संशोधन किये, जिन्हें विधान सभा ने ३ अक्तूबर, १९५१ ई० को स्वीकार किया।

(८) दी बिहार एन्ड उड़ीसा पब्लिक डिमान्ड रिकवरी (द्वितीय संशोधन) बिल, १९५१ ई०—इस संशोधन का अभिप्राय, १९१४ ई० के तत्संबंधी कानून में व्यापक रूप से संशोधन करना था।

(९) बिहार-राज्य के जिला बोर्डों तथा नगरपालिकाओं के निर्वाचनों के संबंध में भी, एक विधेयक प्रस्तुत हुआ। वह विधान सभा द्वारा २२ अगस्त, १९५१ ई० को और विधान परिषद् द्वारा १७ सितम्बर, १९५१ ई० को स्वीकृत हुआ।

(१०) दी बिहार माइनिंग सेट्लमेंट (संशोधन) बिल, १९५१ ई०—यह विधेयक खान संबंधी कानून को भंग करने वाले व्यक्तियों को अधिक दंड देने के अभिप्राय से प्रस्तुत किया गया। इसे विधान सभा ने २२ अगस्त, १९५१ ई० को और विधान परिषद् ने १९ सितम्बर को स्वीकृत किया।

(११) दी बिहार सेस (संशोधन) बिल, १९५१ ई०—इस विधेयक का अभिप्राय राज्य-कर देने में विलम्ब करने वाले जमींदारों को दंडित करना था। विधान सभा द्वारा १८ सितम्बर, १९५१ ई० को और परिषद् द्वारा २४ सितम्बर, १९५१ ई० को वह स्वीकृत हुआ। परिषद् ने उसमें जो संशोधन किये थे, उन्हें विधान सभा ने १ अक्तूबर, १९५१ ई० को स्वीकार कर लिया।

(१२) दी बिहार सेल ऑफ खद्दर बिल, १९५१ ई०—इस विधेयक का उद्देश्य सच्ची खादी के व्यापारियों के हितों को सुरक्षित रखना था। यह विधेयक विधान सभा द्वारा २५ सितम्बर, १९५१ ई० को और परिषद् द्वारा २९ सितम्बर, १९५१ ई० को स्वीकृत हुआ।

(१३) दी बिहार पब्लिक सर्वेंट एनक्वायरी (संशोधन) बिल, १९५१ ई०—इस विधेयक का अभिप्राय तत्संबंधी १९५० ई० के कानून में, आवश्यक संशोधन कर उसे गजटेड अफसरों के अतिरिक्त अन्य राजकीय कर्मचारियों पर भी लागू करना था। यह विधान सभा द्वारा २४ सितम्बर, १९५१ ई० को और विधान परिषद् द्वारा २९ सितम्बर, १९५१ ई० को स्वीकृत हुआ।

(१४) दी बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड बिल, १९५२ ई०—बिहार में, पटना विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय नामक दो नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना २ जनवरी, १९५२ ई० से हो जाने के फलस्वरूप, मैट्रिकुलेशन परीक्षा के स्वतंत्र रूप से संचालन की व्यवस्था करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा एक स्वतंत्र माध्यमिक परीक्षा समिति की स्थापना हुई है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(१५) दी बिहार फाइनेन्स बिल, १९५२ ई०—बिहार-राज्य में राज्यकर संबंधी जो विभिन्न कानून लागू किये गये हैं, उनकी कुछ त्रुटियों के निवारण के लिये यह विधेयक स्वीकृत किया गया।

अराजकीय विधेयक

उपर्युक्त वर्ष में, ३ अराजकीय विधेयक भी प्रस्तुत और स्वीकृत किये गये, जो निम्नलिखित हैं :—

(१) दी बिहार वक्फ (संशोधन) बिल, १९५१ ई०
(२) दी बिहार वक्फ (द्वितीय संशोधन) बिल, १९५१ ई०
(३) दी बिहार प्रिवेन्सन ऑफ बेगरी बिल, १९४८ ई०

पहले दो विधेयक श्री मोहम्मद अब्दुल गनी ने प्रस्तुत किये थे और तीसरा विधेयक श्री महेश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तीसरे विधेयक का अभिप्राय इस राज्य में भिक्षाटन-प्रथा को मिटाना था।

बिहार विधान परिषद्

१९५१ ई० के जनवरी मास से १९५२ ई० के मार्च मास तक, बिहार विधान परिषद् के कुल ३ अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन १५ जनवरी, १९५१ ई० से २२ मई, १९५१ ई० तक हुआ। दूसरा अधिवेशन, जिसे शरत् अधिवेशन कहते हैं, ३० अगस्त, १९५१ ई० से १ अक्तूबर, १९५१ ई० तक हुआ। और पुरानी परिषद् का अंतिम अधिवेशन ३ मार्च, १९५२ ई० से ३१ मार्च, १९५२ ई० तक हुआ। उसके बाद, वह विधान परिषद् भंग हो गयी और नवीन भारतीय संविधान के अनुसार नयी विधान परिषद् का संगठन हुआ।

प्रश्नोत्तर

१९५१ ई० के उपर्युक्त प्रथम अधिवेशन में, कुल ६८७ साधारण प्रश्नों की सूचना दी गयी थी, जिनमें से ६३४ स्वीकृत हुए। ५५७ प्रश्नों के उत्तर उस अधिवेशन में दिये गये और शेष विचाराधीन रहे। इन प्रश्नों के अतिरिक्त केवल दो तारांकित प्रश्न किये गये थे, से जिनमें से एक का उत्तर दिया गया और दूसरा विचाराधीन रहा। २३ अल्प-सूचना प्रश्न भी किये गये; इनमें से ११ स्वीकृत हुए और उनके उत्तर भी दिये गये।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उपर्युक्त शरत् अधिवेशन में, ३६६ साधारण प्रश्नों की सूचना दी गयी। जिनमें से ३३९ स्वीकृत हुए, १६ अस्वीकृत हुए, और १४ वापस ले लिये गये। २७५ प्रश्नों के उत्तर दिये गये और ६४ विचाराधीन रहे। केवल तारांकित प्रश्न प्राप्त हुआ, वह स्वीकृत हो गया, किन्तु उसका उत्तर नहीं दिया जा सका। इनके अतिरिक्त १२ अल्प-सूचना प्रश्न भी प्राप्त हुए, जिनमें से ८ स्वीकृत हुए और उनके उत्तर भी दे दिये गये।

अंतिम अधिवेशन में, १८४ साधारण प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें से १८१ स्वीकृत हुए और ३ अस्वीकृत। उनमें से १५५ प्रश्नों के उत्तर दिये गये और २६ विचाराधीन रहे। ६ तारांकित प्रश्न प्राप्त हुए थे और सभी स्वीकृत हुए। इनमें से एक वापस ले लिया गया और ५ स्वीकृत हुए। दो अल्प-सूचना प्रश्न भी प्राप्त हुए थे पर दोनों ही अस्वीकृत हो गये ?

संकल्प

पूरे वर्ष में, अर्थात् अप्रैल, १९५१ ई० से अप्रैल, १९५२ ई० तक, बिहार विधान परिषद् में विचारार्थ कुल ५७ संकल्प प्राप्त हुए। इनमें से ५० स्वीकृत हुए, किन्तु २४ प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये और ७ विचार-विमर्श के बाद वापस ले लिये गये। उनमें से ११ संकल्प भीड़ के कारण छूट गये, ४ समय बीत जाने के कारण रद्द हो गए और १ अस्वीकृत हुआ और शेष ३ स्वीकृत हुए।

विधान-निर्माण

अप्रैल, १९५१ ई० से मई, १९५२ ई० की अवधि में ४४ राजकीय विधेयक बिहार विधान सभा से परिषद् के समक्ष प्रस्तुत हुए। इनमें से ३४ बिना किसी संशोधन के परिषद् द्वारा स्वीकृत हो गये। शेष ८ में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गये और उन संशोधनों को बिहार विधान सभा ने स्वीकार कर लिया।

इन राजकीय विधेयकों के अतिरिक्त दो अराजकीय विधेयक भी बिहार विधान परिषद् के समक्ष प्रस्तुत हुए। पहला विधेयक बिहार-राज्य के अनाथालयों तथा विधवालयों की देख-रेख के लिये प्रस्तुत किया गया था और दूसरा दूध तथा दूध से उत्पन्न सामग्रियों के नियंत्रण के लिये। ये विधेयक जनमत-संग्रह के लिये

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रकाशित किये गये और जो मत प्राप्त हुए वे सदस्यों के पास सूचनार्थ भेजे गये। किन्तु, उसके बाद, उनके प्रस्तावकों ने परिषद् के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः वे रद्द हो गये।

कार्य-स्थगन-प्रस्ताव

आलोच्य वर्ष में, बिहार विधान परिषद् में, कार्य-स्थगन के लिये कुल ४ प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से एक अस्वीकृत हो गया और शेष ३ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किये गये।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में लोकप्रिय शासन की प्रगति

पूर्ति एवं मूल्य-नियंत्रण

१९५१-५२ ई० के वर्ष में, बिहार-राज्य में, अन्न एवं वस्त्र-संकट का सामना करना पड़ा है। कुछ कारण ऐसे थे कि उन पर विजय पाना सहज सम्भव नहीं था। फिर भी, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए, राज्य-सरकार ने जनता के कष्ट-निवारण के लिए यथाशक्ति व्यवस्था कर दी थी। उन संकटों और उनके निवारणार्थ किये गये प्रयासों का संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है।

१९५१-५२ ई० के वर्ष का खाद्य-संकट आकस्मिक नहीं था। १९४३ ई० से ही ऐसे कारण उपस्थित होते आ रहे थे कि कुल मिला कर उन्होंने भयंकर संकट उत्पन्न कर दिया। यों तो इस संकट का मुख्य कारण फसल का मारा जाना ही है, किन्तु नेपाल से चावल का और विदेशों से अन्न का आना बन्द होने से स्थिति अधिक संकट-पूर्ण हो गयी थी।

हम पाते हैं कि फसल के मारे जाने से १९५१ ई० में २० लाख टन अर्थात् कुल उपज का ४० प्रतिशत कम हुआ था। इसमें सन्देह नहीं कि 'समस्या बहुत गम्भीर थी। परन्तु, भारत-सरकार एवं अन्य राज्य-सरकारों के सहयोग से संकट-निवारण के लिए उचित व्यवस्था कर दी गयी थी।

१९५१ ई० में अप्रैल से दिसम्बर महीने तक राशन की दूकानों से बिके खाद्यान्न का विवरण नीचे दिया जाता है, और इससे यह प्रकट हो जायगा कि सरकार ने व्यापक रूप से राशन का कैसा प्रबन्ध किया था :—

	बिक्री (टन में)	राशन-दूकानों की संख्या
अप्रैल	३०,००३	४,०३९
मई	८२,५११	६,३६६
जून	९१,९२१	८,७४३
जुलाई	९८,८६६	९,९४७
अगस्त	८२,७४९	१०,७२७
सितम्बर	५०,१२०	११,१७७
अक्तूबर	२८,१८४	११,१७७
नवम्बर	२९,४५६	११,१७७
दिसम्बर	२५,८३४	११,१७७

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उस वर्ष अगस्त महीना पहुँचते-पहुँचते दो करोड़ से अधिक व्यक्ति राशन की दूकानों से लाभ उठाने लगे थे। राशन-व्यवस्था करने के अतिरिक्त, ८९,९०४ मन गल्ला मुफ्त बांटा गया था और १०,००० टन खजूर भी या तो मुफ्त बाँटा गया या केवल नाममात्र की कीमत पर बेचा गया।

सरकारी गल्ले की बिक्री में कमी

१९५२ ई० के प्रारम्भ में लक्षण शुभ थे। मकई और अगहनी की फसल अच्छी थी। रबी के भी सुधर जाने की आशा थी। फल यह हुआ कि सरकारी गल्ले का खिंचाव कम हो गया। इसी बीच नेपाल से धान-चावल भी आने लगा। फलतः, बिहार-राज्य ने, इस वर्ष, अपने २ लाख ७४ हजार टन के कोटे में से केवल ३०,००० टन ही गल्ला लिया है—अधिक लेने की आवश्यकता ही न पड़ी। राशन की दुकानों पर बिक्री कम हो गयी थी। इसके दो कारण थे—एक तो यह कि लोगों की क्रय-शक्ति कम हो गयी थी, और दूसरे यह कि उत्तर बिहार में शकरकन्द अधिक होने से गल्ले की कम खरीद होती थी।

सहायता-योजनाएँ

अभावग्रस्त क्षेत्रों की जनता के कष्ट निवारण के लिए, वहां सहायता-योजनाएँ भी चालू की गयी थीं। आजकल भी साहेबगंज, भभुआ, बांका, जमुई, नवादा, ससराम औरबेतिया सबडिवीजनों के कुछ भागों में और, साथ ही, पटना, पलामू और हजारीबाग जिलों के कतिपय अंशों में, ये सहायता-योजनाएँ पूरी तरह काम कर रही हैं।

अन्न-खरीद का कार्य

चावल का अभाव होने और भारत-सरकार से भी चावल का कोटा न मिलने के कारण अन्न-खरीद की योजना शुरू करने का निश्चय किया गया। भारत-सरकार की सम्मति से खरीद की दर में प्रति मन लगभग दो रुपये १ नवम्बर, १९५१ ई० से बढ़ा दिये गये। अर्थात्, धान की दर ८ रु० से ९ रु० ५ आने प्रति मन; मोटा चावल की १३ रु० ४ आने से १५ रु० ४ आने प्रति मन, मध्यम राशि के चावल की १४ रु० ४ आने से १६ रु० ४ आने प्रति मन और बढ़िया चावल की अधिकतम् दर २५ रु० प्रति मन निश्चित कर दी गयी। गत वर्ष की ही तरह इस वर्ष भी ३०,००० टन चावल या १५ लाख मन धान खरीदने का आयोजन था। निर्वाचन में सरकारी अधिकारियों के फंसे रहने के कारण खरीद का काम पूरी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

तरह नहीं हो सका। उत्तर विहार में, १९५१ ई० के नवम्बर महीने में ही, चावल और धान के यातायात पर से रोक हटा ली गयी थी। खुले बाजार में, चावल खरीदने की लोगों को छूट थी।

गल्ले के गोदाम

१९५१ ई० के अंतिम चरण में सरकार के अधिकार में २ लाख टन गल्ला था। उसको सुरक्षित रखने का प्रश्न भी कम गंभीर न था। सरकारी गोदामों में, मुश्किल से ३० हजार टन गल्ला रखा जा सकता था। फलतः, सरकार ने वाध्य होकर धर्मशाला इत्यादि से गोदाम का काम लिया था। हाल में, मोकामा और पटना में बहुत अच्छे ढंग के गोदाम बनाये गये हैं। गल्ले को रखने के प्रश्न के साथ-साथ कीड़ों से उनकी रक्षा का भी सवाल था। इसके लिये भी सरकार, समय-समय पर उचित व्यवस्था करती रही है। इन सब कामों पर खर्च भी काफी वैठा है। हम पाते हैं कि केवल अन्न की ही व्यवस्था करने में सरकार को, लगभग ४० करोड़ रुपये खर्च करने पड़े हैं।

गत जून महीने में, भारत के खाद्य-मंत्री से विचार-विमर्श के वाद यह तय हुआ था कि खाद्य-नियंत्रण और यातायात-प्रतिबन्ध की जो कड़ाइयां हैं, वे कुछ कम कर दी जायें। फलतः, यातायात प्रतिवन्ध बहुत अंश तक कम हो गये हैं।

अन्य आवश्यक सामग्रियां

१९५१ ई० की १ जून को लखनऊ में ईस्ट इण्डियन रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे, भारत-सरकार के खाद्य-कृषि-मंत्रालय और उत्तर प्रदेशीय तथा बिहार-राज्य की सरकारों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें यह निर्णय हुआ था कि खाद्यान्न के अतिरिक्त जो अन्य सामग्रियां हैं, उन्हें उत्तर विहार और पूर्वी उत्तर-प्रदेश के भागों में भिजवाने की व्यवस्था की जाय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उत्तर विहार में सामग्री पहुँचाने का कोई सरल साधन नहीं है। इससे कठिनाई उपस्थित होती रहती है। किन्तु, उस भूभाग की इस समस्या को प्रायमिकता देकर, किसी प्रकार भिजवाने का प्रवन्ध किया जाता है।

सिमेंट—अप्रैल, १९५१ ई० से लेकर जून, १९५२ ई० तक के लिए, बिहार का सिमेंट का कोटा कुल १,७१,००० टन था। इसमें से ७१,९०० टन जन-कार्य-विभाग को मिला, १,९०० टन श्रम-विभाग को तथा ९७,२०० टन स्वायत्त-संस्थाओं और जनता में वितरित हुआ। उत्तर बिहार में भी सिमेंट उचित मात्रा में भेजा गया था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कोयला—उत्तर बिहार के लिए ईंट पकाने का कोयला सुलभ करने के उद्देश्य से गंगा नदी के दक्षिणी घाट पर कई टाल खोल दिये गये थे। इन टालों के कारण उत्तर बिहार के उपभोक्ताओं को कोयला मिलने में बड़ी आसानी हुई है।

किरासन तेल—दक्षिण बिहार और छोटानागपुर में किरासन तेल का बाहुल्य रहा है; बल्कि कहीं-कहीं तो नियंत्रित दर से भी कम पर यह तेल बिका है। यातायात की असुविधा के कारण, उत्तर बिहार में अवश्य इस तेल का अभाव रहा है। वहां की भी स्थिति सुधारने के लिए यह कोशिश की जा रही है कि उत्तर बिहार में ही सीधे माल मंगाने का प्रबन्ध हो जाय। मोकामाघाट का रोक हो जाने से अब तक यह होता रहा है कि नाव या स्टीमर पर तेल के टिन मंगा कर यहां से फिर उत्तर बिहार में भेजे जाते रहे हैं।

नमक—बिहार-राज्य में नमक के वितरण और मूल्य पर राज्य-सरकार का केवल अल्परूप से नियन्त्रण रहता है। वस्तुतः, नमक का कोटा भारत-सरकार प्रति व्यक्ति १४ पाउंड प्रति वर्ष के हिसाब से देती है और उसी का वितरण यहां विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है।

क्षेत्रीय योजना के अनुसार, १९५१ ई० में बिहार को ६७,३०,००० मन नमक मिला था, जिसमें से २९,३०,००० मन उत्तर बिहार को दिया गया और शेष ३८,००,००० मन दक्षिण बिहार को। इस वर्ष, १९५२ ई० में, बिहार को ६८,२९,००० मन का कोटा मुख्यतः कलकत्ता, खरागोडा, उत्तरी मद्रास, उड़ीसा और बम्बई से प्राप्त हुआ है। राजस्थान से गत वर्ष जहां २० लाख मन मिला था, वहां इस वर्ष केवल ५ लाख मन मिला है; क्योंकि वहां के उत्पादन में, वर्षा के अभाव के कारण, ६० प्रतिशत की कमी हो गयी है।

चीनी

अप्रैल, १९५१ ई० से फरवरी, १९५२ ई० तक बिहार में चीनी की स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी; क्योंकि केन्द्रीय-सरकार द्वारा निश्चित मासिक ५ हजार टन का कोटा पूरा नहीं पड़ता था। चीनी-निर्यात पर प्रतिबन्ध न होने के कारण, बिहार-राज्य में उत्पादित चीनी का अधिकांश बाहर चला जाता था; क्योंकि वहां अधिक मूल्य मिलता था। यद्यपि गुड़, खाँड़ और मिश्री के निर्यात की छूट थी; किन्तु स्थिति सुधारने के उद्देश्य से यह तय हुआ कि राज्य के कोटे की चीनी से तैयार मिश्री के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। चीनी की मिलों को यह सुविधा दी गयी थी कि वे अपनी अतिरिक्त चीनी खुले बाजार में बेच सकती हैं। किन्तु, उसकी दर अधिक होने के कारण लोग आसानी से नहीं खरीद पाते थे। कोटे की चीनी का वितरण सरकारी दूकानों के द्वारा होता था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मार्च, १९५२ ई० के बाद से चीनी का बाहुल्य हो गया है। बात यह है कि चीनी का उत्पादन बढ़ गया है और साथ ही, केन्द्रीय-सरकार ने, विहार के कोटे में १० प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। चीनी का इतना बाहुल्य हो गया है कि सरकारी दूकानों से लोग चीनी नहीं खरीदते और व्यापारी अपना कोटा नहीं उठा रहे हैं। फलतः सरकार ने हाल ही चीनी की राशनिंग भी समाप्त कर दी है ताकि लोगों को खरीदने की पूरी छूट हो।

सीमावर्ती राज्यों में चीनी-निर्यात का जो प्रतिबन्ध था उसे केन्द्रीय-सरकार ने ३ जून, १९५२ ई० से उठा दिया है।

वस्त्र की स्थिति

वस्त्र की स्थिति--विवेच्य वर्ष के प्रारम्भ में वस्त्र-संकट चरम-सीमा पर था। कपड़े की मिलों की हड़ताल ने कोढ़ में खाज का काम किया था। १९५१ ई० के अप्रैल से जून तक कपड़े की कीमत मिल की निर्धारित दर पर ८० से लेकर १२५ प्रतिशत तक बढ़ गयी थी। इस बीच, अस्थायी कोटे मँगाने पड़े थे, जिससे स्थिति अवश्य कुछ सुधरी थी। वितरण पर कड़ाई करने के लिए जून, १९५१ ई० में नियंत्रण लगा दिया गया।

भारत-सरकार ने जुलाई, १९५१ ई० और अक्तूबर, १९५१ ई० की गांठों में उत्तम और अत्युत्तम कोटि के वस्त्रों का मूल्य घटा दिया। परन्तु, इसका प्रभाव प्रतिकूल ही पड़ा। लोगों ने खरीदा नहीं और माल जमा हो गया। फलतः, विना राशन कार्ड के मनचाही मात्रा में वस्त्र खरीदने की छूट दे दी गयी।

विवाहादि और होली के अवसरों पर अतिरिक्त वस्त्र मँगा कर स्थिति सुधारी गयी थी।

तभी सहसा मार्च, १९५२ ई० में वस्त्र की कीमत बहुत गिर गयी। और कीमत इतनी गिरी कि लोगों ने भविष्य की आशा में वस्त्र खरीदना भी रोक दिया। फलतः, सरकार ने उत्तम और अत्युत्तम कोटि के वस्त्रों की बिक्री पर से प्रतिबन्ध उठा लिया; केवल साड़ी, धोती और मोटे कपड़ों की बिक्री पर प्रतिबन्ध रहा, क्योंकि इनकी माँग अधिक थी। निर्यात कम होने से, सरकार ने कपड़े के कारखानों को छूट दी कि वे अपने मोटे कपड़े के उत्पादन का ८० प्रतिशत अपने मनचाहे लोगों के हाथ बेच सकते हैं। इस समय केवल २० प्रतिशत ही राज्य के वितरण नियन्त्रण में है।

आजकल राज्य में वस्त्र सुलभ है और खुले बाजार में उचित मूल्य पर वस्त्र मिल रहे हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सूत—सूत की स्थिति में भी उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। गत वर्ष इस राज्य को सूत की औसतन २,२०० गांठें मिली हैं।

सूत-वितरण की उचित व्यवस्था के लिए, यह तय हुआ था कि कोटे में मिले सूत से तैयार कपड़े को प्रस्तुत करने पर ही बुनकरों को नया कोटा दिया जा सकता है। इससे सूत की चोरबाजारी की गुंजाइश ही न रही और जाली बुनकर भी गायब हो गये। परन्तु, इधर सूत का बाहुल्य हो गया है। फलतः, उक्त नियम उठा दिया गया है और प्रति करघा, सूत की मात्रा, तिगुनी कर दी गयी है। साथ ही, आतातकों को यह सुविधा भी दी गयी कि वे अपने कोटे का ५० प्रतिशत अपने मनचाहे व्यक्तियों के हाथ बेच सकते हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वायत्त-शासन और जन-स्वास्थ्य

स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद, स्वभावतः ही, इस भू-भाग की प्राचीन गणतन्त्रात्म शासन-प्रणाली की ओर राज्य सरकार का ध्यान गया। फलतः, उस शासन-प्रणाली की नींव, ग्राम-पंचायत संघटित करने की योजना बनी। साथ ही, जिला बोर्डों और नगरपालिकाओं की प्रशासन-व्यवस्था में भी पर्याप्त सुधार किये गये। शासन-व्यवस्था में जन-स्वास्थ्य के संरक्षण और विकास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतएव, इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए भी आवश्यक कार्य, विवेच्य वर्ष (१९५१-५२) में किये गये हैं। समस्त कार्यों का सिंहावलोकन करते हुए उनका एक संक्षिप्त परिचय यहां दिया जा रहा है।

ग्राम-पंचायत की योजना का सूत्रपात १९४९ ई० में ही हुआ था। इस योजना के अन्तर्गत संघटित ग्राम-पंचायतों की प्रगति निरन्तर होती आ रही है। आलोच्य वर्ष (१९५१-५२) में अधिसूचित ग्राम पंचायतों की संख्या १,०७९ थी और इस योजना पर कुल १३,५९,८१९ रुपये खर्च हुए थे। सूई-टीका देना, सफाई, कृषि-सुधार जैसे ग्रामोपयोगी कार्यों की शिक्षा १,२७९ ग्रामसेवकों को दी गयी और इस पर कुल १,७५,९४० रुपये खर्च हुए। ग्रामसेवक दल होने से चोरी-डकैतियों में काफी कमी हुई है।

जिन ग्रामों में ग्राम-पंचायतें बनीं, वहां की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हो गया है। ग्राम-पंचायतों ने गांव वालों के सहयोग से सड़क की मरम्मत, सड़क की तैयारी, स्कूल-भवन-निर्माण इत्यादि कई उपयोगी कार्य किये हैं। कई स्थानों पर गांव से लेकर जिला बोर्ड की सड़क तक रास्ता तैयार कर दिया गया है। कई स्थानों पर कुएँ और तालाब खोद दिये गये हैं। इन सब में कुछ खर्च सरकार ने दिया और कुछ तो लोगों ने स्वेच्छा से खट कर काम किया है। कहीं-कहीं ग्राम-पंचायतों ने सामाजिक शिक्षण-केन्द्र भी चलाये हैं जहां वयस्कों को साक्षर बनाया जाता है। साथ ही, गेहूँ, चावल, चीनी, वस्त्र इत्यादि के समुचित वितरण के लिए कतिपय ग्राम-पंचायतों ने बहुधन्धी सहकारिता समितियां भी खोली हैं।

सारांश यह कि गांवों के सामूहिक विकास के लिए ग्राम-पंचायतों ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जिला-बोर्ड और नगरपालिकाएं

१९५१-५२ के वर्ष में जिला बोर्डों और नगर-पालिकाओं ने मुख्यत: सड़क-सुधार और जल-व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है, और उनके इस अभियान में राज्य सरकार ने भी मुक्त हस्त से सहायता दी है।

सड़क-सुधार—जिला बोर्डों की सड़कों के सुधार के लिए सरकार ने एक योजना बनायी है जो चार वर्षों में पूरी होगी। इस योजना पर कुल १ करोड़ ७४ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है, और इसमें से सरकार ने २५ लाख रुपये १९५१-५२ के लिए स्वीकृत किये हैं।

सिंहभूम और सन्ताल परगना के जिला बोर्डों की आय कम होने के कारण इन दोनों को राज्य सरकार ने क्रमशः ३० हजार और ५० हजार रुपये का अनुदान दिया है। सड़क-सुधार पर ही विभिन्न जिला बोर्डों में बांटने के लिए सभी विभागों (डिवीजनों) के कमिश्नरों के अधिकार में १ लाख ५५ हजार रुपये दिये गये थे।

मोटर-गाड़ियों से वसूल होने वाले कर की रकम में से ५ लाख रुपये जिला बोर्डों और नगरपालिकाओं के बीच इस अनुपात में वितरित किये गये :—

(क) स्वीकृत सड़कों और रास्तों के सुधार के लिए जिला बोर्डों को ५५ प्रतिशत।

(ख) सड़कों के सुधार के लिए नगरपालिकाओं को २० प्रतिशत।

(ग) बाढ़ से खराब सड़क इत्यादि की मरम्मत के लिए जिला बोर्डों को २० प्रतिशत।

(घ) नये पुल बनाने की योजना के निमित्त रखे रहने के लिए ५ प्रतिशत।

अभावपीड़ित क्षेत्रों में लोगों को सहायता देने के उद्देश्य से सड़क इत्यादि का काम शुरू करने के लिए स्वायत्त-शासन विभाग ने विभिन्न जिला-अधिकारियों के अधिकार में १८ लाख ५० हजार रुपये और डिवीजनल कमिश्नरों के अधिकार में ३५ लाख रुपये दिये थे। सड़क-सुधार के मद में राजस्व और स्वायत्त-शासन विभागों ने कुल मिला कर १ करोड़ ४५ लाख रुपये दिये थे।

इसी प्रकार नगरपालिकाओं को सड़कों के सुधार के लिए १२,७३,४६० रुपये दिये गये थे।

जल-व्यवस्था—पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कूप-निर्माण के निमित्त ग्राम-पंचायतों को २ लाख ७५ हजार रुपये दिये गये थे। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का प्रबन्ध करने के लिए जिला बोर्डों और विभिन्न संस्थाओं को २५ हजार रुपये दिये गये थे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का विकास

पटना के नये अस्पताल का एक दृश्य

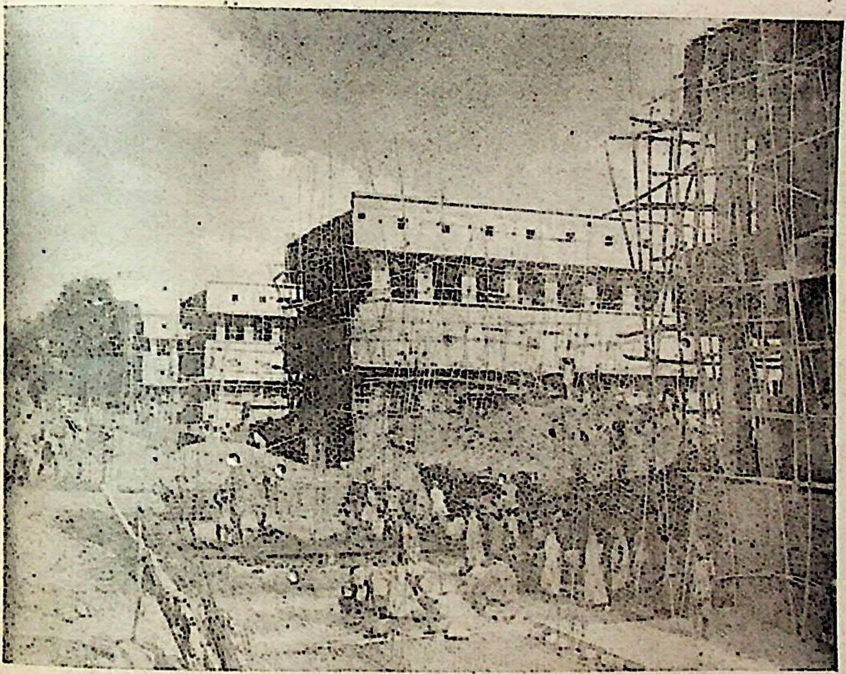

पटना मेडिकल कालेज अस्पताल की शल्य-चिकित्सा-शाखा का एक दृश्य; इसका नामकरण राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर करने का निश्चय हुआ है

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार नैशनल कैडेट कोर के सैनिक बन्दूक चलाने का अभ्यास कर रहे हैं।

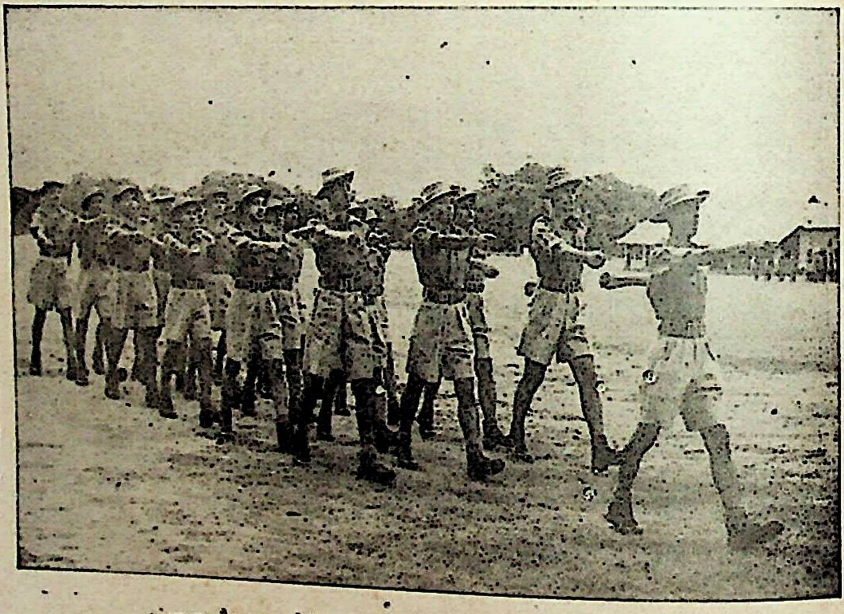

बिहार नैशनल कैडेट कोर के सैनिक कवायद कर रहे हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

शहरों में जल-व्यवस्था की योजना—बिहार सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना में, बिहार के प्रमुख १२ शहरों—पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर, छपरा, हजारीबाग, बिहार, देवघर, संसराम, डाल्टेनगंज, जगसलाई और मुजफ्फरपुर में पाइप के पानी की व्यवस्था करने और वर्त्तमान जल-व्यवस्था-प्रणाली के पुनर्संघटन के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। इन योजनाओं के लिए १९५१-५२ में १४,५६,८९९ रुपये का ऋण और १६,९९,५९६ रुपये के अनुदान दिये गये थे।

गांवों में जल-व्यवस्था—आवश्यकता वाले क्षेत्रों में पक्का कुआं तैयार करने के लिए सरकार ने विभिन्न जिलाधीशों के अधिकार में १५.५ लाख रुपये दे दिये थे।

ऋण और अग्रिम—आय बढ़ाने के उद्देश्य से लगान की रकम में संशोधन करने के काम के लिए, पुर्णिया जिला बोर्ड को, ऋण की स्वीकृति मिलने तक की अवधि के लिए, दो लाख रुपये अग्रिम दिये गये थे।

प्रतिदिन का प्रशासन-कार्य चलाने के लिए कुछ जिला बोर्डों को ऋण और अग्रिम दिये गये थे।

वी० वी० लाइट रेलवे खरीदने के लिए पटना जिला बोर्ड को १० लाख रुपये कर्ज दिये गये थे। अब यह रेलवे जिला बोर्ड के अधीन है।

प्रमुख कानून—नगरपालिका के दूषित प्रशासन-कार्य को सुधारने और निर्वाचन में उम्मीदवारों को होने वाली असुविधा दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने बिहार जिला बोर्ड और नगरपालिका मतदाता-सूची और निर्वाचन-पद्धति निरूपण कानून बनाया।

बिहार राज्य के शहरों के विकास एवं सुधार के उद्देश्य से बिहार नगर आयोग एवं सुधार न्यास (ट्रस्ट) कानून, १९५१, बना।

पटना की नगरपालिका के सुदक्षतापूर्ण प्रशासन-कार्य के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता का अनुभव करते हुए, बिहार विधायिका ने पटना म्युनिसिपल कारपोरेशन कानून, १९५१ स्वीकृत किया। अब इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

वयस्क-मताधिकार—बिहार विधायिका, भारतीय संसद, ज़िला बोर्ड और नगरपालिका के निर्वाचनों में वयस्क-मताधिकार का सिद्धान्त चालू होने के कारण यह निश्चय हुआ कि यूनियन बोर्डों और यूनियन कमिटियों के चुनावों में वयस्क-मताधिकार का सिद्धान्त लागू होना चाहिये। फलतः, नियमों में तदनुकूल संशोधन कर दिये गये हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon:

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मेडिकल और जन-स्वास्थ्य

विवेच्य वर्ष में, मेडिकल विभाग के काम मुख्यतः दो दिशाओं में रहे हैं—(१) उच्च मेडिकल शिक्षा के लिए सुविधा देना, और (२) राज्य के अस्पतालों में रोगियों के लिए आधुनिक सुविधा की व्यवस्था करना।

पटना मेडिकल कॉलेज में फिजिओलोजी (शरीर-विज्ञान) की उच्च शिक्षा एवं अनुसन्धान-कार्य की व्यवस्था हुई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पैथोलोजी (रोग निदान-विज्ञान) और फर्माकॉलोजी (औषध-विज्ञान) के विभागों के लिए अलग मकान बनाये गये हैं।

अन्य सुविधाएँ

<u>अस्पतालों में सुविधाएँ</u>—राज्य के दोनों मेडिकल-कॉलेजों तथा सदर और सबडिवीजनल अस्पतालों में भी साधन और सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं। पटना मेडिकल अस्पताल में चीर-फाड़ के अधिक रोगी होने के कारण वर्त्तमान स्थान और साधन पर्याप्त नहीं पड़ते थे। फलतः, चीर-फाड़ के लिए एक अलग सर्जिकल ब्लाक ही बना दिया गया है। यह ब्लाक गंगा नदी के बिलकुल किनारे है और इसमें २५० रोगियों के रहने का प्रबन्ध है। यूरोप और अमरीका के ढंग पर यह बिलकुल आधुनिक ढंग का ब्लाक बना है। हॉल के चारों ओर, शीशे के प्लेट देकर छात्रों के बैठने के लिए गैलरियां हैं। बीच में शीशा देने से फायदा यह कि चीर-फाड़ को छात्र आसानी से साफ-साफ देख भी सकें और, साथ ही, सर्जन को भी अपने चारों ओर भीड़ न मालूम पड़े। इस ब्लाक में दो-मुंहा ध्वनि-विस्तारकयन्त्र लगे हैं ताकि इधर से सर्जन को जो कुछ कहना हो कहें और उधर से छात्र भी, कोई सन्देह का स्थल आने पर, वहीं बैठे-बैठे प्रश्न कर सकें। इसके अतिरिक्त यह ब्लाक 'एयर-कण्डीशण्ड' है और गर्मी के दिनों में भी आसानी से चीर-फाड़ का काम हो सकता है।

पटना महिला अस्पताल में भी इधर काफी विकास हुआ है और सीटें भी बढ़ी हैं।

कंकड़बाग (पटना) की ओर विशेषकर संक्रामक रोगों का एक अस्पताल बनाने का सरकार ने निश्चय किया है। फिलहाल पटना सिटी के प्रसिद्ध बावली हॉल में संक्रामक रोगों के रोगियों के लिए ५० सीटों का प्रबन्ध कर दिया गया है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

दरभंगा मेडिकल कॉलेज—इसी प्रकार, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी साधन एवं सुविधाओं में वृद्धि हुई है। वहां रोगियों के लिए १०० सीटें (चारपाइयां) बढ़ा दी गयी हैं। साथ ही, कर्मचारियों में भी वृद्धि की गयी है।

सदर और सबडिवीजनल अस्पताल—सभी सदर अस्पतालों और कुछ प्रान्तीयकृत सबडिवीजनल अस्पतालों में एक्स-रे-विभाग का प्रबन्ध कर दिया गया है। अब लोगों को एक्स-रे के लिए पटना या अन्य बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

राजयक्ष्मा (टी० बी०)—अब तक इटकी सेनिटोरियम में ही राजयक्ष्मा की चिकित्सा का प्रबन्ध था, और इसके अतिरिक्त पटना जेनरल अस्पताल में कुछ सीटें थीं। यह व्यवस्था पर्याप्त न थी। फलतः प्रत्येक सदर अस्पताल और दो सबडिवीजनल अस्पतालों में १० चारपाइयों वाला टी० बी० वार्ड खोल देने का निश्चय किया गया था। अधिकांश जगहों पर ये वार्ड खुल गये हैं।

फिर भी, राजयक्ष्मा रोग के निदान और जांच की उचित व्यवस्था का अभाव खटकता था। इस अभाव को पूरा करने के लिए सभी आधुनिक साधनों से सम्पन्न पटना राजयक्ष्मा चिकित्सा एवं निवारण-केन्द्र खोला गया है। साथ ही, कोइलवर में २०० रोगियों के रहने लायक एक सेनिटोरियम खोलने का विचार है। राजयक्ष्मा के सम्बन्ध में शिक्षण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने तीन मेडिकल अफसरों को दिल्ली भेजने का निश्चय किया है।

कुष्ट रोग—राज्य सरकार ने कुष्ट-निवारक अफसर नियुक्त किये हैं जिनका कार्य राज्य के विभिन्न कुष्ट-आश्रमों की कार्रवाइयों में केवल एकीकरण करना ही नहीं, बल्कि यह भी निरीक्षण करते रहना है कि विभिन्न स्थानों में कुष्ट के रोगियों की उचित चिकित्सा होती है या नहीं।

गांवों में चिकित्सा की सुविधा—ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधा करने के उद्देश्य से, सरकार ने इस बात की स्वीकृति दी है कि विभिन्न थानों में, जहां चिकित्सालय नहीं है, १६ चिकित्सालय खोले जायें। इनमें से कुछ चिकित्सालय तो खुल गये हैं और शेष शीघ्र ही खुलने वाले ह।

विवेच्य वर्ष में, अन्न-संकट के कारण कुछ अभावग्रस्त क्षेत्रों में महामारी फैलने की आशंका हो गयी थी। फलतः, ऐसे क्षेत्रों में सरकार ने एक सौ मेडिकल अफसर तैनात कर दिये और उनके पास काफी मात्रा में दवाएँ दे दी गयी थीं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

औषध-नियन्त्रणशाला—राज्य में बनने और बिकने वाली दवाओं की शुद्धता इत्यादि की जांच करते रहने के लिए, सरकार ने पटना में स्थायी तौर पर एक औषध-नियन्त्रणशाला स्थापित कर दी है।

१९५१-५२ ई० में जो स्वास्थ्य-स्थिति थी और महामारियों को रोकने के लिए जो काम किये गये थे उनका निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण हैं :—

रोग	बीमार	मृत्यु
हैजा	५,२५०	१,९८९
चेचक	३०,७८२	५,९५१
प्लेग..	४	१

विभिन्न रोगों के निवारण के लिए जो सूइयां दी गयी थीं उनकी संख्या इस प्रकार हैं :—

हैजा-निवारक सूइयां	८१,१५,७८०
प्लेग-निवारक सूइयां	४६,९९३
चेचक का प्राथमिक टीका	४,५३,२०९
चेचक का दुबारा टीका	४०,७९,३९३
दवा छोड़े हुए कुएँ	१,३६,५४१
दवा छोड़े हुए घर	१२,४६,८८९
गैस छोड़े हुए चूहों के बिल	५,७५,९७९

उक्त वर्ष में, गुलजारबाग के 'मेन कुनैन डिपो' से निम्नलिखित दवाएं वितरित की गयी थीं :—

१। कुनैन सल्फ	१,१४३३/४
२। पेलूड्रिन	९५,७३,०१० गोलियां
३। टोटा कुनैन	१,१४० पाउंड
४। कुनैन इंजेक्शन	२,२९१ बक्स
५। हैजा का टीका	१,१३,८९,५४० सी० सी० एस०
६। टी० ए० बी० टीका ..	२९,२७१ सी० सी० एस०
७। प्लेग का टीका	२७,५९,५०० खुराक
८। हैजा की दवा	१५,११,७०० पैकेट

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

९। स्किम मिल्क (दूध)	..	२,२३,५५९
१०। सल्फागुनडाइन ..	..	६१,५५,१०० गोलियां
११। डी० डी० टी० (शुद्ध)	..	४.३९४½ पाउंड
१२। डी० डी० टी० (तैयार चीज)	..	७,९४० पाउंड
१३। ब्लीचिंग पाउडर ..	..	३६५¾ हुंडरवेट

निम्नलिखित आंकड़े से यह पता चल जायगा कि १९५१-५२ ई० में इस विभाग की पोषण-शाखा की क्या प्रगति रही हैः—

प्राप्त नमूनों की संख्या	११९
विश्लेषित नमूनों की संख्या	१०४
मानव-उपयोग के लिए उपयुक्त नमूनों की संख्या	६५

पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग

पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग का सबसे बड़ी कृति रही है—सिन्दरी खाद कारखाना में जल की व्यवस्था करना। इसमें सन्देह नहीं कि यह कार्य बहुत जटिल और उत्तरदायित्वपूर्ण था। फिर भी, कार्य बहुत सफलता एवं दक्षतापूर्वक हुआ है। वहां जल की व्यवस्था करने में १.१५ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

बिहार के विभिन्न शहरों में युद्धोत्तरकालीन जल-व्यवस्था योजना के सम्बन्ध में इस विभाग ने निम्नलिखित योजनाएँ शुरु की हैं :—

योजना		खर्च
१। पटना जल-व्यवस्था-योजना ..	..	३० लाख रु०
२। भागलपुर जल-व्यवस्था-योजना	..	९.०४ लाख रु०
३। हजारीबाग जल-व्यवस्था-योजना	..	२२ लाख रु०
४। मुजफ्फरपुर जल-व्यवस्था-योजना	..	१० लाख रु०
५। गया जल-व्यवस्था-योजना ..	..	२३.१५ लाख रु०
६। बिहार जल-व्यवस्था-योजना ..	..	८.०३ लाख ०
७। ससराम जल-व्यवस्था-योजना..	..	११.६५ लाख रु०
८। डाल्टेनगंज जल-व्यवस्था योजना	..	७ लाख रु०
९। जगसलाई जल-व्यवस्था-योजना	..	६.३८ लाख रु०
१०। मुंगेर जल-व्यवस्था-योजना ..	..	२.३६ लाख रु०

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

साथ ही, रांची, आरा, चाइबासा, कटिहार, नबीनगर और राजगीर के लिए भी जल-व्यवस्था-योजना की जांच और तैयारी का काम चल रहा है।

पटना में ५, भागलपुर में १, गया में २ और मुजफ्फरपुर में १ नलकूप तैयार हो गये हैं। शेष नलकूप का भी काम चालू है।

गया शहर की जल-व्यवस्था के सम्बन्ध में यह विचार किया गया है कि फल्गू से पानी लिया जाय।

असाधारण सूखा के कारण, बिहार शहर में ट्रक से पानी पहुंचाने के अतिरिक्त बिहार सबडिवीजन के गांवों के कुओं में १३० खले बोरिंग बिठाये थे। अभावग्रस्त क्षेत्रों में, एक हजार छिछले नलकूप तैयार किये गये थे।

इसके अतिरिक्त, इस विभाग ने विधान सभा के सदस्यों के नवनिर्मित निवास भवन में जल इत्यादि की व्यवस्था की है। साथ ही, विद्यालय, जेल, अस्पताल इत्यादि में भी जल-व्यवस्था हुई है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में लोकप्रिय शासन की प्रगति

राजस्व और राजकर

बिहार के राजस्व के मुख्य अंग लगान और मालगुजारी हैं। उद्योग एवं व्यवसाय के विकास के साथ-साथ, व्यवसाय-कर, बिक्री-कर, मनोरंजन-कर, इत्यादि नये कर लगे हैं जो, इस युग में राजस्व के अपेक्षित साधन बन गये हैं। लगान-कर इत्यादि के संग्रह के लिए, समय-समय पर, जो नये नियम बने हैं और उचित व्यवस्थाएँ हुई हैं, उनका संक्षिप्त विवरण इस लेख में दिया जा रहा है।

कुछ लगान बहुत दिन से बाकी पड़ती आ रही थी। अतएव, बाकी लगान की अधिकाधिक वसूली करने और, साथ ही, कोयला खान वाले जिलों के जिला-बोर्डों की आर्थिक स्थिति दृढ़ करने के उद्देश्य से विवेच्य वर्ष में, राजस्व-विभाग की लगान-शाखा में तीन कानून बनाये गये।

कई वर्षों से वसूली न होने के कारण बहुत लगान बाकी पड़ गयी थी। ऐसी स्थिति में, जिला-बोर्डों की आर्थिक स्थिति का खराब होना बिलकुल स्वाभाविक था। स्थिति यह थी कि लगान (सेस) कानून की धारा ९९ के अनुसार, बाकी डालने वाले जमींदारों और पट्टेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर भी कुछ विशेष लाभ नहीं होता था; क्योंकि जमींदारी के कागज-पत्र, वही-खाता, जमाबन्दी और जमा-वसूली की किताबें न रहने के कारण रैयत से और अन्य काश्तकारों से सहूलियत के साथ लगान वसूल करना सम्भव न था। ऐसा कोई कानून भी नहीं था कि ऐसे कागज-पत्र और किताब-वही प्रस्तुत करने के लिए उन जमींदारों या पट्टेदारों को जिलाधीश आदेश दे सकें।

अतएव, जिलाधीशों को कागज-पत्र मँगाने का कानूनी अधिकार देने के उद्देश्य से, बिहार लगान (संशोधन) कानून, १९५१ ई०, बना कर लगान-कानून की धारा ९९ में आवश्यक संशोधन कर दिया गया।

नियम यह था कि बाकी लगान के लिए किसी जमींदारी के बिकने का अवसर आने पर, यदि कोई खरीददार वह जमींदारी खरीदता था, तो उसे उस जमींदारी पर का सारा कर्ज अदा करना पड़ता था। इस झंझट के कारण जमींदारी खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता था और फल यह होता था कि लगान की वसूली ठप पड़ी रहती थी। खरीददारों को यह सुविधा मिलना आवश्यक था कि वे कर्ज अदा करने की शर्त्त से मुक्त हो कर जमींदारी खरीद सकें। फलतः, इस उद्देश्य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

से, बिहार-सरकारी पावने की वसूली (संशोधन) कानून, १९५१ ई० [दि विहार पब्लिक डिमाण्ड्स रिकॉवरी (अमेण्डमेण्ट) ऐक्ट] नामक एक कानून बना और इस प्रकार 'बिहार पब्लिक डिमाण्ड्स रिकॉवरी कानून' की धारा २६ में आवश्यक संशोधन कर दिया गया।

देश की मुख्य कोयला खानें बिहार-राज्य में ही पड़ती हैं। परन्तु, हम पाते हैं कि जिन जिलों में कोयले की खानें पड़ती हैं, वहां के जिला-बोर्डों को इन खानों से कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। बल्कि होता यह है कि सड़क, पुल और सार्वजनिक उपयोग की अन्य चीजों की मरम्मत, रक्षा इत्यादि में जिला-बोर्डों को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। आर्थिक लाभ न होने का कारण, कुछ तो कोयला और कोक की खानगी के आधार पर और कुछ अधिसूचित खानों की शुद्ध-आय के आधार पर, लगान निश्चित किया जाता था। फल यह होता था कि शुद्ध-आय के आधार पर, जिला बोर्ड को लगान के रूप में उनका उचित अंश नहीं मिल पाता था। फलतः, लगान कानून को धारा ६-वी में आवश्यक संशोधन कर दिया गया, ताकि अधिसूचित खानों पर कोयले की खानगी के आधार पर, लगान विठायी जा सके, और उसमें शर्त्त यह रही कि सालाना खानगी पर, प्रति टन अधिक से अधिक ४।। आने की दर हो। यह नया कानून 'विहार लगान (संशोधन) कानून, १९५२ ई० है, और अब आशा की जाती है कि कोयला खान के इलाका वाले जिला बोर्डों की आय बढ़ जायगी।

व्यवसाय-कर

व्यवसाय-कर-विभाग ने आलोच्य वर्ष (१९५१-५२) में निम्नलिखित कानूनों को कार्यान्वित करने का काम किया है :—

(१) विहार बिक्री-कर कानून, १९४७ ई०; (२) विहार कृषि-आय-कर कानून, १९४८ ई०; (३) विहार मोटर स्पिरिट (बिक्री-कर) कानून, १९३९ ई०; (४) बिहार मनोरंजन-कर कानून, १९४६ ई०; (५) बिहार विजली-कर कानून, १९४८ ई०; और (६) विहार अर्थ कानून, १९५० ई०, भाग तीसरा, (यात्री और माल यातायात-कर)।

बिहार-बिक्री-कर

विहार बिक्री-कर—खुदरा विक्री पर यह कर लगता है। इस कर की दर, प्रति वर्ष, एक वार्षिक अर्थ-कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। १९५१-५२ ई० में इस कर की सामान्य दर प्रति रुपया दो पैसे के हिसाब से थी। साथ ही, कुछ चीजों पर दर कम भी थी और कुछ पर अधिक भी; जैसे, तेलहन, रूई, खाद, कोयला, दाल इत्यादि पर प्रति रुपया एक पैसे की दर थी और मोटर गाड़ी, मोटर साइकिल इत्यादि विलास की सामग्रियों पर प्रति रुपया तीन पैसे की दर थी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार से बाहर भेजी जाने वाली चीजें इस कर से मुक्त थीं। अखिल भारतीय चर्खा संघ का खादी का कपड़ा भी १ जनवरी, १९५१ ई० से बिक्री-कर से मुक्त कर दिया गया। अन्य कई चीजें भी इस कर से बरी थीं। १९५१-५२ ई० में बिक्री-कर से लगभग ३,८३,००,००० (३ करोड़ ८३ लाख) रुपये वसूल हुए थे।

कृषि-आय-कर

कृषि-आय-कर—इस कर की दर भी प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है। कृषि से प्रति वर्ष २५,००० रुपये से अधिक आय होने पर, साधारण कृषि-आय-कर के साथ ही अतिरिक्त कर भी लगाया जाता है। १९५० ई० में, इस कर की जो दर निश्चित की गयी थी, वही दर १९५१-५२ ई० में भी चालू रही। कम-से-कम ३,००० रुपये वार्षिक कृषि-आय पर यह कर लगता रहा है। दातव्य और धार्मिक ट्रस्ट और वक्फ-अलाल-औलाद सम्बन्धी चीजें भी इस कर से मुक्त थीं।

१९५१-५२ ई० में, कृषि-आय-कर के मद में लगभग ५६ लाख रुपये वसूल हुए थे।

मोटर स्पिरिट

मोटर स्पिरिट—बिके हुए मोटर स्पिरिट पर प्रति गलन ५ आने की दर से यह कर लगाया गया था। १९५१-५२ ई० में इस मद में ३४,५२,००० रुपये आये थे।

मनोरंजन-कर

मनोरंजन-कर—१९५१-५२ ई० में मनोरंजन-कर की दर, प्रवेश-शुल्क की एक-चौथाई रकम थी। साथ ही, कर के ही बराबर रकम का अतिरिक्त कर भी लगा था। १९५१-५२ ई० में मनोरंजन-कर से लगभग ३६,६६,००० रुपयों की आय हुई थी।

बिजली-कर

बिजली-कर—१९५१-५२ ई० में बिजली-कर की दर प्रति यूनिट दो पैसे के हिसाब से थी। इस मद में १९५१-५२ ई० में, ११,७४,००० रुपये वसूल हुए थे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

यात्री और माल-यातायात-कर

यात्री और माल-यातायात-कर—सार्वजनिक यात्री-बसों और माल ढोने वाली लारियों के भाड़े पर प्रति रुपया दो आने की दर से यह कर लगाया गया था। १९५१-५२ ई० में, इस मद में, कुल १५,३१,००० रुपये आये थे।

मालगुजारी का निर्धारण

भावली मालगुजारी प्रचलित होने के कारण, बहुधा जमींदारों और काश्तकारों में झगड़े की नौबत आ जाती थी। ऐसे झगड़े रोकने के खयाल से, बिहार-सरकार ने तय किया कि फसली (भावली) मालगुजारी के बदले, नकदी मालगुजारी निश्चित करने के जो आवेदन-पत्र हों, उन पर तुरत निर्णय कर दिया जाय। तदनुसार, पटना, तिरहुत और भागलपुर विभागों के सभी जिलों में (सन्ताल परगना और पलामू जिलों को छोड़ कर) सर्वत्र इस प्रकार मालगुजारी तय करने का काम शुरू हो गया। १९५१-५२ ई० में बिहार रैयतवारी कानून की धारा सं० ४० (२) और ४० (बी) के अनुसार, क्रमशः ७३,२५० और १,५५० आवेदन-पत्र प्रस्तुत हुए और उनमें से क्रमशः ७०,८५० और १,२५० के सम्बन्ध अन्तिम निर्णय हो गये। उपर्युक्त रैयतवारी कानून की धारा सं० ४० (६) के अनुसार २२,२५० मामलों के सम्बन्ध में अपीलें की गयीं और १९,००० अपीलों का फैसला हो गया। जो मामले विचाराधीन थे, उनका निर्णय अविलम्ब करने के लिए समुचित कार्रवाई की गयी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में लोकप्रिय शासन की प्रगति

सामाजिक उन्नयन और जन-कल्याण

बिहार-राज्य के शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नयन के लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत उपयोगी कार्य किये हैं।

साथ ही, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जन-कल्याण के निमित्त भी व्यवस्थाएँ की गयी हैं। इस प्रकार जो कार्य हुए हैं उनका सिंहावलोकन यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में, सर्वतोमुखी विकास करने के उद्देश्य से, समय-समय पर आवश्यक एवं उपयोगी व्यवस्थाएँ होती रही हैं। विवेच्य वर्ष (१९५१-५२ ई०) में उल्लेखनीय घटना रही है दो विश्वविद्यालय कानूनों की स्वीकृति—पटना विश्वविद्यालय, कानून और बिहार विश्वविद्यालय कानून। फलतः, २ जनवरी, १९५२ ई० को दो विश्वविद्यालय हो गये और दोनों के प्रधान कार्यालय पटना में ही हैं। वस्तुतः, प्राचीन पटना विश्वविद्याय ही—जिससे ४४ कालेज सम्बद्ध थे—दो भागों में बँट गया। एक तो पटना के सभी कालेजों को सम्बद्ध किये हुए शिक्षण-विश्वविद्यालय के रूप में, पटना विश्वविद्यालय रहा और दूसरा हुआ बिहार विश्वविद्यालय जिससे राज्य के अन्य सभी कालेज सम्बद्ध हैं। बिहार विश्वविद्यालय की भी अपनी शिक्षण-शाखा रहेगी, क्योंकि पटना के बाहर के जिन कालेजों में 'पोष्ट-ग्रेजुएट' की शिक्षा रहेगी वे सभी सीधे इसी विश्वविद्यालय के कुलपति के अधीन रहेंगे।

पटना सायन्स कॉलेज और मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज की बी० एस०सी० कक्षाओं में सीटें बढ़ा दी गयी हैं। रांची कॉलेज में भूगोल और पटना कॉलेज में मैथिली में 'ऑनर्स' की पढ़ाई चालू हुई है। कई नये कॉलेज, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये गये हैं। नवम्बर, १९५१ ई० से जनवरी, १९५२ ई० तक समय-समय पर विभिन्न कॉलेजों को अनावर्त्तक अनुदान भी दिये गये हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पटना विश्वविद्यालय में एक लोक-प्रशासन-विभाग खोलने की योजना भी बनायी गयी है। साथ ही, समाज-विज्ञान और वाणिज्य की 'पोष्ट-ग्रेजुएट' शिक्षा जारी करने का भी निश्चय विश्वविद्यालय ने किया है।

कालजों को आर्थिक सहायता

फरवरी से अप्रैल, १९५१ ई० तक सरकार ने असरकारी कॉलेजों को ११,२३,६०० रुपये का अनुदान दिया था, ताकि अध्यापकों का वेतन-स्तर बढ़ जाने से उनको जो कमी पड़ी थी उसे पूरा कर लें। सरकार ने यह नीति स्वीकार की कि प्रत्येक जिला में विज्ञान की शिक्षा के लिये कम-से-कम एक कॉलेज की व्यवस्था अवश्य हो। फलतः विज्ञान-विभाग खोलने के लिये सरकार ने कॉलेजों को ३,६४,२०० रुपये दिये। इसके अतिरिक्त, कुछ कॉलेजों को १,८१,७८० रुपये दिये गये ताकि वे कॉलेज-भवन की मरम्मत कर सकें और आवश्यक सामान खरीद सकें।

'डाक्टर' उपाधिधारियों को सुविधा

सरकार ने बिहार एडुकेशनल सर्विस, क्लास २, में नियुक्त होने वाले 'डाक्टर' उपाधिधारी विद्वानों को अग्रिम वृद्धियाँ देने की निम्नलिखित नीति निश्चित की है:—

(१)	पी-एच० डी० (विदेशी) ..	.. ७ अग्रिम वृद्धियाँ
(२)	पी-एच० डी० (भारतीय) ..	.. ५ "
(३)	डी० एस-सी० या डी० लिट्० (विदेशी)	.. ८ "
(४)	डी० एस-सी० या डी० लिट्० (भारतीय)	.. ७ "

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड

'मैट्रिकुलेशन परीक्षा' का नवीन नामकरण 'सेकेन्डरी स्कूल परीक्षा' हुआ है। इस परीक्षा के संचालन के लिए एक बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड संघटित किया गया है। यह बोर्ड सेकेन्डरी शिक्षा बोर्ड से सर्वथा भिन्न है और उसके तीन सदस्य हैं—पटना और बिहार विश्वविद्यालयों के उपकुलपति और बिहार के शिक्षा-विभाग के निदेशक। इसके मन्त्री-पद पर एक वैतनिक अधिकारी रहेंगे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

महिला-शिक्षण कॉलेज

१९५१-५२ ई० के सत्र से पटना में एक महिला-शिक्षण (ट्रेनिंग) कॉलेज चल रहा है जो इस राज्य में अपने ढंग का पहला कॉलेज है। इसमें महिला स्नातिकाओं (ग्रेजुएट्स) के शिक्षण की व्यवस्था है।

डिग्री कक्षाओं में सायन्स पढ़ने वाली लड़कियों को कुछ छात्रवृत्तियाँ भी दी गयीं।

सैकण्डरी शिक्षा

हाई स्कूलों, और विशेषकर अ-सरकारी हाई स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने विभिन्न व्यवस्थाएँ की हैं। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए सरकार ने विवेच्य वर्ष में निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किये हैं :—

(१) अ-सरकारी हाई स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त व्यय सँभालने के लिए १२,०१,५८६ रुपये दिये गये।

(२) अ-सरकारी हाई स्कूलों के भवनों की मरम्मत के लिए १ लाख रुपये दिये गये। (वस्तुतः यह 'शिक्षा-निर्देशक-अनुदान है और पहले इस में केवल २०,००० रुपये दिये जाते थे ; परन्तु इधर स्कूलों की संख्या में वृद्धि होने के कारण अनुदान की भी रकम बढ़ा दी गयी है।)

(३) सेकेन्डरी शिक्षा बोर्ड को दी गयी रकम में से ५,३८,५२३ रुपये अ-सरकारी हाई स्कूलों के ३,१७४ शिक्षकों और किरानियों को, प्रति व्यक्ति १२ रुपये की दर से, महँगाई के रूप में दिये गये। इसके अतिरिक्त, ७,०६,००० रुपये ५७४ हाई स्कूलों को दिये गये ताकि वे १९५१ ई० के मार्च से अगस्त महीने तक अपने अध्यापकों और किरानियों का वेतन दे सकें।

(४) विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए चुने हुए १८ हाई स्कूलों को २४,१९२ रुपये दिये गये।

(५) पुनः, २३ हाई स्कूलों को विज्ञान-कक्षाओं के लिए ४६,६४४ रुपये दिये गये। कुछ चुने हुए स्कूलों को, विज्ञान और कृषि की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए ८१,१६८ रुपये दिये गये।

(६) पिछड़े हुए क्षेत्रों के स्कूलों को ६ महीने के लिए ८३,२०३ रुपये दिये गये।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन होने और, साथ ही, सेकेन्डरी शिक्षा का पुनस्संघटन करने की योजना के कारण, अ-सरकारी हाई स्कूलों के कर्मचारियों के अधिकार, सुविधाएं और कार्यस्थिति के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाए गये हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं। साथ ही, अ-सरकारी हाई स्कूलों को स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में भी संशोधित नियम सरकार के विचाराधीन हैं।

शिक्षा का रूप-विधान

लोअर स्कूलों की संशोधित शिक्षा-व्यवस्था के साथ मैट्रिकुलेशन शिक्षा-व्यवस्था का समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से, पटना विश्वविद्यालय ने एक समिति नियुक्त की, ताकि हाई स्कूल की शिक्षा-व्यवस्था स्वयं में ही पूर्ण हो और उसमें छात्रों को, व्यावसायिक दक्षता प्राप्त हो जाय। शिक्षा को जीवन के लिए अधिक व्यवहारोपयोगी बनाने के लिए कतिपय विषयों के कुछ वर्ग निर्धारित कर दिये गये हैं।

स्कूल के सत्र में परिवतन

स्कूलों के सत्र (सेसन) में परिवर्तन कर दिया गया है जो अब जनवरी से प्रारम्भ न होकर जुलाई से प्रारम्भ होगा।

फ़िल्म-क्लब

स्कूलों में फ़िल्म-क्लब खोलने की एक नयी योजना शुरू की गयी है। इस योजना के अनुसार, स्कूल के अधिकारी, छात्रों को शैक्षणिक और सांस्कृतिक फ़िल्म दिखलाने का प्रबन्ध करेंगे। क्लब में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक छात्र को प्रति माह अधिक से अधिक ५ आने देने पड़ेंगे।

अंगरेज़ी भाषा की शिक्षा

हाई स्कल में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा-पद्धति में सुधार करन के लिए एक समिति नियुक्त की गयी। इसका उद्देश्य यह था कि हाई स्कूल-शिक्षा के अन्तिम चार वर्षों में छात्रों को अंग्रेजी की इतनी ही योग्यता एवं दक्षता प्राप्त हो जाय जितनी कि अपर प्राइमरी से ही अंग्रेजी पढ़ने पर प्राप्त होती थी। सरकार के आदेश से, बिहार पाठ्य पुस्तक समिति ने, उक्त सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए, ८वीं कक्षा के छात्रों के लिये पुस्तकें तैयार की है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बुनियादी शिक्षा

विवेच्य वर्ष में, बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। राज्य का प्रथम बुनियादी शिक्षण कॉलेज, मजफ्फरपुर के समीप नरसिंहनगर (तुर्की) में खोला गया है।

उत्तर-बुनियादी शिक्षा

यह विचार है कि उत्तर-बुनियादी शिक्षा समाप्त किय हुए छात्रों के लिए विश्वविद्यालय-शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय और वे ऐसे विषय ले सकें जो ग्रामीण जीवन के लिए उपयोगी हों। फलतः कॉलेजों की शिक्षा-व्यवस्था में सम्भव परिवर्तन पर विचार करने के लिए पटना विश्वविद्यालय ने एक समिति नियुक्त की है।

उत्तर-बुनियादी शिक्षा समाप्त किये हुए ३० छात्र नवसंघटित बुनियादी शिक्षण कॉलेज में भर्त्ती हुए हैं। ये छात्र डिग्री-कोर्स के लिए तैयारी करेंगे। इन छात्रों के लिए एक विशेष डिग्री-कोर्स का प्रबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय से लिखा-पढ़ी हो रही है।

बुनियादी और उत्तर-बुनियादी स्कूलों के अनुभवप्राप्त शिक्षकों को भूगर्भ-विज्ञान, जीव-विज्ञान और जन्तु-विज्ञान की व्यावहारिक और सैद्धान्तिक शिक्षा देने के लिए, पटना सायन्स कॉलेज के सहयोग से, एक योजना सोची जा रही है।

बुनियादी शिक्षा के प्रसंग में सांस्कृतिक उन्नयन का भी कार्य किया जा रहा है। जुलाई, १९५१ ई० में पिण्डराजोरा बुनियादी शिक्षण स्कूल और चिरी बुनियादी शिक्षण स्कूल (छोटानागपुर डिवीजन) में सांस्कृतिक और सामूहिक कार्यक्रम संघटित किया गया। सितम्बर, १९५१ ई० में, मुजफ्फरपुर जिला के अन्तर्गत तुर्की में आयोजित बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि बुनियादी शिक्षा-केन्द्रों में कार्य-स्तर को उन्नत किया जाय।

बुनियादी संस्थाओं में छुट्टी का प्रबन्ध

दिसम्बर, १९५१ ई० में, बिहार बुनियादी शिक्षा बोर्ड की बैठक में यह निर्णय हुआ कि बुनियादी शिक्षा-संस्थाएँ, ऐसे विभाग में रहें जिनमें लम्बी छुट्टियां नहीं होती हैं। ऐसी शिक्षा-संस्थाओं में २८८ दिन काम होना निश्चय हुआ।

बुनियादी शिक्षा-केन्द्रों का सत्र जनवरी की जगह जुलाई महीने से प्रारम्भ होगा।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

लोहरडगा नगरपालिका में, विवेच्य वर्ष में, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा चालू की गयी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुदान स्वरूप १,२३,५१,९५३ रुपये दिये गये।

बालिकाओं की शिक्षा

राज्य में महिला-शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सन्ताल परगना जिले में देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और जामतारा के तथा पूर्णिया जिले में अररिया के बालिका मिडिल स्कूलों का प्रान्तीयकरण हुआ। राज्य के प्रत्येक सबडिवीजन में एक सरकारी बालिका मिडिल स्कूल रखने की योजना है। चालीस मुफस्सिल सबडिवीजनों में से ३० में सरकारी बालिका मिडिल स्कूल हैं।

अदालतगंज बालिका प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल करने के लिए पटना ऐडमिनिस्ट्रेशन कमिटी को अनुमति दी गयी।

अनुशीलन-प्रतिष्ठान

अनुशीलन की दृष्टि से, विवेच्य वर्ष में, बिहार राज्य में दो बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य हुए हैं। राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के हाथों २० नवम्बर, १९५१ई० को नालन्दा पाली प्रतिष्ठान का और २१ नवम्बर, १९५१ ई० को मिथिला संस्कृत विद्यापीठ का शिलान्यास सम्पन्न हुआ। इन दो संस्थाओं से राज्य में अनुशीलन-कार्य को प्रगति मिलेगी, इसमें संदेह नहीं। नालन्दा प्रतिष्ठान के निर्देशक, श्री भिक्खु काश्यप नियुक्त किये गये हैं और डाक्टर उमेश मिश्र, मिथिला विद्यापीठ के प्रोफेसर-सह-रजिष्ट्रार नियुक्त हुए हैं।

पटनास्थित काशी प्रसाद जायसवाल अनुशीलन प्रतिष्ठान के प्रथम अवैतनिक निर्देशक, डाक्टर आल्तेकर नियुक्त किये गये हैं।

सामाजिक शिक्षा और पुस्तकालय

प्रथम डेढ़ वर्षों में प्राप्त अनुभवों के आधार पर सामाजिक शिक्षा-योजना में आवश्यक परिवर्तन किये जा रहे हैं। कुछ बुनियादी शिक्षा-केन्द्रों से भी सामाजिक शिक्षा एवं सामाजिक सेवा के प्रसार का काम लिया जायगा।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राजकीय सामाजिक शिक्षा-मण्डल का पुनस्संघटन किया गया है। इसमें प्रतिष्ठित विद्याविशारदों के अतिरिक्त कुछ सरकारी अधिकारी भी रखे गये हैं।

पुस्तकालय-आन्दोलन के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि राज्य के विभिन्न पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता देने की अपेक्षा स्वतः पुस्तकें ही खरीद कर देना अधिक उपयुक्त होगा। फलतः, हिन्दी की श्रेष्ठ पुस्तकें चुनने के लिए एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की गयी। ये चुनी हुई पुस्तकें खरीद कर पुस्तकालयों को दी गयीं। इससे उच्च कोटि के पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहन मिला है।

सांस्कृतिक शिक्षा

बिहार राज्य में सांस्कृतिक शिक्षा के उन्नयन के अभिप्राय से, नृत्य, संगीत, अभिनय आदि की एक परिषद् की स्थापना २७ जनवरी, १९५२ ई० को हुई। उक्त परिषद् के तत्वावधान में जनतन्त्र-दिवस का पर्व एक सप्ताह तक मनाया गया। राज्य सरकार ने उस परिषद् के लिए ५ हजार रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पटना में एक चित्रशाला की स्थापना की है जो पटना कला-विद्यालय से सम्बद्ध है। उक्त चित्रशाला के लिए सरकार ने ५० हजार रुपये की स्वीकृति दी है।

पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन

स्कूली छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का भी कार्य शुरू किया गया है। ये पुस्तकें अनुभवी शिक्षकों एवं विशेषज्ञों द्वारा लिखी जाती हैं और उनकी बिक्री शिक्षक-सहकारिता-समिति द्वारा होती है। १९५१-५२ ई० में, राज्य सरकार ने अपनी पाठ्य-पुस्तक-समिति के द्वारा ८वीं तथा ९वीं कक्षाओं के लिए पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित कीं। इस कार्य के लिए, विवेच्य वर्ष में, ४,५९,५७० रुपये की स्वीकृति दी गयी थी।

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्

राष्ट्रभाषा हिन्दी के समुचित विकास के अभिप्राय से, बिहार सरकार ने बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् की स्थापना की है। उक्त परिषद् का उद्घाटन १२ मार्च, १९५१ ई० को विधिवत् हुआ। परिषद् के तत्वावधान में एक हिन्दी व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया था जिसमें बड़े-बड़े विद्वानों ने भाग लिया था। बिहार राज्य की बोलियों के सम्बन्ध में भी अनुसंधान-कार्य परिषद् की ओर से हो रहा है। विवेच्य वर्ष में, राज्य सरकार ने परिषद् के संचालन के लिए लगभग ५० हजार रुपये की स्वीकृति दी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

संस्कृत शिक्षा

राज्य भर में पाठशालाओं, विद्यालयों, तथा महाविद्यालयों के द्वारा प्राचीन परिपाटी की संस्कृत-शिक्षा के प्रसार के लिए जो व्यवस्था की गयी है, उसकी देख-रेख बिहार संस्कृत-समिति द्वारा होती है। १९५१–५२ ई० में, उपर्युक्त व्यवस्था में बहुत से उपयोगी परिवर्त्तन किये गये हैं। संस्कृत-शिक्षा का पुनस्संघटन नवीन आदर्श के अनुसार करने का आयोजन हुआ है। संस्कृत-परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में आमूल परिवर्त्तन किये गये हैं। अब संस्कृत छात्रों को संस्कृत के साथ-साथ अंग्रेजी स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ाये जाने वाले आधुनिक विषयों की भी शिक्षा दी जायगी। संस्कृत-शिक्षा-समिति का पुनस्संघटन आधुनिक विश्वविद्यालय के आधार पर किया जा रहा है। संस्कृत-शिक्षा के अधीक्षक का पद शिक्षा-विभाग के सह-निर्देशक (संस्कृत) के रूप में परिणत कर दिया गया है।

जन-कल्याण

राज्य के आदिवासियों, हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के लोगों के कल्याण के लिये, सरकार ने कल्याण-विभाग का संघटन किया है। यह विभाग उपर्युक्त समुदायों के लोगों के कल्याण का आयोजन करता है।

आविासी-कल्याण

आदिवासियों के कल्याण के लिए, अनाज के गोले खोले गये हैं, आदिवासी-छात्रों को छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं और छात्रावासों की भी स्थापना की गयी ह। १९५१-५२ ई० में, १,६३४ आदिवासी छात्रों को, छात्रवृत्तियां देने के लिए २,९९,९३६ रु० खर्च किये गये और कुल मिला कर ५३ छात्रावास चल रहे हैं। आदिवासियों की भाषा और संस्कृति के विकास के लिए ५ सांस्कृतिक मंडलों की स्थापना हुई है, जो क्रमशः संताल, मुंडा, ओराँव, हो, और खड़िया जातियों की भाषा और संस्कृति के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। इस कार्य के लिए, आलोच्य वर्ष में, १० हजार रुपये स्वीकृत हुए थे। इसके अतिरिक्त, २१,०२० रु० आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली अ-सरकारी संस्थाओं को दान-स्वरूप दिये गये। श्री ठक्कर वापा की योजना के अनुसार, संघटित रांची के आदिमजाति सेवा-मंडल तथा देवघर के संताल-पहाड़िया सेवा-मंडल के लिये, आलोच्य वर्ष में, ३ लाख रुपये स्वीकृत हुए थे। राज्य भर में, कुल मिला कर, २०२ अनाज के गोले चल रहे थे, जिनके लिये ३ लाख २८ हजार ५०० रु० स्वीकृत हुए। आदिवासियों को गृह-शिल्पों के विकास के लिए प्रोत्साहित करने के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अभिप्राय से ५० हजार रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त, उनके कल्याण की कुछ अन्य योजनाएँ भी स्वीकृत हुई हैं, जिनमें कुछ सड़क-निर्माण की योजनाएँ उल्लेखनीय हैं। इन योजनाओं के लिये कुल मिला कर २,८६,०४० रु० स्वीकृत हुए हैं।

हरिजन-कल्याण

हरिजनों के कल्याण के लिये भी प्राय: उसी तरह प्रयत्न किया गया है, जैसे आदिवासियों के कल्याण के लिये। निर्धन हरिजन छात्रों के लिये ७,५८० छात्रवृत्तियां दी गयीं, जिन पर ६ लाख ५० हजार रुपये खर्च हुए। हरिजन छात्रों के लिए ३३ छात्रावास विशेष रूप से भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थापित हुए हैं। हरिजनों के कल्याण के लिये, जो अन्य विविध योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं, उनके लिये १९५१-५२ई० में ४ लाख २६ हजार रुपये स्वीकृत हुए थे।

चम्पारण जिले के चौतरवा डोम सेटेलमेंट की व्यवस्था का भार विहार हरिजन-सेवक संघ को दे दिया गया है। हरिजन-सेवक संघ ने, जरायम पेशे वाले हरिजनों के पुनर्वास के लिए एक योजना प्रस्तुत की है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। उनके लिये ९ कच्चे घर बनाये गये हैं, जिन पर ६,३०० रु० खर्च हुए हैं। हरिजनों की सामाजिक अयोग्यता के निवारण के लिए, १९४९ ई० में, एक कानून बनाया गया, जो उसी वर्ष १ली दिसम्बर से लागू कर दिया गया। उसके द्वारा हरिजनों को समाजिक सुविधाएँ मिल गयी हैं। १९५१ ई० में उक्त कानून में कुछ संशोधन किये गये और हरिजनों के अधिकार का विस्तार किया गया।

पिछड़ी मुस्लिम जातियों का कल्याण

पिछड़ी मुस्लिम जातियों के छात्रों के हित के लिये, १९५१-५२ ई० में, ४,५८,९७७ रु० खर्च किये गये। उक्त वर्ष में, कल्याण-विभाग की देख-रेख में ५६० मकतब चल रहे थे, जिनमें २० हजार छात्र पढ़ते थे। पिछड़ी मुस्लिम जातियों के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए, १९५१-५२ ई० में, २ लाख रु० स्वीकृत हुए थे। चम्पारण जिले के थरुहट क्षेत्रों में रहने वाले, पिछड़ी मुस्लिम जातियों के लोगों के हित के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

श्रम

उद्योग और कृषि के क्षेत्रों में श्रम को लेकर जो समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं उनको सुलझाने के लिए सरकार ने सफल और सन्तोषजनक प्रबन्ध किये हैं।

औद्योगिक झगड़ों को पहले तो दोनों पक्षों में समझौता करा कर सुलझाने की चेष्टा की जाती है, और इसमें सफलता न मिलने पर झगड़े को औद्योगिक न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जाता है। विवेच्य वर्ष में, ३३ झगड़ों में तो समझौता करा दिया गया और ४५ झगड़े औद्योगिक न्यायालय द्वारा तय किये गये। इन झगड़ों में १२,०८२ मजदूर सम्बद्ध थे और जहां तक मजदूरों के श्रम और दिन नुकसान होने का प्रश्न है यह संख्या ४४,८१६ थी।

सुस्ती-हड़ताल

समिति द्वारा निश्चित पद्धति को ही श्रेय है कि विवेच्य वर्ष में कुल मिलाकर तीन या चार सुस्ती-हड़तालें हुईं और वह भी केवल थोड़े समय के लिए। सुस्ती-हड़ताल से उत्पन्न झगड़े तुरत तय हो गये और जहां तक मजदूरों के श्रम और दिन नुकसान होने का प्रश्न है, विवेच्य वर्ष में यह संख्या पूर्ववर्ती वर्ष की आधी थी। १९५१-५२ ई० में पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा अधिक उत्पादन हुआ है।

छँटनी

त्रिदलीय स्थायी श्रम-परामर्शदात्री समिति ने काम पर से मजदूरों के हटाये जाने के सम्बन्ध में कुछ कुछ सिद्धान्त निश्चित कर दिये हैं। स्थिति की अनिवार्यता से, श्रम-कमिश्नर को सन्तुष्ट करने के बाद ही, छँटनी की जा सकती है। छँटनी के सम्बन्ध में श्रम-कमिश्नर के सुझावों की कभी उपेक्षा नहीं की गयी है।

न्यूनतम मजदूरी

न्यूनतम मजदूरी कानून के अन्तर्गत सम्मिलित सभी उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी सरकार ने निश्चित कर दी है। खेतिहर-मजदूरों की भी न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की योजना है। यह कार्य, प्रयोग के तौर पर, अभी केवल पटना जिला में शुरू किया गया है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

औद्योगिक निवास

श्रम के क्षेत्र में, विवेच्य वर्ष में, राज्य-सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया है कि औद्योगिक आवास का एक कार्यक्रम निश्चित कर दिया है। फ़िलहाल, दो औद्योगिक निवास-योजनाएँ हैं—एक राज्य-सरकार की और दूसरी केन्द्रीय सरकार की। राज्य-सरकार की योजना के अन्तर्गत टाटा लोकोमोटिव और इंजिनीयरिंग कं० लि० (जमशेदपुर) को १५ लाख रुपये दिये गये, जिससे वह कम्पनी अपने कर्मचारियों के लिए ३५९ घर बनवा चुकी है और लगभग ३०८ घर बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी २५ लाख रुपये देने की स्वीकृति हुई थी जिनमें से ५ लाख रुपये पहली किश्त के रूप में दिये जा चुके हैं। बिहार-योजना के अनुसार यह नियम है कि किसी कारखाने का मालिक गृह-निर्माण का आधा खर्च देता है और आधा राज्य-सरकार ३ प्रतिशत सूद पर कर्ज के रूप में देती है।

मेसर्स द्वारिकादास राधाकृष्ण और भारतीय इंजिनीयरिंग वर्क्स, साहेबगंज (सन्ताल परगना) को ५,६६,४६० रुपये देने की स्वीकृति हुई है, जिनमें से ३.५ लाख रुपये दिये जा चुके हैं।

मजदूर-संघ

'मजदूर-संघ-आन्दोलन' की विशेष प्रगति हुई है और, विवेच्य वर्ष में, ५४ मजदूर संघ रजिष्टर्ड हुए हैं। इस प्रकार, रजिष्टर्ड मजदूर संघों की संख्या ५५७ तक पहुँच गयी है। विरोधी दलों और मजदूर संघों के झगड़े तय करने और उनके हिसाब-किताब की जांच करने के लिए कई प्रबन्ध किये गये हैं। आवश्यक विवरण न भेजने पर कई मजदूर-संघों पर मुकदमे चलाये गये और उनकी रजिस्ट्री रद्द कर दी गयी।

कारखाना-निरीक्षण

कारखाना कानून, १९४८ ई० के नियमों को लागू करने और कारखानों का निरीक्षण समुचित रूप से करने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गयी।

सचिवालय-जलपानगृह

श्रम-विभाग ने सचिवालय के कर्मचारियों की सुविधा के लिए, पटना में, एक सचिवालय-जलपानगृह (सेक्रेटेरियट कैन्टीन) खोला है। इसमें सचिवालय के हजारों कर्मचारी जलपान करते हैं और बिहार विधायिका अधिवेशन होते रहने पर विधायिका के सदस्यों के लिए भी जलपान की व्यवस्था रहती है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

संकटग्रस्तों को सहायता

अनावृष्टि के कारण, सरकार को आशंका हुई कि, १९५१-५२ ई० में, राज्य के विभिन्न भागों में अन्न-संकट उपस्थित होगा। फलतः संकट के निवारण के लिए उचित व्यवस्था की गयी। असहाय व्यक्तियों को मुफ्त भोजन दिया गया और साथ ही नकद सहायता भी दी गयी।

बेरोजगार मजदूरों को काम देने के उद्देश्य से कई योजनाएँ स्वीकृत की गयीं। अग्निकाण्ड, बाढ़, सूखा, अन्न-संकट ओर अन्य प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने का प्रबन्ध किया गया।

कष्ट-पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने के विचार से हल्के शारीरिक श्रम और कठिन शारीरिक श्रम की सहायता-योजनाएँ भी चालू की गयीं, ताकि लोग काम कर अपना निर्वाह कर सकें। हलके शारीरिक श्रम की योजना के अन्तर्गत सुतरी तैयार करना, खादी-उत्पादन, जूता बनाना इत्यादि काम थे। और, कठिन शारीरिक श्रम की योजना के अन्तर्गत बांध बनाना, कच्चा कुआं खोदना, सरकारी भवनों की मरम्मत और इसी तरह के अन्य कार्य थे। काम करने वालों को प्रति दिन अधिक-से-अधिक एक रुपया देने की व्यवस्था थी और कोशिश यही रहती थी कि कि जहां तक हो सके उन्हें रुपये के बदले अनाज ही दिया जाय।

अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में, सहायता-योजनाओं पर जो रकम खर्च की गयी वह इस प्रकार थी :—

	रुपये
१। दानस्वरूप सहायता	४४,००,०००
२। हलका शारीरिक श्रम	३४,६२,०००
३। कठिन शारीरिक श्रम	९०,९१,०००
४। दवा और चिकित्सा	२०,००,०००
५। वेतन और व्यवस्था	३,७२,०००

कुल १,९३,२५,००० रुपये के खर्च में भारत-सरकार ने अपनी ओर से २२॥ लाख रुपये दिये थे।

बाढ़-सहायता

विगत वर्षों की भांति, १९५१-५२ ई० में, बाढ़ से बचाव के लिए उचित व्यवस्था सरकार ने कर दी थी। बाढ़ वाले क्षेत्रों के लिए नाव खरीदने और भाड़े

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पर नाव लेने का प्रबन्ध कर दिया गया था। विभिन्न जिलों में नाव खरीदने और भाड़ा पर लेने के लिए जो रकमें स्वीकृत हुई थीं वे इस प्रकार थीं :—

	नाव खरीदने के लिए	नाव भाड़ा पर लेने के लिए
	रु०	रु०
पटना	७,५००	४,५००
शाहाबाद	२,०००	११,०००
मुजफ्फरपुर	१५,०००	११,५००
चम्पारण	१५,६००	५,६००
सारन	..	९,०००
दरभंगा	३६,५००	५०,०००
मुंगेर	२५,०००	२८,०००
पुर्णियां	२७,०००	८००
सन्ताल परगना	१०,०००	..
सहरसा	१०,०००	२,०००

कुछ जिलों में मोटर-बोट रखने की भी व्यवस्था कर दी गयी थी। सारन, चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा में मोटर-बोट रख दिये गये थे, ताकि संकट की उपस्थिति होने पर सुदूरवर्ती गांवों में आसानी से सहायता की चीजें पहुंचायी जा सकें। मोटर-बोट खरीदने और उनके प्रबन्ध के लिए निम्नलिखित रकम स्वीकृत हुई थीं :—

	रुपये
सारन	२५,०००
चम्पारण	१५,०००
मुजफ्फरपुर	२००
दरभंगा	४,२००
मुंगेर	५,०००
पुर्णिया	१८,२००

वाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में वांधों की मरम्मत के लिए, १९५१-५२ ई० में, ५,११,११२ रुपये स्वीकृत हुए थे।

वाढ़-पीड़ित लोगों को बसाने के लिए, शाहाबाद, सारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर और भागलपुर में, जमीन लेने का भी प्रबन्ध हुआ था। जो लोग जमीन का खर्च देने में असमर्थ थे, उनको सरकार, स्थिति के अनुसार, पूर्ण या आंशिक आर्थिक सहायता देती थी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

दरभंगा और सहरसा के कोशी-पीड़ित क्षेत्रों में लगान कम करने का भी प्रबन्ध कर दिया गया था। सहायता-कार्यों की देखभाल के लिए सहरसा और दरभंगा में एक-एक कोशी-सहायता-अफसर हैं।

कृषकों को अपनी खेती में सुधार करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के ऋण देने की व्यवस्था की गयीं। १९५१-५२ ई० में, ऋण के रूप में वितरित की गयी रकम का विवरण इस प्रकार है :—

	रुपये
१। भूमि-सुधार-ऋण	३२,६०,८९२
२। कृषक-ऋण	३,८०,९६,२५४
३। प्राकृतिक विपत्ति-ऋण	६,५०,०००

सहायता और पुनर्वास

१९५० ई० के पहले, पश्चिमी पाकिस्तान से बिहार-राज्य में आये हुए विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ४५,००० थी। इनमें से अधिकांश अब स्वयं अपनी जीविका कमा रहे हैं। जो बिल्कुल असहाय, असमर्थ और निराश्रित हैं, केवल उन्हें ही मुफ्त अन्न-वस्त्र देने का प्रबन्ध है। ऐसे व्यक्ति स्थायी उत्तरदायित्व' की कोटि में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या इस समय १६७ है। साथ ही, १०५ निराश्रित स्त्रियां और उनके बाल-बच्चे हैं। ये स्त्रियां, धनबाद के विधवाश्रम में रहती हैं। 'स्थायी उत्तरदायित्व' की कोटि के व्यक्तियों के लिए एक शिविर गया में है।

इस समय कुछ निराश्रित स्त्रियां फुलवारी शरीफ के शिविर में हैं, जहां उनके लिए सिलाई का काम सिखाने का प्रबन्ध है। कुछ स्त्रियों ने सिलाई का काम सीख लिया है और उन्होंने सिलाई की मशीन मांगी है, ताकि वे जीविकोपार्जन कर सकें। लगभग ८१ मशीनें बांटी जा चुकी हैं।

लगभग ५० विधवाएँ, बूढ़े और असहाय व्यक्ति केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता पा रहे हैं।

वर्त्तमान शिविर

गया के 'स्थायी उत्तरदायित्व'-शिविर के अतिरिक्त, फुलवारीशरीफ (पटना) में एक और बारा (जमशेदपुर) में एक शिविर हैं। कुछ परिवार धर्मशालाओं में ही रहते हैं और कुछ परिवारों को कृपालु व्यक्तियों ने अपने मकानों में शरण दे दी है। केवल 'स्थायी उत्तरदायित्व' की कोटि के व्यक्तियों को ही मुफ्त भोजन दिया जाता है। उक्त शिविरों में जो प्राइमरी स्कूल खोले गये थे, वे चल रहे हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

शिक्षा की सुविधा

स्कूलों में पढ़ने वाले विस्थापित छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है। कॉलेजों या टेक्निकल संस्थाओं में अध्ययन करने वाले अधिकारी छात्रों को ३० रु० से लेकर ६० रुपये मासिक तक की वृत्तियां दी जाती हैं। विस्थापित व्यक्तियों को कक्षा-शुल्क से मुक्त करने के लिए, स्कूलों को क्षतिपूर्ति के रूप, आनुदानिक सहायता दी जाती है।

पुनर्वास की व्यवस्था

विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिए सरकार ने कई प्रबन्ध किये। सरकार ने स्वयं ५५० घर और ४२८ दूकानें बनवायीं। अब घर या दूकान बनवाने का विचार छोड़ दिया गया है। व्यवस्था हुई है कि विस्थापित व्यक्ति स्वयं मकान बनवायें और इसके लिए सरकार उन्हें ऋण देगी तथा मकान बनाने की चीजें सस्ती दर पर उपलब्ध करेगी। साथ ही, विस्थापितों में से अकृषक परिवारों को व्यवसाय-ऋण भी दिये गये हैं। ऐसे कई परिवारों ने व्यवसाय में बहुत उन्नति कर ली है। विवेच्य वर्ष (१९५१-५२ ई०) में कुल डेढ़ लाख रुपये व्यवसाय-ऋण के रूप में दिये गये थे। कुछ कृषक-परिवारों को भी ऋण दिया गया था; परन्तु ऐसे अधिकांश परिवार, बसने के लिए, अलवर भेज दिये गये। इसके अतिरिक्त, कई विस्थापित व्यक्तियों को कण्ट्रोल की चीजों का कोटा, बस चलाने के अनुमति-पत्र और साथ ही, सरकारी कार्यालयों में नौकरियां दी गयीं।

विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

प्रारम्भ (१९४७-४८ ई०) से लेकर १९५०-५१ ई० के वर्ष की समाप्ति तक, राज्य-सरकार द्वारा खर्च किये गये रुपये और केन्द्रीय-सरकार से प्राप्त रुपयों का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष		राज्य-सरकार द्वारा खर्च रु०	केन्द्रीय-सरकार द्वारा अनुदान रु०	दिये गये ऋण रु०
१९४७-४८ ई०	..	१,३८६	१,३६२	..
१९४८-४९ ई०	..	१,५७९	१,३७५	..
१९४९-५० ई०	..	२,४८० (१३.३२ ऋण भी शामिल है)	७५५	१,८००
१९५०-५१ ई०	..	१,२१८ (५.६७ ऋण भी शामिल है)	२०३	२,२५०

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित

१९५० ई० में, भारत-सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए २६,१७६ विस्थापित व्यक्तियों को इस राज्य में भेजना तय किया। इनके अतिरिक्त १५ हजार ऐसे विस्थापित व्यक्ति थे जो स्वेच्छा से इस राज्य में चले आये थे। विभिन्न शिविरों से ५,८०० व्यक्ति पुर्णिया भेज दिये गये, जिन्हें वहां के जमींदारों ने 'वटाईदार' या खेतिहर-मजदूर के रूप में वसा लिया। लगभग ६५० व्यक्ति भी इधर-उधर वसा दिये गये। शेष व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य १९५१-५२ ई० में सम्पन्न हुआ।

१ अप्रैल, १९५१ ई० को विहार-राज्य में १४ शरणार्थी शिविर थे, जिनमें कुल १३,३०० व्यक्ति रह रहे थे। इस समय केवल एक शिविर, वारा (जमशेदपुर) में है, जिसमें ६७५ व्यक्ति हैं। इसके अतिरिक्त ७०० व्यक्ति 'स्थायी उत्तरदायित्व' की कोटि के हैं जो भारत-सरकार के मत्थे हैं।

पुनर्वास का प्रवन्ध

अकृषक विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि उनके लिए घर बना दिया जाय या वदले में, घर वनाने के लिए ऋण दे दिया जाय, और १०० रु० से लेकर १,००० रु० तक व्यवसाय ऋण दिया जाय। इन लोगों को दो महीने के लिए निर्वाह-ऋण दिया गया था। अब, तो अकृषक विस्थापित व्यक्तियों के उपनिवेश से बस गये है, जहां सरकार ने ६७२ झोपड़ियां वनवा दी हैं।

पुर्णिया जिले में कृषक परिवार बसाये गये और वहां ३,५६१ एकड़ जमीन ४२९ परिवारों में बांट दी गयी। इसके अतिरिक्त पुर्णिया सदर और फारविसगंज में १,८२५ एकड़ जमीन २८६ परिवारों में वांट दी गयी।

एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह हुआ है कि विस्थापित स्त्री-पुरुषों के शैल्पिक (टेक्निकल) और व्यावसायिक शिक्षा का प्रवन्ध किया गया। सहायता-शिविरों में अब तक ६७४ लड़कियों को शिक्षा दो जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ४४ लड़कों को भारत-सरकार के श्रम-मंत्रणालय द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत, टेक्निकल शिक्षा दी गयी और पटना, छपरा और मुजफ्फरपुर की असरकारी संस्थाओं में १९ वालिकाएँ शिक्षा पा रही थीं। चौदह लड़कियों को 'दाई' का शिक्षण मिला है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सरकारी तौर पर जो २६,१७६ विस्थापित व्यक्ति इस राज्य में आये थे, उनके पुनर्वास या अन्य व्यवस्था का विवरण इस प्रकार है :—

(क)	सरकार को विना सूचना दिये ही या तो पश्चिम बंगाल में या अपने घर पूर्वी पाकिस्तान चले गये व्यक्तियों की संख्या—	८,९२५
(ख)	स्वयं अपनी प्रार्थना पर पूर्व बंगाल में भेज दिये गये व्यक्तियों की संख्या—	२,९९१
(ग)	अप्रैल, १९५२ ई० तक विहार में बसाये गये व्यक्तियों की संख्या—	१३,२८२
(घ)	भारत-सरकार के आदेश से, पान की खेती के लिए उड़ीसा भेजे गये व्यक्तियों की संख्या—	५४
(ङ)	जमशेदपुर के शिविर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या—	६७५
(च)	'स्थायी उत्तरदायित्व' की कोटि के व्यक्तियों की संख्या—	२४८
	कुल ..	२६,१७६

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास पर खर्च हुई रकम का विवरण इस प्रकार है :—

	१९५०-५१ ई०	१९५१-५२ ई०
	रु०	रु०
सहायता	५२,५१,२०८	२०,११,८७८
पुनर्वास	२४,७४४	४८,१४७
ऋण	३,८९,४२०	३५,५८,०००

पलायित-सम्पत्ति-प्रशासन-कानून

इस राज्य के जो व्यक्ति भाग कर पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान चले गये, उनकी यहां बच रही सम्पत्ति के प्रशासन की उचित व्यवस्था की गयी है। सम्पत्ति का मूल्य ७१ लाख रुपये से अधिक आंका गया है। सम्भव है, और भी सम्पत्तियां हों, और उनका पता लगाया जा रहा है। ऐसे पलायित व्यक्तियों की शहरों की सारी स्थायी सम्पत्ति और देहातों में १०,००० रुपये से अधिक के मकान का मूल्य कूता जा रहा है। इसके उद्देश्य हैं कि इन सम्पत्तियों को बेच कर विस्थापित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दे दी जायगी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जो शामिल जायदाद है उसका भी निर्णय किया जा रहा है कि कितना हिस्सा पलायित व्यक्ति का है और कितना यहां के रहने वालों का। जो लोग अक्तूबर, १९४६ ई० से लेकर अप्रैल, १९५० ई० तक, साम्प्रदायिक दंगे के भय से भाग कर पूर्वी पाकिस्तान चले गये, वे पलायित सम्पत्ति कानून की धाराओं से बरी कर दिये गये। ऐसे व्यक्ति यहां की अपनी सम्पत्ति बेच सकते हैं या आदान-प्रदान कर सकते हैं।

जेल-प्रशासन में सुधार

लोकप्रिय-शासन स्थापित हो, कारागार-प्रशासन के दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन हो गया। सभी श्रेणी के बन्दियों के साथ मानवोचित व्यवहार करने के उद्देश्य से कई सुधार किये गये। साथ ही, बन्दियों को व्यावसायिक शिक्षा देने का भी प्रबंध किया गया ताकि वे कारागार से निकलने के बाद स्वतन्त्रता और ईमानदारी से अपनी जीविका उपार्जन कर सकें और उपयोगी नागरिक बनकर राष्ट्र के उन्नयन में सहयोग दे सकें। कारागारों में साक्षरता और सामाजिक-शिक्षा के प्रबन्ध के साथ ही बढ़ईगिरी, दरी-बुनाई, खीमा बनाना, बुनाई, सिलाई, कम्पोजिंग इत्यादि काम सिखाने की व्यवस्था हुई।

१९५१-५२ ई० के प्रारम्भ में राज्य के ४ सेण्ट्रल जेलों, १४ जिला जेलों और ३९ सबडिवीजनल जेलों में कुल मिला कर १५,६२९ बन्दी थे। सभी बन्दियों को अपने धर्म के अनुसार पूजा-पाठ करने की पूरी सुविधा दी गयी। प्रत्येक रविवार और शुक्रवार को तथा पर्व-त्यौहारों के दिन धर्म-शिक्षक आया करते थे।

राज्य के जेलों में कम्बल, बुनाई, हाथ से कताई-बुनाई, सिलाई, बढ़ईगिरी इत्यादि के उद्योग चलाये गये। कारागारों में तैयार कपड़े बन्दियों के लिए पूरे पड़ जाते हैं।

बक्सर सेण्ट्रल जेल में एक कताई मिल चालू की गयी है। इस मिल से जो सूत तैयार होगा वह केवल जेलों के काम के लिए ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि राज्य के बुनकरों की भी आवश्यकता पूरी हो जायगी। इस मिल से सरकार को प्रति वर्ष १,२५,००० रु० की आय होगी। जेलों की अधिकाधिक जमीन को जोत में लाने की पूरी कोशिश की गयी। १९५१-५२ ई० में, कुछ जेलों में बन्दियों की औसत आय ६४ रु० से लेकर ७०० रुपये वार्षिक तक हुई।

विवेच्य वर्ष में, राज्य के कारागारों के प्रशासन और प्रबन्ध पर कुल ६२,१८,५८४ रुपये खर्च हुए।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नशाबन्दी की योजना

मादक द्रव्य के सेवन को उत्तरोत्तर कम करने के लिए वचनबद्ध होने के कारण राज्य भर में, चुआयी हुई शराब, गांजा-भांग और अफीम की दूकानों की बन्दोबस्ती 'स्लाइडिंग स्केल' पर चलती रही। केवल छोटानागपुर जिले के कुछ पहाड़ी और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ही यह व्यवस्था नहीं थी। पहले इन दूकानों की बन्दोबस्ती 'नीलाम' द्वारा होती थी; किन्तु उत्तरोत्तर नशाबन्दी के लिए 'स्लाइडिंग स्केल' ही उपयुक्त समझा गया।

प्रचार-कार्य

लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन से विरत करने और उनमें संयम प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रचार-कार्य भी किये गये, जिसका प्रभाव बहुत दूर तक प ा।

विदेशी शराब के लिए लाइसेंस बन्द

विदेशी शराब की खपत को रोकने और नशाबन्दी की योजना के उद्देश्य से विदेशी शराब—बाहर से आयी हुई और भारत में बनी हुई भी—के लिए नयी लाइसेंस नहीं देने के सरकारी आदेश विवेच्य वर्ष में भी लागू रहे।

अफीमखोरी बन्द करने का प्रयास

भारत-सरकार का निर्णय है कि ३१ मार्च, १९६० ई० तक भारतवर्ष में अफीमखोरी बिलकुल बन्द हो जानी चाहिये। अतएव, अफीम देने में जो १० प्रतिशत की कटौती की गयी थी, वह इस वर्ष में भी लागू रही। १ अप्रैल, १९५१ ई० से यह नियम लागू हुआ कि सभी अफीमखोर अपने को रजिष्टर्ड करा लें और केवल टिकट वालों के हाथ अफीम बेचा जाय। यह भी नियम हुआ एक व्यक्ति एक तोला से अधिक अफीम नहीं रख सकता।

१९५१ ई० के फरवरी महीने में यह तय हुआ कि पटना जिले में शराब की खुदरा बिक्री में एक व्यक्ति के हाथ एक बोतल अधिक शराब न बेची जाय। शराब-खोरी कम करने के उद्देश्य से यह योजना प्रयोग के तौर भी लागू हुई थी और इस वर्ष भी यह जारी रही।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

१९५०-५१ ई० की अपेक्षा १९५१-५२ ई० में आबकारी से होने वाली आय कितनी हुई इसका विवरण इस प्रकार है :—

	१९५१-५२ ई०	१९५०-५१ ई०
	रु०	रु०
चुआयी हुई शराब	३,०६,८९,११५	३,०१,१०,५७३
गांजा	३५,८९,२८६	३२,५२,२१३
भांग	३,८८,८६९	३,७८,७३८
अफीम	१२,२३,३३६	१६,२३,९२६
ताड़ी	१,०४,३०,५८३	१,१०,२७,४५८
मद्यसार	८,७६,६६३	३,३२,१६४
अन्य साधन	३४,६०,१०३	३३,४९,६८५
कुल ..	५,०६,५७,९५५	५,००,७४,७५७

मद्य-सार—मोटरगाड़ियों के लिए २० और ३० के अनुपात में मद्यसार और पेट्रोल मिला कर बेचने के नियम की अवधि १० अक्तूबर, १९५१ ई० से बढ़ा दी गयी। यही व्यवस्था गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पटना के लिए भी है। अप्रैल, १९५१ ई० से लेकर मार्च, १९५२ ई० तक मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना और गया को कुल क्रमशः १,४५,७१७.८ ; १,०९,०६७.० ; १,२६,८३२.५ और ६४,२०४.० गैलन मद्यसार दिया गया था।

१९५१-५२ ई० के वर्ष में कुल २१,३४,२५२ मन १४ सेर छोआ तैयार हुआ।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में लोकप्रिय शासन की प्रगति

उत्पादन और विकास

लोकतांत्रिक आधार पर संघटित, हमारी राज्य-सरकार ने स्वभावतः, लोकहित की दृष्टि से, उत्पादन और विकास की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया है। वस्तुतः, जनता के जीवन में, सुख-समृद्धि का यथेष्ट संचार करने के लिये, देश के उत्पादन में, अधिकाधिक वृद्धि करना और सर्वांगीण राष्ट्रिय विकास की व्यवस्था करना आवश्यक है। १९५१-५२ ई० में, बिहार-सरकार ने उत्पादन और विकास के क्षेत्रों में जो कार्य किये हैं, उनका संक्षिप्त विवरण, इस लेख में दिया जा रहा है।

'अधिक अन्न उपजाइए' आन्दोलन

'अधिक-अन्न-उपजाइए-आन्दोलन' का श्रीगणेश बृटिश शासन-काल में ही, युद्ध के युग में हुआ था। १९४६ ई० में, कांग्रेसी मंत्रिमंडल के पुनः संघटित होने पर, खाद्यान्नों के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करने के लिये, एक पंचवर्षीय योजना बनायी गयी। उक्त योजना, भारत-सरकार के परामर्श से, प्रस्तुत की गयी थी। १९५१-५२ ई० में बिहार-सरकार ने भारत-सरकार के परामर्श से अपने 'अधिक-अन्न-उपजाइए' आन्दोलनसंबंधी कार्यक्रम में महत्त्वपूर्ण परिवर्त्तन किये। पहले इस कार्यक्रम का लक्ष्य यही था कि खाद्य-संकट से जनता की रक्षा करने के लिये, किसी-न-किसी रीति से उत्पादन में अविलम्ब वृद्धि की जाय। अब, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि का कार्यक्रम, भारत-सरकार द्वारा नियुक्त योजना-आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना के राष्ट्रनिर्माण संबंधी व्यापक कार्यक्रम में समाविष्ट हो गया है। अब यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि आगामी ५ वर्षों की अवधि में ७ लाख २० हजार टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन किया जाय।

भारत-सरकार की उपर्युक्त नवीन नीति के अनुसार, अब खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने का काम कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही किया जाता है। इसके लिये हमारे राज्य में, कुछ क्षेत्रविशेष चुन लिये गये हैं। उन क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों की व्यवस्था विशेष रूप से की गयी है। उन क्षेत्रों के बाहर भी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये, जो लोग सरकार से सहायता मांगते हैं, उन्हें समुचित सहायता दी जाती है। किन्तु, भारत-सरकार का अनुदान अब इसके लिये सुलभ न होने के कारण, सहायता के परिमाण में कमी कर दी गयी है।

प्रगति के आँकड़े

१९५१-५२ ई० में, अधिक-अन्न-उपजाइए आन्दोलन के संबंध में, जो प्रगति हुई है, उसके आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

योजनाएं	सफलता का परिमाण
१। मध्यम कोटि के आहर, पइन और बांध ..	९०
२। कुएँ	४,००१
३। खुले हुए नलों की गड़ाई	२,०९७
४। नलकूप	१५
५। उद्वाही-उदँछ	२,३४७
६। राहट	१,०५३
७। नगर कम्पोस्ट	४५,७४५ टन
८। खाद्यान्नों के बीजों की बिक्री	९,४७२ मन
९। तरकारियों के बीजों की बिक्री	३०९ मन
१०। कृषि संबंधी पर्चे, बुलेटिन आदि का निःशुल्क वितरण	५०,००० प्रतियां

उपर्युक्त आंकड़ों में, राज्य के विशेष उत्पादन वाले चुने हुए क्षेत्रों में तथा उनके बाहर किये गये कार्यों के परिमाण सम्मिलित रूप से दिये गये हैं।

सामूहिक विकास-योजनाएं

१९५१-५२ ई० में, संयुक्त-राज्य अमेरिका के सहयोग से, देश के अन्य राज्यों की तरह, बिहार में भी सामूहिक विकास-योजनाएं, प्रयोगात्मक रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं। इस प्रयोग के लिये राज्य के ५ क्षेत्र चुन लिये गये हैं। उनमें से प्रत्येक में लगभग ३०० गांव हैं। हर क्षेत्र में सामूहिक विकास के लिये ३ वर्ष में लगभग ६५ लाख रुपये खर्च किये जायंगे। इस व्यय में अमरीकी सरकार, भारत-सरकार तथा राज्य-सरकार, तीनों ही अपना-अपना अंश देंगी। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये चुने हुए कार्यकर्त्ताओं के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

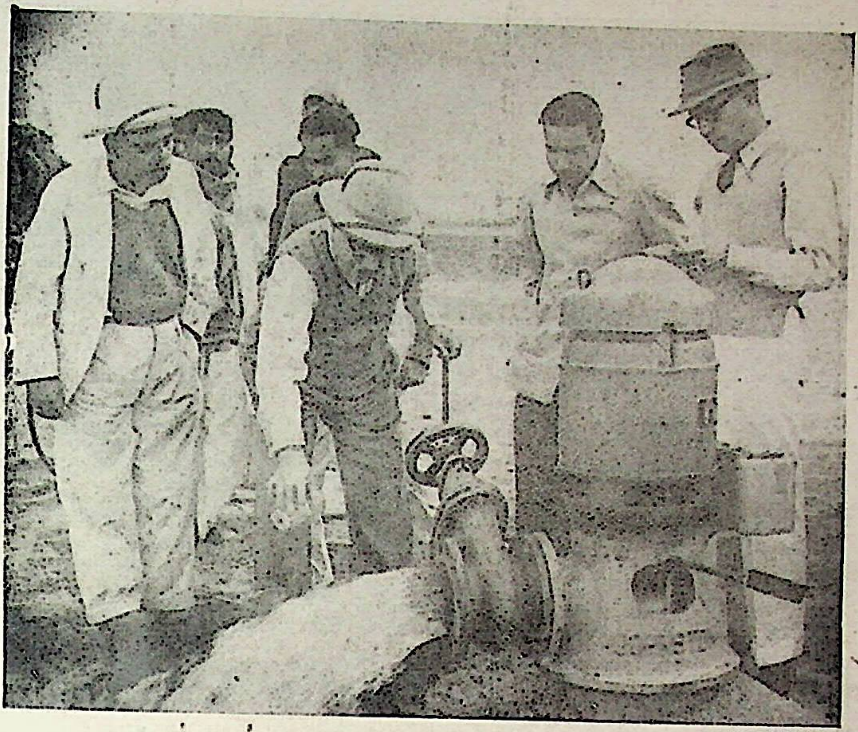

उत्तर विहार में, नलकूप द्वारा सिंचाई का एक दृश्य: कुछ अधिकारी नलकूप का निरीक्षण कर रहे हैं

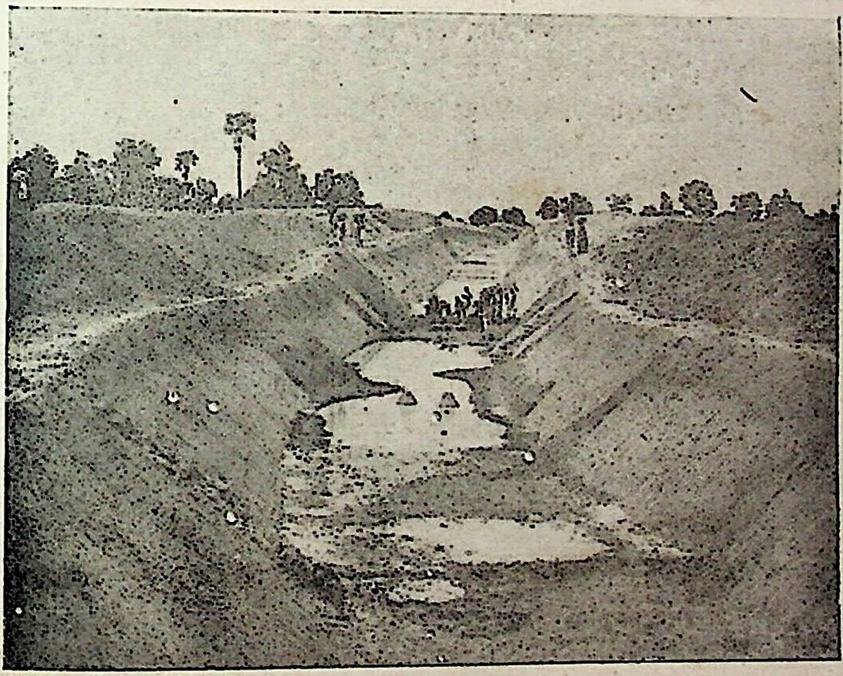

विहार राज्य सरकार की एक सिंचाई-योजना संबंधी निर्माण-कार्य का एक दृश्य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

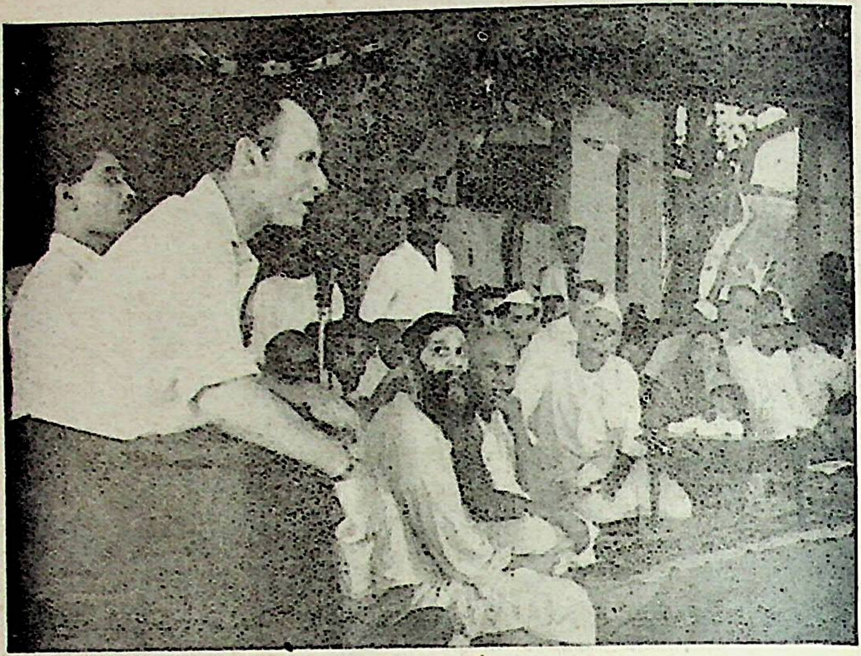

बिहटा-बिक्रम फोर्ड योजना के उद्घाटन-समारोह का एक दृश्य

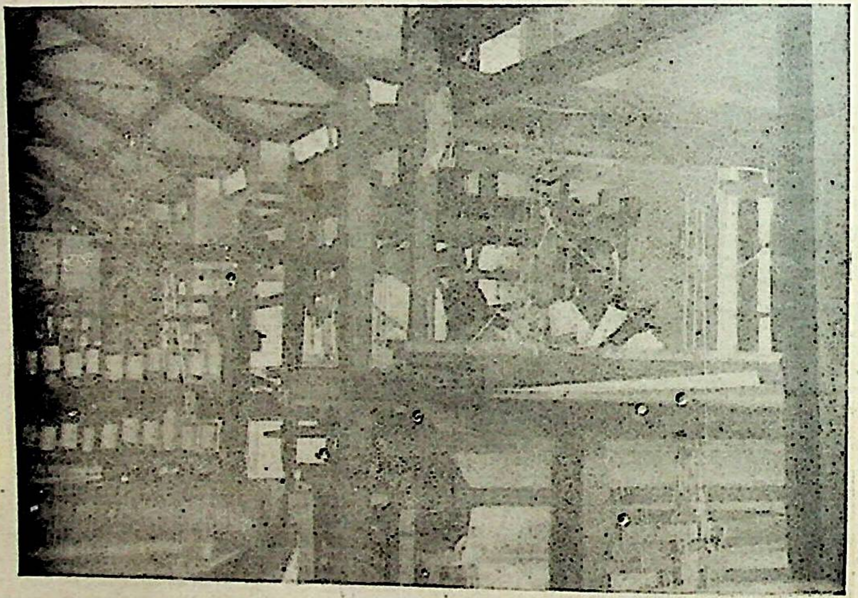

गुलजारबाग कॉटेज इण्डस्ट्रिज की बुनाई-शाखा का एक दृश्य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

शिक्षण की व्यवस्था कर दी गयी है। इन योजनाओं का विस्तृत विवरण इसी प्रकाशन में इस विषय के एक स्वतंत्र लेख में अन्यत्र दिया हुआ है।

बंजर-भूमि को कृष्य बनाने की योजना

बिहार-राज्य में, कुल बंजर भूमि का क्षेत्रफल लगभग ३० लाख एकड़ है। देश तथा राज्य में अन्न-संकट होने के कारण बंजर भूमि को कृष्य बनाने का महत्त्व बहुत अधिक हो गया है। भूमि-सुधार ऋण कानून के अनुसार सरकार इस कार्य के लिये लोगों को ऋण देती है। १९५१-५२ ई० में इस योजना के अन्तर्गत २३ लाख ३० हजार ९२३ रु० ऋण स्वरूप बांटे गये और उनके द्वारा २८,७४१ एकड़ भूमि कृष्य बनायी गयी। १९४६ ई० से मार्च, १९५२ ई० के अंत तक उक्त कानून के अनुसार बिहार-राज्य में ८६,९२,१८७ रुपये लोगों को ऋण-स्वरूप दिये गये हैं और कुल १,२०,९९८ एकड़ बंजर भूमि कृष्य बनायी गयी है।

छोटानागपुर और दक्षिण बिहार में बंजर-भूमि को धान के खेत के रूप में परिणत करने के लिये सरकार ६० रु० प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता देती है। इस मद में, २०,००० रुपये खर्च हो चुके हैं और ३३० एकड़ भूमि लाभान्वित हुई है। भूमिरहित मजदूरों को यह कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया गया है। सहरसा, दरभंगा और पूर्णियां के जिलों में सरकारी ट्रैक्टरों के द्वारा भी यह कार्य आरंभ हुआ है। १९५१-५२ ई० में सरकारी ट्रैक्टरों के द्वारा ४,२८२ एकड़ बंजर भूमि कृष्य बनायी गयी थी। उसके पहले के तीन वर्षों में, १३,००० एकड़ भूमि को इस योजना से लाभ पहुंचा था। छोटानागपुर के लिये, सरकार ने ट्रैक्टरों का अधिकाधिक उपयोग करने का निश्चय किया है। रेलवे लाइनों के दोनों ओर की भूमि का भी उपयोग खेती के लिये हो रहा है। ऐसी ३,४८९.५८ एकड़ भूमि किसानों के हाथ बन्दोबस्त की गयी है जिसमें से २,८८६.४७ एकड़ भूमि का उपयोग खेती के लिये हो रहा है।

हिंस्र पशुओं से कृषि की रक्षा करने के अभिप्राय से उनके विनाश की योजना भी राज्य सरकार ने बनायी है। इसके लिये सशस्त्र सैनिकों का उपयोग किया जा रहा है।

नलकूपों द्वारा सिंचाई

नलकूपों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था, बिहार-राज्य के विभिन्न भागों में, सरकार द्वारा हुई है। दक्षिण बिहार में, अबतक यह योजना अधिक सफल हुई है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इस समय वहां २०४ नलकूप कार्य कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कुल २८६ नलकूपों की स्वीकृति दे दी है। ये नलकूप मुख्यतः, डेहरी-ससराम क्षेत्र और पटना-एकंगरसराय-विहार-बख्तियारपुर-बिहटा क्षेत्र में लगाये गये हैं। इस योजना के विस्तार के लिये प्रयत्न हो रहा है। उत्तर बिहार के लिये ६०० नलकूपों की स्वीकृति हुई थी। किन्तु, पीछे यह निश्चय हुआ कि आरंभ में केवल ३०० नलकूप लगाये जायं और उनके अनुभव के बाद, शेष ३०० नलकूप लगाये जायं। उक्त ३०० नलकूपों के लिये १,४२,९६,५०० रुपये की स्वीकृति हुई और इसमें १ करोड़ १८ लाख रुपये की स्वीकृति, उन कूपों को सक्रिय बनाने के लिये हुई। इसके लिय ६ स्थानों में—बेतिया, चकिया, सकरी, समस्तीपुर, हाजीपुर, और मीरगंज विद्युत्शक्ति-केन्द्र स्थापित किय जा रहे हैं। इन शक्ति-केन्द्रों से न केवल नलकूपों का संचालन होगा, बल्कि अड़ोसपड़ोस के नगरों और ग्रामों को पारिवारिक उपयोग के लिये भी विजली मिलेगी। दक्षिण बिहार में मनेर, विहटा, बरबिवा जैसे ग्रामों के लोगों को निजी उपयोग के लिये बिजली मिल रही है। उत्तर बिहार में, अबतक केवल ५५ नलकूप तैयार किये जा सके हैं। उनमें से हर एक से ३३ हजार गैलन जल प्रतिघंटा निकलता है। चम्पारण जिलें के नलकूपों से इससे भी अधिक जल निकलता है। इस प्रकार, हरएक नलकूप से, प्रतिवर्ष ४५० एकड़ भूमि पटायी जा सकती है। १९५२ ई० में, इस योजना के पूर्णतः कार्यान्वित हो जाने पर, १,३५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

पंचवर्षीय योजना

पंचवर्षीय योजना के अनुसार, दक्षिण बिहार में २०० नलकूप और लगाये जायेंगे, उनमें से १०० तो केवल शाहाबाद जिले में लगेंगे। ये नलकूप, क्रमशः तैयार होंगे। शेष १०० नल-कूप उत्तर मुंगेर, उत्तर भागलपुर और दक्षिण पूर्णिया के कुछ भागों में लगाये जायंगे। सामूहिक विकास-योजनाओं के लिये, जो ५ क्षत्र चुने गये हैं और जिनका पूर्ण विवरण अन्यत्र दिया हुआ है, उनमें से पहले तीन क्षेत्रों में बहुत से नलकूप लगाये जायंगे।

लघु-सिंचाई-योजनाएं

१९४८ ई० में, राज्य-सरकार के राजस्व-विभाग ने, लघुसिंचाई-योजनाओं का श्रीगणेश किया। विगत ४ वर्षों की अवधि में, उक्त योजनाओं की कार्यान्विति राज्य के विभिन्न भागों में, बड़ी तेजी के साथ हुई हैं। इसके लिये १९२२ ई० के अराजकीय सिंचाई के साधन संबंधी कानून का संशोधन १९५० ई० में किया गया तथा अन्य कानूनी व्यवस्थाएं भी की गयीं। विगत ४ वर्षों में, इन योज-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नाओं के लिये, जितने रुपये खर्च हुए हैं और उनके द्वारा जितनी भूमि को लाभ पहुंचा है, उनके आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष		कार्यान्वित योजनाएं	लाभान्वित भूमि	व्यय की रकम
			एकड़	रुपया
१। १९४८-४९ ई०	..	३,१६६	६३,३२०	७३,९६,०५७
२। १९४९-५० ई०	..	८,३८३	१,६७,६६०	१,२६,७१,७२५
३। १९५०-५१ ई०	..	११,११४	२,२२,२८०	१,७७,६५,३१७
४। १९५१-५२ ई०	..	१०,९६७	२,१९,३४०	१,९२,११,२७१

सिंचाई की बड़ी योजनाएं

'अधिक-अन्न-उपजाइए आन्दोलन' के सिलसिले में, राज्य-सरकार के सिंचाई-विभाग ने, १९५१-५२ ई० के लिये ४२ योजनाओं की कार्यान्विति का लक्ष्य निरूपित किया था। इन योजनाओं में, बांध-निर्माण, चौरों से पानी की निकासी (विशेषतः उत्तर विहार के लिये) तथा सिंचाई की योजनाएं सम्मिलित थीं। इन ४२ योजनाओं में से २३ योजनाएं १९५१-५२ ई० में पूरी हुईं; ९ अगले बाढ़ के मौसम तक पूरी हो जायंगी तथा ७ योजनाएं दिसम्बर, १९५२ ई० तक। शेष ३ योजनाएं १९५४ ई० तक पूरी होंगी। इन योजनाओं के द्वारा, १९५१-५२ ई० में, अनुमानतः ६०,००० टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। इन ४२ योजनाओं के अतिरिक्त, भिन्न-भिन्न स्थानों पर कच्चे बांध बांधकर १९५१ ई० में, हथिया नक्षत्र की वर्षा के अभाव का परिमार्जन अंशतः किया गया। इन बांधों के द्वारा २०,००० टन खाद्यान्नों की रक्षा हुई।

गंडक-योजना

गंडक सिंचाई योजना के संबंध में, रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और राज्य-सरकार उस पर विचार कर रही है। प्रस्ताविक योजना का कुल व्यय ३१ करोड़ ९४ लाख रुपये होगा। यह अनुमान इस आधार पर किया गया है कि नेपाल और उत्तर प्रदेश की सरकारें भी इसमें सहयोग प्रदान करेंगी। इस योजना द्वारा २४ लाख १ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। यदि नेपाल और उत्तर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रदेश की सरकारें सहयोग नहीं करेंगी तो बिहार-सरकार को ३१ करोड़ ६९ लाख २० हजार रुपये खर्च करने होंगे। इस योजना में २५ हजार कीलोवाट विद्युत्-शक्ति उत्पन्न करने की भी व्यवस्था है। इसकी कार्यान्विति दो अंशों में हो सकती है। प्रत्येक अंश लाभकारी सिद्ध होगा।

कोशी-योजना

कोशी-योजना के संबंध में, वर्षों से जांच-पड़ताल होती रही है। अब भारत-सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने उस पर कुछ परिवर्तन कर दिये हैं। उन्होंने बेलका बांध-योजना को प्रश्रय दिया है। पूरी योजना का खर्च साढ़े ५५ करोड़ रुपये होगा। इस योजना के अन्तर्गत विद्युत्-उत्पादन का जो यंत्र तैयार होगा उससे ६८ हजार कीलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी।

दामोदर-घाटी-योजना

दामोदर घाटी योजना विगत ४ वर्षों से कार्यान्वित हो रही है। इसकी आर्थिक व्यवस्था, भारत सरकार, बिहार सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर करती हैं। इस योजना के अन्तर्गत कोनार, तिलैया, मैथन आदि स्थानों में, बांध बनाये जा रहे हैं और बोकारो में, एक विशाल विद्युत्-केन्द्र स्थापित हुआ है। इसके अन्तर्गत सिंचाई की भी व्यवस्था है। इस योजना के प्रथम अध्याय में, पश्चिम बंगाल की १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही, छोटानागपुर तथा दक्षिण बिहार के लिये ४ लाख कीलोवाट विद्युत्शक्ति का भी उत्पादन होगा। इसके प्रथम अध्याय का कुल व्यय ८२ करोड़ ८० लाख रुपये है। यह योजना १९५७-५८ ई० तक पूरी हो जायगी। तिलैया का बांध बंध चुका है और बिहार के लिये इस योजना के अन्तर्गत, सिंचाई की व्यवस्था भी बहुत से स्थानों में हो चुकी है।

जलशक्ति-अनुसंधान-केन्द्र

बिहार में सिंचाई तथा बाढ़ की समस्याओं के समुचित समाधान के लिये, एक जलशक्ति-अनुसंधान-केन्द्र की स्थापना आवश्यक प्रतीत हुई है। इसके लिये उपयुक्त योजना बनाने के निमित्त एक विशेष अधिकारी तैनात किये गये हैं। उन्होंने, पंजाब के अनुसंधान-केन्द्र में जाकर, इस संबंध में विशेष अध्ययन किया है। उपर्युक्त अनुसंधान-केन्द्र की योजना अभी विचाराधीन है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कृषि-संबंधी अनुसंधान

बिहार-सरकार के कृषि-विभाग के अन्तर्गत कृषि-संबंधी अनुसंधान-कार्य की यथेष्ट व्यवस्था की गयी है। १९५१–५२ ई० में उक्त विभाग की कृषि-अनुसंधानशालाओं में संतोषजनक कार्य हुआ है। पूसा में कृषि-विभाग की जो अनुसंधानशाला है उसमें ऊख के संबंध में, विशेष रूप से अनुसंधान होता है। विभिन्न प्रकार के खेतों के लिए उपर्युक्त खादों के संबंध में भी अनुसंधान हुआ है। इस प्रकार के प्रयोग किसानों के खेतों में ही होते हैं। प्रतिवर्ष खादों के संबंध में प्रायः २००० प्रयोग किये जाते हैं और इन प्रयोगों से किसानों को लाभ पहुँचाया जाता है।

आलू के बीज

बिहार उत्तम कोटि के आलू के बीजों के लिये विख्यात है। समस्त उत्तर भारत में बिहार से ही आलू के बीज जाते हैं। इस राज्य में, इस व्यवसाय के महत्त्व का अनुभव करते हुए, सरकार ने उत्तम-से-उत्तम कोटि के आलू के बीज तैयार करने के अभिप्राय से एक योजना बनायी है। १९५०–५१ ई० में ऐसे ८०० मन बीज उत्पन्न किये गये। ऐसे बीजों को खरीद कर संचित रखा गया और सहकारिता-समिति के सदस्यों को उक्त बीज उत्पादन के लिये दिये गये। १९५१–५२ ई० में, उक्त बीजों का परिष्कार हुआ और वे किसानों के बीच वितरण के लिये सुरक्षित रखे गये। आलोच्य वर्ष में, धान के बीजों के विकास के संबंध में भी कार्य हुआ है।

कम्पोस्ट खाद

१९५१–५२ ई० म० बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ३१ लाख ९० हजार टन कम्पोस्ट खाद तैयार की गयी। निस्सन्देह, कम्पोस्ट खाद बनाने की योजना लोकप्रिय हो रही है। विष्टा और नगर के कूड़ा-कर्कट से भी खाद बनाने का कार्य हुआ है। राज्य की ६० नगरपालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्रों की समितियों ने इस कार्य को किया। उन्होंने २ लाख ३० हजार टन कम्पोस्ट तैयार किया, जिसमें से ४६ हजार टन उक्त वर्ष में बिक गया। इस कार्य के लिये राज्य-सरकार ने नगरपालिकाओं को आर्थिक सहायता दी थी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

फल तथा तरकारियों का उत्पादन

फल तथा तरकारियों के उत्पादन के विकास के लिये, राज्य-सरकार ने, कृषि-विभाग में एक विशेष शाखा खोली। उस शाखा के द्वारा फल और तरकारियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है। उसके द्वारा, प्रतिवर्ष तरकारियों के उत्तम बीज के दो-तीन लाख पोटलिकाएँ सस्ते दाम पर बेची जाती हैं। यह योजना स्वावलम्बी है। फलों को सुरक्षित रखने का कार्य भी इस शाखा के द्वारा होता है।

कृषि-सांख्यिकि

बिहार-राज्य में एक ऐसे साधन का अभाव बहुत दिनों से खटक रहा था, जिसके द्वारा, प्रत्येक ग्राम से कृषि-संबंधी सांख्यिकि की जानकारी प्राप्त हो सके। इस अभाव की पूर्ति के लिये राज्य-सरकार के राजस्व-विभाग ने कृषि-सांख्यिकि-शाखा कीं स्थापना की। इस शाखा के कर्मचारी गांव-गांव में जाकर, निम्नलिखित विषयों के आंकड़े एकत्र करते हैं :—

(१) कितनी भूमि में, कौन-सी फसल पैदा होती है (प्रत्येक खेत की पैमाइश के आधार पर);

(२) उपज का परिमाण (नमूने के तौर पर कुछ गांवों के आधार पर);

(३) कुछ खास फसलों की उपज का परिमाण (कुछ चुने हुए गांवों और खेतों की कटनी के आधार पर);

(४) फसलों की कटनी की अवधि तथा उपज का मूल्य- (इससे कृषि-संबंधी आय का अनुमान किया जाता है।);

(५) सिंचाई-संबंधी तथा अन्य आंकड़े।

इस शाखा द्वारा समय-समय पर फसल संबंधी भविष्यवाणी की जाती है। भारत-सरकार के निर्देशानुसार, निश्चित तिथियों पर वर्ष भर में ५६ भविष्यवाणियां की जाती हैं। इनसे किसानों तथा व्यापारियों को बड़ा लाभ होता है। सरकार भी इनका यथेष्ट उपयोग करती है। इस शाखा द्वारा कृषि संबंधी महत्त्वपूर्ण आंकड़ों का विवरण प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। १९४४ ई० से १९४८ ई० तक की फसलों की पैमाइश का विवरण भी प्रकाशित हुआ है। मौसम और वर्षा का विवरण सरकारी गजट में प्रतिसप्ताह प्रकाशित होता है। प्राकृतिक विपत्तियों से फसलों की जो क्षति होती है, उसके भी आंकड़े एकत्र किये जाते हैं। इन आंकड़ों के संग्रह के लिये, अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली का अनुसरण किया जाता है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कृषि-संबंधी शिक्षा

बिहार-सरकार ने भागलपुर जिला अन्तर्गत सबौर नामक स्थान में, कृषि-विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिये, एक डिग्री कालेज की स्थापना की है। उस उस कालेज में, प्रतिवर्ष ३५ छात्र पहले भर्त्ती होते थे। किन्तु, कृषि-प्रेमी छात्रों की संख्या बढ़ जाने के कारण, उस कालेज में ३५ के बदले ७० छात्र स्थान पाते हैं।

तौल और माप

बिहार-राज्य में तौलों और मापों के संबंध में एक कानून बनाया गया था। पहले वह कानून केवल पटना कमिश्नरी में ही लागू किया गया था। किन्तु, १९५१–५२ ई० में, उसे सम्पूर्ण उत्तर विहार में लागू करने का निश्चय हुआ। उक्त योजना स्वावलम्बी है और दोषपूर्ण तौल तथा नाप के के यंत्रों के उपयोग पर उसके द्वारा नियंत्रण लगाया जाता है।

चीनी का व्यवसाय

समस्त भारत के कल्याण की दृष्टिसे, इस राज्य की आर्थिक व्यवस्था में, चीनी के व्यवसाय का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस विषय में, केवल उत्तर प्रदेश का स्थान ही बिहार से ऊपर है। देशभर में, कुल चीनी का जितना उत्पादन होता है, उसका ७५ से ८० प्रतिशत अंश बिहार और उत्तर प्रदेश में ही उत्पन्न होता है।

उत्तर बिहार में चीनी बनाने के ३५ कारखाने हैं, और दक्षिण बिहार में ५। किन्तु, १९५१–५२ ई० के ऊख पेरने वाले मौसम में, उनमें से केवल २७ कारखाने चालू थे।

१९५१–५२ ई० में, ५,०९,९५,५७४ मन १५ सेर ऊख पेरा गया और ५२,१३,९४२ मन १४ सेर चीनी का उत्पादन हुआ। उक्त वर्ष में, चीनी का आधारभूत मूल्य २९ रु० १२ आने प्रति मन था और ऊख का मूल्य १ रु० १२ आने प्रति मन था। इस मूल्य का निर्धारण भारत-सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर किया था। गुड़ का मूल्य पिछले साल की तरह १९ रु० प्रति मन रहा और खंडसारी का २० रु० प्रति मन। दक्षिण बिहार के ३ चीनी के कारखानों की दुरवस्था को दूर करने के लिये, राज्य-सरकार ने यथेष्ट आर्थिक सहायता दी है। इसके अतिरिक्त, सभी चीनी के कारखानों में ट्राम गाड़ी की लाइन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बनाने के लिये भी सरकारने आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया है। चीनी के उद्योग के समुचित विकास के लिये बिहार-सरकार ने अपनी युद्धोत्तर-कालीन पंचवर्षीय योजना में, निम्नलिखित ३ योजनाओं का समावेश किया है :—

(क) चीनी के कारखानों के क्षेत्र में नल-कूपों का निर्माण ;

(ख) उक्त क्षेत्रों में सड़क विकास ; और

(ग) ऊख-उत्पादक-सहकारिता समितियों के द्वारा सहकारिता के आधार पर ऊख की खेती। पहली योजना को सिंचाई विभाग कार्यान्वित कर रहा है और दूसरी को स्वायत्त-शासन-विभाग। तीसरी योजना ऊख विभाग द्वारा कार्यान्वित हो रही है। चीनी के कारखानों को, अधिकांशत: ऊख-उत्पादक-सहकारिता समितियों के द्वारा ही ऊख प्राप्त होता है। इसके लिये आवश्यक कानूनी व्यवस्था कर दी गयी है।

जंगल-सुरक्षा और विकास

बिहार-सरकार का जंगल-विभाग, राज्य के जंगलों की सुरक्षा तथा उनके समुचित विकास के लिये यत्नशील है। १९५१–५२ ई० में, कुल मिला कर १४,६३८ वर्गमील जंगल, जंगल-विभाग के अधीन थे। ये जंगल विभिन्न प्रकार के हैं। यहां पर यह बता देना उचित होगा कि १९४६ ई० में, २,६०६ वर्ग-मील जंगल थे, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का ३ प्रतिशत अंश था। अब, जंगलों का क्षेत्रफल १४,६३८ वर्गमील अर्थात् राज्य के क्षेत्रफल का २० प्रतिशत अंश हो गया है। बिहार अराजकीय जंगल कानून के द्वारा, जंगलों को सरकार अपने अधिकार में लेकर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। साथ ही, नये जंगल उत्पन्न करने का आयोजन भी हो रहा है। विशेषज्ञों का मत है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का कम-से-कम २५ प्रतिशत अंश में, जंगल रहना आवश्यक है। इसलिए, नये जंगल उत्पन्न करने के लिये एक अलग विभाग खोल दिया गया है। इन जंगलों से लकड़ी, जलावन, बांस, आदि सामग्रियां मिलती हैं। १९५१–५२ ई० में इस प्रकार की जितनी सामग्रियां प्राप्त हुई थीं, उनका मूल्य ६७,०४,०१६ रु० था। जंगलों की लकड़ी, जलावन तथा अन्य सामग्रियों के उचित वितरण के लिये, ग्राम-पंचायतों की तरह, लगभग ७ हजार जंगल-पंचायतें १९५१ ई० में कायम की गयीं। जहां कानूनी ग्राम-पंचायतें हैं, वहां, उन्होंने ही जंगल-पंचायत का काम ग्रहण कर लिया है। सरकारी जंगल-विभाग के अधीन जो जंगल हैं, उनसे ३२ लाख किसानों को लकड़ी आदि सामग्रियां मिलती हैं, और २० लाख मवेशी उनमें चलते हैं। १९५०–५१ई० में, जब कि जंगलों का क्षेत्रफल १४,६३८ वर्ग मील था, बिहार-जंगल-विभाग की कुल आय ६६,८४,५६० रु० थी और व्यय की रकम ४६,१५,४०९ रु० थी। इस प्रकार, उक्त वर्ष में, २०,६९,१५१ रु० की बचत जंगलों से हुई। पिछले अनेक वर्षों के आंकड़ों

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

से पता चलता है कि बचत की रकम क्रमशः बढ़ती जा रही है। जंगल-विभाग के कार्यकर्त्ताओं के शिक्षण के लिये चाईबासा (सिंहभूमि) वेंतला (पलामू), कोडरमा (हजारीबाग), महिलांग (रांची), कत्थीकुंड (संथाल परगना) और किऊरा (सिंहभूमि) में शिक्षण-केन्द्र सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

उद्योग-धंधे

१९५१–५२ ई० में, बिहार-राज्य में, उद्योग-धंधों के समुचित विकास के अभिप्राय से, एक कॉरपोरेशन की स्थापना के लिये यथेष्ट प्रयत्न किया गया है। इस कॉरपोरेशन का कार्य उद्योग-धंधों के लिये, समुचित आर्थिक व्यवस्था करना होगा। इसके लिये कानूनी व्यवस्था हो गयी है। राज्य-सरकार की ओर से, राज्य के अन्यान्य उद्योग-धंधों को आर्थिक सहायता देने के लिये भी, १९५३ ई० के तत्संबंधी कानून में संशोधन किये गये हैं।

सिंदरी का कारखाना

सिंदरी (मानभूमि) में सुपरफास्फेट का एक बहुत वड़ा कारखाना, सरकार द्वारा स्थापित हुआ है। इसका आरंम्भिक व्यय ४३ लाख रुपये है। इससे प्रतिवर्ष १५ हजार टन सुपरफास्फेट तैयार होगा। यह कारखाना, १९५३ ई० से काम करने लगेगा। १९५१–५२ ई० में राज्य के ४२ कारखाने उद्योग-विभाग के साथ मिला दिये गये। एक कारखाना बनाया गया है और ३ की योजना तैयार हुई है। लोहा और इस्पात के नियंत्रण संबंधी केन्द्रीय-सरकार के आदेशों की कार्यान्विति, बिहार उद्योग-विभाग द्वारा हुई है।

कारीगरी-संबंधी शिक्षा

बिहार-राज्य में, कारीगरी-संबंधी शिक्षा के विकास के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित संस्थाएँ चलायी जा रही हैं :—

(१) पटना का बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज ;
(२) सिंदरी का नया इंजीनियरिंग कॉलेज ;
(३) मुजफ्फरपुर का टेक्निकल स्कूल और
(४) डेहरी का टेक्निकल स्कूल।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इस प्रकार की शिक्षा के विकास के संबंध में, सरकार को सुझाव देने के लिये एक समिति बना दी गयी है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इस राज्य की औद्योगिक अनुसंधानशाला ने आलोच्य वर्ष में बहुत उपयोगी कार्य किये हैं।

गृह-शिल्प

१९५१ ई० के अंत में, राज्य-सरकार ने अपने गृह-शिल्प विभाग के पुनस्संघटन के लिये एक व्यापक योजना स्वीकृत की। गृहशिल्प विभाग, सामान्य उद्योग-विभाग से अलग कर दिया गया। इस व्यवस्था का अभिप्राय, गृह-शिल्पों को प्रश्रय देना था। १९४८ ई० में, जो गृह शिल्प समिति संघटित हुई थी, उसने सरकार को बहुत से महत्वपूर्ण सूझाव दिये थे। उन सुझावों के अनुसार, सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं की कार्यान्विति की है —(१) खादी उत्पादन योजना; (२) चमड़ा उत्पादन योजना; (३) ताड़ उद्योग योजना; (४) तीसी उद्योग योजना।

पहली योजना के लिये बिहार खादी समिति को अबतक १,३५,००० रु० का अनुदान और ११,६६,२५० रु० का ऋण दिया जा चुका है। दूसरी योजना के लिये १६,००० रु० प्रतिवर्ष के आवर्त्तक अनुदान तथा ५४,५३२ रु० के अनावर्त्तक अनुदान की स्वीकृति सरकार ने दी थी। तीसरी योजना १९४९ ई० से कार्यान्वित हो रही है। उसपर प्रतिवर्ष ५७,१७१ रु० खर्च होते हैं। ताड़-गुड़ तथा नीरा का उत्पादन उसके अन्तर्गत हो रहा है। बिक्री की व्यवस्था भी विभाग द्वारा ही होता है। चौथी योजना के अन्तर्गत तीसी की डंटी का उपयोग विभिन्न प्रकार से होता है। इन गृह शिल्पों के अतिरिक्त, सिल्क संबंधी गृहशिल्प के लिये भी सरकार ने यथेष्ट सहायता दी है। यह कार्य नाथनगर (भागलपुर) के सिल्क इन्सटीच्यूट द्वारा सम्पन्न हो रहा है। गृह शिल्पों के शिक्षण के लिये भी सरकार ने समुचित व्यवस्था की है। कुल मिलाकर ३६ स्थानों में गृह-शिल्पों के शिक्षण का आयोजन किया जायगा, जिनमें से १२ स्थानों में, शिक्षण आरंभ हो गया है। गुलजार बाग के गृह-शिल्प प्रतिष्ठान (काटेज इनडस्ट्रीज इन्सटीच्यूट) को विकसित करने की योजना भी तैयार हुई है। गया का ऊन संबंधी बुनाई केन्द्र तथा पटना साईन्स कालेज की औद्योगिक रसायन कक्षा को भी गुलजार बाग के गृह शिल्प प्रतिष्ठान में ही मिला दिया जायगा।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पशु-चिकित्सा और पशुपालन

बिहार-राज्य में कृषि की प्रधानता है और कृषि-कार्य के लिये मवेशियों का महत्व असंदिग्ध है। १९५१ ई० में, पशुओं की जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार गाय-बैल के सदृश पशुओं की संख्या १,८६,१३,३५१ थीं और भेंड़ के सदृश पशुओं की संख्या ६९,९०,८४६ थी। कृषि के लिये, बैलों की ही आवश्यकता अधिकांशतः होती है। अतएव, बैलों का महत्व बहुत अधिक है। साथ ही, गाय, भैंस आदि दूध देने वाले तथा भेंड़ी और बकरी आदि मांस देने वाले मवेशियों की रक्षा भी आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्यों से राज्य-सरकार ने पशुचिकित्सा तथा पशुपालन-विभाग का आयोजन किया है।

इस विभाग द्वारा, राज्य के विभिन्न भागों में कुल १६८ पशु चिकित्सालयों का संचालन हो रहा है। इस कार्य में, स्वायत्त-शासन संस्थाएं भी सहयोग करती हैं। उक्त चिकित्सालयों के अतिरिक्त, इस विभाग के कर्मचारी गांवों में घूम-घूमकर चिकित्सा कार्य करते हैं। इनसे हजारों पशुओं का कल्याण होता है। कोशी-दियारा में संक्रामक रोगों से पशुओं की रक्षा के लिये विशेष व्यवस्था की गयी है। १९५१-५२ ई० में, इस व्यवस्था के अनुसार, लगभग ६१,८३४ पशुओं की रक्षा की गयी। १९५१-५२ ई० में, भारत-सरकार की कृषि अनुसंधान परिषद् की सहायता से, पशुओं के यक्ष्मा रोग की जांच की योजना भी कार्यान्वित की गयी है। इसी प्रकार, भारत-सरकार की सहायता से पशुओं को सुरक्षात्मक टीके लगाने की व्यवस्था भी की गयी है।

पटना में जो राजकीय पशुशाला ह, उसकी सर्वांगीण उन्नति हुई है। पशुपालन-विभाग द्वारा पशुओं की नस्ल के सुधार, मुर्गियों के विकास, दूध-घी-मक्खन आदि के उद्योग के विकास, चारा और चारागाह की उन्नति तथा मवेशी पालने वालों के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। गाय तथा बैल की नस्ल के सुधार के लिये, विशिष्ट कोटि के सांढ़ों का उपयोग किया जाता है। इस विषय में, बिहार-गोशाला-कानून के कार्यान्वित होने से यथेष्ट लाभ हुआ है। गंगा नदी के उत्तर तथा दक्षिण के क्षेत्रों में, नस्ल-सुधार के लिये ४०० हरियाना और बछौर के सांढ़ों को रखने की योजना स्वीकृत हुई है। २९३ सांढ़ भिन्न-भिन्न स्थानों में रखे गये हैं। छोटानागपुर और संथाल-परगना के क्षेत्रों में भी इसी कार्य के लिये ३२ शाहाबादी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सांढ़ रखे गये हैं। विभिन्न स्थानों में वर्धा-प्रणाली की आदर्श गोशालाएं स्थापित की जा रही हैं। पटना के सदाकत-आश्रम में एक ऐसी गोशाला है। कृत्रिम गर्भाधान की प्रणाली भी ग्रामों में बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई है। इस कार्य के लिये सरकार द्वारा बहुत से केन्द्र खोले गये हैं। राज्य के विभिन्न भागों में घी-दूध-मक्खन आदि के व्यवसाय को विकसित करने के लिये आयोजन किया जा रहा है।

जनता के लिये अच्छा मांस सुलभ बनाने के अभिप्राय से, भेंड़ी और बकरी पालने के लिये एक केन्द्र गया में खोला गया है। भेंड़ी के ऊन तैयार करने की भी योजना कार्यान्वित हो रही है। ऊन संबंधी दो केन्द्र ससराम और डेहरी में चल रहे हैं। लोगों के लिये अच्छी मुर्गियों तथा मुर्गी के अंडों की व्यवस्था करने के अभिप्राय से एक केन्द्रीय मुर्गी-शाला खोली गयी है। राज्य के ६ अन्य स्थानों में भी यह कार्य हो रहा है। बत्तकों की नस्ल सुधार के लिये एक बत्तकशाला भी खोली गयी है।

जंगली घास तथा कास का उपयोग मवेशियों के चारे के लिये किया जा रहा है। इसके लिये एक योजना बनायी गयी है, जो व्यावसायिक रीति से कार्यान्वित हो रही है। इस योजना से, आलोच्य वर्ष में, ८ हजार रुपये का लाभ हुआ ह।

सहकारिता

आलोच्य वर्ष में, साहकारिता आन्दोलन की, इस राज्य में, यथेष्ट प्रगति हुई है। उक्त वर्ष में, कुछ नये सहकारिता बैंक भी स्थापित हुए हैं। अब कुल मिलाकर ५२ सहकारिता बैंक कार्य कर रहे हैं। सस्ते दाम पर लोगों को, खाद बीज और कृषि संबंधी औजार देने के लिये, १९४४ ई० में, क्रेडिट एग्रीकोल योजना आरंभ की गयी थी। उसके १९८ केन्द्र, आलोच्य वर्ष में, इस राज्य में, कार्य कर रहे थे। उन केन्द्रों के द्वारा १५,७६७ टन रासायनिक खाद और १,२७,८९९ मन खल्लियों का वितरण हुआ।

आजकल सहकारिता-आन्दोलन के सिलसिले में, बहुधंधी सहकारिता-समितियां खोली जा रही हैं। १९५१-५२ ई० में, राज्यभर में, ऐसी १,१५३ समितियां कार्य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कर रही थीं। उनसे १,५२९ गांवों को लाभ होता था। इन समितियों के द्वारा सफाई, वयस्क शिक्षा, गृहशिल्प-विकास, सड़क-सुधार आदि उपयोगी कार्यों का आयोजन किया जाता है। इन समितियों ने, अपने कार्य में, संतोषजनक सफलता की सिद्धि की है। छोटानागपुर के रांची और हजारीबाग जिलों में तरकारी उपजाने और बेचने का कार्य सफलतापूर्वक हो रहा है। इस कार्य का विकास छोटानागपुर के अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा ह। इसके लिये ४५ समितियां संघटित हुई हैं, जिनके १,१६६ सदस्य हैं। बुनकर-सहकारिता-समितियां भी बहुत सफल हुई हैं। १९४७ ई० में उनकी संख्या ६४ थी। १९५१ ई० में वह बढ़कर १३४ हो गयी। उनके सदस्यों की संख्या, उक्त ४ वर्षों की अवधि में, ४,७५१ से बढ़कर १२,२१५ हो गयी है और करघों की संख्या ६,२२९ से बढ़कर १२,३६५ हो गयी हैं। राज्य-सरकार ने करघों की बिक्री के लिये ५ लाख रुपयों का दीर्घकालीन ऋण दिया है। यह रुपया करघा बुनकर सहकारिता-संघ को दिया जायगा। भारतीय केन्द्रीय तेलहन-समिति के सुझाव के अनुसार, सहकारिता के आधारपर गांव-गांव में कोल्हुओं का प्रचार किया जा रहा है। तेली सहकारिता-समितियां संघटित की गयी ह। वे वर्धा-प्रणाली के कोल्हुओं का प्रचार करती हैं। १९५१ ई० तक ऐसी समितियों की संख्या ६४ थी और उनके ७८१ सदस्य थे। उक्त समितियां, वर्धा-प्रणाली के ३६१ कोल्हुओं का उपयोगी कर रही हैं।

बिजलीकरण

राज्य-सरकार ने, राज्यभर में, बिजलीकरण की योजना को प्रसारित करने का निश्चय किया है। इसके लिये दामोदर-घाटी-योजना से भी विद्युत शक्ति ली जा रही है। आशा की जाती है कि उक्त योजना के अनुसार, थोड़े ही समय में, दक्षिण बिहार के लिये प्रचुर परिमाण में बिजली मिलने लगेगी। इसी प्रकार, कोशी और गंडक योजनाओं के कार्यान्वित होने पर, उत्तर बिहार में भी प्रचुर परिमाण में बिजली सुलभ हो जायगी। तबतक के लिये, भिन्न-भिन्न स्थानीय बिजली-उत्पादन केन्द्र स्थापित हो रहे हैं।

१९५१-५२ ई० में, हजारीबाग, मनेर, फतुहा, बरूही, पद्मा, नेऊरा, तिलौथू, बरबीघा, नगवां आदि ग्रामों तथा कोडरमा के रेलवे स्टेशन में, सरकार द्वारा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिजली लगायी गयी है। अड़ोस-पड़ोस के क्षेत्रों में भी बिजली का विस्तार हो रहा है। उत्तर बिहार में, बिजली के सहारे, ३०० नलकूप बनाने के संबंध में यथेष्ट प्रगति हुई। बेतिया राज के विद्युत् उत्पादन-केन्द्र को सरकार ने ले लिया है। दक्षिण बिहार में भी बिजली के द्वारा नलकूपों के निर्माण में बड़ी प्रगति हुई है। सरकार की ओर से, बक्सर नगर तथा वहां के केन्द्रीय जेल में भी बिजली की व्यवस्था सरकार द्वारा हुई है। साहबगंज की बिजली कम्पनी का प्रबंध सरकार अपने हाथ में ले रही है। करकी और सुग्गी की अबरक की खानों में भी सरकार द्वारा बिजली लायी गयी है। धनबाद में भी बिजली लगाने का सरकारी प्रबंध हो चुका है। उसके द्वारा उस क्षेत्र की कोयले की खानों को बिजली मिल सकेगी। गया नगर में सरकारी व्यवस्था के फलस्वरूप, बिजली की स्थिति में यथेष्ट सुधार हुआ है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में लोकप्रिय शासन की प्रगति

सामान्य प्रशासन

कांग्रेस के तत्वावधान में लोकप्रिय सरकार की स्थापना के बाद, विभिन्न विषयों के प्रशासन के संबंध में आवश्यक सुधार किए गये। नवजागरण के युग की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य-सरकार ने विभिन्न दिशाओं में अपेक्षित प्रगति की है, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

बिहार राजनीतिक पीड़ित सहायता समिति ने राजनीतिक पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की जो योजना प्रस्तुत की थी उसे, सिद्धान्त रूप में, राज्य-सरकार ने १९५१-५२ ई० में स्वीकार किया। यह स्मरणीय है कि १९४६ ई० में शासन-भार ग्रहण करते ही कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने १९४२ ई० के अगस्त-आन्दोलन के राजनीतिक पीड़ितों की सहायता के लिए एक योजना बनाई, और, तदनुसार, क्षतिपूर्त्ति के रूप में उन व्यक्तियों को १६,९८,१६३ रुपये दिये गये। उक्त समिति का यह सुझाव था कि १९०५ ई० के बाद जिन व्यक्तियों ने राजनीतिक आन्दोलन में भाग लिया और क्षति उठायी, उन सभी लोगों को सहायता दी जाय। समिति ने ऐसे १५,५८२ व्यक्तियों के मामले सामने रखे और इन लोगों को अनावर्त्तक ५८,५०,००० रु० और आवर्त्तक ४,९०,१४० रु० प्रति वर्ष देने का प्रस्ताव रखा। यह जांच कर लेना आवश्यक था कि वस्तुतः वे व्यक्ति सहायता के अधिकारी और पात्र हैं या नहीं। फलतः, इसकी पूरी छान-बीन करने के लिए अधिकारी तैनात हुए। जांच-पड़ताल के बाद उक्त अधिकारियों ने १०,११२ व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट भेज दी। इनमें से सरकार ने ६,८७२ व्यक्तियों को सहायता देने का आदेश दिया और २,६९० व्यक्तियों के मामले अस्वीकृत कर दिये गये। उक्त समिति के ही सुझाव पर, मई, १९५२ ई० के मध्य तक के लिए २६,२५,६२५ रु० स्वीकृत हुए थे।

मई, १९५२ ई० के मध्य तक राजनीतिक पीड़ितों के लिए कुल ४३,२४,७८८ रु० का अनुदान स्वीकृत हुआ था। इन रुपयों के शीघ्र वितरण के लिए उचित व्यवस्था कर दी गयी है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इसमें सन्देह नहीं कि जिन व्यक्तियों ने देश के स्वाधीनता-संग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया उनके त्याग और सेवा का मूल्य चुकाना सर्वथा असम्भव है। परन्तु, साथ ही यह भी तो ठीक है कि ऐसे त्यागी देशभक्तों को अर्थ-संकट में पड़े भी नहीं देखा जा सकता। ऐसे व्यक्तियों की उचित सहायता के लिए सरकार सदैव तत्पर रही है और वह इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि वस्तुतः जो अधिकारी और आवश्यकताग्रस्त राजनीतिक पीड़ित हों, उन्हें अविलम्ब सहायता दी जाय। उक्त समिति को इधर भी कुछ पीड़ितों के आवेदन-पत्र मिले हैं। इनमें से कुछ आवेदनपत्र तो ऐसे व्यक्तियों के हैं, जो वस्तुतः संकट में हैं। सचमुच जो राजनीतिक पीड़ित संकट में हैं, उन तक अविलम्ब सहायता पहुंचाने के लिए व्यवस्था में क्या परिवर्तन आवश्यक है, सरकार इस पर विचार कर रही है।

पुलिस

व्यय में कमी करने के विचार से, १९५१-५२ ई० में, सरकार ने डी० आई० जी० (प्रशासन) का पद उठा दिया जिससे प्रति वर्ष लगभग ३२,८९३ रुपये की बचत हुई। साथ ही बिहार मिलीटरी पुलिस का भी एक दस्ता हटा दिया गया है और इससे भी लगभग १०,३०,००० रुपये की बचत होगी। यह बात नहीं है कि ये हटाये गये व्यक्ति बेरोजगार हो जायंगे। इन्हें जिला पुलिस में भर्त्ती किया जायगा और कुछ तो भर्त्ती किये भी जा चुके हैं।

सरकार इस बात का विचार कर रही है कि, उत्तर प्रदेश के ही ढंग पर, बिहार-राज्य में पुलिस के मुकदमे के लिए एक अलग ही व्यवस्था रहे। फिलहाल पटना डिवीजन में कुछ प्रारम्भिक परिवर्तन कर दिये गये हैं।

पुलिस-सब-इंस्पेक्टरों की प्रत्यक्ष नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता-परीक्षा के प्रस्ताव को सरकार ने सामान्यतः स्वीकार कर लिया है। विशेषकर इसलिए कि पुलिस विभाग में कुछ महिलाएँ भी नियुक्त की गयी हैं। राज्य के अन्तर्गत ट्रेनों में किसी अपराध में पकड़ी जाने वाली स्त्रियों के लिए स्त्री-पुलिस अच्छी रहेंगी।

ग्रामीण पुलिस का पुनस्संघटन-कार्य १९५१-५२ ई० में समाप्त हो गया। ग्रामीण पुलिस पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट का पूर्ण अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया है।

सभी चौकीदारों और दफादारों को प्रति व्यक्ति २ रुपय मासिक के हिसाब से महँगाई दी जाती रही और १९५२-५३ ई० में इस मद में ९,४८,४७२ रुपये खर्च होने का अनुमान है। ग्रामीण पुलिस को और सुविधाएँ दी गयी हैं।

अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी अपनी साधारण असुविधाओं से स्थानीय उच्च पुलिस अधिकारियों को परिचित करा सकें। १९५१ ई० के अन्त में सभी जिलों में हर महीने में एक पुलिस-सभा करने

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

का आदेश दिया गया, जिसमें पुलिस-विभाग के अधीनस्थ और उच्च कर्मचारी मिल कर साधारण असुविधाओं पर विचार-विमर्श करते हैं। कई जिलों में ऐसी सभाएँ हुई हैं।

पुलिस-विभाग की आधुनिक प्रणालियों को प्रचलित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, यद्यपि अर्थाभाव के कारण इसमें वांछित सफलता नहीं मिल रही है। हाल ही, पटना और जमशेदपुर में अपराधों का पता लगाने के लिए 'इन्फार्मेशन रूम' का प्रबन्ध किया गया है।

विगत साधारण निर्वाचन में राज्य में जो सफलतापूर्वक कार्य हुआ, उसका बहुत कुछ श्रेय पुलिस-विभाग के कर्मचारियों को ही है।

भारतीय संसद ने एक कानून पास कर १९२४ ई० के जरायमपेशा जन-जाति कानून को रद्द कर दिया है। इसकी जगह एक अभ्यस्त अपराधी कानून बनाने का विचार है, जिस ढंग के कानून बम्बई और मद्रास में है।

भ्रष्टाचार-विरोधी काय

१९५१ ई० में, कतिपय गजटेड और नन-गजटेड सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध ६१६ शिकायतें इस विभाग में आयी थीं। इसमें से ४४५ के बारे में कार्रवाई कर दी गयी और शेष विचाराधीन हैं।

भ्रष्टाचार-विरोधी-विभाग ने जो कार्य किये हैं, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है :—

अदालत में मुकदमा चल रहा है ..	४ (गजटेड अफसर १, और नन-गजटेड अफसर ३)
दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील ..	४ (गजटेड अफसर २ और नन-गजटेड अफसर २)
बर्खास्त (डिस्मिस्ड)	२ नन-गजटेड अफसर
हटाये गये (डिस्चार्ज्ड)	४ नन-गजटेड अफसर
अस्थायी नौकरी समाप्त	१ नन-गजटेड अफसर
६ महीने की वेतन-वृद्धि वन्द ..	१ नन-गजटेड अफसर
चेतावनी	२ (गजटेड अफसर १ और नन-गजटेड अफसर १)
गुप्त आचरण-पुस्तिका में प्रतिकूल नोट ..	४ नन-गजटेड अफसर
स्थानान्तरित और मुअत्तली की अवधि का वेतन जब्त	१ नन-गजटेड अफसर
३ वर्ष के लिए वेतन कम हुआ ..	१ नन-गजटेड अफसर
नीचे के पद पर भेजे गये और विभागीय कार्रवाई	१ नन-गजटेड अफसर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विरुद्ध कार्रवाई शुरू	३ नन-गजटेड अफसर
मुअत्तल	११ (गजटेड अफसर ५ और नन-गजटेड अफसर ६)
५ रु० जुर्माना	१ नन-गजटेड अफसर
स्थानान्तरित और कड़ी निगाह रखी गयी	१ नन-गजटेड अफसर
सेन्सर और चेतावनी	५ नन-गजटेड अफसर
डांट और चेतावनी	१ नन-गजटेड अफसर
काला निशान, स्थानान्तरित और कड़ी निगाह रखी गयी	३ नन-गजटेड अफसर
६ महीने के लिए तनज्जुल	१ नन-गजटेड अफसर
अनिवार्य अवसर-प्राप्ति के लिए प्रस्ताव ..	४ नन-गजटेड अफसर
शीघ्र अवसर प्राप्त करने के लिए आदेश ..	२ नन-गजटेड अफसर
तनज्जुल और ३ वर्ष के लिए तरक्की वन्द	१ नन-गजटेड अफसर
काला निशान और अनिवार्य अवसर-प्राप्ति का प्रस्ताव	१ नन-गजटेड अफसर
पुलिस में शिकायत	१ नन-गजटेड अफसर
दण्डस्वरूप दूसरे विभाग में स्थानान्तरित	१ नन-गजटेड अफसर

महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएं

(१) भ्रष्टाचार-विरोधी समितियां—सरकारी अधिकारियों के बीच से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए प्रत्येक जिले में भ्रष्टाचार-विरोधी समिति वनायी गयी।

(२) सरकारी कर्मचारी जांच कानून, १८५०—पहले यह कानून केवल गजटेड अफसरों के ही सम्बन्ध में लागू था। इस कानून में संशोधन करने के लिए १९५१ ई० में सरकारी कर्मचारी (जांच) (विहार संशोधन) विल प्रस्तुत हुआ जो वाद में कानून वन गया। अव यह कानून नन-गजटेड कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी लागू है।

(३) 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियम' में एक महत्त्वपूर्ण संशोधन किया गया है जिसके अनुसार, पूछे जाने पर, सरकारी कर्मचारियों को अपनी सम्पत्ति और वैंक के जमा का विवरण वताना पड़ता है।

यातायात

राज्य-सरकार ने कतिपय यात्री वस-मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना स्वीकृत की है। जव तक सड़क यातायात कारपोरेशन कानून, १९५० ई०, के अनुसार कारपोरेशन नहीं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बन जाता, तबतक उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी है। फिलहाल सराइकेला में सरकारी बसें चलती हैं और यह योजना बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई है।

सड़क-रेल और माल-यातायात के एकीकरण और नियंत्रण के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था हुई है ताकि एक दूसरे से प्रतियोगिता न हो, क्योंकि इसमें व्यर्थ पैसा नुकसान होता है।

बिहार मोटर-गाड़ी नियम, १९५० ई०, में एक नया अध्याय जोड़ा गया जिससे यातायात-विभाग के अधिकारियों के अधिकार और कार्य बढ़ गये हैं।

बस-मार्गों के लिए अनुमति-पत्र

नवविकसित और घने क्षेत्रों में तथा उत्तर बिहार के कोसीमुक्त क्षेत्रों में, प्रमुख सड़कों पर यात्री-बस चलाने के अनमति-पत्र (परमिट) दिये गये। पेट्रोल की कमी के कारण, पिछले दिनों नये अनुमति-पत्र देने पर जो रोक थी वह हटा ली गयी। माल ढोने वाली लौरियों के लिए मुक्त हस्त से अनुमति-पत्र दिये गये।

जांच का उचित प्रबंध

बस-चालक बहुधा अनाचार के भी दोषी देखे गये हैं। इसलिए इन सब बातों की, समय-समय पर, जांच करते रहने के लिए जंगम-दल की व्यवस्था की गयी थी जो योजना, जनवरी, १९४९ ई० से ही लागू है। इस दल का कार्य बहुत सन्तोषजनक रहा है। कभी-कभी राज्य भर में एक साथ ही बसों की जांच की जाती है जिसका परिणाम बहुत स्वास्थ्यकर होता है। इस जांच-प्रणाली के कारण बस-चालन से सम्बद्ध अनेक प्रचलित अनाचार बहुत कम हो गये हैं।

मोटर-यातायात का नियंत्रण

बसों की जांच के लिए जंगम-दल और पुलिस तो कार्य करती ही हैं, साथ ही, यातायात-विभाग ने कुछ और विशेष प्रबन्ध किया है। बस-चालकों को रवानगी और पहुंच की रिपोर्ट थानों में देनी पड़ती है तथा उन्हें पाक्षिक विवरण भी प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रत्येक बस में शिकायत-बही और प्राथमिक चिकित्सा की दवाओं का बक्स रखना आवश्यक कर दिया गया है। साथ ही, कण्डक्टरों की नियुक्ति, अनुमति-पत्र पाने की एक शर्त्त करार दी गयी है। प्रत्येक बस-चालक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

और कण्डक्टर के लिए प्राथमिक चिकित्सा का शिक्षण अनिवार्य है और भाड़ा लेकर यात्रियों को उसका टिकट देना भी आवश्यक नियम है। १ अगस्त, १९५२ ई० से राज्य के प्रसिद्ध नगरों में प्रत्येक टैक्सी-गाड़ी में मीटर लगाने का नियम बना दिया गया है।

नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों को सुविधा

१९५१ ई० में सरकार ने यह आदेश दिया था कि सरकारी नौकरियों में जिन पदों पर सीधे नियुक्ति की जाती है उनमें से १३ प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रहें और ११ प्रतिशत पद अनुसूचित जन-जातियों के लिए।

इस संबन्ध में सरकार एक पूरक आदेश देने का विचार कर रही है कि इस प्रकार की नियुक्तियों की सूची रखने के लिए एक पुस्तिका रखी जाय और समय-समय पर उनका विवरण प्रस्तुत किया जाय।

पिछड़े हुए वर्गों की सूची राज्य सरकार ने तैयार की थी और स्थानीय अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि इन वर्गों की शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

जन-जाति-परामर्शदात्री परिषद्

बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिये एक जनजाति परामर्शदात्री परिषद संघटित की गयी। गत साधारण निर्वाचन के बाद विधायिका का विस्तार होने के कारण अब उक्त परिषद् का पुनस्संघटन कर दिया गया है।

नैशनल कैडेट कोर

शिक्षित नवयुवकों के हृदय में, देश की सुरक्षा के लिए अनुराग का भाव उत्पन्न करने के अभिप्राय से, भारत-सरकार ने 'नैशनल कैडेट कोर' का आयोजन किया है। राज्य-सरकार ने, भारत-सरकार की योजना के अनुसार, उसकी एक शाखा बिहार में स्थापित की है। इस संघटन में, स्कूल तथा कॉलेज के छात्र स्वेच्छापूर्वक भर्त्ती होते हैं। उन्हें सैनिक शिक्षा दी जाती है।

बिहार-राज्य में, नैशनल-कैडेट-कोर की योजना अत्यन्त सफल हुई है। इसके अन्तर्गत, इस समय राज्य के विभिन्न भागों के कॉलेजों के १,७४५ छात्र तथा स्कूलों के ५,०४० छात्र सैनिक शिक्षा पा रहे हैं। बहुत से छात्रों को इस शिक्षा में विशेष योग्यता प्राप्त करने के उपलक्ष में पुरस्कार मिले हैं। कुछ बिहारी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

छात्र सैनिक राष्ट्रीय-सुरक्षा-मंडल (नैशनल डिफेन्स एकेडेमी) के लिये चुने गये हैं। आशा की जाती है कि वे भारतीय सेना में, उच्च पद पर नियुक्त होंगे। इस योजना के अन्तर्गत, बालिकाओं को सैनिक शिक्षा देने के लिये एक दल खोला गया है। इस दल के संचालन के लिये, एक महिला दिल्ली में आवश्यक शिक्षा प्राप्त कर रही है। इस योजना की विशेषता यह है कि इसका संचालन पूर्णतः, स्कूलों के अध्यापकों तथा कॉलेजों के आध्यापकों द्वारा होता है। इस योजना का आर्थिक भार भारत-सरकार तथा बिहार-सरकार द्वारा सम्मिलित-रूप से वहन किया जाता है। १९५१-५२ ई० में, बिहार-सरकार ने, इसके लिये ७,८९,९३९ रु० स्वीकृत किये थे। बिहार के छात्र सैनिकों ने, दिल्ली में जनतंत्र-दिवस के अवसर पर गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया था। बिहार के राज्य-पाल, मुख्य-मंत्री, शिक्षा-मंत्री तथा अन्य महानुभाव, बिहार नैशनल-कैडेट-कोर के कार्य का निरीक्षण कर प्रसन्न हुए हैं। राज्य-सरकार ने यह निश्चय किया है कि सभी प्रकार के सरकारी नौकरियों में इस दल के सैनिकों को प्रश्रय दिया जायगा।

गृह-रक्षक-दल

बिहार गृह-रक्षक-दल का संघटन राष्ट्रीय रक्षा की योजना को सुदृढ़ बनाने के लिये किया गया था। विगत वर्षों की तरह, १९५१-५२ ई० में, इस दल के सैनिकों ने, शांति और व्यवस्था की रक्षा के लिये, सफल प्रयत्न किये हैं। मूलतः, गृह-रक्षक दल के ६,००० सैनिकों के शिक्षण की योजना बनायीं गयी थी, वह पूरी हो गयी। गृह-रक्षक दल के बहुत से सैनिक, पुलिस तथा सेना में भर्त्ती हो गये हैं। इस समय, बिहार गृह-रक्षक दल में ४,५०० सैनिक तथा अधिकारी हैं। इसका वार्षिक व्यय १४,७६,३१९ रु० हैं।

गृह-रक्षक-दल के सैनिकों ने, समाज के कल्याण के लिये विविध प्रकार के कार्य किये हैं। उन कार्यों में, डकैती निवारण, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी तथा समाज विरोधी शक्तियों के दमन के कार्य उल्लेखनीय हैं। सरहदी क्षेत्रों में, गृह-रक्षक-दल के सैनिकों ने, महत्त्वपूर्ण सुरक्षात्मक कार्य किये हैं। भारत-नेपाल तथा भारत-पाकिस्तान सरहदों पर सशस्त्र सैनिकों दलों ने इनके साथ मिल कर कार्य किया था। अन्नाभाव वाले क्षेत्रों में, गृह-रक्षक दल के सैनिकों ने, पीड़ितों की सहायता प्रदान करने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। विगत साधारण निर्वाचनों के संचालन में, हमें जो गौरवपूर्ण सफलता मिली है, उनका अधिकांश श्रेय गृह-रक्षक दल के सैनिकों को मिलना चाहिये। राज्य में, जब कभी कोई संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है, तो इस दल के सैनिकों ने तत्परता के साथ कार्य किया है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सैनिक मंडल

सैनिक-मंडल (सोल्जर्स वोर्ड) का संघटन, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के हित के लिये किया गया है। राज्यभर में, विभिन्न जिलों में १२ सैनिक-मंडल संघटित किये गये हैं। इनके अतिरिक्त, राज्य-सैनिक-मंडल की देखरेख में, दो सैनिक कल्याण-संघ भी कार्य करते हैं। इस संघटन का कर्तव्य यही है कि भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को हर प्रकार की सुविधा दी जाय। राज्य-सरकार ने, इस संबंध में, जो युद्धोत्तर कालीन योजना बनायी थी, उसके अनुसार, भूतपूर्व सैनिकों के विभिन्न कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिये कुल मिला कर १,८२५ छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं। आरा में, भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिये एक विश्रामालय बनाया गया है, जिस पर ३१,५०० रु० खर्च हुए हैं। ऐसे ही विश्रामालय, पूर्णिया, रांची, दानापुर आदि स्थानों में भी बनाये जा रहे हैं।

जिला सैनिक-मंडलों के द्वारा, भूतपूर्व सैनिकों के झगड़ों का भी निबटारा कराया जाता है। ऐसे ६०० मामले विगत वर्ष में सुलझाये गये हैं। यक्ष्मा, कोढ़ आदि भयानक रोगों से पीड़ित होने पर, भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा संबन्धी सहायता पहुंचाना भी इन मंडलों का कर्त्तव्य है। भूतपूर्व सैनिकों को भूमि दिलाने की व्यवस्था भी इन मंडलों के द्वारा की जा रही है। आशा है, निकटभविष्य में १,००० भूतपूर्व सैनिकों को इस योजना के अन्तर्गत भूमि दी जायगी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में लोकप्रिय शासन को प्रगति

राजभाषा हिन्दी का व्यवहार

१५ अगस्त, १९४७ ई० को भारतीय स्वाधीनता की सिद्धि होने के बाद, देश तथा राज्य के कोने-कोने से, राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से ही समस्त राज-काज के सम्पादन की मांग होने लगी। बिहार की लोकप्रिय सरकार ने उस मांग पर अविलम्ब ध्यान दिया। उस समय से अबतक, राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिन्दी के व्यवहार के संबंध में जो प्रगति हुई है, उसका संक्षिप्त विवरण इस लेख में दिया गया है।

राजभाषा की घोषणा

जनवरी, १९४८ ई० में बिहार-सरकार ने यह निर्णय किया कि देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा को बिहार की राजभाषा के रूप में अपनाया जाय। अप्रैल, १९४८ ई० में एक 'हिन्दी कमिटी' निर्मित हुई, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य रखे गए। हिन्दी कमिटी को यह अधिकार दिया गया कि वह राज्य के कामों में हिन्दी का प्रयोग बढाने के लिए सरकार को उपाय बतलाए। हिन्दी कमिटी की पहली बैठक २० मई, १९४८ ई० को हुई और तब से सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के समावेश के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए उसकी बैठक समय-समय पर होती रही है। सरकार ने हिन्दी कमिटी की सिफारिशों को बराबर मंजूर किया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न उपायों का अवलम्बन किया है।

राजभाषासंबंधी विधान-निर्माण

संविधान के अनुच्छेद ३४५ के अनुसार, राज्य के विधान-मंडल को ऐसा अधिनियम बनाने का अधिकार है, जिसके द्वारा वह उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकता है। उस अनुच्छेद के परन्तुक में यह कहा गया है कि जबतक राज्य का विधानमंडल, विधि (कानून) द्वारा, इससे अन्यथा उपबन्ध न करे तबतक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए इस

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

संविधान के प्रारंभ से पहिले वह प्रयोग की जाती थी। संविधान के इस उपवन्ध के अधीन राज्य-सरकार उन सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए विहार में २६ जनवरी, १९५० ई० के पूर्व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा था हिन्दी भाषा को तबतक नहीं अपना सकती थी, जबतक इन प्रयोजनों में हिन्दी के प्रयोग के लिए विधि (कानून) न बन जाय। इस कठिनाई को दूर करने के लिए और राज्य-सरकार को वे आवश्यक शक्तियां प्रदान करने के लिए, जिनके द्वारा वह समय-समय पर निर्दिष्ट प्रयोजनों में कमशः हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढा सके, 'दी विहार ऑफिसियल लैंग्वेज ऐक्ट, १९५०' वनाया गया है। यह अधिनियम सरकार को समय-समय पर उन प्रयोजनों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है जिनमें हिन्दी सरकारी भाषा के रूप में व्यवहृत की जायगी। इस अधिनियम के अनुसार, अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार को ऐसे कार्यक्रम का अनुसरण करना है, जिससे कि २९ नवम्बर, १९५७ ई० तक सभी सरकारी कार्यालयों तथा सभी सरकारी प्रयोजनों में हिन्दी का प्रयोग होने लगे'।

सरकारी निर्णय और उनकी कार्यान्विति

हिन्दी कमिटी की सलाह के अनुसार, सरकारी कामों में हिन्दी के प्रयोग को बढाने के लिए, सरकार ने अवतक निम्नलिखित कारंवाइयां की हैं:—

१। हिन्दी का फौजदारी और दीवानी अदालतों में न्यायालयों की भाषा के रूप में अपनाया जाना

दंड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजियर कोड) की धारा ५५८ तथा असैनिक प्रक्रिया संहिता (सिविल प्रोसिजियर कोड) की धारा १३७ (२) के अधीन, राज्य-सरकार को विहार के न्यायालयों की भाषा निश्चित करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने जून, १९४८ ई० में हिन्दी को समस्त विहार के न्यायालयों की भाषा घोषित कर अधिसूचना निकाल दी। बंगला को मानभूमि जिले के सदर सबडिवीजन में तथा संथालपरगना के पाकुर, राजमहल और जामताारा सबडिवीजनों में न्यायालय की ऐच्छिक भाषा के रूप में रखा गया है।

नवम्वर, १९५१ ई० में सरकार ने यह भी आदेश निकाला कि वे न्यायिक पदाधिकारी (जुडिसियल औफिसर्स) जो सुविधा के साथ हिन्दी पढ़ और लिख सकते हैं, उन असैनिक (सिविल) और दंड (क्रिमिनल) संवंधी मामलों में, हिन्दी (नागरी लिपि) में साक्ष्य लिपिवद्ध करना शुरू कर दें, जिनके लिए कानून में अपील का उपबंध नहीं है। राज्य के उन सबडिवीजनों में, जहां बंगला को

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

न्यायालय की ऐच्छिक (औप्शनल) भाषा के रूप में अपनाया गया है, किसी भी न्यायिक पदाधिकारी को हिन्दी में साक्ष्य लिपिबद्ध करने को बाध्य नहीं किया जायगा। सरकार ने हिन्दी न जानने वाले न्यायिक पदाधिकारियों को भी यथा-शीघ्र हिन्दी में काम करने लायक योग्यता प्राप्त कर लेने का आदेश किया है। सरकार का यह विश्वास है कि एक बार जब कुछ न्यायिक पदाधिकारी हिन्दी में साक्ष्य लिपिबद्ध करना आरंभ कर देंगे, तो दूसरे भी इस दृष्टान्त का अनुसरण करेंगे और इस प्रकार कुछ वर्षों में यह अभ्यास सर्वत्र व्यापक हो जायगा।

२। थाने में प्रथम सूचना (सनहा) का हिन्दी में लिखा जाना

बिहार औफिसियल लैंग्वेज ऐक्ट, १९५० के अधीन, सरकार ने इस आशय की अधिसूचना निकाली है कि थानों के प्रभारी पदाधिकारी को मौखिक दी गई सभी प्रथम सूचनाएँ हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी जायं।

३। निबंधन-विभाग (रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट) में हिन्दी का समावेश

सरकार ने यह आदेश निकाला है कि राज्य के निबन्धन-कार्यालयों में निबंधन (रजिस्ट्री) के लिए लाए गए सभी प्रलेखों (दस्तावेजों) में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रयोग हो। उन सबडिवीजनों में, जहां बंगला न्यायालय की वैकल्पिक भाषा घोषित हुई है, निबंधन (रजिस्ट्री) के लिये दिये जाने वाले दस्तावेजों में बंगला का वैकल्पिक भाषा के रूप में प्रयोग करने की भी अनुमति दी गई है।

४। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षकों द्वारा अपने कार्य संचालन में हिन्दी का अपनाया जाना

शिक्षा-विभाग से सभी निरीक्षणकारी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्राथमिक (प्राइमरी) और माध्यमिक (सेकण्डरी) विद्यालयों के निरीक्षण की टिप्पणी हिन्दी में लिखें। उन्हें यह भी अनुदेश दिया गया है कि वे वैसी संस्थाओं के प्रधानों के साथ होने वाले पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग करें।

५। ग्राम-पंचायत के पदधारियों के साथ पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग

सरकार ने एक आदेश निकाला है कि ग्रामपंचायत विभाग के अधिकारीगण, ग्रामपंचायतों के मुखियों, ग्रामसेवकों तथा अन्य पदधारियों के साथ हिन्दी में ही पत्राचार करें।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

६। राष्ट्रभाषा परिषद् के साथ पत्राचार

सभी सरकारी कार्यालयों को बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के साथ हिन्दी में पत्राचार करने का निदेश मिला है।

७। अन्य राज्य-सरकारों के साथ हिन्दी में पत्राचार

संविधान के अनुच्छद ३४६ में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्राचार के लिए अंग्रजी भाषा विहित की गई है और यह भी उपबन्ध है कि यदि दो या अधिक रज्य सहमत हों कि उन राज्यों में परस्पर पत्राचार के लिए हिन्दी सरकारी भाषा हो तो ऐसे पत्राचार के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बिहार-सरकार मध्यभारत-सरकार के साथ पहले ही सहमत हो चुकी है कि इन दोनों सरकारों के बीच पत्राचार की भाषा हिन्दी ही होगी। उत्तरप्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ भी ऐसी ही सहमति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

८। अपने कार्य-संचालन में स्थानीय निकायों (लोकल बडीज) द्वारा हिन्दी का अपनाया जाना

स्थानीय स्वायत्त-शासन-विभाग (लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट) ने डिस्ट्रिक्ट बार्ड और म्युनिसिपैलिटी आदि को यह अनुदेश दिया है कि वे अपनी बैठकों की कार्यवाही के वृत्त हिन्दी में लिखें तथा अपने अन्यान्य कार्यकलाप भी हिन्दी में चलायें।

९। राज्य-विधान-मंडल में हिन्दी का प्रयोग

राज्य-विधान-मंडल की कार्यवाहियों में हिन्दी का व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। अधिकांश प्रश्नों की सूचनाएँ, संकल्प तथा प्रस्ताव हिन्दी में प्राप्त होते हैं तथा उनके उत्तर भी सरकार की ओर से हिन्दी में ही दिये जाते हैं। आयव्ययक (बजट) तथा राज्यपाल का अभिभाषण यद्यपि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किये जाते हैं, तथापि विधान-मंडल में उनका हिन्दी रूप ही पढ़ा जाता है। विधान सभा तथा परिषद् के कार्य व्यापारों की दैनिक सूची हिन्दी में तैयार की जाती है। विधान सभा एवं विधान परिषद् विभागों के और-और अधिकांश कागज भी हिन्दी में छापे और सदस्यों के बीच बांटे जाते हैं। विधेयक (बिल्स) हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपते हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित अधिकांश वक्तृताएँ, आय-व्ययक पर विचार-विमर्श, कटौती के प्रस्ताव, विधेयक, स्थगन प्रस्ताव आदि हिन्दी में ही किए जाते

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हैं। कुछ सदस्य अंग्रेजी में भी वोलते हैं; किन्तु उनकी संस्था क्रमशः घट रही है। विधान सभा और विधान परिषद् का अन्य विभागों के साथ, प्रश्न इत्यादि के संबंध में, पत्राचार हिन्दी में ही होता है।

१०। अहिन्दीभाषी सरकारी कर्मचारियों की समस्या

अंग्रेजी से हिन्दी में पूर्णतः परिवर्त्तन होने में जो विलम्व हो रहा है, उसमें एक प्रमुख कठिनाई यह है कि राज्य में ऐसे वहुसंख्यक सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें हिन्दी (देवनागरी लिपि में लिखित) की कामचलाऊ जानकारी नहीं है। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मई, १९४८ ई० में एक आदेश जारी किया था जिसमें उसके अधीन पदों की नियुक्ति के लिए हिन्दी की जानकारी एक अनिवार्य शर्त्त मानी गई थी। इन आदेशों में ऐसा उपवन्ध था कि यदि विशेष अवस्थाओं में हिन्दी नहीं जाननेवाले उम्मीदवारों की भर्त्ती की जायगी, तो उसका चुनाव अस्थायी होगा और यदि वह उल्लिखित समय के भीतर हिन्दी की कामचलाऊ जानकारी नहीं प्राप्त कर ले, तो उसका अस्थायी चुनाव रद्द कर दिया जाएगा।

मार्च, १९४९ ई० में सरकार ने निर्देश दिया कि हिन्दी न जाननेवाले सभी सरकारी कर्मचारी जिन्हें अपने कार्य सम्पादन में पढ़ना-लिखना पड़ता है, यथा शीघ्र हिन्दी का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लें। मार्च, १९५० से हिन्दी न जानने वाले सरकारी कर्मचारी के हिन्दी पढ़ने-लिखने की क्षमता की जांच के लिए राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में छमाही परीक्षा होती हैं। सरकारी नौकर, जिन्होंने प्रवेशिका परीक्षा हिन्दी के साथ पास की है या जो १९५५ ई० के अंततक वयप्राप्त होनेवाले हैं, उन परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वरी कर दिए गए हैं। दूसरों को कुछ अपनी पिछली टिप्पणियों, प्रारूप या प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद करना पड़ता है और उनमें से जिनको ३०. प्रतिशत से कम अंक मिलते हैं, वे असफल घोषित किए जाते हैं।

सरकार ने अब आदेश जारी किए हैं कि उन सरकारी कर्मचारियों को, जो १९५१ ई०. के अंत तक उपर्युक्त हिन्दी की विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं, वेतन-वृद्धि उस समय तक रोक दी जायगी जबतक वे परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते हैं। हिन्दी न जाननेवाले कर्मचारियों को शीघ्र हिन्दी सीखने का प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने १००, ७५, ५० रु० के नकद पुरस्कार अपने उन कर्मचारियों को देने का निश्चय किया है, जिन्हें विभिन्न सरकारी कार्यालयों में १९५२ ई० की पहली तिमाही में होनेवाली हिन्दी परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, और तृतीय स्थान मिले हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

१९५१ ई० में सरकार ने हिन्दी न जाननेवाले सरकारी कर्मचारियों की गणना की और उनकी संख्या १,३६८ पाई गई। दूसरी गणना भी अब हो रही है।

११। हिन्दी न जाननेवाले सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी-शिक्षा की व्यवस्था

सरकार ने अपने उन कर्मचारियों को, जिन्हें हिन्दी भाषा का कामचलाऊ ज्ञान नहीं है, हिन्दी की शिक्षा देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की है। बिहार साहित्य सम्मेलन को २२,७४० रु० सहायता के रूप में दिए गए हैं। हिन्दी न जाननेवाले कर्मचारियों को हिन्दी की शिक्षा देने के लिए सम्मेलन द्वारा राज्य में २२ केन्द्र खोले गए। ये शिक्षण केन्द्रों एक वर्ष से अधिक समय से काम करते रहे और इन केन्द्रों में बहुसंख्यक सरकारी कर्मचारियों ने हिन्दी लिखने-पढ़ने का ज्ञान प्राप्त किया है।

१२। सचिवालय और संबंधित कार्यालयों में हिन्दी का क्रमोन्नत व्यवहार

सचिवालय और संबंधित कार्यालयों में हिन्दी का व्यवहार हो सके, इसके लिए अफसरों और सहायकों को प्रशिक्षित करने के संबंध में निम्नलिखित उपायों का अवलम्बन किया गया है:—

(क) विधान सभा और विधान परिषद् से प्राप्त प्रश्नों के संबंध में सभी पत्र-व्यवहार हिन्दी में किए जाते हैं। सरकार के विभाग इन प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे प्रश्नों के संबंध में फाइलों पर टिप्पणियां भी यथासंभव हिन्दी में लिखी जाती हैं।

(ख) सभी विभागों से कहा गया है कि जहां अधिक पत्राचार की संभावना नहीं है, वहां गैर-सरकारी व्यक्तियों के साथ साधारण पत्र-व्यवहार में हिन्दी का व्यवहार करें और इस प्रकार हिन्दी अपनाने की दिशा में कदम बढाना प्रारंभ कर दें।

१३। संहिताओं (कोड्स) और हस्तपुस्तिकाओं (मैनुअल) का अनुवाद और अन्य प्रकार के निर्देश-ग्रंथों का संकलन

(क) राज्य-सरकार ने उन संहिताओं और हस्तपुस्तिकाओं का हिन्दी में अनुवाद कराने का निश्चय किया है जो इस राज्य में लागू है। अनुवाद-विभाग ने पुलिस-मैनुअल और बिहार ऐंड उड़ीसा सर्विस कोड के हिन्दी अनुवाद का काम शुरू कर दिया है। खासकर इसी काम के लिए दो सहायक अनुवादक नियुक्त किए गए हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(ख) बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के मंत्री श्री शिवपूजन सहाय ने हिन्दी में एक नयी पाठ्य पुस्तक का संकलन किया है, जो राज्य-पत्रित (गजटेड) पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षाओं के लिए मंजूर होगी।

(ग) बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् को दंड (फौजदारी), व्यवहार (दीवानी) एवं राजस्व (मालखाना) न्यायालयों तथा राज्य के राजस्व और भू-प्रबंध प्रलेखों में साधारणतः व्यवहृत होनवाले हिन्दी शब्दों के कोष, संग्रह का भार सौंपा गया है।

(च) श्री रामलोचन शर्मा 'कंटक' राज्य के दंड (फौंजदारी), व्यवहार (दीवानी) एवं राजस्व न्यायालयों में आम तौर पर प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों, वाद पत्रों, तर्कों, अभियोगों आदि के नमूनों का हिन्दी में अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। वे राज्य के निबंधन कार्यालयों (रजिस्ट्री औफिस) में निबंधन के लिए आम तौर पर प्रस्तुत किए गए कबाला, पट्टा और कबूलियत आदि के नमूनों का हिन्दी प्रारूप भी तैयार कर रहे हैं।

१४। सरकार द्वारा हिन्दी में प्रकाशित पत्रिकाएँ, गजट और संवाद-पत्र

राज्य-सरकार द्वारा हिन्दी में निम्नलिखित पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं—१। बिहार; २। बिहार-संदेश; ३। श्रमिक; ४। आदिवासी।

बिहार गजट के खड १,२,४ और ५ भी हिन्दी में प्रकाशित होते हैं। १९५० ई० में राज्य-सरकार ने संयुक्त राज्य (ग्रेटब्रिटेन) के पास कई मोनो मशीनों की मांग भेजी थी। लेकिन ये सभी मशीनें अभीतक नहीं पहुँच पाई हैं। यदि ऐसी कठिनाई नहीं होती, तो सरकार बिहार गजट और पुलिस गजट को पूर्णतः हिन्दी में ही प्रकाशित करती।

१५। हिन्दी टंकन-यंत्र (टाइपराइटर) की खरीद

सरकार यह महसूस करती है कि जबतक सभी कार्यालयों में हिन्दी टाइप राइटर नहीं रहेंगे तबतक टिप्पणियों और पत्राचार में हिन्दी के उपयोग की पर्याप्त प्रगति न हो सकेगी। कई प्रकार के हिन्दी टाइपराइटरों की छान-बीन करने के बाद सरकार ने अंत में श्री कृपानाथ मिश्र के की-बोर्ड (कुंचिदा) को अपनाने का निश्चय किया। हिन्दी टाइपराइटरों के निर्माण का पर्यवेक्षण करने के लिए एक पदाधिकारी जर्मनी भेजे गए और मिश्र-टाइपराइटरों के जर्मन निर्माताओं को ६०० टाइपराइटर भेजने का आदेश दिया गया है। इनमें से १०० हिन्दी टाइपराइटर पहुँच चुके हैं और शेष ५०० भी शीघ्र ही आनेवाले हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि, पिछले चार वर्षों में, सरकार ने बहुतेरे राजकीय प्रयोजन में हिन्दी को अपनाने के लिए आदेश जारी किए हैं। सरकार के इन आदेशों का पालन किस हद तक हुआ या हो रहा है, इसकी जांच के लिए बिहार के प्रसिद्ध हिन्दी विद्वान् श्री हंसकुमार तिवारी को एक विशेष पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तिवारी जी को राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है। उनका कर्त्तव्य यह है कि सभी सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करें और निर्देशित विषयों में हिन्दी की प्रगति की क्या स्थिति है, इसका विवरण सरकार को दें। तिवारी जी इस काम को कर रहे हैं। वे सभी कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण-अधिकारियों से इस पर विचार-विमर्श करते हैं और हिन्दी के उपयोग में उनकी कठिनाइयों का अध्ययन कर, सरकार को इसकी सूचना और सुझाव देते रहते हैं।

बि० स० मु० (पब०) ८८—मो०—३,०००—१४-८-१९५२—सम्पादक।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.